ISSN (P) : 0976-5255
(e) : 2454-339X
Impact Factor : 8.870 (SJIF)

# शोध मंथन

(A Multi-disciplinary Peer Reviewed & Refereed International Journal)

## आधुनिक वैश्विक परिवेश – वर्तमान संभावनाएं एवं भावी चुनौतियां

Vol. - XIV | Special Issue | March 2023

अतिथि मुख्य संपादकः
प्रो० (डॉ०) अभय कुमार मीतल

अतिथि संपादकः
प्रो० (डॉ०) संजय कुमार बंसल
प्रो० (डॉ०) मनीष कुमार गुप्ता

JOURNAL ANU BOOKS
Delhi • Meerut • Glasgow (U.K.)
www.anubooks.com

# शोध मंथन

## आधुनिक वैश्विक परिवेश – वर्तमान संभावनाएं एवं भावी चुनौतियां

(A Multi-disciplinary Peer Reviewed & Refereed International Journal)


**अतिथि मुख्य संपादकः**

**प्रोफेसर (डॉ०) अभय कुमार मीतल**

*विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग*

*साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश*

**अतिथि संपादकः**

**प्रोफेसर (डॉ०) संजय कुमार बंसल**

*विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग*

*एन०आर०ई०सी० कॉलेज, खुर्जा (बुलंदशहर), उत्तर प्रदेश*

**प्रोफेसर (डॉ०) मनीष कुमार गुप्ता**

*वाणिज्य विभाग*

*साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश*

**सहकर्मी समीक्षा मंडल**

**(Peer Review Board)**

<u>वाणिज्य व प्रबंधन</u>

**प्रोफेसर आर०के० गुप्ता,** कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश
**डॉ० एन०एल० शर्मा,** पूर्व प्राचार्य, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश
**डॉ० एन०एल० गुप्ता,** पूर्व विभागाध्यक्ष, डी०ए०वी० कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड
**डॉ० के०के० बंसल,** पूर्व विभागाध्यक्ष, श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
**प्रोफेसर सुबोध कुमार,** कैंपस बादशाही थौल, एच०एन०बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
**प्रोफेसर एम०सी० पांडे,** प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड
**प्रोफेसर जे०के० शर्मा,** जी०जी०डी०एस०डी० कॉलेज, पलवल, हरियाणा
**प्रोफेसर वी०एन०गुप्ता,** ऋषिकेश कैंपस, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

<u>विज्ञान</u>

**डॉ० सी०पी० सिंह,** पूर्व प्राचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश
**डॉ० वीना गर्ग,** पूर्व विभागाध्यक्ष, जैव रसायन विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान
**प्रोफेसर मुकेश कुमार,** वनस्पति विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड

<u>कला</u>

**डॉ० सुशीला रानी गर्ग,** पूर्व डीन, हिन्दी विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान
**डॉ० डी०सी० मीतल,** पूर्व प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग, एस० डी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
**डॉ० कुसुम कुशवाहा,** पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश
**प्रोफेसर बलराम सिंह,** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश

**Managing Editor : Vishal Mithal**


- शोधमंथन त्रै–मासिक जर्नल है, यह विशेष अंक है।
- शोधमंथन में पूर्व प्रकाशित लेख व पत्र प्रकाशित नहीं किये जाते।
- शोधमंथन के प्रबन्ध सम्पादक पूर्व निर्धारित हैं। यथा समय अतिथि सम्पादक चयनित किये जाते हैं।
- प्रकाशित सामग्री का कॉपीराइट जर्नल अनु बुक्स, मेरठ का है।
- अपना शोध पत्र प्रकाशित करवाने के लिये ई–मेल के द्वारा अपने पूर्ण पते के साथ भेजें।
- सम्पादकीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- **Authors are responsible for the cases of plagiarism.**


**Published by Mithal K., Journal Anu Books, Meerut**
**Printed by D.K. Fine Art Printers Pvt. Ltd., New Delhi**

# आभार

'शोध मंथन' शोध पत्रिका का मार्च 2023 विशेषांक 'आधुनिक वैश्विक परिवेश––वर्तमान संभावनाएं एवं भावी चुनौतियां' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस विशेषांक के लिए शोध पत्रों को आमंत्रित करना, उन्हें एकत्र करना तथा संपादन का कार्य करना संपादक मंडल के लिए एक बहुत ही अच्छा एवं ज्ञान–संवर्धनात्मक अनुभव रहा है। विषय की विस्तृतता, गहनता तथा बहुविषयक प्रकृति को देखते हुए संपादक मंडल ने उक्त शोध पत्रिका में योगदान हेतु विभिन्न उप–शीर्षक भी निश्चित किए थे। ये उप–शीर्षक हैं– आर्थिक मंदी–कारण व निवारण, आर्थिक मंदी की वैश्विक आहट, क्षेत्रीय असंतुलन एवं संघर्ष–भारतीय एवं वैश्विक मामलों के संदर्भ में, बेरोजगारी–कारण व निवारण, वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या, भारत एक विश्व गुरु बनने की राह पर–विभिन्न चुनौतियां एवं संभावनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था–आर्थिक सर्वेक्षण व बजट के विशेष संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र के विभिन्न पहलू, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टताएं– संपत्ति मुद्रीकरण योजना, विनिवेश, डिजिटलाइजेशन, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, संचार व परिवहन ढांचे का विस्तार; शिक्षा नीति–वैश्विक परिवेश के अनुसार बदलती प्रवृत्तियां, व्यावसायिक शिक्षा की बढ़ती महत्ता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन; समानांतर अर्थव्यवस्था–कारण, परिणाम, समस्या से बचने के उपाय, भारतीय एवं वैश्विक सन्दर्भ में धन का असमान वितरण, विदेशी संबंध–पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास, सीमाओं का अतिक्रमण, विदेशी व्यापार, तकनीकी का आदान–प्रदान, सीमा पार आतंकवाद, कोरोना के नित नए बदलते स्वरूप, नवीन कोरोना–रोधी दवाइयां, कोरोना से संबंधित नए शोध, आतंकवाद व आतंकवाद–रोधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी–कारण, परिणाम व रोकथाम हेतु उपाय; प्रदूषण–प्रदूषण के विभिन्न रूप, वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुंदरों का बढ़ता जलस्तर, ओजोन परत में छेद, प्राकृतिक आपदाएं, विश्व के प्रमुख प्रजातांत्रिक देशों का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अध्ययन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का आकलन; प्रबंध, अर्थशास्त्र, वित्त, लेखांकन, विधि एवं बीमा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां; कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियां; मानव विज्ञानों एवं प्राकृतिक विज्ञानों की नवीनतम उपलब्धियां, चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियां एवं देन इत्यादि।

विभिन्न लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडी के माध्यम से एकत्र ज्ञान के इस अथाह सागर को हमने शोध पत्रिका के रूप में संकलित करा है। इस कार्य के लिए हम श्री विशाल मित्थल, अनु बुक्स, मेरठ का हार्दिक आभार करते हैं जिन्होंने हमारे संकलन को अपनी प्रतिष्ठित, अन्तर्राष्ट्रीय एवं सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रिका 'शोध मंथन' के विशेषांक मार्च 2023 के रूप में प्रकाशित करने की सहमति प्रदान की। हम श्री विशाल मित्थल एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही मैं अपने अनुभवी विद्वान साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ संपादन के कार्य में जुड़े हुए हैं। मैं प्रोफेसर (डॉ0) संजय कुमार बंसल, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा तथा प्रोफेसर (डॉ0) मनीष कुमार गुप्ता, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद का अपने साथ संपादक के रूप में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर (डॉ0) मनीष कुमार गुप्ता को इस विशेषांक के सम्पूर्ण कार्य के प्रबंधन एवं समन्वय के लिए विशिष्ट धन्यवाद देता हूँ। उनके सक्रिय व सकारात्मक सहयोग के बिना इस शोध पत्रिका का प्रकाशन निश्चित ही एक दुरुह कार्य होता।

साथ ही मैं अपने सहकर्मी समीक्षा मंडल के विभिन्न वरिष्ठ विद्वानों का उक्त शोध पत्रिका की विभिन्न सामग्री के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सामयिक सलाह एवं सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं इस शोध पत्रिका के लिए अपने लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडीज के माध्यम से योगदान करने हेतु सभी विषय विशेषज्ञों, प्राध्यापकों, शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

यद्यपि इस शोध पत्रिका एवं इसके प्रकाशन को हर संभव प्रकार से त्रुटिरहित बनाने का भरसक प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ अवांछित त्रुटियां संभावित हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

सधन्यवाद।

**प्रोफेसर (डॉ०) अभय कुमार मीतल**
**मुख्य संपादक**

# प्राक्कथन

आधुनिक वैश्विक परिवेश में नित नवीन परिवर्तन और व्यापक बदलाव अनुभव किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ विकास की अपार संभावनाएं, अनेकों समस्याएं एवं चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जो देश अपने आधारभूत ढांचे में इन परिवर्तनों के आधार पर बदलाव स्वीकार करेगा, इन समस्याओं एवं चुनौतियों को स्वीकार कर उनका समाधान करके परिवर्तनों को अंगीकार करेगा; वही देश विकास की दौड़ में अपने आप को बनाए रख सकेगा।

आधुनिक वैश्विक परिवेश में जहां अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, वहीं अनेकों समस्याएं एवं चुनौतियां भी अस्तित्व में हैं। आधुनिक वैश्विक परिवेश अनेकानेक समस्याओं एवं चुनौतियों से परिपूर्ण है जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक मंदी, व्यापार युद्ध, कोविड, सीमा विवाद, गरीबी, पारिस्थितिकीय असंतुलन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, खाद्यान्न समस्या, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों में गिरावट, धार्मिक उन्माद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की असंतुलित भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी, विश्व युद्ध की आहट, नाभिकीय व रासायनिक हथियारों की दौड़, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय असंतुलन एवं संघर्ष इत्यादि। ये समस्याएं एवं चुनौतियां विश्व के विभिन्न देशों में विद्यमान हैं, हालांकि इनकी मात्रा एवं तीव्रता देश व समय काल के अनुसार भिन्न है। उपरोक्त समस्याओं एवं चुनौतियों से भारत भी अछूता नहीं है।

भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले देशों में से एक है। 1.4 अरब लोगों की विशाल आबादी का देश होने के कारण भारत आज संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज हमारी आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की शक्ति और सामर्थ्य रखती हैं। आधुनिक भारत आज विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों के बीच से विकास की संभावनाएं एवं अवसर तलाश कर विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर है।

भारत मेक इन इंडिया, कौशल विकास, वोकल फॉर लोकल, संपत्ति मुद्रीकरण योजना, विनिवेश, डिजिटलाइजेशन, नई रोजगारपरक शिक्षा नीति, पिछड़े वर्गों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण के सघन प्रयास, राजनीतिक स्थिरता, कुशल विदेश नीति, चिकित्सा विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में नवीन आविष्कार; कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष; वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध, अर्थशास्त्र, वित्त, लेखांकन, परिवहन, बीमा, विधिक क्षेत्र में निरंतर आ रही नवीन प्रवृत्तियों आदि विभिन्न कारणों से एक नए रूप में वैश्विक पटल पर अपने आप को 'सशक्त' एवं 'सक्षम' रुप से स्थापित करने हेतु अथक रूप से प्रयासरत है। भारत अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी हो चुका है। भारत अपने सीमित संसाधनों से संपूर्ण विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। विश्व के हर एक मंच पर आज भारत की सोच को गंभीरता से सुना व समझा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संगठन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व के बड़े एवं शक्तिशाली देश भी आज भारत की सोच, इसके प्रजातंत्र, इसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, इसकी प्राचीन व महान संस्कृति तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण; मुश्किलों से लड़ने के लिये इसके विभिन्न रणनीतिक प्रयासों की सहर्ष सराहना कर रहे हैं। जी–20 राष्ट्रों का सम्मेलन 2023 में भारत में होना हमारी कुशल अर्थव्यवस्था एवं लोकप्रियता का एक प्रमाण है।

लेकिन आगे की राह और भी मुश्किल है। हमें विभिन्न चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, समस्याओं के हल ढूंढने होंगे और अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'सशक्त' व 'सक्षम' रुप में स्थापित करना होगा। हमें ना केवल वैश्विक परिवर्तन और बदलावों को स्वीकार करना होगा वरन् वैश्विक मानकों की बराबरी करते हुए अपने विकास की गति की निरंतरता को बनाए रखना होगा; तभी भारत का अमृत–काल सार्थक हो सकेगा और भारत पुनः विश्व गुरु की पदवी प्राप्त कर सकेगा। हमें इन चुनौतियों व समस्याओं में निरंतर संभावनाएं तलाश कर उनको अपनी विकास की सीढ़ी बनाते हुए वैश्विक पटल पर सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने हैं जो संपूर्ण विश्व के लिए उदाहरण हों और आर्थिक संपन्नता में भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया के रूप में संपूर्ण विश्व को स्वीकार हो।

ISSN: (P) 0976-5255 (e): 2454-339X
Impact Factor: 8.870 (SJIF)

# शोध मंथन

## हिन्दी शोध पत्रिका

**A Peer Reviewed & Refereed International Journal in Hindi**

**Vol. XIV** **Special Issue** **March 2023**

## अनुक्रमणिका

1. नवीन शिक्षा नीति : चुनौतियाँ एवं समाधान 1
*प्रोफेसर (डॉ०) अभय कुमार मीतल*

2. नई शिक्षा नीति – एक मूल्यांकन 5
*प्रोफेसर (डॉ०) संजय कुमार बंसल*

3. भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी – भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के विशेष संदर्भ में 10
*प्रोफेसर (डॉ०) मनीष कुमार गुप्ता*

4. भारत एक विश्वगुरू बनने की राह पर – विभिन्न चुनौतियाँ और संभावनाएँ 16
*चेतना राणा, प्रोफेसर (डॉ०) गिरीश कुमार सिंह, प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द*

5. श्री नरेंद्र मोदी और भारत – एक अवलोकन (भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में) 20
*डॉ० राजेश मौर्य*

6. सतत विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका – उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में 26
*प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द, डॉ० ओमप्रकाश सिंह*

7. भारत में स्मार्ट कृषि समय की माँगः चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – एक अवलोकन 30
*प्रोफेसर (डॉ०) कमल सिंह*

8. राजनीतिक समाजीकरण तथा जनमत निर्माण 36
*डॉ० योगेश सिंह राणा*

9. भारत में आपराधिक न्यायिक प्रणाली में त्वरित सुधार की आवश्यकता एवं संभावनाएँ – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 40
*विनय कुमार*

10. साइबर अपराध और विधि : भारतीय परिप्रेक्ष्य 45
*राजदेव सिंह*

11. आतंकवाद : ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या 51
*डॉ० शिवाली चौहान, डॉ० अंकुर अग्रवाल*

12. बेरोजगारी : कारण व निवारण एवं वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या 56
*डॉ० बिमला सिंह*

13. बेरोजगारी – कारण व निवारण एवं वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या 61
*डॉ० पुन्ज भाष्कर*

14. बेरोजगारी : समस्या एवं उसका निराकरण 65
*डॉ० अंकुर अग्रवाल, डॉ० रत्नावली गर्ग*

15. भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी – कारण, परिणाम एवं रोकथाम हेतु उपाय 71
*प्रोफेसर (डॉ०) कमल सिंह*

16. भ्रष्टाचार : एक अभिशाप 76
*डॉ० संजीव गौड़, डॉ० अंकुर अग्रवाल*

17. आर्थिक मंदी के कारण व निवारण एवं आर्थिक मंदी की वैश्विक आहट 83
*डॉ० पिंकी बिष्ट*
18. महिला सशक्तिकरण और शिक्षा 87
*डॉ० मनवीर सिंह, धनीराम*
19. महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन 95
*रवि कुमार, प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द*
20. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका 98
*डॉ० रश्मि सिंह*
21. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान 102
*डॉ० अखिला सिंह गौर*
22. महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन 106
*विनीता सिंह, सरला सिसोदिया*
23. विदेशी संबंध – पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास 111
*प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द, सचिन सिंह*
24. भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान वर्तमान चुनौतियाँ 115
*डॉ० पूजा सिन्हा*
25. उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं की जनसंख्या एवं साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर का मूल्यांकनात्मक अध्ययन (जनपद पौड़ी गढ़वाल के संदर्भ में) 119
*डॉ० दीप्ति*
26. उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन 127
*नौमीलाल, प्रोफेसर (डॉ०) कृष्ण कुमार सिंह*
27. शिक्षा नीति – वैश्विक परिवेश के अनुसार बदलती प्रवृत्तियाँ 132
*विनीता सिंह, प्रोफेसर (डॉ०) कृष्ण कुमार सिंह*
28. तत्कालीन भारतीय सामाजिक समस्याओं पर भगत सिंह का चिंतन 136
*आशू सैनी, प्रोफेसर (डॉ०) गिरीश कुमार सिंह, प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द*
29. नागार्जुन के उपन्यासों में जन–चेतना 140
*डॉ० शैलेन्द्र पाल सिंह*
30. समकालीन परिदृश्य में प्रयुक्त नवीन प्रवृत्तियाँ : अनिल करंजयी के विशेष संदर्भ में 146
*प्रीतिका गुप्ता, प्रोफेसर (डॉ०) पम्पा गौतम*
31. भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता (वर्तमान खुदरा क्षेत्र के संदर्भ में) 151
*डॉ० कृष्णा भारती, भूपेन्द्र सिंह पंचपाल*
32. प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका प्रभाव 155
*डॉ० योगेन्द्र पाल सिंह सोलंकी, प्रोफेसर (डॉ०) सुलेखा जादौन, डॉ० निधि सिंह*
33. प्रदूषण : वर्तमान संभावनाएँ एवं भावी चुनौतियाँ 161
*डॉ० निशा बहल*
34. कोरोना महामारी – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 166
*डॉ० अंकुर सिंह*

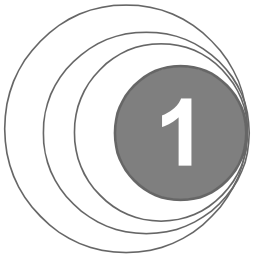

1

# नवीन शिक्षा नीति : चुनौतियाँ एवं समाधान

**प्रोफेसर (डॉ०) अभय कुमार मीतल**
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

*सारांश*

*हमारी शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से ही तत्कालीन परिस्थितियों की अनदेखी की गई और यही कारण रहा कि हमारी शिक्षा नीति एवं पद्धतियों में व्यावहारिकता, व्यावसायिकता एवं रोजगारपरकता का अभाव रहा। नवीन शिक्षा नीति में इन तत्वों का ध्यान रखते हुए अनुकरणीय पहल करने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या यथार्थ के धरातल पर भी इस शिक्षा नीति के उतने ही सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम भविष्य में प्राप्त हो पाएंगे; यह निश्चय ही यक्ष प्रश्न है। वास्तव में हमारी यह नयी शिक्षा नीति अभी अपने शैशव काल में है और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किए जा सकते हैं। अब यह अपने लागू होने की प्रक्रिया में है और व्यावहारिक तौर पर आने वाली कठिनाइयों का पता करके इसको यथार्थ की कसौटी पर अपनी परीक्षा देनी होगी। विभिन्न आलोचनाओं के बाद भी हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि नवीन शिक्षा नीति का लागू किया जाना शैक्षिक रूप से एक अनिवार्यता और सार्थक कदम है।*

*मुख्य शब्द*

*आधारभूत संरचना, नवीन शिक्षा नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यावहारिकता, व्यावसायिकता, रोजगारपरकता।*

शिक्षा जगत में नवीन शिक्षा नीति पूर्ण उत्साह एवं सुखद कल्पनाओं के साथ लागू कर दी गई है। इस पर चर्चा हेतु अनेकों परिचर्चायें, सेमीनार, कॉन्फ्रेंस, पक्ष–विपक्ष सब कुछ परिणति को प्राप्त हो चुका है। यह नवीन शिक्षा नीति भारतवर्ष में प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा से प्रारंभ होकर उच्च शिक्षा पर भी लागू की जा चुकी है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अवलोकन करें तो इस शिक्षा नीति के अनेकों उजले एवं सार्थक मायने नजर आते हैं। वहीं सैद्धांतिक रूप से भी यह शिक्षा नीति अत्यंत कारगर एवं सुदृढ़ परिलक्षित होती है। परंतु क्या यथार्थ के धरातल पर भी इस शिक्षा नीति के उतने ही सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम भविष्य में प्राप्त हो पाएंगे; यह निश्चय ही यक्ष प्रश्न है। सभी स्तरों पर नवीन शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारें प्रयासरत हैं और बहुतायत संस्थानों में इसे लागू भी कर दिया गया है। यह एक निर्विवादित सत्य है किसी भी नवीनता या नवोन्मेष की स्वीकार्यता उतनी सुगम नहीं होती जितनी कि उसका निर्माण। लोग पुरातन नीतियों, परंपराओं एवं तथ्यों को अपनी कार्यशैली और दिनचर्या में समावेशित कर चुके होते हैं और उसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन भले ही वह कितना ही सकारात्मक हो; उन्हें सरलता व सुगमता से स्वीकार नहीं हो पाता और सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही रूपों में किसी भी नवीनता को आत्मसात करने में वह कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त आलोचनाएं मात्र राजनीतिक कारणों से भी होती हैं जिनका उद्देश्य मात्र आलोचना के लिए ही होता है। हमारी शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से ही तत्कालीन परिस्थितियों की अनदेखी की गई और यही कारण रहा कि हमारी शिक्षा नीति एवं पद्धतियों में व्यावहारिकता, व्यावसायिकता एवं रोजगारपरकता का अभाव रहा। नवीन शिक्षा नीति में इन तत्वों का ध्यान रखते हुए अनुकरणीय पहल करने का प्रयास किया गया है।

रटने की परंपरा को समाप्त करके व्यावहारिक ज्ञान एवं ज्ञान की अनुप्रयोग टेस्ट पद्धति को लागू कर, प्रशिक्षण आदि प्रदान कर इस शिक्षा नीति के माध्यम से छात्र–छात्राओं को यथार्थ शिक्षा प्रदान करने की सकारात्मक एवं सार्थक पहल की गई है। इस शिक्षा नीति में जहां कक्षा 6 के बाद ही पाठ्यक्रम चयन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वहीं विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक–व्यावहारिक ज्ञान, रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान हैं। प्रयास यही है कि शिक्षा के अनुरूप शिक्षा समाप्ति के उपरांत प्रत्येक युवा को रोजगार प्राप्त हो सके अथवा वह निज क्षमता

एवं सामर्थ्य के अनुसार स्वरोजगार स्थापित कर सफलता से अपना जीवन यापन कर सके। उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के साथ विद्यार्थी सहायक विषय अपनी रूचि के अनुसार अन्य संकाय से चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त मुख्य एवं सहायक विषय के अतिरिक्त अधिक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु व्यावसायिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास विषय प्रदान किए जाने की व्यवस्था के साथ संबंधित उद्योगों एवं विषय संबंधित संस्थानों में सार्थक एवं उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है।

सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों की शुल्क संरचना पर नियंत्रण एवं निर्धारण को भी केंद्रीयकृत करके समान शुल्क संरचना को लागू किए जाने की व्यवस्था भी इस नई शिक्षा नीति में उपलब्ध है। कानून एवं चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जिससे शैक्षिक नियुक्तियों एवं व्यवस्थाओं को नियंत्रित, केंद्रीयकृत एवं पारदर्शी बनाया जा सके। अन्य बहुत सारे तथ्यों को इस नीति में शामिल करने का प्रयास किया गया है जिससे हमारी शिक्षा पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके और हमारे विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा में खरे उतर सकें। समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था का यथा बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक; संपूर्ण परिमार्जन हो सके और शैक्षिक परिदृश्य में हमारा देश अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने आप को वैश्विक शैक्षिक योग्यता एवं प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर सके; यही इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के उपरांत प्रत्येक युवा के पास अपनी रुचि, क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट कौशल, व्यावहारिक ज्ञान एवं योग्यता हो जिससे उसे यथोचित रोजगार व व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हो सकें जिससे वह प्राप्त शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था से आत्म–संतुष्टि प्राप्त कर सके।

सैद्धांतिक रूप से नवीन शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा जगत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है। परंतु अंग्रेजी में एक कहावत है– 'देयर आर सो मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स'। भारतीय नवीन शिक्षा को लागू किए जाने के संबंध में भी यह कहावत अक्षरशः चरितार्थ होती है। अनेकों स्तर पर इसकी आलोचनायें हो रही हैं। धरातल पर इस नीति को व्यावहारिक रूप से लागू करने में विभिन्न संस्थानों एवं शिक्षाविदों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबका एक प्रमुख कारण हमारे देश की एक अत्यंत गंभीर एवं शाश्वत समस्या है और वह यह कि हमारे देश में अत्यंत सार्थक एवं सकारात्मक नीतियां बनाई जाती हैं जो सिद्धांत के धरातल पर सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम परिलक्षित होती हैं परंतु जब उनको यथार्थ के धरातल पर लागू करने की बात आती है तो उनके उचित क्रियान्वयन का अभाव, सरकारी स्तर की बाधाएं एवं लालफीताशाही उनके सार्थक प्रभाव को शून्य कर देते हैं।

## विभिन्न चुनौतियाँ

नवीन शिक्षा नीति को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर इसके यथार्थ क्रियान्वयन में अनेकों बाधाओं एवं समस्याओं का सामना शैक्षिक जगत में अनुभव किया जा रहा है। अनेकों चुनौतियाँ इस वर्तमान नवीन शिक्षा नीति के सम्मुख सुरसा के मुंह की भांति मुख फैलाये खड़ी हैं। ये प्रमुख चुनौतियाँ निम्नवत हैं–

### 1 केंद्र एवं राज्यों में समायोजन की समस्या

केंद्र सरकार द्वारा लागू अन्य नीतियों की भांति इस नवीन शिक्षा नीति पर भी भ्रम एवं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे यथावत तत्काल लागू कर दिया है लेकिन कुछ राज्य सरकारें अभी मंथन की स्थिति में हैं। सरकारी निर्देशों के छिद्रों को विभिन्न राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी के अनुसार भरने के प्रयासों में लगी रहती हैं और इस प्रक्रिया में नीति का मूल भाव, प्राण एवं आत्मा आहत होती रहती है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता ही तय करती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य परस्पर खींचतान भारतीय शैक्षिक जगत के सम्मुख नवीन चुनौतियाँ उपस्थित कर देती है। दोनों सरकारों के मध्य इस रस्साकशी का प्रमुख कारण नीतिगत ना होकर मात्र राजनैतिक होना और भी कष्टप्रद है। इससे राष्ट्रहित एवं शिक्षा नीति के उद्देश्यों; दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव हो रहा है।

### 2 संसाधनों का अभाव

नवीन शिक्षा नीति को रोजगारपरक एवं रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षा, संस्थानों में शिक्षानुरुप व्यावसायिक ज्ञान एवं यथार्थ धरातल शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि शैक्षिक संस्थानों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ना ही प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपकरण अथवा संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन सुविधाओं को आउटसोर्स किया जाता है तो छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा और यदि संस्थान इस व्यय भार को वहन करता है तो कोष कहां से उपलब्ध होंगे; इसका कोई स्पष्ट निर्देश अथवा प्रावधान नीति में नहीं किया गया है। महानगरों के अतिरिक्त कस्बों एवं सुदूर क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान में तो है ही नहीं बल्कि आउटसोर्स किए जाने के लिए भी कोई व्यावसायिक दक्षता एवं निपुणता वाला अधिकृत संस्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नवीन शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण किस प्रकार प्राप्त होगा; निश्चित ही यह एक यक्ष प्रश्न है।

### 3 विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से शिक्षा का महंगा होना

नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है यद्यपि भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं मानकों पर खरा उतारने की दृष्टि से इस प्रयास को उचित ठहराया जा सकता है परंतु बहुसंख्यक शिक्षाविदों का मत है कि यह भारतीय शिक्षण व्यवस्था को महंगा कर देगा तथा निम्न आय वर्ग के लोगों एवं निर्धन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना दुश्कर एवं चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त योग्य एवं कुशल शिक्षकों का इन संस्थानों में पलायन भी एक समस्या बन सकता है। इस पर नियमन एवं नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इस संबंध में भी अस्पष्टता एवं संदेह परिलक्षित होता है।

### 4 निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप

नवीन शिक्षा नीति में निजी क्षेत्र का प्रभाव शिक्षा जगत पर अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है यद्यपि निजी क्षेत्र के प्रभावों के सकारात्मक पक्ष भी तलाशे जा सकते हैं परंतु इस प्रभाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा अथवा नहीं; इस पर तो कोई संदेह हो सकता है परंतु निजी क्षेत्र के प्रवेश से शिक्षा के मूल्य में वृद्धि होगी यह निर्विवाद सत्य है। निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप से शिक्षा सेवा परिक्षेत्र से व्यवसाय परिक्षेत्र में पहुंच जायेगी जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब यह सुखद होंगे या दुखद, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, यह भविष्य के गर्भ में समाया एक यक्ष प्रश्न है।

### 5 मानव संसाधनों का अभाव

भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निजीकरण के हस्तक्षेप के बाद भी अधिकांश रुप से बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सरकारी संस्थानों पर ही आधारित है। इसका एक प्रमुख कारण सरकारी स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की कम फीस होना भी है। तुलनात्मक रूप से निजी क्षेत्र में यह शुल्क स्तर बहुत अधिक है और वहां प्रवेश के लिए व्यक्ति का साधन संपन्न होना अनिवार्यता है। जहां तक सरकारी संस्थाओं का प्रश्न है वहां नीतिगत, वैधानिक एवं अन्य कारणों से अनेकों पद रिक्त हैं जोकि इन संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों द्वारा अधिक सुविधाएं और अधिक वेतन भुगतान के कारण भी योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सरकारी संस्थानों में घट रही है।

### 6 राजनीतिक समस्याएं

राजनीतिक गलियारों में नवीन शिक्षा नीति का विरोध पुरजोर स्वर में हो रहा है। विपक्षी दल एवं विरोधियों का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा एवं दिशा, युवाओं का भविष्य तय करने वाली इस नीति को लागू करने में सरकार द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है और इस को विधिवत रूप से संसद के पटल पर रखकर इसका अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया जबकि पूर्व में लागू सभी शिक्षा नीतियां इस संवैधानिक प्रक्रिया से होकर गुजरी थीं। इसके अतिरिक्त इस नीति के विभिन्न पहलुओं और बिंदुओं पर कोई व्यापक और सर्वदलीय चर्चा भी संवैधानिक रूप से ना किए जाने के आरोप लग रहे हैं।

## समाधान एवं सुझाव

किसी भी नवीनता, नवोन्मेश अथवा परिवर्तन की स्वीकार्यता कभी भी सुगम नहीं होती, यह एक शाश्वत सत्य है परंतु परिवर्तन अनिवार्यता है। बिना परिवर्तन को स्वीकार किये प्रगति थम जाएगी यह भी एक निर्विवाद सत्य है। नयी शिक्षा नीति को लागू किया जाना युवाओं के लिए, देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। यदि उसमें सुधार के लिए कुछ सार्थक और सकारात्मक सुझाव हैं तो वे प्रस्तुत किए जाने चाहियें ना कि उसमें कमियां निकाल कर उसकी आलोचना की जानी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि सकारात्मक एवं सार्थक सुझावों को स्वीकार पर नवीन शिक्षा नीति को सर्वश्रेष्ठ स्वरुप प्रदान करें और उसे परिमार्जित करें। इस नीति की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्न समाधान एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

### 1 केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य पारस्परिक संयोजन

केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियां एवं अधिकार स्पष्ट किए जाने चाहियें जिससे परस्पर असमंजस की स्थिति को समाप्त किया जा सके। संपूर्ण भारत के प्रत्येक प्रदेश में एक सा शैक्षिक ढांचा लागू किया जाना छात्र हित में सर्वश्रेष्ठ होगा जिससे कोई भी कहीं भी यदि शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे शैक्षिक स्वरूप के परिवर्तन की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। केन्द्र सरकार अथवा यू.जी.सी. अथवा किसी अन्य संवैधानिक शिक्षण संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को राज्य सरकारों द्वारा यथावत स्वीकार न करने से अथवा विलंब से स्वीकार करने के कारण भी शिक्षा के स्वरूप की एकरूपता बाधित होती रही है। इस संबंध में स्पष्टता आवश्यक है।

### 2 आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता

नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने का यथासंभव प्रयास किया गया है। इसके लिए व्यावसायिक ज्ञान, प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान आदि का भी प्रावधान किया गया है। विचार अत्यंत उत्तम है परंतु इस हेतु संस्थानों को आवश्यक संसाधन एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। प्रशिक्षण हेतु, प्रयोगात्मक प्रक्रिया हेतु आवश्यक उपकरण एवं योग्य

शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विशेषकर छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, तभी हम हर शिक्षित युवा को नौकरी अथवा रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

### 3 निजी क्षेत्र एवं विदेशी संस्थानों पर नियंत्रण एवं अंकुश

नवीन शिक्षा नीति के अनुसार निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत में अपना तंत्र स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। यह शिक्षा के क्षेत्र में विकास का एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है परंतु सरकार को उनके द्वारा निर्धारित शुल्क एवं उनके द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित ही नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें लागू करने के लिए इन पर अंकुश एवं नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जिससे शिक्षा व्यवसाय के रूप में परिवर्तित होने से बच सके, तभी इस क्षेत्र के प्रवेश की सार्थकता एवं सकारात्मकता शैक्षिक जगत में सिद्ध हो सकेगी।

### 4 शिक्षक, प्रशिक्षक की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार उपलब्धता

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभिन्न संस्थानों में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी उपलब्ध पदों पर योग्य शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की तत्काल नियुक्ति हो। इसके अतिरिक्त एक ऐसी समुचित व्यवस्था लागू किए जाने की भी आवश्यकता है जिससे सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुए पदों को भी यथासमय पुनः भरे जाने की प्रक्रिया हो सके। इससे ना केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा बल्कि पदों के खाली रहने के कारण छात्र–छात्राओं की शिक्षा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। इस संबंध में आने वाली वैधानिक एवं तकनीकी समस्याओं का सरलीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

विभिन्न आलोचनाओं के बाद भी हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि नवीन शिक्षा नीति का लागू किया जाना शैक्षिक रूप से एक अनिवार्यता और सार्थक कदम है। राजनीतिक रूप से विपक्षियों द्वारा की गई आलोचनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि मात्र आलोचना करने के लिए की जा रही आलोचना सदैव महत्वहीन होती है। वैसे भी हमारी यह नयी शिक्षा नीति अपने शैशव काल में है और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किए जा सकते हैं। अब यह अपने लागू होने की प्रक्रिया में है और व्यावहारिक तौर पर आने वाली कठिनाइयों का पता करके इसको यथार्थ की कसौटी पर अपनी परीक्षा देनी होगी। ऐसे में विभिन्न विद्वानों, संस्थानों, वैधानिक संस्थाओं के सुझाव लेकर आवश्यक परिवर्तन करके इस नीति को सर्वश्रेष्ठ रूप में तैयार किया जा सकता है जिससे भारतीय शिक्षा ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर पायेगी।

## संदर्भ

1. दैनिक जागरण. विभिन्न अंक।
2. अमर उजाला. विभिन्न अंक।
3. www.india.gov.in. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल।
4. https://www.education.gov.in.
5. www.education.gov.in.
6. https://pib.gov.in.

2

# नई शिक्षा नीति – एक मूल्यांकन

**प्रोफेसर (डॉ०) संजय कुमार बंसल**
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
एन० आर० ई० सी० कॉलेज, खुर्जा (उत्तर प्रदेश)

***सारांश***

*वर्तमान में सरकार द्वारा 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण कार्य में सुधार करना एवं विद्यार्थियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों; इस बात का भी ध्यान रखना था। विद्यार्थियों में वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम कौशल विकास करना भी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति के मुख्य लक्ष्य हैं– सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना, शिक्षा के सभी चरणों के मानकों को उन्नत करना और आधुनिकीकरण करना एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान देना इत्यादि। नई शिक्षा नीति 2020 देश के भविष्य को अच्छे ढंग से शिक्षित करने हेतु बहुत सार्थक है। यह शिक्षा नीति ना केवल विद्यार्थियों को शिक्षा व ज्ञान प्रदान करेगी अपितु उनको कौशल विकास भी प्रदान करेगी। यह कौशल विकास उनके मध्य रोजगारपरकता उत्पन्न करेगा जिससे बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होगी। एक शिक्षित एवं कौशलयुक्त नागरिक ही समाज को व देश को उत्तम व उन्नत दिशा में ले जा सकता है।*

***मुख्य शब्द***

*कौशल विकास, वोकेशनल एजुकेशन, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगारपरकता, पेशेवर क्षेत्र।*

**परिचय**

किसी भी देश में प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के माध्यम से ना केवल एक व्यक्ति का विकास होता है अपितु समाज का और देश का भी विकास होता है। एक शिक्षित समाज एक राष्ट्र के विकसित होने की दिशा में पहला कदम है। शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है जिससे उसमें किसी भी विषय को सोचने, समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। इसका अर्थ है हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो।

भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का समाज और देश के विकास में लगातार महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे जिनमें गरीब एवं अमीर सभी श्रेणी के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय राजा एवं सामान्य नागरिक दोनों के ही बच्चे शिक्षा गुरुकुल में लेते थे, अतः उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। वे शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ गुरुकुल के अन्य सभी कार्यों में भी सहभागिता करते थे एवं उस कार्य को सीखते थे। विद्यार्थियों के मध्य नैतिकता, भावनात्मकता एवं शस्त्र ज्ञान को विकसित किया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न कार्यों में निपुण किया जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आधार पर शिक्षण कार्य कराना था। अतः सरकार के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इसके लिए सरकार के द्वारा अलग–अलग समय पर शिक्षा आयोग बनाए गए और उनसे रिपोर्ट मांगी गई जिनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां एवं उनका समाधान। 1947 से लेकर 2023 तक विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्य में सुधारात्मक कदमों के लिए सुझाव दिए गए और जिनको सरकार के द्वारा तत्कालीन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया।

कोठारी आयोग (1964–1966) की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर पहली शिक्षा राष्ट्रीय नीति, 1968 की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मंत्री इंदिरा गाँधी की सरकार ने 1968 में की। इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के समान अवसरों की सिफारिश की गई थी जिससे कि राष्ट्रीय एकता, उत्कृष्ट सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करा जा सके। इस नीति में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी को पूरे भारत में लागू करना था। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्कृत भाषा को भी भारत का अभिन्न अंग माना गया जो भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है, इसीलिए इसको भी शिक्षण कार्य में शामिल किया गया।

1986 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी जी ने एक दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शुरू की जिसका मुख्य उद्देश्य सभी आर्थिक स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत असमानताओं के उन्मूलन और शैक्षिक अवसरों को सभी के लिए समान आधार पर उपलब्ध कराना, छात्रवृत्ति, सब्सिडी का विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा आदि को लागू करना शामिल था। शिक्षा नीति का केंद्रित दृष्टिकोण विशेष रुप से प्राथमिक शिक्षा के लिए था जिसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शैक्षिक सुधार के रूप में लागू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 1995 एवं 2005 में भी शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए।

वर्तमान में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण कार्य में सुधार करना एवं विद्यार्थियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों; इस बात का भी ध्यान रखना था। विद्यार्थियों में वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम कौशल विकास करना भी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति के मुख्य लक्ष्य हैं–

(1) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना,

(2) निरक्षरता का उन्मूलन करना,

(3) व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना,

(4) शिक्षा के सभी चरणों के मानकों को उन्नत करना और आधुनिकीकरण करना,

(5) तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

## साहित्य समीक्षा

भारत में शिक्षा नीति पर पूर्व में बहुत सारे शोध पत्र लिखे गए। नई शिक्षा नीति 2020 पर भी विभिन्न प्रकार के शोध पत्र लिखे गए। बहुत सारे शोध पत्रों में केवल शिक्षा नीति के लाभ ही लाभ बताए गए हैं। शिक्षा नीति का मूल्यांकन कर छात्रों को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं या शिक्षा नीति के उद्देश्यों का पालन हो रहा है या नहीं, इस संदर्भ में भी कई शोध पत्र लिखे गए। वर्तमान में इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना एवं इसके द्वारा देश के विद्यार्थियों के विकास के संदर्भ में इस नीति का विश्लेषण करना है। साथ ही शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह भी पता लगाना है कि नई शिक्षा नीति को क्या व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना संभव हो पाया है।

## शोध पत्र के उद्देश्य

इस शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. नई शिक्षा नीति का अध्ययन,
2. नई शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके प्रभावी क्रियान्वयन का अध्ययन,
3. नई शिक्षा नीति के लाभों का अध्ययन,
4. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावहारिक कठिनाइयां।

## अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध पत्र में द्वितीयक समंकों व सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में सरकार के द्वारा जारी की गयी नई शिक्षा नीति का विस्तार से अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही 100 विद्यार्थियों के मध्य भी इस बात की चर्चा की गई कि नई शिक्षा नीति 2020 का उन्हें किस प्रकार लाभ प्राप्त हो रहा है। यह सभी विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के थे। उनके मध्य यह भी विश्लेशण किया गया कि क्या–क्या सुधारात्मक कदम नई शिक्षा नीति की बेहतरी के लिए उठाये जा सकते हैं।

## नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें

1. **फाउंडेशन स्टेज–** बुनियादी शिक्षा प्रदान करने हेतु 5 साल का फाउंडेशन स्टेज है जो न केवल लचीला है एवं बहुस्तरीय भी है। इस स्टेज के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने हेतु खेल आधारित, गतिविधि आधारित एवं खोज आधारित शिक्षा प्रणाली

को ध्यान में रखा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय परंपराओं और संस्कृति का भी प्रयोग किया गया है और यह माना गया कि भविष्य में भी इसके अंदर नवाचार किए जा सकते हैं।

2. **प्रारंभिक चरण–** इस प्रारंभिक चरण के अंतर्गत 3 वर्ष की समय सीमा है। इसमें खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य है। इस चरण में धीरे–धीरे औपचारिक शिक्षा देने का प्रयास है और पाठ्य पुस्तकों का आगमन भी रखा गया है। छात्रों को विभिन्न विषयों को उजागर करने और उन्हें गहराई से समझाने के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
3. **मिडिल स्कूल शिक्षा चरण–** इस चरण के अंतर्गत 3 साल की अवधि है जिसमें विद्यार्थी को विज्ञान, गणित, कला, समाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों पर विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन कराना है। इसके साथ–साथ छात्रों का वोकेशनल शिक्षण कार्य भी इस चरण में शामिल किया गया है।
4. **माध्यमिक शिक्षा चरण–** इस चरण के अंतर्गत 4 वर्ष की माध्यमिक विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बहु–विषयक आधार पर शिक्षण कार्य करना लक्ष्य है जिससे कि विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय का अध्ययन कर सके। इस स्टेज में अधिक गहराई व लचीलेपन के साथ आलोचनात्मक सोच को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसमें विद्यार्थी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करेगा और इसमें वह 5 से 6 विषयों का अध्ययन करेगा। इससे छात्र अपनी पसंद के विषय को अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थी के लिए किसी एक विशिष्ट संकाय का होना जरूरी नहीं होगा। एक विद्यार्थी विज्ञान विषय के साथ–साथ कला या वाणिज्य के विषय का भी अध्ययन कर सकता है। यदि उसकी रूचि वाणिज्य एवं कला के विषय पढ़ने में भी है तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वह इसका अध्ययन आसानी से कर सकता है। सेमेस्टर प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अध्ययन की प्रणाली को सतत बनाये रखना है जिससे पूरे वर्ष विद्यार्थी अध्ययनरत रह सकें। 10वीं और 12वीं के अंत में बोर्ड परीक्षाएं यथावत तरीके से होंगी।
5. **अंडर–ग्रैजुएट एजुकेशन स्टेज–** यह स्टेज 3 या 4 साल की अवधि की है। इसमें प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने पर विद्यार्थी को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और यदि वह मध्य में अपनी शिक्षा स्थगित करता है तो वह पुनः वापिस प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। प्रथम वर्ष के पूर्ण होने पर उसे ग्रैजुएट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। द्वितीय वर्ष के पूर्ण होने पर ग्रैजुएट डिप्लोमा और तृतीय वर्ष के उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी 4 वर्ष के स्नातक डिग्री प्रोग्राम को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में उसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज में केवल 1 वर्ष की ही अवधि का शिक्षण ग्रहण करना होगा और उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त हो जाएगी।
6. **पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज मास्टर डिग्री–** यदि कोई विद्यार्थी 3 वर्ष की बैचलर डिग्री पूर्ण कर लेता है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 वर्ष का शिक्षण ग्रहण करना होगा और यदि वह 4 वर्ष की बैचलर डिग्री करता है तो उसे 1 वर्ष का शिक्षण ग्रहण करना होगा। इस स्टेज के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाला अनुसंधान भी उसके कार्य में शामिल होगा जो एक विद्यार्थी के अंदर पेशेवर क्षेत्र की क्षमता को विकसित एवं मजबूत करेगा।
7. **रिसर्च स्टेज–** इस स्टेज में उच्च गुणवत्ता वाली शोध को शामिल किया गया है जिससे कि छात्र विषय–विशेषज्ञता की ओर अग्रसर होगा। इस चरण में 3 से 4 वर्ष की अवधि के अंतर्गत किसी विषय पर अनुसंधान करने का कार्य होगा।

## नई शिक्षा नीति का लाभ

नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें प्री–स्कूल शिक्षा में विशिष्ट संरचना को शामिल किया गया है और यह संरचना पूरे देश में इस प्रकार से लागू की गई है जिससे कि मुनाफाखोरी, अनियमितता और असंगठितता तीनों को दूर किया जाए। इस स्टेज में शिक्षा का असंतुलन जो पूर्व में था उसे दूर करने का एक प्रयास किया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन का विस्तार करना भी एक लक्ष्य रखा गया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को वोकेशनल कोर्स का अध्ययन और उसकी ट्रेनिंग देना उद्देश्य है। शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट का भी शिक्षण कार्य होगा एवं उसकी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल की गयी है। इससे विद्यार्थियों में स्किल का विकास होगा और विद्यार्थी रोजगारपरक बन पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी को कारपेंटर का कार्य या पेंटिंग का कार्य करने में रुचि है तो ऐसी स्थिति में उसके लिये ग्रेजुएट स्तर पर इस प्रकार के कौशल विकास की व्यवस्था की गई है।

## नई शिक्षा नीति की हानियां

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाभ होने के साथ–साथ हानियां भी हैं अर्थात् बहुत सारे बहुआयामी वाक्यों को भरा गया है परंतु बहुत सारी चीजें पूर्वाग्रह से देखी जा सकती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी विचारधाराओं को केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर रखना या लागू करना कभी–कभी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो पाएगा। जैसे कि यह जरूरी है कि हम अपने विद्यार्थियों के मध्य कौशल विकास तो करना चाहते हैं परंतु उसके लिए क्या हमारे पास उस तरह की संरचना उपलब्ध है जो

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव ना कर सके। जैसा कि फिनलैंड देश में बिना किसी भेदभाव के शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है जिसमें अमीर, गरीब, शहरी और ग्रामीण दोनों में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना शिक्षण कार्य को किया जाता है। यह शिक्षा नीति जिस प्रकार से बनाई गई है वह देखने में बहुत अच्छी है परंतु भविष्य में यह देखना होगा कि व्यावहारिकता में इसे कितना लागू किया जा सकता है।

## केस स्टडी

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पश्चात् एक महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों को इस नीति के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। उन विद्यार्थियों से नए पाठ्यक्रम के संदर्भ में 1 वर्ष के पश्चात् प्रतिपुष्टि ली गई। विभिन्न प्रकार के सुझाव भी प्राप्त हुए। सभी विद्यार्थियों के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 का स्वागत तो किया गया और उनके द्वारा उस पाठ्यक्रम का भी ध्यान से अध्ययन किया गया। परंतु उनके द्वारा सेमेस्टर प्रणाली को लागू होने के कारण अध्ययन के समय का अभाव सूचित किया गया। पाठ्यक्रम सामग्री के पूर्ण रूप से एवं विस्तार से अध्ययन के लिए उन्हें समय कम मिला। नए पाठ्यक्रम में अगर वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता तो उन्हें अधिक विस्तार से पाठ्यक्रम सामग्री को समझने के लिए समय मिलता। विद्यार्थियों को विषयों के चयन के संदर्भ में विकल्प प्रदान किए गए। उनको अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम के विषय चुनने का अधिकार मिला जिसकी सराहना की गई। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में कौशल विकास के लिए जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उनकी भी सराहना की गई एवं विद्यार्थियों के द्वारा उन्हें पसंद किया गया। सबसे मुख्य बात कौशल विकास के संदर्भ में यह पाई गई कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाने के कारण उनके पास ना केवल समय का अभाव पाया गया अपितु मौद्रिक समस्या का भी सामना करना पड़ा। एक अन्य पहलू भी उनके समक्ष समस्या के रूप में खड़ा हुआ। यह पहलू था किसी भी संस्थान के द्वारा उस विद्यार्थी को अपने यहां व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की प्राथमिकता को देना। प्रत्येक संस्थान किसी भी अनजान विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने में हिचकिचाहट रखता है। फिर भी महाविद्यालय के द्वारा सहयोग करने पर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों के मध्य यह भी उलझन पाई गई कि किस प्रकार से उनके विषयों का मूल्यांकन किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा बाद में वेबीनार के माध्यम से इसको समझाया गया एवं इस बारे में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए गए। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थियों के मध्य नई शिक्षा नीति अधिक लोकप्रिय पाई गई।

## सुझाव

शिक्षा नीति 2020 का लागू होना देश में साक्षरता के मिशन को और आगे बढ़ाना है। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षण कार्य प्रदान करना अपितु विद्यार्थियों के मध्य कौशल विकास करना भी है। फिर भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव अगर सम्मिलित किए जाएं या उनको क्रियान्वयन में शामिल किया जाए तो सार्थकता और अधिक बढ़ जाएगी–

1. विद्यार्थियों के मध्य कौशल विकास की भावना को जागृत करने हेतु विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रकार के संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास के कार्यक्रम प्रदान किये जाने चाहियें। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर या उसके आसपास या महाविद्यालय परिसर और उसके आसपास सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में कौशल विकास के संस्थान स्थापित किए जाएं जिनमें विशिष्ट प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस कौशल को जांचने हेतु महाविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय के द्वारा उनकी परीक्षा को व्यावहारिक तौर पर क्रियान्वित करने हेतु एक कार्यक्रम बनाया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा कारपेंटर कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया तो उस विद्यार्थी की परीक्षा कराने हेतु विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक वस्तु के ऊपर कारपेंटर का कार्य करवा कर उसकी परीक्षा ली जाए जिससे उस महाविद्यालय के अंदर उसकी परीक्षा भी संपन्न होगी और महाविद्यालय को भी इस कौशल लाभ प्राप्त होगा।
2. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा के कार्यक्रम को सेमेस्टर सिस्टम से हटाकर वार्षिक सिस्टम में कराया जाना चाहिए जिससे अध्ययन का समय बढ़ सके। परीक्षा पेपर में सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ–साथ केस अध्ययन आधारित प्रश्नों का भी समावेश होना चाहिए जिससे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी को विश्लेषण करने का जो उद्देश्य दिया गया है वह पूरा किया जा सके।
3. कक्षाओं में सैद्धांतिक तौर पर जो समय दिया जाता है उसके साथ–साथ उनको केस अध्ययन आधारित प्रश्नों का भी अध्ययन कराया जाए जिससे उनके अंदर समस्याओं के व्यावहारिक रूप से समाधान का भाव पैदा हो सके।
4. प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन करने हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम भाग बहुविकल्पीय प्रणाली का होना चाहिए जिसके लिए उसे 30 सेकंड प्रति प्रश्न का समय दिया जाए जिससे उसके अंदर कार्य क्षमता का विकास होगा और अधिकतम 20 प्रश्न उसे प्रदान किये जायें। द्वितीय भाग में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए समय दिया जाए। विस्तृत उत्तरों को लिखने हेतु प्रश्नों की रूपरेखा इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि उसमें लिखने के लिए सोचने, समझने और आलोचनात्मक क्रियान्वयन हेतु बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता पड़े।

## निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह पता लगता है कि नई शिक्षा नीति 2020 देश के भविष्य को अच्छे ढंग से शिक्षित करने हेतु बहुत सार्थक है। यह शिक्षा नीति ना केवल विद्यार्थियों को शिक्षा व ज्ञान प्रदान करेगी अपितु उनको कौशल विकास भी प्रदान करेगी। यह कौशल विकास उनके मध्य रोजगारपरकता उत्पन्न करेगा जिससे बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होगी। एक शिक्षित एवं कौशलयुक्त नागरिक ही समाज को व देश को उत्तम व उन्नत दिशा में ले जा सकता है।

## संदर्भ

1. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा।
2. नवभारत टाइम्स. विभिन्न अंक।
3. इंडिया टुडे. विभिन्न अंक।
4. द टाइम्स ऑफ इंडिया. विभिन्न अंक।
5. www.uphed.gov.in.
6. www.ccsuniversity.ac.in.
7. www.education.gov.in.
8. www.drishtiias.com.

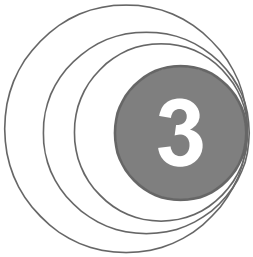

# भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी – भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के विशेष संदर्भ में

**प्रोफेसर (डॉ०) मनीष कुमार गुप्ता**
प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय
साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

*सारांश*

*भगोड़ा आर्थिक अपराधी से आशय उन अपराधियों से है जो देश में प्रचलित कानूनों के आधार पर किसी आर्थिक अपराध के दोषी हैं तथा जुर्माने या सजा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का उद्देश्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश में किसी प्रकार का भी आर्थिक अपराध करता है और कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु वह भागकर विदेश में चला जाए तो उसके खिलाफ संपत्तियों के जब्त करने एवं उन्हें नीलाम करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा आर्थिक अपराधी की सारी वैध, अवैध एवं बेनामी चल–अचल संपत्ति जब्त कर सकता है। फिर इस संपत्ति की नीलामी होगी और जिसका जितना बकाया होगा, उसका पैसा चुकाने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी। विशेष अदालत इस सारी प्रक्रिया की निगरानी करती है। इस कानून का इस्तेमाल कर विजय माल्या, नीरव मोदी, संदेसरा बंधुओं, जतिन मेहता, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे अनेकों भगोड़ों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है।*

*मुख्य शब्द*

*भगोड़ा आर्थिक अपराधी, मनी लॉन्ड्रिंग, विशेष अदालत, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रत्यर्पण संधियाँ।*

भगोड़ा आर्थिक अपराधी से आशय उन अपराधियों से है जो देश में प्रचलित कानूनों के आधार पर किसी आर्थिक अपराध के दोषी हैं तथा जुर्माने या सजा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एवं आवश्यक जुर्माना एवं हानि की प्रतिपूर्ति के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 बनाया गया है। यह अधिनियम 21 अप्रैल 2018 से संपूर्ण भारत वर्ष में लागू है।

इस अधिनियम का उद्देश्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश में किसी प्रकार का भी आर्थिक अपराध करता है और कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु वह भागकर विदेश में चला जाए तो उसके खिलाफ संपत्तियों के जब्त करने एवं उन्हें नीलाम करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इस कानून का इस्तेमाल कर विजय माल्या, नीरव मोदी, संदेसरा बंधुओं, जतिन मेहता, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे अनेकों भगोड़ों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है।

भगोड़े अपराधियों को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए कुछ देशों के साथ तो भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ व समझौते हैं लेकिन कुछ देशों के साथ नहीं हैं। भारत की वर्तमान में 48 देशों के साथ इस प्रकार की संधियाँ हैं तथा 12 देशों के साथ इस प्रकार के समझौते हैं।

**शोध विधि**

प्रस्तुत शोध पत्र 'भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी – भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के विशेष संदर्भ में' एक

वर्णनात्मक शोध पत्र है। प्रस्तुत शोध पत्र में सभी आंकड़े एवं सूचनाएं द्वितीयक स्रोतों से एकत्र करी गई हैं। इन स्रोतों में मुख्यता विदेशी मामलों के मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) की विभिन्न वार्षिक रिपोर्ट एवं इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं एवं इंटरनेट पर विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर उपलब्ध सूचनाओं से एकत्र सामग्री सम्मिलत है। कानूनी प्रावधानों को संबंधित अधिनियम के विभिन्न नियमों के माध्यम से समझाया गया है।

## शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करना,
- भारत के कुछ मुख्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों के बारे में संक्षिप्त सूचनाएं देना।

## भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 – मुख्य प्रावधान व विशेषतायें

### भगोड़ा आर्थिक अपराधी

धारा **2**(1)(एफ) के अनुसार– भगोड़ा आर्थिक अपराधी से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध किसी अधिसूचित अपराध के संबंध में भारत के किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और उस व्यक्ति ने–

(1) आपराधिक कार्यवाही से बचने हेतु भारत छोड़ दिया है या

(2) आपराधिक कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए विदेश से वापस आने को मना कर दिया है।

### अधिसूचित अपराध

धारा **2**(1)(एम) के अनुसार अधिसूचित अपराधों से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूची में वर्णित अपराधों से है बशर्ते इस अपराध या अपराधों से कुल 100 करोड़ रुपए या अधिक की कुल मूल्य राशि संबंधित है।

### अधिसूचित अपराधों से आशय

अधिसूचित अपराधों से आशय भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अंतर्गत दी गई अनुसूची में वर्णित अपराधों से है। ये अधिसूचित अपराध भारत में प्रचलित निम्नलिखित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हो सकते हैं–

- भारतीय दंड संहिता 1860
- विनिमय साध्य विलेख 1881
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934
- केंद्रीय आबकारी अधिनियम 1944
- सीमा शुल्क अधिनियम 1962
- बेनामी संपत्ति लेन–देन पर रोक अधिनियम 1988
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988
- प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992
- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002
- सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008
- विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 2010
- कंपनी अधिनियम 2013
- काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कर निर्धारण अधिनियम 2015
- दिवालियापन एवं अशोधनक्षमता संहिता 2016
- केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क 2017 इत्यादि।

### भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषणा करने की विधि

जब इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित निदेशक या निदेशक द्वारा अधिकृत उपनिदेशक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस बात पर विश्वास हेतु विभिन्न कारण रखता है कि व्यक्ति एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है तो वह इस व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने हेतु विशेष अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत बनायी गयी विशेष अदालतों में इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होगी।

विशेष अदालत ऐसे आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र की तिथि के 6 हफ्ते के अंदर देश

वापस आकर विशेष अदालत के सामने हाजिर होने का आदेश देगी। अगर अपराधी विशेष अदालत के द्वारा निर्धारित समय और तारीख पर विशेष अदालत में हाजिर नहीं होता है, तब विशेष अदालत ऐसे अपराधियों को भगोड़ा घोषित कर देगी।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट) देश में उसकी सारी वैध, अवैध एवं बेनामी चल–अचल संपत्ति जब्त कर सकता है। फिर इस संपत्ति की नीलामी होगी और जिसका जितना बकाया होगा, उसका पैसा चुकाने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाएगी। विशेष अदालत इस सारी प्रक्रिया की निगरानी करती है।

इस हेतु निदेशक या उपनिदेशक से आशय मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम 2002 की धारा 49(1) में अंतर्गत वर्णित निदेशकों से है।

प्रार्थना पत्र में निम्न बातों का वर्णन अवश्य होना चाहिए–

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के विभिन्न कारण,
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी के निवास की उपलब्ध कोई खबर यदि कोई हो तो,
- संपत्तियों की सूची या संपत्तियों का मूल्य जो कि अपराध से प्राप्त करी गई हैं। इनमें भारत के बाहर की संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है जिनके बारे में जब्त करने का अधिकार मांगा गया है।
- भारत व भारत से बाहर बेनामी संपत्तियों की सूची जोकि उक्त व्यक्ति की हैं तथा जिनके बारे में जब्त करने का अधिकार मांगा गया है।
- उन व्यक्तियों की सूची जो उपरोक्त वैध एवं बेनामी संपत्तियों में किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं।

## निदेशक के अधिकार

निदेशक अथवा निदेशक द्वारा अधिकृत उपनिदेशक विशेष न्यायालय की अनुमति से आवेदन में अंकित संपत्तियों को लिखित आदेश द्वारा जब्त कर सकता है।

आवेदन से पहले भी उपरोक्त अधिकारी लिखित आदेश द्वारा भगोड़े अपराधी की वैध–अवैध संपत्तियों एवं बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकता है बशर्ते इस बात का विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हों कि संपत्तियां आपराधिक तरीके से प्राप्त करी गई हैं। ऐसी संपत्तियों को भी जब्त करा जाएगा जिनको किसी कार्यवाही द्वारा जब्ती से बचाया जा सकता है।

उपरोक्त दशा में निदेशक को 30 दिन के अंदर आवेदन विशेष न्यायालय में देना होगा। न्यायालय द्वारा अटैचमेंट आर्डर के 180 दिनों तक यह अटैचमेंट आदेश जारी रहेगा।

## निदेशक व अन्य अधिकारियों के अधिकार

- खोज एवं परीक्षण का अधिकार
- किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना एवं उसका शपथ लेकर परीक्षण करना
- अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दबाव डालना
- शपथ पत्र पर गवाही लेना
- गवाहों व प्रपत्रों की जांच का अधिकार आदि।

## सर्वे का अधिकार

उपलब्ध साक्ष्यों एवं सूचनाओं के आधार निदेशक अपराधी के किसी भी स्थान का सर्वेक्षण कर सकता है तथा स्वामी, कर्मचारी को सर्वेक्षण हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकता है, आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करने के लिए भी बाध्यता बना सकता है। इस हेतु वह आवश्यक चिन्ह भी लगा सकता है, प्रपत्रों की प्रतिलिपि भी ले सकता है, साक्ष्यों की सूची बना सकता है और उपस्थित लोगों के बयान ले सकता है।

## भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की विशिष्ट विशेषता

भगोड़ा अपराधी कानून की एक यह विशेषता है कि अगर किसी भगौड़े आर्थिक अपराधी के खिलाफ विशेष अदालत में केस चल रहा है तो वह इसके लिए दूसरे सिविल कोर्ट में बचाव के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। अगर विशेष अदालत से फैसला आ गया है तभी वह जाकर दूसरे कोर्ट में बचाव के लिए आवेदन कर पायेगा। इसके अलावा इस कानून के तहत अपराधी की सभी वैध, अवैध एवं बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार इस कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिया गया है।

## देश जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ हैं

अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चिली,

मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कुवैत, लिथुनिया, मलावी, मलेशिया, मॉरीशस, मेक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, फिलिपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम।

**देश जिनके साथ भारत के प्रत्यर्पण समझौते हैं**

अंटीगुआ व बारबुडा, अर्मीनिया, क्रोएशिया, फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, न्यूजीलैंड।

**भारत के कुछ मुख्य भगोड़े आर्थिक अपराधी**

भारत के कुछ मुख्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों का संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है–

**विजय माल्या**

विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक जो एक समय में भारत के सबसे प्रमुख व्यवसायियों में से एक थे, आज की स्थिति में भारत के भगोड़े हैं। उन पर 17 भारतीय बैंकों का लगभग 7500 करोड़ रूपए अभी भी बकाया है और वह यूनाइटेड किंगडम देश में छुपे हुए हैं। उनके संबंध में प्रत्यर्पण कार्य इस समय प्रगति पर है। विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करी जो जल्द ही भारत की अग्रणी एयरलाइन में से एक बन गई लेकिन 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह भारी कर्ज में डूब गई, इसे अपने नैत्यिक कार्यों के लिए भी धन जुटाने में में कठिनाइयां होने लगी। 2013 में पूंजी की अनुपलब्धता के कारण इस एयरलाइंस को बंद कर दिया गया लेकिन विजय माल्या पर यह भी आरोप था कि उन्होंने इस एयरलाइंस के पैसों को यूनाइटेड किंगडम में अपनी अन्य कंपनियों के लिए हस्तांतरित कर दिया था। 2015 में ही कुछ बैंकों ने विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। उन पर आरोप यह भी है कि उन्होंने धन को विदेशों में अपनी विभिन्न कंपनियों में लगा दिया तथा किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में भारतीय बैंकों से ऋण लेने के लिए अनुचित तरीके अपनाये और अपने धन को विदेशों में अचल संपत्तियों में निवेश करने का भी उन पर आरोप है।

**मेहुल चोकसी**

मेहुल चोकसी एक आभूषण एवं हीरा व्यापारी है तथा गीतांजलि समूह का मालिक है। उस पर लगभग 7100 करोड़ रुपए बकाया है और यह भी भगोड़े आर्थिक अपराधियों की श्रेणी में आता है। इस समय यह एंटीगुआ में रह रहा है। एंटीगुआ से भारत की प्रत्यक्ष कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है लेकिन फिर भी एंटीगुआ और बारबूडा के प्रत्यर्पण सम्बन्धी नियमों के तहत उसे वापस लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। गीतांजलि समूह में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, दिल्ली ज्वेलरी एवं नक्षत्र लिमिटेड शामिल थे। मेहुल चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पी.एन.बी. घोटाले में वांछित है और उन पर यह आरोप लगा है कि चौकसी और मोदी की जोड़ी ने 14000 करोड रुपए से अधिक का बैंकों को धोखा दिया। चोकसी पर भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और संपत्ति की बेईमानी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अनेकानेक मामले चल रहे हैं। 2018 में चौकसी और उसके भतीजों नीरव मोदी और निशाल मोदी के खिलाफ पी.एन.बी. घोटाले का आरोप लगा। यह भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है।

**जतिन मेहता**

हीरा व्यापारी जतिन मेहता लगभग 6600 करोड़ रुपए के संबंध में भगोड़ा अपराधी घोषित है। उससे संबंधित कंपनियों में विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड, प्रेशियस ज्वेलरी एंड डायमंड और मैसर्स सु–राज डायमंड्स हैं। 2012 में उनके द्वारा किए गए घोटाले का पता चला। उनकी हीरे व आभूषणों के निर्यात व्यापार में तरक्की के साथ–साथ बैंको का उन पर विश्वास बढ़ता रहा और वह बैंक से लगातार ऋण लेते रहे लेकिन 2012 में उनका घोटाला सामने आया और उन्होंने ऋण के भुगतान करने बंद कर दिए। इस संबंध में उनके कुछ बिजनेस साझेदारों ने उनके साथ धोखा भी करा। इस समय जतिन मेहता और उनका परिवार देश छोड़कर सेंट किट्स एवं निवेस में रह रहा है। उसका प्रत्यर्पण अभी संभव नहीं हो सका है। मेहता यूनाइटेड किंगडम और मोंटेनेग्रो में आज भी व्यापार कर रहा है।

**नीरव मोदी**

नीरव मोदी पर इस समय लगभग 6500 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं और यह राशि फायर स्टार डायमंड लिमिटेड और नीरव मोदी लिमिटेड घोटाले से संबंधित हैं। वर्तमान में, नीरव मोदी दक्षिण–पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में है। उनका प्रत्यर्पण कार्य प्रगति पर चल रहा है। नीरव मोदी हीरों एवं आभूषणों के कारोबार में लिप्त थे। 2018 के 14000 करोड़ रूपए से अधिक के पी.एन.बी. घोटाले में नीरव मोदी का नाम आया। 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) धोखाधड़ी मामले में मोदी की जांच की जा रही है। उन पर अगस्त 2018 में पी.एन.बी. घोटाला मामले में आपराधिक साजिश, आपराधिक

विश्वासघात, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, गबन और अनुबंध के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। यह घोटाला कथित तौर पर नीरव मोदी, उसकी पत्नी अमी मोदी, भाई निशाल मोदी और चाचा मेहुल चोकसी द्वारा किया गया था। नीरव मोदी 2018 में देश छोड़कर भाग गए थे।

### नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा व हितेशकुमार नरेंद्र भाई पटेल

स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और पी.एम.टी. मशीन लिमिटेड़ से संबंधित घोटाले में नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा पर लगभग 5400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और ये लोग नाइजीरिया में हैं और उनका प्रत्यर्पण अभी तक संभव नहीं हो सका है। 2018 में संदेसरा बंधुओं– नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा व हितेशकुमार नरेंद्र भाई पटेल; इन चारों भाइयों पर आर्थिक रूप से भगोड़ा अपराधी घोषित होने का आदेश हुआ। ई.डी. ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा उनके खिलाफ 5400 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने के बाद अगस्त 2017 में संदेसरा बंधुओं और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ई.डी. की जांच से पता चला है कि संदेसरा बंधुओं और अन्य ने अपनी प्रमुख कंपनियों की बैलेंस शीट में आंकड़ों में हेरफेर करके और बैंकों को उच्च ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रेरित करके बैंकों को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।

### उमेश पारेख, कमलेश पारेख और निलेश पारेख

उमेश पारेख, कमलेश पारेख और निलेश पारेख भगोड़ा घोषित हैं और इनसे संबंधित कंपनी का नाम गणेश आभूषण हाउस इंडिया लिमिटेड है। ये लोग दुबई व केन्या में छुपे हुए हैं और इनका प्रत्यर्पण संभव नहीं हो सका है। इन पर अभी भी लगभग 2700 करोड़ रूपए का बकाया बाकी है। यह घोटाला वर्ष 2018 में उजागर हुआ। गणेश ज्वेलरी हाउस इंडिया लिमिटेड पर 25 बैंकों से लगभग 2700 करोड़ रुपए धोखाधड़ी करने का आरोप है। आभूषण निर्यात के लिए उन्होंने बैंक से कर्ज लिया जो उन्होंने समय पर नहीं चुकाया। ई.डी. के अनुसार, कंपनी ने कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में ऋण प्राप्त किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम से छूट वाले निर्यात बिलों का लाभ उठाया और भारत और विदेशों में अपनी सहयोगी और सहायक कंपनियों में धन की हेराफेरी की।

### ललित मोदी

ललित मोदी एक व्यापारी एवं क्रिकेट प्रशासक जो मोदी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एवं आई.पी.एल. से संबंधित हैं, इन पर लगभग 1700 करोड़ रूपए की हेराफेरी के आरोप हैं। वर्तमान में वह यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं और उनका प्रत्यर्पण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008 में ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) की शुरुआत की। वर्ष 2010 में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, बोली लगाने में हेराफेरी, उचित प्रक्रिया का पालन ना करना और निर्णय से संबंधित गवर्नर कौंसिल को दरकिनार कर फैसला लेने के आरोप लगे। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे। बी.सी.सी.आई. से निलंबित होने के बाद वह लन्दन चले गए और वही रह रहें हैं।

### रितेश जैन एवं अमृत लाल जैन

रितेश जैन एवं अमृत लाल जैन राजेश्वर एक्सपोर्ट लिमिटेड़ और ओरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड़ के मामले में भगोड़े घोषित हैं और उन पर लगभग 1420 करोड़ रुपए का बकाया है। इनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। इनके खिलाफ जांच में यह पता चला कि रितेश जैन और उनके सहयोगी अमृत लाल जैन ने नोटबंदी के बाद शेल कंपनियों में 100 करोड़ रूपए जमा कराए और इन शेल कंपनियों के माध्यम से उन पर 1478 करोड़ रूपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं।

### राजीव गोयल एवं अलका गोयल

मैसर्स सूर्या फार्मास्यूटिकल लिमिटेड़ के निदेशक राजीव गोयल एवं अलका गोयल पर लगभग 780 करोड़ रुपए बकाया हैं और यह भी भगोड़े अपराधी घोषित हैं। इनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। उनके खिलाफ जांच में सी.बी.आई. ने पाया कि अलका गोयल और राजीव गोयल ने अपनी कंपनी के माध्यम से बैंकों से 780 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी की। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

### आशीष जोबनपुत्र

आशीष जोबनपुत्र ए.बी.सी. कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड़ के मामले में लगभग 800 करोड़ रुपए के लिए आर्थिक अपराधी हैं और ये भारत से भाग चुके हैं। इनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप हैं। इन पर नकली निर्यात दस्तावेजों के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेने के आरोप लगे हैं। जांच में पाया गया कि उक्त कंपनी प्रमुख बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट के खिलाफ उपर्युक्त बैंकों से बिल डिस्काउंटिंग सुविधाओं का लाभ उठा रही थी।

### सभ्या सेठ

मैसर्स द्वारकादास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड़ के मामले में इसकी एक निदेशक सभ्या सेठ भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित है और वह इस समय दुबई में है। इनका प्रत्यर्पण भी अभी तक संभव नहीं हो सका है। मैसर्स द्वारकादास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड़ सोना, चांदी एवं हीरों के निर्माण और निर्यात के कारोबार में लगी हुई थी। इनके खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रति लगभग 400 करोड रूपए का धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।

### संजय भंडारी

संजय भंडारी जो कि मैसर्स ऑफसेट इंडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड़ एवं मैसर्स अवाना सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड़ के घोटाले के संदर्भ में भगोड़े घोषित हैं; उन पर लगभग 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। यह मामला हथियारों की खरीदारी में बिचौलियापन व सलाहकारी से संबंधित है। इस मामले में कर चोरी और मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।

### निष्कर्ष

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा आर्थिक अपराधी की सारी वैध, अवैध एवं बेनामी चल–अचल संपत्ति जब्त कर सकता है। फिर इस संपत्ति की नीलामी की जायेगी और जिसका जितना बकाया होगा, उसका पैसा चुकाने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जायेगी। विशेष अदालत इस सारी प्रक्रिया की निगरानी करती है। भगोड़ा अपराधी कानून की एक यह विशेषता है कि अगर किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी के खिलाफ विशेष अदालत में केस चल रहा है तो वह इसके लिए दूसरे सिविल कोर्ट में बचाव के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। अगर विशेष अदालत से फैसला आ गया है तभी वह जाकर दूसरे कोर्ट में बचाव के लिए आवेदन कर पायेगा। इसके अलावा इस कानून के तहत अपराधी की सभी वैध, अवैध एवं बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार इस कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश में किसी प्रकार का भी आर्थिक अपराध करता है और कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु वह भागकर विदेश में चला जाए तो उसके खिलाफ संपत्तियों के जब्त करने एवं उन्हें नीलाम करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यह अधिनियम 2018 से संपूर्ण भारत वर्ष में लागू है। इस कानून का इस्तेमाल कर विजय माल्या, नीरव मोदी, संदेसरा बंधुओं, जतिन मेहता, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे अनेकों भगोड़ों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है।

### संदर्भ

1. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018. विविध प्रावधान।
2. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988. विविध प्रावधान।
3. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002. विविध प्रावधान।
4. प्रवर्तन निदेशालय की वार्शिक रिपोर्ट. विभिन्न अंक।
5. केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो की वार्शिक रिपोर्ट. विभिन्न अंक।
6. विदेशी मामलों के मंत्रालय की वार्शिक रिपोर्ट. विभिन्न अंक।
7. https://enforcementdirectorate.gov.in/. प्रवर्तन निदेशालय की अधिकृत वेबसाईट।
8. https://cbi.gov.in/. केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो की अधिकृत वेबसाईट।
9. https://mea.gov.in/. विदेशी मामलों के मंत्रालय की अधिकृत वेबसाईट।
10. The Economic Times. विभिन्न अंक।
11. The Times of India. विभिन्न अंक।

4

# भारत एक विश्वगुरू बनने की राह पर – विभिन्न चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

**चेतना राणा**
शोधार्थी, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

**प्रोफेसर (डॉ०) गिरीश कुमार सिंह**
प्रोफेसर एवं शोध पर्यवेक्षक, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

**प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चंद**
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

***सारांश***

*भारत प्राचीन काल से ही एक महान देश है। 'विश्वगुरू' के नाम से विख्यात भारत देश ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का केन्द्र रहा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय (तक्षशिला), प्रथम भाषा (संस्कृत), प्रथम धर्मग्रन्थ (ऋग्वेद), शून्य का आविष्कार, परमाणु सिद्धान्त की खोज, शल्य चिकित्सा पद्धति आदि भारत के समृद्धशाली इतिहास का परिचय देते हैं। 'विश्वगुरू' दो शब्दों विश्व और गुरू के योग से बना एक संस्कृत वाक्यांश है, जिसका अर्थ है– दुनिया का शिक्षक। भारत न सिर्फ योग व पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का नेतृत्व करता है अपितु यह वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी मूल्यवान धरोहर का चित्रण करता है। वर्तमान में भारत का तेजी से बढता नवोन्मेषी औद्योगिक क्षेत्र, देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में बदलने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, हरित भारत मिशन आदि जैसे कदम भारत को जहाँ एक ओर उन्नतशील अर्थव्यवस्था के रूप चिन्हित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत संतुलित व सतत विकास की दिशा में पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज कई प्रमुख संगठनों जैसे– जी–20, अन्तर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ब्रिक्स, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन आदि में नेतृत्वकारी भूमिका का सृजन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रमुख मंचों पर भी भारत निर्भीकता के साथ अपना पक्ष रख शान्ति का संदेश प्रसारित कर रहा है। इस प्रकार भारत वर्तमान में विश्वगुरू बनने की राह पर तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इस राह में हमारे समक्ष अवसंरचनात्मक, वित्तीय व तकनीकी, राजनैतिक एवं सामाजिक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका दृढ़तापूर्वक सामना करने पर भारत पुनः विश्वगुरू बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। विश्व की सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सबसे बड़ा लोकतन्त्र एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत के विश्वगुरू बनने की अपार संभावनाओं को प्रस्तुत करती हैं।*

***मुख्य शब्द***

*विश्वगुरू, भारत, चुनौतियां, सम्भावनाएं, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व, संस्कृति, योग, परम्परा, अध्यात्म, आत्मनिर्भर।*

## परिचय

'विश्वगुरू' दो शब्दों विश्व और गुरू के योग से बना एक संस्कृत वाक्यांश है, जिसका अर्थ है– दुनिया का शिक्षक। प्राचीन काल में भारत देश शिक्षा का केन्द्र था। यहाँ नालन्दा, तक्षशिला व विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विद्यमान थे, जहाँ दूर–दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। ह्वेनसांग, फाह्यान, अलबरूनी आदि विद्वान ज्ञान की तलाश में भारत आये और यहाँ की बौद्धिक व आर्थिक समृद्धि से प्रभावित होकर काफी समय तक भारत में रहे जिसका वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं एवं यात्रा–वृतान्तों में विस्तार से किया है।

बाहरी आक्रांताओं के द्वारा भारत की अमूल्य विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया गया और कालान्तर में भारत की समृद्धि को लूटकर देश को गुलाम बना लिया गया। अथक परिश्रम एवं बलिदानों के बाद हमारा देश गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ पुनः स्वतन्त्र हुआ। वर्तमान में भारत ने अपनी खोई हुई समृद्धि और विरासत को प्राप्त कर लिया है। भारत की योग परम्परा व शान्ति, सहिष्णुता नीति पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है।

वैश्विक कूटनीति एवं विदेश नीति के क्षेत्र में भारत आज निर्भीकता से अपना पक्ष रख रहा है। भारत बिना किसी वाह्य शक्ति के दबाव के स्वतन्त्रतापूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली भूमिका का सृजन कर रहा है। जी–20 की अध्यक्षता करते हुए भारत इसका एक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

वर्तमान में भारत पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन निवेशों को आकर्षित कर आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ रहा है। भारतीय स्टार्ट अप एवं सूचना तकनीकी क्षेत्र डिजिटलीकरण के इस युग में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारतीय साख में वृद्धि हुई है। भारत न सिर्फ रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, अपितु यह अन्य देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपण हेतु मंच भी उपलब्ध करवा रहा है।

भारत इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि भारत के समक्ष कुछ राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका सफलतापूर्वक सामना कर भारत देश पुनः विश्वगुरू के रूप में अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकता है।

## चुनौतियाँ

अवसंरचना के मामले में भारत को अभी लम्बा रास्ता तय करना है। खराब सड़कें, अकुशल सार्वजनिक परिवहन और बिजली की कमी जैसी कुछ बुनियादी ढांचे की चुनौतियां विद्यमान हैं जिससे माल व सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने में बाधा आती है। इसलिए देशभर में यात्रा को सरल व अधिक कुशल बनाने के प्रयास करने चाहियें।

इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में शिक्षा के साथ कई मुद्दे हैं जैसे तकनीकी को धीरे–धीरे अपनाना, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच में असमानता, अनुसंधान पहलों के लिए वित्त का अभाव और प्रशिक्षण अवसरों का अभाव।

**विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने यदि अपनी कार्यशील जनसंख्या को उचित कौशल व प्रशिक्षण नहीं दिया तो, यह जनलाभांश की स्थिति भारत के लिए अवसर के बदले एक आपदा का रूप ले सकती है।**

इन्डस्ट्रीरेडी टैलेन्ट, जिसकी कम्पनियां तलाश कर रही हैं– कम्प्यूटर साइन्स, इन्जीनियरिंग या आर्ट आदि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रतिभाओं के बीच एक बड़ा अन्तर विद्यमान है। सहायक पारिस्थितिकी तन्त्र का भी अभाव है।

इसके अतिरिक्त भारत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अस्थिर राजनैतिक माहौल से भी पीड़ित है। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। इससे भारत में आर्थिक विकास व समृद्धि प्रभावित होती है। सरकार को मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित करने, जवाबदेही व पारदर्शी तन्त्र लागू करने, न्यायिक प्रभावशीलता बढ़ाने और सामाजिक प्रगति के लिए राजनैतिक व्यवस्था के भीतर अधिक स्थिरता को बढावा देने जैसे उपाय करने की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व लैंगिक अन्तराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। भारत का यह प्रदर्शन राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। सास्कृतिक मापदण्डों के कारण भारत में यह भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान है जो आधी आबादी की प्रतिभा को नहीं पहचानता है। साथ ही गहरे बैठे पूर्वाग्रह एवं पितृसत्तावादी मनोवृत्ति विभिन्न नौकरियों में महिलाओं को उनका उचित श्रेय प्राप्त करने से रोकती है।

## संभावनाएँ

कोरोना महामारी के समय जब विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रही और इसने आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक समृद्धि का प्रदर्शन कर विश्वगुरू बनने की राह में एक उदाहरण पेश किया।

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 और बजट 2023–24 के आंकड़ों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, आत्मनिर्भरता एवं मानवीय व्यवहार की प्रशंसा की गयी है। भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को राहत सामग्री प्रदान की अपितु कोविड़ वैक्सीन की भी निशुल्क आपूर्ति की। भारत ने गरीब राष्ट्रों को आपदा की इस घड़ी में सहयोग कर एक नेतृत्वकारी क्षमता का सृजन किया, जो भारत को विश्वगुरू की राह में आगे बढाता है।

भारत वर्तमान में पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वित्त वर्ष 2023 में भारतीय समृद्धि दर

6.8 प्रतिशत रहने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि भारत अकेले वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में 15 प्रतिशत का योगदान देगा तथा विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप 'उज्ज्वल स्थल' बना रहेगा।

महामारी के समय बढ़ता डिजिटल उपयोग भारत में डिजिटल क्रान्ति लेकर आया, जिसने न सिर्फ आर्थिक विकास की राह सुनिश्चित की अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली परिवर्तन लाया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी भारत की जनवितरण प्रणाली और आत्मनिर्भर पहल को सराहा गया और कहा कि भारत ने सरल व शीघ्र पहुँच हेतु डिजिटलीकरण का भलीभांति प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। एन. जी. ओ. प्रथम द्वारा प्रकाशित 17वीं वार्षिक शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 में विद्यालयों में पंजीकरण में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा संचालित निपुण भारत मिशन, दीक्षा, स्वयं, कौशल भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एवं पी. एम. श्री. योजना न सिर्फ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे अपितु ये कौशल परख शिक्षा एवं व्यावहारिक ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे जिससे भारत सही अर्थों में विश्वगुरू की भूमिका का निर्वहन कर पायेगा।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश भारत अपनी इस प्राचीन परम्परा का संरक्षक रहा है। देश में स्थिर राजनैतिक वातावरण एवं सशक्त सरकार वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ा रही है। इससे जहाँ एक ओर आर्थिक निवेश में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर भारत की छवि विश्वगुरू के रूप में अंकित हो रही है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय सौर संगठन में अपनी कार्य क्षमता का समस्त विश्व को परिचय दे रहा है। सतत ऊर्जा के क्षेत्र में यह संगठन एक प्रभावकारी कदम साबित हुआ है। भारत द्वारा हरित ऊर्जा मिशन, सतत कृषि कार्यक्रम, फेम इंडिया, लाइफ मिशन, आई.एन.डी.सी. लक्ष्य आदि कार्यक्रम पर्यावरण हितैषी जीवन शैली एवं सतत जीवन हेतु बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत विश्वगुरू की भूमिका का सशक्त प्रदर्शन कर रहा है।

दूसरी ओर यूक्रेन–रूस युद्ध के दौरान भारत द्वारा निष्पक्ष एवं सशक्त कूटनीति का विचार प्रस्तुत किया गया। भारत ने युद्ध के बदले शान्ति का संदेश देकर सभी समस्याओं का हल बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया। अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन करते हुए भारत सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के साथ सबका साथ–सबका विकास जैसी कल्याणकारी अवधारणा का संचालन कर रहा है।

भारतीय संस्कृति अहिंसा एवं शान्ति को वरीयता देती है। बुद्ध के धम्म और मध्यम मार्ग द्वारा विश्व की चुनौतियों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, युद्ध, भ्रष्टाचार आदि चुनौतियां वर्तमान में विश्व के समक्ष बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।

भारतीय संस्कृति में इसके लिए सहिष्णुता एवं समावेशी जीवनशैली का समाधान दिया गया है। भारत में योग, आयुर्वेद, यूनानी आदि पारम्परिक ज्ञान निरोगी जीवन एवं शान्त मन के लिए उपाय प्रदान करते हैं, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। यूनेस्को ने भी 'योग' को अपनी अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया है और विश्व भर में योग के प्रसार हेतु कार्यक्रम संचालित किये हैं।

कोविड़ महामारी के समय भारतीय संस्कृति की पहचान 'नमस्ते' पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। साथ ही भारतीय जीवन शैली द्वारा विपत्ति के समय जन–धन की क्षति को भी कम किया गया। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान शल्य चिकित्सा पद्धति, गुरूत्वाकर्षण नियम, परमाणु सिद्धांत, शतरंज का खेल, शून्य का आविष्कार आदि जैसे प्रमुख वैज्ञानिक नियम व खोजें वर्तमान में नवीन ऑकड़ों एवं आविष्कारों के माध्यम से प्रमाणित किये जा रहे हैं। अब भारतीयों के इस बौद्धिक ज्ञान व समझ को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। यह विश्वगुरू बनने की राह में भारत के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है।

## निष्कर्ष

भारत इस प्रकार उपरोक्त सुनहरे अवसरों का पोषण कर विश्व में उभरते ज्ञान प्रकाश पुन्ज की भांति अन्य राष्ट्रों के लिए भी प्रगति का मार्ग खोज सकता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व पर्यावरणीय सभी क्षेत्रों में भारत प्राचीन काल की तरह विश्वगुरू की भूमिका का सृजन करते हुए अपने स्वर्णिम युग के सपने को पुनः साकार कर सकता है।

वर्तमान में जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' थीम को चुना है जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अतः समस्त परिवार को मिलजुल कर विकास के अवसर तलाशने चाहियें और उन्हें पूरा करने हेतु 'सबका साथ सबका विकास' सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत में विश्वगुरू बनने की अपार क्षमता है। इसके पास बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली आबादी है, जो अपनी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। साथ ही भारत की संस्कृतियों और आस्था परम्पराओं की विविधता भी बहुलवादी वातावरण बनाती है; जो तकनीकी, चिकित्सा और साहित्य जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति को प्रोत्साहित करता है। इन सभी सकारात्मक मानवीय प्रयासों के माध्यम से भारत विश्वगुरू बनने की राह पर अग्रसर हो रहा है।

## संदर्भ

1. स्वामी विवेकानन्द यांचे 365 विचार. विश्वगुरू भारत।
2. महामहोपध्याय, प्रो० अभिराज राजेन्द्र मिश्र. विश्वगुरू भारत।
3. विनोद कुमार 'विनोद'. ऐसे बनेगा विश्वगुरू भारत।
4. सरस्वती, स्वामी दयानन्द. सत्यार्थ प्रकाश।
5. बजट 2023–24. भारत सरकार।
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23. भारत सरकार।
7. किताब–उल–हिन्द (अलबरूनी). सी–यू–की (ह्वेनसांग)।
8. (2022). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट।
9. (2022). विश्व बैंक रिपोर्ट।
10. (2022). ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल रिपोर्ट।
11. नीति आयोग/75 रणनीति।
12. (2022). ए.एस.ई.आर. रिपोर्ट. (एन.जी.ओ. प्रथम)।
13. (2022). विश्व लैंगिक अन्तराल रिपोर्ट. (विश्व आर्थिक मंच)।
14. यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची।
15. (2020). नई शिक्षा नीति।

5

# श्री नरेंद्र मोदी और भारत– एक अवलोकन (भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में)

**डॉ० राजेश मौर्य**
असिस्टैंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश)

***सारांश***

*श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह वर्ष 2014 में शानदार एवं भरपूर बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने, तब किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि पिछड़ी हुई या कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह से उच्च स्तर पर पहुंचेगी।*

*श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, महान नेतृत्व क्षमता व अपनी कठोर नीतियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने में कई प्रकार के कदम उठाये, जबकि उस समय अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से गुजर रही थी। सकल घरेलू उत्पाद कम था और औद्योगिक उत्पादन अपने निम्न स्तर पर था। इन परिस्थितियों में उन्होंने जो कार्य किए, वह वास्तव में काबिले तारीफ है, उन्होंने अपनी कठोर, सशक्त नीतियों के आधार पर न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए बल्कि एक मजबूत, सशक्त विदेश नीति संचालित की थी, जिसका लोहा आज संपूर्ण विश्व मान रहा है। सभी (संपूर्ण देश) भारत की ओर देख रहे हैं कि इसने किस प्रकार, व कौन–कौन सी नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा वैश्विक समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। यही कारण है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने जा रही है।*

*यह शोधपत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, कार्यक्रमों और विदेश नीति पर आधारित है जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने (मोदी जी) ने कौन–कौन सी आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया तथा एक मजबूत विदेश नीति को संचालित करके वैश्विक स्तर पर किस प्रकार व कैसे अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाया आदि।*

***मुख्य शब्द***

*मोदी–नॉमिक्स, बाहरी जुड़ाव, आर्थिक कार्यक्रम व नीतियां, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन।*

## प्रस्तावना

भारत माता के सच्चे सपूत, मातृभूमि से प्रेम करने वाले, उत्कृष्ट देशभक्त, निर्भीक, चतुर, धैर्यवान और अपनी बातों से बड़े से बड़े व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प तथा कर्तव्यनिष्ठ के लिए भी जाना जाता है। उनके सशक्त विचार, विभिन नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति सजगता आदि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे एक महान एवं कूटनीतिक नेतृत्व क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं।

श्री नरेंद्र मोदी भारत की केंद्र की सत्ता में आने से पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे जोकि राज्य के आर्थिक विकास मॉडल के कारण लोकप्रिय एवं पदस्थ थे। लेकिन जब भारत में वर्ष 2014 में आम चुनाव हुए तो वह (श्री नरेंद्र मोदी जी) अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, के अभियान तथा मजबूत जनादेश के कारण भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे।[1] भारत की केंद्रीय सत्ता में श्री

नरेंद्र मोदी जी उस समय आए थे जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं जैसेः–खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद का स्थिर होना (आर्थिक वृद्धि का रुकना), न्यूनतम निजी निवेश[2] इत्यादि का सामना कर रही थी। इसके अलावा नौकरशाही एवं राजनेताओं में भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का वातावरण निर्मित था। ऐसी परिस्थितियों में देश की केंद्रीय सत्ता पर काबिज होना वास्तव में मोदी जी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सशक्त नीतियों एवं दृढ़ संकल्प के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में अपनी अहम भूमिका अदा की थी।

नरेंद्र मोदी जी जैसे ही केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुए वैसे ही उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की ऐसी स्थिति में परिवर्तन करना है तो बाहरी जुड़ाव बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल में संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और एक सशक्त एवं प्रभावशाली विदेश नीति की रचना की थी। श्री मोदी जी का कहना था कि यदि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है तो वैश्विक युग, जिसमें डिजिटल तकनीकी तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जाता है, के अनुसार चलना होगा और इन्हीं संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को संचालित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर सशक्त एवं प्रभावशाली नीतियों और कार्यक्रमों की रचना की। श्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं नीतियों तथा कार्यक्रमों के कारण ही एक लोकप्रिय शब्द, मोदी–नॉमिक्स, मीडिया द्वारा दिया गया है। यह एक ऐसा शब्द है जो कि उनके विचारों व नीतियों के लिए जाना जाता है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कारक जैसेः–विनिर्माण कौशल, बुनियादी ढांचे में निवेश, देश के कारोबारी माहौल में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी आदि शामिल है।[3]

## अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र में हम श्री मोदी जी की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों तथा उनके विचार व नीतियों एवं नेतृत्व क्षमता आदि पर दृष्टि डालेंगे। इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- मोदी–नॉमिक्स की अवधारणा को समझना
- भारत की विदेश नीति को समझना
- श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को समझना।

## अध्ययन की सामग्री

यह शोध पत्र पूर्ण रूप से द्वितीयक संमंको पर आधारित है जिसे पूर्ण करने के लिए सामग्री विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध–पत्रिकाओं और इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न वेबसाइटों से एकत्रित की गयी है।

## मोदी–नॉमिक्स की अवधारणा

वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए भारतीय मीडिया ने एक शब्द, मोदी–नॉमिक्स का प्रतिपादन किया है। इसका क्या मतलब है और यदि यह शब्द मोदी जी की कार्य नीतियों व कार्यक्रमों के संदर्भ में दिया गया है, तो क्या यह सफल रहा है? इन सब पर इस शोध पत्र में चर्चा की जायेगी।

सामान्य शब्दों में मोदी–नॉमिक्स वह विचारधारा या भारतीय दर्शन है जिसे भारतीय समस्याओं (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) का समाधान करने के लिए सृजित किया गया है; विशेष रूप से लोकतंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश तथा विकास हेतु अपनी बुद्धि (विवेक), व्यावहारिकता, समृद्धि आदि का एक संयुक्त मिश्रण के रूप में किया गया है। यह शब्द (मोदी–नॉमिक्स) जापान के एबोनोमिक्स का समानार्थी शब्द है। जिस प्रकार जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापानी अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस शब्द (एबोनोमिक्स) का इस्तेमाल किया है। ठीक इसी तरह भारत के मोदी जी की नीतियों और कार्य प्रणालियों के लिए मोदी–नॉमिक्स शब्द का उपयोग किया जा रहा है।[4] यह शब्द उस समय अस्तित्व में आया था जब 13 सितंबर 2017 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत में मुंबई–अहमदाबाद द्रुत (तीव्र गति) रेल परियोजना के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे।

मोदी–नॉमिक्स से संबंधित कई लेख हैं जिसमें इस शब्द (मोदी–नॉमिक्स) का भिन्न–भिन्न अर्थ प्रस्तुत किया गया है। एम. घटक और एस. रॉय (2014) के अनुसार– भारत में मोदी–नॉमिक्स शब्द को आर्थिक शासन की एक शैली के साथ जोड़ा गया है। यहां मोदी को एक कुशल, सशक्त, तथा अचूक प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।[5] जबकि दूसरी ओर मोदी–नॉमिक्स शब्द की ठोस नीतियों के साथ स्पष्ट रूप से आलोचना की गई है क्योंकि आलोचकों का कहना है कि यह शब्द (मोदी–नॉमिक्स) जापानी शब्द एबोनोमिक्स के विपरीत है, जिसे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के आर्थिक कार्यक्रम एवं दर्शन से लिया गया है।[6] मेरा मानना है कि यह शब्द श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों एवं कार्य प्रणालियों के लिए दिया गया है इसीलिए इसका नाम मोदी–नॉमिक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से शीर्ष स्तर पर पहुंची है, वह इसी शब्द, मोदी–नॉमिक्स का ही परिणाम है।

मोदी–नॉमिक्स शब्द के अंतर्गत मोदी सरकार ने भारत को उच्च विकास पटल पर स्थापित करने के लिए अनेक कार्य किए जैसेः– अनुकूलतम पर्यावरण को बनाए रखना, समाज में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, जनता की भागीदारी के साथ आर्थिक

विकास के लिए परिस्थितियां बनाए रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्यम अवधि के अंतर्गत तीव्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए सुधारों को स्थापित करना आदि। यह सभी कार्य मोदी जी ने अपने प्रसिद्ध नारे, सबका साथ और सबका विकास के आधार पर पूर्ण किए। ऐ. पनगारिया (2018) ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि– भारत में संचालित योजना आयोग को परिवर्तित करके नवगठित नीति आयोग की रचना करना, वास्तव में मोदी–नॉमिक्स का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।[7]

वर्तमान सरकार ने मोदी–नॉमिक्स के तहत देश में कारोबारी माहौल को स्थापित करने के लिए पूंजी निर्माण हेतु कर व्यवस्था पर अपना ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक बेहतर एवं सुव्यवस्थित कर प्रणाली की रचना पर जोर दिया गया था क्योंकि वर्ष 2014 में आयकर के तहत व्यापक पैमाने पर वित्तीय कमी को महसूस किया गया था। इसके अलावा भारत का काला धन, जो कि विदेशों में जमा था, वह वापस लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।[8] हालांकि मोदी सरकार देश से बाहर जमा काला धन को वापस लाने में सफल नहीं हुई थी, लेकिन वह इस कार्य को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण देश में एकीकृत कर प्रणाली (जी.एस.टी.) स्थापित करने में सफल हुए थे।

भारत में श्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में व्यापक पैमाने पर विभिन्न प्रकार के घोटालों (आर्थिक) का पर्दाफाश हुआ था जो कि कोयला खनन लाइसेंस तथा स्पेक्ट्रम वितरण से संबंधित थे। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार ने पारदर्शी नीलामी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरुप 45 अरब डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई थी।[9] इससे पूर्व यू.पी.ए सरकार ने जो लाइसेंस जारी किए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था और कोयला खनन या कोयले की नीलामी से जितना भी धन अर्जित किया गया, उसे उन राज्यों में वितरित कर दिया गया था। घोटाले केवल यही तक सीमित नहीं थे बल्कि और भी घोटाले जैसेः– व्यापक स्तर पर देश से बाहर अवैध पूंजी का प्रवाह। इसके संबंध में राघवेंद्र झा (2018) ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि देश में उच्चतम स्तर पर विभिन्न प्रकार के घोटाले उजागर हुए जिनमें से देश के बाहर व्यापक पैमाने पर अवैध पूंजी का प्रवाह भी एक था।[10] इसकी वजह से धन के अभाव में सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं कर पा रही थी। केंद्र सरकार ने इन होने वाले घोटालों के प्रति कदम उठाया और आज देश में न के बराबर भ्रष्टाचार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट (2015) के अनुसार– संपूर्ण दक्षिण एशिया में भारत दूसरा सबसे कम भ्रष्ट देश था।[11] यही नहीं बल्कि सरकार के निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार में कमी आई है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मोदी–नॉमिक्स नामक शब्द के कारण देश में व्यापक स्तर पर परिवर्तनों की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे आज भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है।

## भारत की विदेश नीति

भारतीय चुनाव व्यवस्था के ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि जब मई 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने वरिष्ठ राजनयिकों को चुनौती देते हुए कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर संतुलनकारी शक्ति के स्थान पर एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बनाना होगा।[12] इस प्रकार के विचारों के साथ श्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर देश की विदेश नीति को संचालित करने का निर्णय लिया था। हालांकि कुछ लोग या विद्वान ऐसे थे जिन्होंने श्री मोदी जी के इस विचार को एक प्रकार से नाटकीय बताया था। इस तरह का विचार रखने वाले प्रमुख विद्वान सुब्रमण्यम जयशंकर थे, जिन्होंने कहा कि– मोदी की नाटकीय अन्तर्राष्ट्रीय पहलों ने देश के बढ़ते आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित किया है।[13] यदि यह सपना साकार होता है तो यह निश्चित है कि भारत विश्व की तीसरी और सबसे निर्णायक अर्थव्यवस्था होगी। इस प्रकार की स्वतंत्र विदेश नीति से भारत कई वर्षों तक वैश्विक स्तर पर अपनी शीर्ष अवस्था में कायम रह सकेगा। इस तरह की विदेश नीति को कायम रखने में श्री मोदी जी सफल रहे इसीलिए आज वैश्विक स्तर पर भारत की विदेश नीति सबसे मजबूत है।

15 अगस्त सन 1947 में आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरु जी ने देश की कमान अपने हाथों में संभाली थी। पंडित नेहरू शांति के प्रतीक थे। उन्होंने भारतीय विदेश नीति को संपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए शांति एवं रक्षात्मक स्तर पर सुनिश्चित किया था। पंडित नेहरू जी के अनुसारः– हमारे देश की विदेश नीति रक्षात्मक स्तर पर कायम है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति और साझा समृद्धि को बढ़ावा दिया है।[14] उस समय की विदेश नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शीत युद्ध की तीव्रता के साथ लोकतंत्र तथा विकास की रक्षा करनी है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहरी जुड़ाव का मुद्दा भिन्न–भिन्न था, कहीं गुट निरपेक्ष का मुद्दा शामिल था तो कहीं अमेरिकी–सोवियत के बीच की शत्रुता को कम करना था जिसका परिणाम यह हुआ कि हम विदेश नीति के संदर्भ में रूढ़िवादी बने रहे, हमने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के माध्यम से सर्वाधिक धन अर्जन को महत्व दिया जाए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया जाए, ताकि देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ–साथ गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। हालांकि विकास एवं तकनीकी क्षमता के निर्माण में कुछ कार्य करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस स्तर पर सफलता हासिल नहीं हुई थी जिससे कि देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मोदी जी के सत्ता में आने पर सभी ने उनसे अधिक अपेक्षाओं की आशा की थी। चटर्जी और मिलर (2014) अपने एक

लेख में उल्लेख करते हैं कि– जब मोदी जी केंद्रीय सत्ता में आए तो देशी एवं विदेशी दोनों स्तर के लोगों ने यह संभावना व्यक्त की कि मोदी जी बड़े ही चतुर नेता हैं, वह बहुत ही गतिशील व सक्रिय नेता हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्वीकरण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वे जोखिम उठाना जानते हैं क्योंकि वह गुजरात के आर्थिक विकास के मॉडल से प्रभावित हैं। वे नौकरशाही का तो अच्छी तरह से सम्मान करना जानते ही हैं, इसके साथ–साथ देश की एक मजबूत विदेश नीति भी स्थापित करने में सक्षम सिद्ध होंगे।[15] गुजरात में आर्थिक सफलता से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपनी विदेश नीति में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए थे। मोदी जी यह अच्छी तरह से समझते थे कि यदि हमें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तो बाहरी जुड़ाव या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से जुड़ना होगा। जैसा की एक पत्रिका ने उल्लेख किया है– भारत के संदर्भ में आत्म निर्भरता की कुंजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निहित है। हमें दुनिया में अलग–थलग नहीं होना है बल्कि दुनिया के साथ गंभीरतापूर्वक जुड़ना है, स्वदेशी विचार को बार–बार प्रस्तुत करके दुनिया से अलग नहीं होना है, लेकिन इसके साथ ही हमें घरेलू स्तर के उद्योगों को भी व्यवस्थित करना होगा, उनकी वित्त संबंधी जरूरतों को पूर्ण करना होगा, तभी हम आत्म निर्भरता के दायरे में आ पाएंगे।[16]

श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत बाहरी जुड़ाव हेतु एक रणनीति की रचना की जिसमें उन्होंने कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया जैसेः– भारत को एक निष्क्रिय या कमजोर राष्ट्र के स्थान पर एक निर्णायक, क्षेत्रीय, एवं वैश्विक स्तर पर एक शीर्ष नेता बनाना, अपने देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बाहरी देशों से जुड़ना और बाहरी जुड़ाव के साथ–साथ प्राथमिकता के साथ घरेलू आर्थिक विकास पर अपना ध्यान आकर्षित करना आदि।[17] मोदी जी का मानना है कि किसी भी देश या भारत की आर्थिक विकास दर केवल घरेलू नीतियों या पहलों से संभव नहीं है। इसके लिए बाहरी जुड़ाव एक आवश्यक नीति है या हम यह कह सकते हैं कि बाहरी जुड़ाव से मेल खाने की जरूरत है, बाहरी जुड़ाव न केवल देश की मांग की आपूर्ति के लिए उपयोगी है बल्कि विनियोग, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है एवं देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं औद्योगिक विकास के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसीलिए बाहरी जुड़ाव की गुणवत्ता को अतीत की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और व्यापार उन्मुख बनाना होगा।

भारतीय जनता ने एक प्रधानमंत्री के रुप में श्री नरेंद्र मोदी का चयन इसलिए किया था जिससे कि वह देश का आर्थिक पुनरुद्धार कर सके जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा था जिसमें रोजगार सृजन, भ्रष्टाचार का समापन, कृषि विकास, कर व्यवस्था में सुधार, भारत को एक विनिर्माण हब बनाना, अत्यधिक गरीबी का समापन, भारत में व्यवसाय करना आसान बनाना, बुनियादी ढांचा तथा अन्य विकास आदि मुद्दे शामिल थे।[18] यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जरूर है। परंतु यह कहना कि पार्टी की वजह से यह परिवर्तन हुआ है, वास्तविकता नहीं है। यह सब एक व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है जो एक सफल नेता, महान कूटनीतिज्ञ, उच्च व्यक्तित्व, सशक्त व अचूक प्रशासक हैं, उन्होंने यह सभी कार्य अपने दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वास के आधार पर पूर्ण किए हैं जिन्हें भूलना भारतीयों के लिए असंभव है। आज भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वह सब मोदी जी का ही प्रयास है, और भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या–क्या परिवर्तन होंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा, जहां तक मेरा विचार है, आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर विश्व की महाशक्ति होगा।

## भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन

भारत में हुए 1990–91 के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्तर पर पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कई आर्थिक कार्यक्रमों और नीतियों की रचना की थी। यही कारण है जिससे भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के साथ–साथ भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व का छठा सबसे बड़ा देश होगा।[19]

श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के आर्थिक कार्यक्रमों या नीतियों को स्थापित करने में सफल रहे जैसेः– कर व्यवस्था में सुधार अर्थात् एक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना, जन–धन योजना, निवेशकों विशेष रूप से विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल, विमुद्रीकरण, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि।

मोदी सरकार ने सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान एक परंपरागत तथा रूढ़िवादी कर व्यवस्था को परिवर्तित करने का निर्णय लिया ताकि करों की चोरी पर रोकथाम लगायी जा सके और उसका नाम था वस्तु एवं सेवा कर, जो कि संपूर्ण देश में जी.एस.टी. के नाम से लोकप्रिय है। यह भारत की एक ऐसी कर प्रणाली थी जिसने देश की खंडित और जटिल कर प्रणाली को एकीकृत एवं नियमित कर दिया था।[20] जिसके परिणामस्वरुप देश के राजस्व में वृद्धि हुई तथा बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु व्यापक स्तर पर पूंजी निर्माण संभव हुआ। देश में कारोबारी माहौल स्थापित करने के लिए श्री मोदी जी ने उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उनका मानना था कि देश की बेरोजगारी का समाधान केवल उद्योग एवं व्यवसाय के माध्यम से ही संभव है।

श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि– मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि भारत में बहुत अधिक गुप्त उद्यमशीलता व्याप्त है, जिसका दोहन करने की सख्त आवश्यकता है ताकि हम नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वाला देश बन सके।[21] इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने विनिर्माण से लेकर लगभग सभी क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सुविधा का प्रावधान सुनिश्चित किया और औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया था। जबकि इससे पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में कारोबारी माहौल एक निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा था। एस. पी. एस. पन्नू (2014) ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि– भारत कारोबारी माहौल के मामले में कई गंभीर समस्याओं से गुजर रहा था, औद्योगिक उत्पाद में गिरावट की स्थिति थी, भुगतान संतुलन की समस्या विराजमान थी, अर्थात् यू.पी.ए. के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विकलांगता की स्थिति में पहुंच गई थी।[22] इससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार ने उद्यमशीलता की स्थिति को कैसे व किस प्रकार ऊंचाइयों तक पहुंचाया था।

श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक जन धन योजना संचालित की जिसके तहत 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, 10 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।[23] यह एक प्रकार से गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने (पेंशन) के लिए खोले गये थे।

भारत में देशी एवं विदेशी (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) बैंकों तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 25 सितंबर 2014 को अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया की स्थापना की थी।[24] इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ–साथ एक विनिर्माण हब बनाना था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि– संपूर्ण दुनिया के लोग (निवेशक) भारत में आओ और उत्पाद बनाओ, आओ भारत में निर्माण करो, जाओ दुनिया के किसी भी हिस्से में बेच दो, हमारे पास कौशल, प्रतिभा तथा अनुशासन सब कुछ है।[25] मेक इन इंडिया, विशेष रूप में अर्थव्यवस्था में विनिर्माण हब बनाने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और उच्च स्तर की तकनीकी (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) के साथ देश के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक की रिपोर्ट बताती है कि– भारत में व्यवसाय व उद्योगों के मामले में कई वर्षों के बाद सूचकांक के क्षेत्र में 65 प्रतिशत की छलांग लगाई है।[26]

नरेंद्र मोदी जी का एक अन्य कार्य विमुद्रीकरण नीति था। हालांकि उनके इस कार्य की आलोचना कई लोगों, विद्वानों ने की थी क्योंकि रातों–रात नोटबंदी का निर्णय लेने के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति निर्मित हो गई थी। लोगों को कई दिनों तक मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ा था लेकिन मेरा मानना है कि श्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण का सही व उचित निर्णय लिया क्योंकि अर्थव्यवस्था में नकली नोटों की भरमार हो गई थी और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मुद्रा का उपयोग आतंकवाद के लिए कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में मोदी सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाए। मोदी सरकार द्वारा यह निर्णय 8 नवंबर 2016 को लिया गया था, जिसके तहत 500 तथा 1000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया गया और उनके स्थान पर 500 और 2000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई।[27]

वर्ष 2019 संपूर्ण विश्व के लिए एक मानव विनाशक वर्ष साबित हुआ था क्योंकि एक वैश्विक महामारी (कोविड–19) आरंभ हुई, जिससे बचने के लिए संपूर्ण विश्व में तालाबंदी की प्रक्रिया को अपनाया गया था। भारत में भी इसी प्रकार से संपूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था मंदी की अवस्था में प्रवेश कर गई थी क्योंकि इसके तहत लोगों के साथ–साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसाय आदि सभी ठप हो गए थे। इसलिए मोदी जी ने ध्वस्त हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान संचालित किया जिसके तहत कुल 20000 करोड रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें एम.एस.एम.ई. क्षेत्र, फुटपाथ कारोबारी, प्रवासी श्रमिकों के लिए वित्त पोषण प्रदान करना और अन्य सभी क्षेत्र, जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए थे, शामिल किए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य, योजनाएं, नीतियां मोदी जी ने संचालित की हैं जिन्हें एक लेख में समाहित करना संभव नहीं है।

## निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वास्तव में वे एक सशक्त तथा अचूक प्रशासक हैं। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए ऐसे–ऐसे निर्णय लिए, जो यदि कोई दूसरी सरकार होती, तो शायद ही वह कर पाती। उन्होंने एक महान कूटनीति का परिचय देते हुए विश्व के बड़े–बड़े देशों को अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर किया और एक मजबूत एवं सशक्त विदेश नीति को संचालित करने में सफल सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है और भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति और भारतीय विकास प्रक्रिया की सराहना कर रहा है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर यदि कोई सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।

## संदर्भ

1. पाटिल, अमितेंदु. (2015). नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में अर्थशास्त्र. एशियाई अध्ययन केंद्र. एशिया विजन 77. अगस्त।

2. (2021). मोदी सरकार के 7 साल में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद सुधरी. द इंडियन एक्सप्रेस (न्यूज पेपर). 3 जून।
3. शॉटली, जिवांता., मार्कस, पाउली. (2016). मोदी–नॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी. जर्नल ऑफ एशियन पब्लिक पॉलिसी. पृष्ठ **154–169.**
4. (2017). व्हाई मोदी–नॉमिक्स एंड एबेनॉमिक्स सूट ईच अदर. द इकोनॉमिक टाइम्स (समाचार पत्र). 11 सितंबर।
5. घटक, एम., रॉय, एस. (2014). मोदी–नॉमिक्स – डू नरेंद्र मोदी क्लेम्स ऐड अप?. द गार्डियन. 13 मार्च।
6. इनामदार, एन. (2013). डिफाइन मोदी–नॉमिक्स प्लीज. बिजनेस स्टैंडर्ड. 23 दिसंबर।
7. पनगढ़िया, ए. (2018). भारत – थ्री एंड हाफ ईयर्स ऑफ मोदी–नॉमिक्स. वर्किंग पेपर नं. 2018–01. दीपक एंड नीरा राज सेंटर ऑन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी. एस.आई.पी.ए., कोलंबिया यूनिवर्सिटी।
8. संदर्भ संख्या (3) देखने के लिए।
9. झा, आर. (2019). मोदी–नॉमिक्स –डिजाइन. कार्यान्वयन. परिणाम और संभावनाएं. एशियाई आर्थिक नीति समीक्षा. पृष्ठ **24–41.**
10. झा, आर. (2018). फैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हर सोसाइटी. खंड 1. हालिया आर्थिक और सामाजिक इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था. पालग्रेव मैकमिलनः लंदन।
11. सन्दर्भ संख्या (9) देखने के लिए।
12. (2015). भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो. प्रधान मंत्री कार्यालय. भारतीय मिशन के प्रमुख के लिए प्रधान मंत्री. प्रेस विज्ञप्ति. 7 फरवरी।
13. डॉ. एस. जयशंकर. (2015). इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडी. सिंगापुर. 20 जुलाई को व्याख्यान।
14. (1989). जवाहरलाल नेहरू की चुनी हुई कृति, दूसरी श्रंखला – खंड 6, संस्करण एस. गोपाल. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः नई दिल्ली।
15. चटर्जी मिलर, मंजरी. (2014). फॉरेन पॉलिसी मोदी–इंडियाज न्यू वर्ल्ड–व्यू. फॉरेन अफेयर. 3 अप्रैल।
16. शेशाद्री, चारी. (2021). मोदी का गांधी के समान आत्मनिर्भरता का विचार. यू.आर.एल. https://theprint.in/opinion/modis-idea-of-self-reliant-india-same-as-gandhi/421820/. एक्सेस तिथि 10 दिसंबर।
17. संदर्भ संख्या (1) देखने के लिए।
18. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुनाव घोषणापत्र. (2014). एक भारत, श्रेष्ठ भारत – सबका साथ, सबका विकास।
19. सरन, एस. (2021). कोविड–19 संकट को देखते हुए 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने की संभावना पर एक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च. वॉल्यूम 10. अंक 5 मई।
20. विश्व बैंक. (2018). भारत में माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) कार्यान्वयन की चुनौती (अंग्रेजी). विश्व बैंक समूहः वाशिंगटन, डी.सी.।
21. शासन का ट्रैक रिकॉर्ड. भारत के प्रधान मंत्री. यू.आर.एल. https://www.pmindia.gov.in/en/governance-track-record.
22. पन्नू, एस. पी. एस. (2014). यू.पी.ए. का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड–स्कैम. पॉलिसी पैरालिसिस क्रैशेज इंडियाज इकोनॉमी. इंडिया टुडे. 28 जनवरी।
23. (2015). पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धि. बिजनेस टुडे (समाचार पत्र). 25 मई।
24. (2014). पूर्व की ओर देखें, पश्चिम की ओर देखें. मेक इन इंडिया लॉन्च पर पीएम मोदी कहते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स (समाचार पत्र). 25 सितंबर।
25. मेक इन इंडिया. यू.आर.एल. https://www.ibef.org/economy/make-in-india.
26. इकोनॉमिक टाइम्स. (2019). मोदी बिग विन सिंगल इंडिया स्ट्रॉन्ग जी.डी.पी. ग्रोथ रेट कंटीन्यू. 25 मई. यू.आर.एल. https://www.economic.indiatimes.com/industry/banking/finance/pm-modi-big-win-single-strong-indian-gdp-growth-will-continue/articleshow/69466669.cms?from=mdr.
27. (2019). भारतीय अर्थव्यवस्था पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन. पांच प्रमुख नीतियों को एक्सेस किया गया. www.manchester.ac.uk. 13 मई।

6

# सतत विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका– उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में

**प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द**
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

**डॉ० ओमप्रकाश सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
राजकीय संघटक महविद्यालय, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

***सारांश***

*ग्रामीण विकास एक पुराना विषय है, हालांकि इस अवधारणा ने विषयवस्तु में निरंतर विकास का अनुभव किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के आयोजन के लिए सरोकार। कम विकसित देशों में ग्रामीण विकास की प्रधानता उनकी अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण आयामों के अत्यधिक महत्व के कारण उभरती है। ग्रामीण विकास आर्थिक विकास की तरह; गरीबी, असमानता और शोषण में कमी के लिए चिंता को दर्शाता है। अधिकांश देशों में, इसे विकास में 'शहरी पक्षपात' के लिए एक चिंता के रूप में भी लिया जा सकता है क्योंकि अधिकांश सामाजिक–आर्थिक संकेतक जैसे आय, पोषण, जीवन प्रत्याशा, भौतिक बुनियादी ढाँचा, साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं के प्रावधान; शहरी क्षेत्रों से बेहतर नहीं हैं। ग्रामीण विकास का तात्पर्य गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अर्थों में ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित सकारात्मक परिवर्तन से है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता में कमी ग्रामीण विकास का गठन करती है, जो ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार करती है।*

***मुख्य शब्द***

*गैर सरकारी संगठन, ग्रामीण विकास, सामाजिक आर्थिक ढाँचा।*

सामान्य तौर पर, ग्रामीण विकास की कल्पना ग्रामीण गरीबों के सामाजिक–आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई रणनीति के रूप में की जाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लाभों को छोटे किसानों, किरायेदारों, भूमिहीनों और अन्य वंचित समूहों तक पहुँचाना शामिल है। चूंकि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विकास प्रक्रिया को स्थिरता के पर्यावरणीय आधार का त्याग नहीं करना चाहिए। 'एकीकृत ग्रामीण विकास' वाक्यांश का उपयोग आम तौर पर ग्रामीण विकास के बहुउद्देश्यीय जोर को इंगित करने के लिए किया जाता है।

हालांकि, ग्रामीण विकास मानता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के साथ मिलकर खाद्य आपूर्ति और पोषण में सुधार न केवल ग्रामीण गरीबों के शारीरिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, बल्कि उनकी उत्पादकता अर्थात् राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने की उनकी क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से भी बढ़ा सकता है। इसका संबंध ग्रामीण समाज के आधुनिकीकरण और चुम्बकीकरण से है और पारंपरिक अलगाव से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के संक्रमण से है। इस प्रकार, ग्रामीण विकास के उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र से परे हैं। वे बेहतर उत्पादकता, रोजगार में वृद्धि और इस प्रकार लक्षित समूहों के लिए उच्च आय के साथ–साथ भोजन, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर को शामिल करते हैं।

जबकि कृषि विकास, कल्याण उन्मुखीकरण और गरीबी उन्मूलन निश्चित रूप से ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ग्रामीण विकास का व्यापक अर्थ है। इसमें ग्रामीण समाज के सामाजिक–राजनीतिक और सतत विकास के साथ भागीदारी जैसे मूल्य शामिल हैं। उत्तर–प्रदेश के निर्माण के बाद से, ग्रामीण विकास को हमेशा एक बहुउद्देशीय गतिविधि माना गया है। लगभग सभी राष्ट्र निर्माण और विकास कार्यक्रमों में एक प्रमुख घटक शामिल होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला होता है। कृषि, भोजन, भूमि,

सिंचाई, जल संसाधन प्रबंधन, पशुधन, वानिकी, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शिक्षा आदि से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों और वहाँ रहने वाले लोगों के विकास से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। इसलिए, ग्रामीण विकास सरकारी और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों और संस्थानों से जुड़े विविध लक्ष्यों, उद्देश्यों और गतिविधियों का एक समूह बन गया है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और बांधों के निर्माण और बाढ़ सुरक्षा तटबंधों और सड़कों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण और संभावित पारिस्थितिक प्रभावों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का अभूतपूर्व क्षरण हुआ। ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर आज भी ग्रामीण लोग अपने भरण–पोषण के लिए निर्भर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पहले से ही व्याप्त गरीबी के जाल में अतिरिक्त संख्या में लोग आ गए हैं। इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि पारिस्थितिकी और संसाधन संरक्षण से संबंधित विचार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों के साथ एकीकृत हों, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को बुनियादी जरूरतें प्रदान करना है। यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां विकास के अधिकांश प्रयास ग्रामीण संसाधनों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर्यावरण के मुद्दों पर भारी पड़ गयी है। यह तर्क दिया जाता है कि पर्यावरणीय क्षरण की सापेक्ष उपेक्षा ने गरीबी पर काबू पाने के लिए दीर्घकालिक लड़ाई को और कठिन बना दिया है। विभिन्न सरकारों द्वारा जारी सतत उपेक्षा ने देश को इस स्थिति में ला दिया है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आधे से अधिक ग्रामीण लोगों की आजीविका गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई है।

उत्तर प्रदेश का अत्यधिक उच्च जनसंख्या घनत्व वनों, मत्स्य पालन और कुछ हद तक मिट्टी और जल संसाधनों के गहन और अति प्रयोग में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है। अधिकांश परिवारों के पास पर्याप्त भोजन जुटाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। उन्हें अपनी घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की जरूरतों के लिए फसल अवशेषों और गोबर पर निर्भर रहना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन को सरकार और गैर–सरकारी संगठनों; दोनों का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। हालांकि ग्रामीण उत्तर प्रदेश गरीबी की संस्कृति पर टिका हुआ है, फिर भी इसमें कुछ सहज मानवीय गुण हैं जो सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आशावाद का बिंदु प्रदान करते हैं। कई बाधाओं के बावजूद और इस सकारात्मक कारक का अच्छा उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में गैर–सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों के साथ–साथ एक सामाजिक विकास में लगे हुए हैं।

विकास की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके ग्रामीण समाज का आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विशेष रूप से नीतिगत विकास में दिखाई नहीं देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों का पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर सीधा असर पड़ता है। वे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, जनसंख्या नियंत्रण, ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता और गैर–कृषि आय सृजन गतिविधियों से संबंधित ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं जिनका ग्रामीण पर्यावरण, संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए जा रहे विकास मॉडल ने विस्थापन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षरण, वनों की कटाई, गरीबी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियां आदि समस्याएं पैदा की हैं। उत्तर प्रदेश संविधान में निहित विकास का स्पष्ट लक्ष्य मूल्यों के आधार पर समानता, स्वतंत्रता और न्याय की एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाना था। लेकिन इसे गलत माना गया है क्योंकि आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी और असमानताएं कई गुना बढ़ गई हैं। राज्यों में दरिद्रता लगातार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर धकेल रही है, जहां वे अधिकांश अमानवीय परिस्थितियों में झुग्गी–झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। अब तक अपनाए गए विकास मॉडल के कारण बढ़ती हुई बदहाली के सामने, हमारी 60 प्रतिशत आबादी निम्न निर्वाह स्तर पर जीने को मजबूर है।

## गैर सरकारी संगठन और उत्तर–प्रदेश

उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत में स्थित घनी आबादी वाले प्रदेशों में से एक है। यहाँ एक लाख चौदह हजार वर्ग मील के भूमि क्षेत्र में चौदह मिलियन से अधिक की आबादी का आकार व्यावहारिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में गैर–सरकारी संगठनों की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भूमिका यह है कि विकास प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए गरीबों को कैसे सबसे अच्छा संगठित किया जाए। नतीजतन, गरीबों के लिए संगठन को बढ़ावा देना और बनाए रखना गैर–सरकारी संगठनों का स्थायी हित रहा है। इससे एक ही पेशे से संबंधित व्यक्तियों के समूहों का निर्माण हुआ है या सबको समान आर्थिक स्तर पर माना जाता है। प्रत्येक चरण की योजना, कार्यान्वयन और समूह गतिविधियों के मूल्यांकन में समूह के सदस्यों की भागीदारी को न केवल वांछनीय माना जाता है बल्कि समूह के निर्वाह और औचित्य के लिए अनिवार्य भी माना जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां विकास प्रक्रिया में गरीबों को शामिल करने में सरकार बुरी तरह विफल रही है। कुछ लोगों द्वारा उचित रूप से यह तर्क दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन रहने के लिए आ गए हैं। वे आने वाले दिनों में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और ग्रामीण पर्यावरण

की गिरावट जैसी मूक आपात स्थितियों के रक्षक के रूप में भूमिका निभाते रहेंगे। अभी तक 'साइलेंट इमरजेंसी' से लड़ने में उनका योगदान किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गरीबी से पीड़ित लोगों के राष्ट्र निर्माण और सामाजिक–आर्थिक प्रगति में एक नया चलन स्थापित किया है।

## गैर सरकारी संगठनों के मूल उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में गैर–सरकारी संगठनों के उद्देश्य विविध हैं और कार्य भी विविध हैं। गैर सरकारी संगठन को देखने का एक तरीका उनके उद्देश्यों और कार्यों को व्यापक श्रेणियों में रखने का प्रयास करना है। रहमान एच. ने गैर सरकारी संगठनों के तीन व्यापक उद्देश्यों और कार्यों की पहचान की, जो मानव विकास, सामाजिक–आर्थिक विकास और सूक्ष्म–सामाजिक परिवर्तन हैं। उनके अनुसार ये तीन उद्देश्य मोटे तौर पर राज्य में लगभग सभी गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों के दायरे को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के गैर–सरकारी संगठनों का कार्यों और गतिविधियों के आधार पर चार व्यापक शीर्षकों के तहत वर्गीकरण किया जा सकता है। ये रोजगार और आय सृजन (ई.आई.जी.), स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा और गरीबों को संगठित करना हैं जिनमें से गैर–सरकारी संगठनों की प्रमुख गतिविधियां ज्यादातर रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबों के लिए आय सृजन के आसपास केंद्रित हैं।

ई.आई.जी. गतिविधियों का लक्ष्य भूमिहीन मजदूर, गरीब ग्रामीण महिलाएं, छोटे किसान और बटाईदार, मछुआरे व निराश्रित महिलाएं इत्यादि हैं। ई.आई.जी. गतिविधियों को क्रेड़िट, प्रशिक्षण और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उनके संबंधित ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई उपयुक्त तकनीक द्वारा समर्थित किया गया है। एक अन्य क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठन गतिविधियों को कुछ सफलता मिली है। गैर–सरकारी संगठन गतिविधियां भूमिहीन और ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। यहां मुख्य एकाग्रता हस्तशिल्प पर रही है। गैर–सरकारी संगठनों ने ''मवेशियों की देखभाल, नर्सरी तैयार करने, कृषि और मछलीपालन'' जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण पुरुषों के लिए आय और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

## सतत ग्रामीण विकास

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हमेशा एक बहु–क्षेत्रीय गतिविधि रही है। लगभग सभी राष्ट्र निर्माण और विकास कार्यक्रमों में एक प्रमुख घटक शामिल होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला होता है। कृषि, भोजन, भूमि, सिंचाई, जल संसाधन प्रबंधन, पशुधन, वानिकी, कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शिक्षा आदि ग्रामीण क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। ग्रामीण विकास इसलिए सरकार व गैर–सरकारी संगठनों दोनों के विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों को शामिल करने वाले विविध लक्ष्यों, उद्देश्यों और गतिविधियों का एक समूह बन गया है।

कृषि और संबंधित गतिविधियाँ सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका ग्रामीण विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि न केवल आय और रोजगार का प्रमुख स्रोत है बल्कि यह खाद्य आपूर्ति का स्रोत भी है। यहां तक कि, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी वर्तमान में बढ़ती श्रम शक्ति को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लेने में असमर्थ हैं। साथ ही, गांवों में रहने वालों के लिये कृषि में आधिक्य के लिए व गरीबी से बचने का एकमात्र तरीका कृषि और संबंधित गतिविधियों में उत्पादन और दक्षता बढ़ाना भी है। वर्तमान में गहराते गरीबी जाल से बाहर निकलने के राष्ट्रीय प्रयास में, राज्य को मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि कृषि विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से काफी अधिक हो, जहां ग्रामीण आबादी प्रमुख योगदान कारक है।

कृषि क्षेत्र के विकास और प्रदर्शन में रुझान अनिवार्य रूप से अन्य संबद्ध क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों और कमजोरियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मौजूदा भूमि स्वामित्व पैटर्न और किरायेदारी संबंधों से उत्पन्न विभिन्न भूमि जोत और खेत के आकार पर भूमि का अक्षम उपयोग। प्रभावी सिंचाई और जल नियंत्रण के तहत खेती वाले क्षेत्रों का कम अनुपात, ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, अपर्याप्त भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे आदि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका कृषि और ग्रामीण विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास की स्थिति और सतत विकास पर इसके प्रभाव को समझने के लिए किसी को राज्य के अतीत में वापस जाना होगा, जबकि यह बहुत लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के अधीन था। गरीबी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारणों को अर्थव्यवस्था के शोषण और विकृति के साथ सतत उपेक्षा में निहित किया जा सकता है और उनके लाभ के लिए क्रमिक औपनिवेशिक शासनों द्वारा सामाजिक संरचना में हेरफेर किया जा सकता है।

इस प्रकार, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीणों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को इस सदी के शुरुआती दौर में कुछ व्यक्तिगत ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए थे। हालांकि, इस तरह के प्रशिक्षण और एक व्यापक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण नीति के अभाव में, ये प्रयास व्यक्तिगत अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता के प्रस्थान के साथ गायब हो गए, जिन्होंने ऐसी प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरुआत की थी।

## निष्कर्ष

इन परिघटनाओं को देखते हुए, अपने नवीनतम दस्तावेज में, योजना आयोग ने 'राज्य में बेरोजगारी की समस्या की व्यापकता' को स्वीकार किया तथा रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की मांग की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मसौदा परिप्रेक्ष्य योजना में सफल लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों व परियोजनाओं को जारी रखने और विस्तार करने और सामाजिक लामबंदी पर आधारित नई गरीब समर्थक परियोजनाओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं में, जमीनी स्तर पर गरीबों को खुद को संगठित करने, अपनी समस्याओं की पहचान करने, अपने स्वयं के विकास संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाएगा, खासकर उन क्षेत्रों में, जो उनसे सबसे अधिक संबंधित हैं। पहली बार, सरकार ने समय–समय पर अपने पहले के रुख से विचलन के साथ ग्रामीण विकास उपक्रमों में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को स्वीकार किया। इसने उत्पादक रोजगार, विशेष रूप से पशुपालन जैसी गतिविधियों में स्वरोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि से ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों के सक्रिय समर्थन के साथ सामाजिक गतिशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। मत्स्य पालन, पोल्ट्री, बागवानी और विभिन्न गैर–कृषि गतिविधियों में बेहतर आर्थिक लाभों की संभावनाएं हैं। यह इन क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों के साथ गरीबों को जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में गरीबों के सामाजिक विकास के उद्देश्य से सामाजिक लामबंदी का भी आह्वान करता है।

## संदर्भ

1. यू.एन.डी.पी. (1992). मानव विकास रिपोर्ट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः न्यूयॉर्क।
2. चौहान, के. एस. (1994). ग्रामीण विकास नीतियों और रणनीतियों में भारत के ग्रामीण विकास पर कंट्री पेपर. एशियाई उत्पादकता संगठनः टोक्यो. पृष्ठ **201.**
3. विश्व बैंक. (1975). ग्रामीण विकास क्षेत्र नीति पत्र. विश्व बैंकः वाशिंगटन डी. सी.।
4. ल्यूपोल्ड, एम. ''एकीकृत ग्रामीण विकासः एक एकीकृत ग्रामीण विकास रणनीति के प्रमुख तत्व''. समाजशास्त्र ग्रामीण. खंड 17.
5. खान, अख्तर हमीद. (1977). ग्रामीण विकास के दस दशकः भारत से सबक. कृषि अर्थशास्त्र विभाग. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. दिसंबर. पृष्ठ **5–9.**
6. कुमार, प्रदीप. (2005). ''ग्रामीण विकास – जीओ और गैर सरकारी संगठन का सहयोग''. कुरुक्षेत्र. अगस्त. पृष्ठ **35–41.**
7. दीक्षित, प्रवीण. (2004). ''रोड मैप पीआर गैर सरकारी संगठन टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर – व्हाट लेसन फ्रॉम इंडियन इंटरवेंशन?'' जर्नल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. वॉल्यूम. 16 सितंबर. पृष्ठ **232–258.**
8. टंडन, राजेश. (1991). ''गवर्नमेंट – गैर सरकारी संगठन द रिलेशन इन इंडिया''. सोशल एक्शन. 41(2). अप्रैल–जून. पृष्ठ **217–22.**

7

# भारत में स्मार्ट कृषि समय की माँग : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – एक अवलोकन

**प्रोफेसर (डॉ०) कमल सिंह**
प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय
हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद (उ0प्र0)

***सारांश***

*भारत प्राचीनकाल से ही एक कृषि प्रधान एवं कल्याणकारी देश रहा है। कृषि क्षेत्र में स्वतन्त्रता के बाद भारत ने एक लम्बा एवं संघर्ष भरा सफर तय किया है। हरित क्रान्ति तथा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंधान तथा प्रसार ने भारत को न सिर्फ खाद्यान्न में बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी विश्व के शिखर पर खड़ा कर दिया है, और वर्तमान समय में भारत फल एवं सब्जियों में, दूध, मसाले एवं जूट में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। गेहूँ एवं धान के उत्पादन में भारत विश्व मे दूसरे स्थान पर है। वर्तमान समय में भारत में बढ़ती हुई आबादी, कम होते रोजगार तथा निवेश, घटती हुई उपजाऊ कृषि भूमि एवं बाजार के जोखिमों ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या के समक्ष कृषि को लाभकारी बनाने में बहुत बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश विकसित देशों ने आधुनिक खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने के लिए डिजिटल तकनीक आधारित स्मार्ट खेती पर जोर दिया है जो भारत के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। वर्तमान में वैश्विक कृषि को अनेकों कारणों से बहुत चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। स्मार्ट फार्मिंग एक कृषि प्रबन्धन अवधारणा है जो कृषि को उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत बड़े डेटा, क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कृषि उत्पादन की ट्रैकिंग, निगरानी, स्वचालन और संचालन का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है।*

*प्रस्तुत शोध पत्र में हमने भारत में स्मार्ट कृषि के तकनीकी अवयव, भारत में स्मार्ट कृषि समय की माँग और भारत में स्मार्ट कृषि के लिए नैनो उर्वरक का योगदान; तथा साथ ही साथ ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान, भारत में रोजगार सृजन में कृषि की भूमिका, भारत में स्मार्ट कृषि के समक्ष चुनौतियां एवं संभावनाएं इत्यादि का अध्ययन किया गया है।*

***मुख्य शब्द***

*स्मार्ट कृषि, सेंसर, मोबाइल ऐप, आधुनिक तकनीक, ई–चौपाल, जी.आई.एस., जी.पी.एस., चुनौतियां, समस्याएं।*

**प्रस्तावना**

भारत सरकार कृषि को स्मार्ट करने एवं भारतीय किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक आधारित स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अंतर्गत सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण उपकरण तथा आई.टी. सिस्टम आधारित कृषि की भारत में शुरुआत हो गई है। भारत में सूचना संचार तकनीकियों का उपयोग एवं विकास निम्नलिखित प्रोजेक्टस द्वारा हुआ जो आज स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर है–

**ग्राम ज्ञान केंद्र :** एम.एस. स्वामीनाथन रिचर्स फाउंडेशन द्वारा 1998 में सर्वप्रथम शुरू किया यह भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें सूचना संचार तकनीकियों का कृषि विकास हेतु उपयोग हुआ। ग्राम ज्ञान केंद्रों में कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन के रूप में हार्डवेयर लगाए गए जो एक वायरलेस संचार लिंक से जुड़े थे जिससे किसानों को उनकी फसल से संबंधित समस्त जानकारियां मिलने लगी।

**ई–चौपाल** : आई.टी.सी. द्वारा जून 2000 में शुरू किया गया ई–चौपाल ग्रामीण भारत में इंटरनेट आधारित स्मार्ट कृषि हेतु अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ई–चौपाल सेवाएं आज उत्तर प्रदेश सहित देश के 10 राज्यों में संचालक के रूप में कार्य कर रही हैं जो किसानों को कृषि से संबंधित समस्त जानकारियां प्रदान करती हैं।

**किसान कॉल सेंटर** : भारत में किसान कॉल सेंटर 2004 में कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के प्रश्नों के उत्तर उनकी मूल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। वर्तमान समय में भारत में किसान कॉल सेंटर 21 स्थानों से 22 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित हो रहे हैं, जो पूरे देश को कवर करते हैं। इन केंद्रों द्वारा पूरे देश में प्रतिदिन 26000 से अधिक कॉल दर्ज की जाती हैं और उनका समाधान अधिकतम 72 घंटों में किया जाता है।

**इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)** : बाजार में क्रेता या विक्रेता की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना ही ए.पी.एम.सी. मंडियों में कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को ई–नाम का गठन किया गया। सितंबर 2016 तक भारत में लगभग 250 से अधिक ए.पी.एम.सी. ऑनलाइन हो गए।

**कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.ए.)** : कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना 2010–11 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कृषि तक समय पर पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना है।

**मोबाइल एप्स** : भारत में कृषि क्षेत्र तक सही एवं समय पर जानकारियां प्रदान करने वाले मोबाइल एप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। विभिन्न सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों द्वारा भी कई मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जो स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग कर सही समय पर सटीक जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं।

## भारत में स्मार्ट कृषि के तकनीकी अवयव

भारत में स्मार्ट कृषि में निम्नलिखित तकनीकों का अलग–अलग प्रकार से उपयोग शामिल है–

- पानी, प्रकाश, आद्रता और तापमान प्रबंधन तथा मृदा स्कैनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित समाधान में रोबोटिक्स और स्वचालन को सक्षम करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कृषि के लिए निर्णय लेने और कीट रोग एवं मौसम–आधारित भविष्य अनुमान हेतु डेटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ जैसे उन्नत नेटवर्किंग और जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. आदि तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है।
- स्मार्ट कृषि में फसल की पैदावार, मिट्टी मानचित्रण भविष्य अनुमान हेतु डेटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
- दूरस्थ निगरानी एवं लगातार डेटा एकत्र करने हेतु उपग्रह और ड्रोन आधारित आई.टी. सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में स्मार्ट कृषि तकनीकों का प्रमुख रूप से चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है।
- कृषि गतिविधियों को कुशल तरीके से करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए उचित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कृषि को वेब मैप सर्विस और सेंसर ऑब्जरवेशन सर्विस के साथ एकीकृत किया गया है।
- खाद उत्पादन और सुरक्षा कृषि प्रणाली कृषि उत्पादन के भंडारण हेतु गोदाम के तापमान, शिपिंग परिवहन प्रबंधन प्रणाली जैसे मापदंडों की सटीक निगरानी करती है और क्लाउड आधारित रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी एकीकृत करती है।
- सुव्यतता कृषि (प्रेसिजन कृषि) के अंतर्गत मौसम की जानकारी के संदर्भ में उच्च स्तर की सटीकता से पूर्वानुमान लगाया जाता है जिससे फसल के नुकसान की संभावना कम हो जाती है।
- एकीकृत कीट प्रबंधन या नियंत्रण कृषि सिस्टम तापमान, नमी, पौधों की वृद्धि और कीटों के स्तर की उचित लाइव डाटा निगरानी के माध्यम से किसानों को सटीक पर्यावरणीय डाटा प्रदान करता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान फसल की उचित देखभाल की जा सके।

## भारत में स्मार्ट कृषि समय की माँग

वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत की जनसंख्या भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके जल्दी ही चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। अतः वर्तमान बदलते परिवेश में विशाल जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए कृषि उपज में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत में जलवायु परिदृश्य के अनुसार खेती

में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है। इससे फसलों और खाद्य उत्पादों की पोषण गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की आपस में जुड़ी चुनैतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण है जो वर्तमान बदलते जलवायु परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि प्रणालियों को परिवर्तित और पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक क्रियाओं को निर्देशित करने में मदद करता है। कृषि की विभिन्न तकनीकों का एकीकृत समायोजन इस तरह से करना है कि मृदा स्वास्थ्य एवं जैव संतुलन आदि पर कोई विपरीत प्रभाव न पडते हुए निरंतर बेहतर कृषि उत्पादन मिलता रहे। भविष्य में भारत में बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए जलवायु अनुरूप खेती पर ही जोर देना होगा। आने वाले समय में तकनीकी आधारित नवाचार केंद्रित और जलवायु स्मार्ट खेती का भारत में भविष्य उज्जवल है। भारतीय किसान स्वयं तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर जलवायु स्मार्ट खेती के सहभागी बनते जा रहे हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार भी जलवायु स्मार्ट खेती को बढ़ावा दे रही है। इसलिए सच कहा जाए तो जलवायु स्मार्ट खेती आज के समय की जरूरत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जलवायु स्मार्ट खेती करने से किसानों की आय बढ़ने के साथ–साथ औद्योगिक व रासायनिक खेती की वजह से आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी। यह राष्ट्र हित में है कि खाद्यसुरक्षा, बेहतर पर्यावरण व संसाधन संरक्षण के लिए तर्कसंगत ढंग से कीटनाशकों एवं व्याधिनाषकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बेहतर पादप स्वास्थ्य के साथ–साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को भरपेट भोजन उपलब्ध हो सके।

## भारत में स्मार्ट कृषि के लिए नैनो उर्वरक

भारत में नैनो यूरिया जैसे स्मार्ट उर्वरकों के प्रयोग से जब पोषक तत्व योग क्षमता में सार्थक वृद्धि होगी तब देश में यूरिया की मात्रा में स्वतः कमी हो जाएगी। भारत में उर्वरकों का संतुलित और न्यायोचित उपयोग किसानों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस कारण न केवल फसलों की उपज, उत्पाद की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य और किसानों के लाभ पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। फिर भी किसान यूरिया और डी.ए.पी. की प्रयोग दर बढ़ाता जा रहा है जिस कारण किसानों पर खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है और इन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारे पास नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित स्मार्ट उर्वरकों का एक महत्वपूर्ण विकल्प सामने है। नैनो का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से बने होते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी का अर्थ सूक्ष्म प्रौद्योगिकी है। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां या एक बिलियनवाँ भाग होता है। नैनोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1974 में नारियों तानी गुची द्वारा किया गया था। हर वह कण जिसका आकार 100 नैनोमीटर या इससे छोटा होता है, नैनो कण माना जाता है। आकार छोटा होने पर इन कणों के रासायनिक और भौतिक लक्षण या विशेषताएं बदल जाती हैं।

उर्वरक क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको की मातृ इकाई कलोल, गुजरात के अत्याधुनिक नैनोबायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे नैनो यूरिया, नैनो जिंक व नैनो कॉपर को पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। वर्तमान में भारत की बढ़ती विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए नैनो उर्वरकों का प्रयोग वरदान साबित हो रहा है। आकार में छोटे होने के कारण नैनो उर्वरक मृदा एवं पत्तियों में आसानी से वितरित हो जाते हैं और मृदा गुणवत्ता वृद्धि और फसल पोषण में मदद करते हैं। धान की 1 एकड़ जमीन पर 52 किलोग्राम डी. ए.पी. का इस्तेमाल करना होता है जिसकी कीमत लगभग रू 2508 है जबकि इतनी जमीन पर नैनो डीएपी का सिर्फ आधा लीटर की जरूरत होती है जिसकी कीमत लगभग रू 400 होती है। नैनो उर्वरक बेहतर उर्वरक क्षमता के कारण न केवल फसलों की उच्चतम आर्थिक उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे बल्कि इनके न्यायोचित प्रयोग से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। नैनोटेक्नोलॉजी का लगातार विकास होने की वजह से भारत के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार की अनेकों असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

## भारत के ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान

कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारत जैसे देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां जनसंख्या के बड़े हिस्से का मूल आधार कृषि ही है। ताजा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 69 प्रतिशत और कार्यबल का लगभग 72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। देश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है जिसमें क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र तथा कुल क्षेत्र का अध्ययन किया गया है –

**तालिका – 1: कारक लागत पर क्षेत्रवार जोड़ा गया वास्तविक सकल मूल्य (करोड़ रूपये में)**

| वर्ष | प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीयक क्षेत्र | तृतीयक क्षेत्र | कुल क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1950–51 | 150191 | 40138 | 82591 | 279618 |
| 1960–61 | 204340 | 73555 | 123872 | 410279 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1970–71 | 258665 | 126356 | 196158 | 589787 |
| 1980–81 | 305906 | 183970 | 300613 | 798506 |
| 1990–91 | 444880 | 325450 | 573465 | 1347889 |
| 2000–01 | 592227 | 570571 | 1185683 | 2348481 |
| 2010–11 | 828431 | 1262722 | 2827380 | 4918533 |
| 2020–21 | 2325548 | 3319280 | 6694347 | 12339175 |
| ए.सी.जी.आर. (प्रतिशत) | 3.99 | 6.51 | 6.48 | 5.56 |

**स्रोत :** आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21, खंड–2, तालिका 1.3

उपरोक्त तालिका का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया वास्तविक सकल मूल्य जो कि वर्ष 1950–1951 में 150191 करोड़ रुपए था, प्रतिवर्ष 3.99 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज करते हुए वर्ष 2020–21 में बढ़कर 2325548 करोड़ रुपये हो गया। दूसरी ओर द्वितीयक क्षेत्र द्वारा आर.जी.वी.ए. में 6.51 प्रतिशत की उच्चतम चक्रवृद्धि विकास दर (ए.सी.जी.आर.) दर्ज की गई जिसके बाद पिछले सात दशकों के दौरान तृतीयक क्षेत्र (6.48 प्रतिशत) का स्थान रहा।

भारत आज न केवल खाद्यान्न की मांग के मामले में आत्मनिर्भर है बल्कि कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक भी है और विश्व में सातवें स्थान पर है। निम्नलिखित तालिका–2 के माध्यम से भारत के कृषि व्यापार के पैटर्न को दिखाया गया है–

**तालिका – 2: भारत में कृषि व्यापार का पैटर्न (करोड़ रूपये में)**

| वर्ष | कृषि निर्यात | कृषि आयात | कृषि व्यापार संतुलन | कृषि आयात–निर्यात अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 1990–91 | 6013 | 1206 | 4807 | 499 |
| 1995–96 | 20398 | 5890 | 14508 | 346 |
| 2000–01 | 28657 | 12086 | 16571 | 237 |
| 2005–06 | 45711 | 15978 | 29733 | 286 |
| 2010–11 | 113047 | 51074 | 61973 | 221 |
| 2015–16 | 215396 | 140289 | 75107 | 154 |
| 2020–21 | 240729 | 147975 | 92754 | 163 |
| ए.सी.जी.आर. (प्रतिशत) | 13.09 | 17.39 | 10.37 | .–3.66 |

**स्रोत :**

i. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सांख्यिकी एक नजर में 2020
ii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

उपरोक्त तालिका का गहनतापूर्वक अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान कृषि निर्यात में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है जिसमें 13.09 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि विकास दर देखी गई। दूसरी ओर कृषि आयात 123 गुना की अत्यधिक तेज वृद्धि दर्ज करते हुए 1990–91 में 1206 करोड़ रुपए से वर्ष 2020–21 में 147975 करोड़ रुपए पर पहुंच गया यानी उसमें प्रतिवर्ष 17.39 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर देखी गई। कृषि वस्तुओं का व्यापार संतुलन न केवल सकारात्मक रहा है, बल्कि पिछले 3 दशकों के दौरान लगभग 19 गुना तक बढ़ गया है, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कृषि के महत्व को दर्शाता है।

## भारत में रोजगार सृजन में कृषि की भूमिका

वर्तमान समय में देश के लिए कृषि न केवल भोजन, चारा और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है बल्कि यह संबद्ध क्षेत्रों के साथ देश की ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के लिए आजीविका का स्रोत भी है। रोजगार के अवसरों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात भारत में किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक है। भारत में उद्योगवार रोजगार की स्थिति को निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाया गया है–

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

**तालिका– 3: भारत में उद्योगवार रोजगार वर्ष – 2018–19**

| उद्योग | कर्मचारियों की संख्या (करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | कुल |
| कृषि | 19.50 | 0.97 | 21.51 |
| विनिर्माण | 2.56 | 3.67 | 5.90 |
| निर्माण | 4.04 | 1.63 | 5.71 |
| खनन और उत्खनन | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
| बिजली पानी आदि | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट | 2.59 | 3.53 | 5.85 |
| परिवहन, भंडारण और संचार | 1.31 | 1.72 | 2.88 |
| अन्य सेवाएं | 2.59 | 4.18 | 6.24 |
| कुल | 32.83 | 15.96 | 48.78 |

**स्रोतः** आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21, खंड–2, पृष्ठ– 363

उपरोक्त तालिका का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् यह पता चलता है कि वर्ष 2018–19 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण ने भारत में श्रम बल का आकार 51.82 करोड़ व्यक्ति; 48.78 करोड़ कार्यरत और 3.04 करोड़ बेरोजगार होने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2018–19 में कृषि क्षेत्र में 21.51 करोड़ से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 42.50 प्रतिशत कार्य बल के साथ कृषि अभी भी देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है।

## भारत में स्मार्ट कृषि के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

वर्ष 2019–20 के आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत था जो वर्ष 2020–21 मे बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किंतु वर्ष 2050 में भारत में खाद्य सुरक्षा से आने वाली कृषि चुनौतियों का सामना करने हेतु भारत को अनेकों प्रकार की स्मार्ट कृषि तकनीकों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करना होगा। प्रेसीजन कृषि के अंतर्गत फसल एवं मृद्रा में सही इनपुट सही समय में सही मात्रा में सही जगह पर और सही तरीके से दिया जाता है, इसके लिए मिट्टी की नमी एवं तापमान, मौसम, उर्वरक–दर, पानी का बहाव, कृषि रसायनों की आवाजाही और बारिश की सटीक जानकारी भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जैसी स्मार्ट तकनीकों से जुटाई जाती है। भारत में स्वचालित कृषि की अभी शुरुआत ही है जिसके अंतर्गत कुछ एग्री स्टार्टअप ही यह सुविधा किसानों को दे रहे हैं। भारतीय कृषि वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है जिन्हें कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और हाल की सरकारी पहलों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को कृषि लाभप्रद उद्यम बनाने के लिए सुरक्षित पर्यावरण और गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ निरंतर संवर्धित इनपुट उपयोग और उत्पादन प्रणाली के लिए सटीक एजीटेक विकसित करने हेतु डिजाइन किया गया है। वर्तमान समय में भारत सरकार कृषि को स्मार्ट एवं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं चला रही है जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, सूक्ष्म सिंचाई कोप योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, आदि। यह समस्त योजनाएं डिजिटल तकनीक आधारित स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल ऐप आधारित कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, उपकरण एवं आई.टी. सिस्टम आधारित कृषि की भारत में शुरुआत हो गई है। भारत में वर्तमान कृषि स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर हो गई है जिसमें अनेकों प्रकार की चुनौतियां आ रही है, फिर भी भारत की विशाल जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए स्मार्ट कृषि में अनेकों संभावनाएं हैं।

## निष्कर्ष

वर्तमान समय में भारत में विशाल जनसंख्या है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2023 के अंत में भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। बढ़ती भारतीय आबादी के संयोजन, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता, उच्च फसल उपज की बढ़ती मांग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों

के कारण स्मार्ट खेती का महत्व न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बढ़ गया है। वर्तमान समय में स्मार्ट कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकों का उपयोग कृषि उत्पादन की ट्रैकिंग, निगरानी, स्वचालन और संचालन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। भारतीय कृषि में नैनोटेक्नोलॉजी का लगातार विकास होने की वजह से न केवल भारतीय कृषि को फायदा हो रहा है बल्कि युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार की अनेकों प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। आधुनिक समय में स्मार्ट कृषि के कारण भारतीय कृषि में अनेकों प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां सामने आ रही हैं। किंतु फिर भी भारत की विशाल जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए भारतीय कृषि को स्मार्ट कृषि बनाने की आवश्यकता है ताकि हमें खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े और हम आत्मनिर्भर बन जायें।

## संदर्भ

1. पुरी, वी0के0., मिश्र, एस0के0. भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. कुमार, अजीत. इंडियन इकोनॉमी।
3. (2022). कुरुक्षेत्र हिंदी मासिक पत्रिका. जनवरी।
4. अमर उजाला एवं दैनिक जागरण. दैनिक अखबार।

8

# राजनीतिक समाजीकरण तथा जनमत निर्माण

**डॉ० योगेश सिंह राणा**
असिस्टैंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री राम सिंह धोनी राजकीय महाविद्यालय, जैंती, अल्मोड़ा

***सारांश***

*प्रस्तुत शोध में राजनीतिक समाजीकरण तथा जनमत का निर्माण कैसे होता है, जानने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः तीव्र या धीमी गति से सीधे–सरल तथा अदृश्य रूप में चलती रहती है। कई बार लोगों को इस बात की खबर भी नहीं होती है। राजनीतिक समाजीकरण की संकल्पनाओं में प्रधान बल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्प्रेषित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण वास्तव में राजनीति या राजनीति व्यवहार के क्षेत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य या राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होती है। इसमें संस्कृति का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण एक शिक्षण की प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे समाज के सुकार्यकारी सदस्य बन सकें। राजनीतिक समाजीकरण के साथ–साथ जनमत का निर्माण भी होता है जो देश–काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। राजनीतिक समाजीकरण में जनमत निर्माण के कई साधन हो सकते हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थान, फिल्म, नाटक, साहित्य, पर्यटन, सरकारी नीतियां, शिक्षा, कवि सम्मेलन, चाय की दुकान, मधुशाला, धार्मिक स्थल आदि।*

***मुख्य शब्द***

*राजनीतिक, समाजीकरण, जनमत, समाज, परिवार, संस्कृति, व्यक्ति, पीढ़ी, हस्तान्तरण, प्रक्रिया।*

समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित किया जाता है अर्थात् इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक क्रिया–कलापों का हिस्सा बनता है, उसके तौर–तरीकों, मूल्यों एवं मनोभावों का आत्मसात करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति में राजनीतिक चेतना का संचार करता है। इसके माध्यम से लोगों में न केवल राजनीतिक क्रिया–कलापों में रुचि जागृत होती है, वरन् वह राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों एवं अपनी राजनीतिक भूमिका से भी परिचित होता है। वह राजनीतिक रुप से परिपक्व होता है। उसके अंदर राजनीतिक विश्लेषण, निर्णयन तथा चयन करने की क्षमता विकसित होती है। राजनीतिक समाजीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक संस्कृति के हस्तांतरण का परिचायक है। परंतु यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रक्रिया में राजनीतिक संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण संभव नहीं हो पाता बल्कि इस प्रक्रिया में मूल्यों का हस्तांतरण आंशिक परिवर्तन के साथ होता है और इस प्रकार का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आंशिक परिवर्तन लंबे अंतराल के उपरांत व्यापक परिवर्तन के रुप में भी दृष्टिगोचर हो सकता है। इस प्रकार आंशिक फेर–बदल के साथ निरंतरता ही समाजीकरण है। वस्तुतः राजनीतिक समाजीकरण अनुकूलन की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें प्रासांगिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान कर अप्रसांगिक मूल्यों का विलोपन कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया समाज को उसके मूल्यों मान्यताओं एवं प्रतीकों से जुड़ाव प्राप्त करने में मदद करती है।

सीगल का मानना है कि ''राजनीतिक समाजीकरण से अभिप्राय सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत राजनीतिक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते हैं।''

**लेंगटन के अनुसार**– ''राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है।''

**पीटर मर्कल** कहते हैं कि ''किसी राज व्यवस्था के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार की प्रतिकृति को विकसित करने से सम्बद्ध वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन कहा जाता है।''

**डेविड ईस्टन** के अनुसार– ''किस प्रकार से एक प्रौढ़ पीढ़ी युवा पीढ़ी को अपने जैसे प्रौढ़ प्रतिरूप में ढालती है, वह समाजीकरण है।''

राजनीतिक समाजीकरण द्वारा जनमत का निर्माण होता है। विभिन्न विद्वानों ने जनमत की निम्न परिभाषाएं दी हैं–

**ब्राइस के अनुसार–** ''जनमत मनुष्य के विभिन्न दृष्टिकोणों की उस समग्रता को कहते हैं जो सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हो।''

**सोल्टाऊ के अनुसार–** ''जनमत का प्रयोग उन इच्छाओं और विचारों के लिए किया जाता है जो जनता अपने सामान्य जीवन के सम्बन्ध में रखती है।''

**जेम्स यंग के अनुसार–** ''जनमत एक आत्मचेतन समुदाय का सामाजिक निर्णय है जो सामान्य महत्व के विषय पर विचार–विमर्श के बाद लिया जाता है।''

उपर्युक्त कथनों को देखने के बाद हम पाते हैं कि जनमत से अभिप्राय जनता का ऐसा मत होता है जिसका अभिप्राय जनता का हित है।

**अभिकरण**

हर समाज की राज्य में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया या माध्यम लगभग समान होते हैं। इसके बावजूद अलग–अलग समाज में इस प्रक्रिया की गति धीमी या तीव्र हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में राजनीतिक चेतना का विस्तार कितना है तथा राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की सहभागिता एवं सक्रियता कितनी है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में राजनीतिक संरचना समान दिखाई देने के बावजूद कार्य–प्रणाली में भिन्नता पाई जाती है।

समाजीकरण प्रथमतः परिवार से ही प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति राजनीति का प्रथम पाठ भी परिवार में ही पढ़ता है। परिवार के बाद शेष सभी सामाजिक व राजनीतिक संस्थान द्वितीयक भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण जीवन–पर्यन्त सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताएं न केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बल्कि कई बार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवजन करती हैं, तब समाजीकरण के माध्यम से ही वह व्यक्ति स्वयं को उस संस्कृति के अंदर डाल पाता है। कुल मिलाकर, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्म से प्रारम्भ होती है तथा उसकी मृत्यु तक जारी रहती है।

यह प्रक्रिया व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर के हिसाब से हो सकती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यन्त गरीब हो तथा उसका अधिकांश समय अपनी दो वक्त की रोटी को जुटाने में गुजरता हो तथा वह बड़ी मुश्किल से अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा हो। ऐसे में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी दिखाई देती है, क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति या समाज को राजनीतिक गतिविधियों को समझने, या जानने का समय ही कम या नहीं मिल पाता है। ऐसा अक्सर अविकसित और विकासशील देशों में देखने को मिलता है, जबकि विकसित देशों में राजनीतिक समाजीकरण और जनमत का निर्माण भी तीव्र गति से होता है।

राजनीतिक समाजीकरण में परिवार के बाद शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं जहां बच्चा 5 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा में उसे राजनीति और समाज के आधारभूत ज्ञान से परिचित कराया जाता है। वहीं माध्यमिक स्तर पर वह यह जानने लगता है कि उसके और समाज के लिए क्या उपयुक्त है। उच्च शिक्षा जिसमें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हो सकती है, उसमें विश्लेषण और परीक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है जो राजनीतिक समाजीकरण और जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन बनते हैं।

राजनीतिक समाजीकरण और जनमत निर्माण में गाँव या शहरों की चाय की दुकान, गाँव या शहर में ताश खेलने के अड्डे, शराब की कैन्टीन आदि जहां अक्सर राजनीति की बात होती है; वहां व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़; गपशप में राजनीति और समाज की बात होती है। कौन सरकार किसके पक्ष में क्या कर रही है, ये चर्चा के मुद्दे होते हैं जिससे जनमत का विकास होता है। सभी वहां समान होने के कारण हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है, और कई बार देखने में आता है कि एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से कहीं ज्यादा तर्कसंगत बात गाँव का एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा होता है जो राजनीतिक समाजीकरण के लिए जरुरी है। इसके लिए जरुरी नहीं कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही हो।

सहकारी समितियां जो विभिन्न वर्गों की हो सकती हैं; ख़ास तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करती हैं। इन सहकारी समितियों में लाखों परिवार जो गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं, अधिक जुड़े होते हैं। जैसे दुग्ध सहकारी समितियां जैसे अमूल, नन्दनी, पराग और आँचल आदि, किसानों की गन्ना सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी

समितियां जहां से किसानों को अल्पावधि के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयां व खर्च चलाने के लिए उनके हिस्से के हिसाब से कुछ नगदी भी दी जाती है। समितियों के सदस्यों के हित समान होते हैं, और सभी आपस में एक–दूसरे की समस्याओं को जानते व समझते हैं। उनके अपने साझे हित होते हैं। ऐसे स्थानों या सहकारी समितियों में राजनीतिक समाजीकरण और जनमत का निर्माण तेजी से होता है।

इसके अतिरिक्त क्लब, हाउसिंग सोसाइटी में लोग आपस में मिलने और राजनीति की बातें आपस में करते हैं, इससे विचारों का आदान–प्रदान होता है तथा जनमत निर्माण में सहायता मिलती है। जब लोग मन्दिरों, भागवत कथा, तीर्थ स्थानों या पिकनिक या फिर पर्यटन के लिए बाहर जाते हैं तथा वहां वह कई अलग–अलग क्षेत्र और विचारों के लोगों से मिलते हैं तो इससे राजनीतिक समाजीकरण के साथ–साथ जनमत निर्माण में मदद मिलती है। राजनीतिक दल अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर अपनी विचारधारा से प्रभावित कर राजनीतिक समाजीकरण हेतु प्रत्येक वर्ग को को जोड़ने के लिए संगठन में मोर्चा बनाकर और चुनाव व सरकार बनने पर वर्ग और जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। विपक्ष में होने पर सरकार की आलोचना कर जनता तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करते हुए जनमत निर्माण में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। दबाव समूह, ऐच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठन आदि अपने लोगों के हितों की पूर्ति और रक्षा हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। गैर सरकारी संगठन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर राजनीतिक समाजीकरण और जनमत निर्माण में मदद करते हैं।

राजनीतिक समाजीकरण और जनमत निर्माण में मित्र मंडली और संगत का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर सामान्य विचारधारा के लोग एक–साथ मिलना–जुलना, आना–जाना, खाना–पीना, उठना–बैठना पसन्द करते हैं तथा एक–दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके विचारों पर गौर करते हुए अमल में भी लाते हैं; चाहे वो विचार उचित हों या अनुचित। ऐसे में मित्र मंडली और संगत में रखी गई बात ज्यादा प्रभावी होती है तथा उसी दिशा में राजनीतिक समाजीकरण और जनमत का निर्माण होता है।

इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालय, फैक्ट्री, प्रतीक चिन्ह, यातायात और संचार के साधन, शिक्षण संस्थान, पैसेन्जर ट्रेन, बस, मेले, फिल्म, नाटक, कविता, कवि सम्मेलन, साहित्य आदि भी राजनीतिक समाजीकरण और जनमत निर्माण में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुप से भूमिका निभाते हैं।

## मूल्यांकन

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, खेल का मैदान या क्लब, दफ्तर या कार्यालय, राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, ऐच्छिक समूह, गैर सरकारी संगठन, सरकारी तंत्र, प्रतीक चिन्ह, जन–सम्पर्क के साधन इत्यादि शामिल हैं। हर समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया में भी परिवार की भूमिका मुख्य है। इसी संस्था में व्यक्ति अपने संतोष या विरोध के स्वभाव को ग्रहण करता है। भारत में भी परिवार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा करता है। भारत में संयुक्त तथा एकल दोनों ही प्रकार के परिवारों का अस्तित्व है। हालांकि जैसे–जैसे शहरीकरण का विकास होता गया, कृषि पर आधारित जीवन यापन कठिन होता गया और लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे; एकल परिवारों की संख्या बढ़ने लगी और अब इक्कीसवीं शताब्दी में एकल परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। ऐसे में उनके सदस्यों के बीच संपर्क तथा संचार की संभावना अधिक होती है। हालांकि शहरों में अत्यंत व्यस्त जीवन शैली होने से माता–पिता तथा बच्चों के बीच सम्पर्क की न्यूनता भी देखी जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े एवं संयुक्त परिवारों की बहुलता होते हुए भी वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच संपर्क अधिक देखा जाता है। संयुक्त परिवार बच्चों को परिवार के प्रत्येक सदस्य की भलाई के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है तथा उनके प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करता है।

माइरन वीनर अपने भारत संबंधी अध्ययन में यह पाते हैं कि यदि भारतीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तब यहां अनुशासनहीनता की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, साथ ही वे ऐसे वर्ग का निर्माण कर सकते हैं; जो राजनीति और लोकनीति के बीच संबंध को समझेगा तथा देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। भारत में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहुधा विद्यार्थियों का अपना छात्र संघ होता है, जिसके लिए हर वर्ष चुनाव भी होते हैं और सक्रिय राजनीति का प्रारंभिक पाठ भी उन्हें सीखने को यहीं से मिलता है। कई बार छात्र संघ के नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय राजनीतिक दलों की युवा शाखा में भूमिका भी देखी जाती है। भारत में छात्र राजनीति से प्रारम्भ कर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले राजनेताओं की संख्या अत्यधिक है।

वर्तमान समय में राजनीतिक समाजीकरण तथा जनमत निर्माण में विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसमें आर्थिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सम्पन्न और सुविधाओं से युक्त लोगों में राजनीतिक समाजीकरण तेजी से होता है तथा जनमत निर्माण की प्रक्रिया भी तेज होती है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में जातिगत, सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व राजनीति में भाई–भतीजावाद के कारण यह समय–समय पर बाधित भी होते हैं तथा इसका नकारात्मक प्रभाव

भी पड़ता है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि जनता हर सरकार या दल को सन्देह की नजर से देखती है। इसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा बड़े–बड़े लोक लुभावन वादे होते हैं, जिनमें बेरोजगार व्यक्ति नेताओं को एक आशा भरी नजर से देखता है और उनके लोक लुभावन वादों से प्रेरित होकर अधिकाधिक संख्या में मतदान करने को जाता है। वहीं दूसरी ओर सुविधा सम्पन्न लोगों में राजनीतिक समाजीकरण और जनमत का निर्माण तेजी से होता है लेकिन वह भारत जैसे देश में आम आदमी के साथ पंक्ति में खड़े होकर मतदान करना कम पसन्द करता है।

## निष्कर्ष

राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्ति अपनी पूर्व की पीढ़ी से सीखता है जिसमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, क्लब आदि होते हैं, जिससे राजनीतिक स्थायित्व आता है। जब व्यक्ति अपनी पूर्व की पीढ़ी या विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सीखता है तो यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज चाहे वह विकासशील हो, विकसित हो; वह अपनी पीढ़ी को समाज की स्वीकृत राजनीतिक संरचना के अनुरूप बदलना चाहता है। राजनीतिक समाजीकरण की नींव व्यक्ति के विकास के प्रारम्भिक चरण में रख दी जाती है परन्तु यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तत्व अपना योगदान देते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम जनमत का निर्माण होता है। इससे राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के सन्दर्भ में सहमति पर आधारित जनमत बना रहता है। यह समाज में आदर्शों और मूल्यों के प्रति सहमति उत्पन्न करके सामाजिक समरसता उत्पन्न करता है तथा इससे समाज में स्थिरता और निरन्तरता बनी रहती है।

## संदर्भ

1. माइकल, रश., फिलिय, एल्तौफ. (1971). एन इन्ट्रोडक्सन टू पालिटिकल सोसियोलॉजी. लंदन नेशनल. पृष्ठ **1.**
2. ईस्टन, डी., डेनिम, जे. (1969). चिल्डरेन इन दी पालीटिकल सिस्टम ऑरिजिन ऑफ पालीटिकल लेजिटिमेसी. मेक्ग्रॉ–हिल्सः न्यूयॉर्क. पृष्ठ **7.**
3. माइरन, वीनर. (1962). दी पालिटिकल स्कार्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेसः शिकागो. पृष्ठ **185.**
4. शर्मा, एल. एन., मुरारी, कृष्ण. (2014). राजनीतिक समाजशास्त्र : 21वीं सदी के बदलते संदर्भ में. ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा0 लि0. पृष्ठ **233,236.**
5. वर्मा, एस. पी. (1975). मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी. विकास पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **275.**

9

# भारत में आपराधिक न्यायिक प्रणाली में त्वरित सुधार की आवश्यकता एवं संभावनाएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**विनय कुमार**
असिस्टैंट प्रोफेसर, विधि विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

***सारांश***

*स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका स्वस्थ और विकसित शासन प्रणाली का एक स्तम्भ माना जाता है। न्यायपालिका जितनी ही सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, न्याय प्रशासन उतना ही विश्वसनीय, पारदर्शी और सर्व–स्वीकार्य होगा। भारत मे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1950 मे स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 73 वर्ष बाद आज भी इस बात की अनुभूति की जा रही है कि शीघ्र और सस्ता न्याय सामान्य व्यक्ति की पहुँच से कोसों दूर है। न्याय प्रणाली अनेक दुर्गुणों और दुर्व्यवस्थाओं से ग्रसित है तथा उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर राजनीतिक हस्तक्षेप का वर्चस्व एवं नियन्त्रण होता जा रहा है। न्याय प्रणाली की बिगड़ती हुई स्थिति का आकलन स्वयं पूर्व राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किये गये उद्‌गार से किया जा सकता है, जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर व्यक्त किया गया था– "अदालतें इबादतगाह नहीं बल्कि जुआघर हैं, जहाँ बहुत कुछ गोटी की चाल पर निर्भर करता है।" राष्ट्रपति के अभिभाषण के इस अंश की पुष्टि भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति डॉ० ए० एस० आनन्द के उद्‌गार से भी होती है कि यदि लोगों को निष्पक्ष, त्वरित और कम खर्चों पर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग कानून का रास्ता अपनाने के बजाय कानून को अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं।*

***मुख्य शब्द***

*आपराधिक न्याय, त्वरित सुधार, न्यायपालिका, विचारण, अन्वेषण, अभियोजन, न्यायाधीश।*

"मुझे देखकर अत्यन्त दुःख होता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने की कगार पर है, ये शब्द काफी कठोर हैं, परन्तु इन शब्दों में काफी पीड़ा निहित है।"

**– पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी० एन० भगवती (26 नवम्बर 1985)**

**प्रस्तावना**

वास्तविकता यही है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इतनी सुस्त, महँगी और जटिल है कि लोकतंत्र के इस तृतीय स्तम्भ (न्यायपालिका) पर से आम व्यक्ति का विश्वास डिगने लगा है। यदि यही प्रक्रिया आगामी कुछ दशकों तक चलती रही तो कोई संशय नही कि पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा न्यायिक प्रक्रिया पर व्यक्त किया गया उद्‌गार सत्य साबित हो जाये। वस्तुतः अब विधिज्ञों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं जनसामान्य द्वारा भी यह खुलकर कहा जाने लगा है कि हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली समय और परिस्थिति के अनुसार अचित नहीं है और इसमें अनेक सुधारों की आवश्यकता है। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया का आरम्भ किसी अपराध के घटित होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद दर्ज होते ही प्रारम्भ हो जाता है और तत्पश्चात् अन्वेषण, जाँच आरोप विचारण, अभियोजन एवं प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा साक्ष्यों पर आधारित बहस और दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार सम्पूर्ण आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित 5 तत्वों का समावेश होता है–

1 मुकदमे का थाने/न्यायालय में पंजीकृत किया जाना
2 अभियोजन वर्ग/अधिवक्ता वर्ग का कार्य

3 आपराधिक न्यायिक प्रणाली में न्यायालय की भूमिका

4 विधिक प्रावधान व आपराधिक न्यायिक प्रणाली में वर्तमान विधिक व्यवस्था

5 आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सरकार की भूमिका।

उपर्युक्त तत्वों के आलोक मे यदि परिवाद पंजीकृत होने के बाद निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निरीक्षण एवं अन्वेषण के बाद अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ की जाये और कृत्य अपराध से सम्बन्धित विधि के अधीन न्यायालय पारदर्शिता से अवलोकन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियमों के अधीन अपना निर्णय सुनाये तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़ित पक्षकार को उचित, त्वरित और सस्ता न्याय न मिले, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित एक–एक कदम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी दुर्व्यवस्था से ग्रसित है जिसके कारण हमारी न्यायिक प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। उपरोक्त बिंदुओं का वर्णन निम्न प्रकार है–

## आपराधिक मामलों का संबंधित थाने अथवा न्यायालय में पंजीकृत किया जाना

न्याय प्रशासन के प्रारम्भिक चरण में सर्वप्रथम परिवाद पंजीकृत किया जाता है जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर शिकायत पंजीकृत करना पुलिस अधिकारी का विधिक कर्त्तव्य है किन्तु अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता है। प्रायः पुलिस थानों पर शक्तिशाली पक्ष का दबाव एवं पुलिस से उनकी मिली भगत से न केवल इस प्रक्रिया का दुरूपयोग होता है अपितु पीड़ित पक्षकार को और अधिक पीड़ित होना पड़ता है। बलात्कार के मामलों में तो यह स्थिति और भयावह होती है, परिस्थिति तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के या राजनीतिक हस्तक्षेप से यदि मामला पंजीकृत भी कर लिया जाता है तो इसकी अगली कार्यवाही में अपराध एवं साक्ष्य इस हद तक प्रभावित कर दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष को वह वाद जीतने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। कभी–कभी इसके विपरीत स्थिति यह भी बनती है कि झूठा मुकदमा या तो दर्ज किया जाता है या करवाया जाता है, जिसकी परिणति न केवल किसी पक्षकार के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक स्तर के पतन से होती है अपितु विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया भी हास्य का पात्र बनती है।

## अभियोजन वर्ग एवं अधिवक्ता वर्ग के कार्य

न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा कदम अधिवक्ता वर्ग पर टिकता है। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अभियोजन का प्रारम्भ प्रथम सूचना रिपोर्ट या उस पर आधारित आरोप पत्र से प्रारम्भ होता है जिसका श्री गणेश सहायक अभियोजन अधिकारी या लोक अभियोजन द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ अभियुक्त पक्ष का अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के प्रश्नों का प्रतिरक्षात्मक उत्तर देता है। सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता वर्ग वर्तमान लचर न्यायिक प्रणाली एवं विधिक प्रावधानों की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया को लम्बा खींचते हैं जिससे न केवल न्याय में देर होती है अपितु पीड़ित पक्षकारों को अनावश्यक मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक यातना झेलनी पड़ती है। जहाँ तक अभियोजन पक्ष का प्रश्न है इनकी अपनी समस्या है। वस्तुतः अभियोजन पक्ष पूर्णतः पुलिस–प्रशासन, अभियोजन एवं न्यायालय के त्रिकोण से स्थापित होता है। अभियोजन कार्यवाही लोक अभियोजक द्वारा तो की जाती है किन्तु वह पूर्णतया पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों एवं तथ्यों पर निर्भर रहता है और पुलिस स्वयं निष्पक्ष रूप से कार्य करने में पूर्णतः असंदिग्ध नहीं है। उस पर न केवल अभियुक्त पक्ष अपितु प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव रहता है। इसके कारण सम्पूर्ण मामला संदिग्ध हो जाता है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष का अधिवक्ता हर सम्भव प्रयास करता है कि अभियुक्त दोषी होने पर भी बच जाय, इसके लिए वह अनावश्यक साक्ष्य, झूठी गवाही, किसी न किसी कारण से वाद की तारीख बढ़वाना या फिर स्वयं किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त या अन्य कारण से अनुपस्थित होने का तरीका अपनाता है। इन अधिवक्ताओं की इन प्रणालियों से न केवल न्यायिक प्रणाली बाधित होती है अपितु सम्बन्धित पक्षों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

## आपराधिक न्यायिक प्रणाली में न्यायालय की भूमिका

तृतीय स्तर पर यदि न्यायालयों की बात की जाय तो वह भी न्यायिक प्रणाली को दूषित करने में कम दोषी नही हैं। यह बात भिन्न है कि वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं न्यायालय ही नहीं अपितु विधिक प्रावधान, सरकारी अक्षमता एवं भ्रष्टाचार बराबर के दोषी हैं। न्यायालय स्तर पर वादों की अधिकता, लम्बित वादों की संख्या में निरन्तर एवं अप्रत्याशित वृद्धि, विधि के प्रक्रियात्मक प्रावधानों का अपालन, अधिवक्ताओं का असहयोग, अनावश्यक एवं निराधार साक्ष्यों के आधार पर न्यायालीय समय का दुरूपयोग, क्षेत्राधिकारहीनता एवं अधिकारातीत शक्ति का प्रयोग एवं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घुसपैठ तथा सरकारी हस्तक्षेप के रूप में न्यायिक प्रणाली के दोष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये सभी एक दूसरे से इस प्रकार सह–सम्बद्ध हैं कि एक दोष को दूर करते करते–करते दूसरा दोष न्यायिक प्रक्रिया पर हावी हो जाता है जिसका परिणाम है कि कच्छप गति की न्यायिक प्रक्रिया तथा विलम्बित और महँगा न्याय प्राप्त करने के लिए जनसामान्य बाध्य हो रहा है। आज हमारे समक्ष अनेक उदाहरण हैं जिसने इस वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया की कलई खोलकर रख दी है।

## उच्चतम न्यायालय की भूमिका

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने 'हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार' (1979) के वाद में कैदियों का शीघ्रतर परीक्षण एवं

निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने को संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'जीवन' को एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया है और; 'रूदल शाह बनाम बिहार राज्य' (1983) के वाद में अभियुक्त को उन्मुक्त किए जाने के बाद भी कारावास में 14 वर्ष तक रखने पर क्षतिपूर्ति दिए जाने की परम्परा भी प्रारम्भ कर दी है, फिर भी न्याय में विलम्ब एवं अनुचित कारावास की परम्परा अभी तक जारी है। जहाँ तक विचाराधीन कैदियों का प्रश्न है, इनकी स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। इस सन्दर्भ में भी 'आर0 डी0 उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य' के वाद में महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ विचाराधीन कैदियों को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को चुस्त–दुरूस्त करने के लिए 'सर्वोच्च न्यायालय कामन काज बनाम भारत संघ' (1996), 'ए0 आर0 अन्तुले, बनाम आर0 एस0 नाईक' (1988), 'राजस्थान राज्य बनाम अनिल' (1997) और 'राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य' (1998) के वादों में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिए जाने के बाद भी अभी न्यायिक प्रक्रिया में विशेष परिवर्तन न आना गम्भीर चिन्तन का विषय बना हुआ है।

'राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य' (1998) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान न्यायिक प्रणाली पर टिप्पणी इस तथ्य को स्वयं स्पष्ट कर सकती है– ''सामान्यतः तीन वर्ष तक की कारावास के मामलों का वर्षों तक लटके रहना, निर्धन और असहाय व्यक्तियों की वर्षों तक जमानत न हो पाना, लम्बी न्यायिक प्रक्रिया का दमन रूपी हथियार बन जाना, विधिक सहायता प्राप्त करने में असमर्थता, पुलिस की निष्क्रियता, तारीखों का निरन्तर बढ़ते रहना, आम व्यक्ति का न्यायालयों में आने से संकोच तथा न्याय की आशा का त्याग किया जाना हमारी न्यायालीय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे में व्यक्ति न्यायालय से न्याय न मिले तो वह कहाँ जायेगा।'' इन सब बातों के अतिरिक्त नया तथ्य यह प्रकट हो रहा है कि अब तक स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी मानी जाने वाली न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार के आगोश में है, न्यायालय के कुछ न्यायाधीश निर्णय को प्रभावित करने के लिए रिश्वत या अन्य आर्थिक लाभ ग्रहण करते हैं या उन्होने अपनी प्रशासनिक क्षमता के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता बरती है। कुछ न्यायाधीशों के ऊपर अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के आरोप लगाये जा चुके हैं।

## आपराधिक न्यायिक प्रणाली में वर्तमान विधिक व्यवस्था

न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाली चौथे कारण में वर्तमान विधिक व्यवस्था को लिया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया; मुख्यतः वह अधिनियम या संहिता जिसके अन्तर्गत कोई अपराध घटित हुआ है, के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा संचालित होती है किन्तु परिस्थितिनुसार अन्य अधिनियमों का भी सहारा लिया जाता है। भारत में अपराधों की वृहत् संहिता भारतीय दण्ड संहिता 1860 प्रवृत्त है और यह इतनी विशद है कि मानव द्वारा कृत्य कोई भी अपराध शेष नहीं है। इसके बावजूद यहां लगभग हजारों से भी अधिक अधिनियम प्रवृत्त हैं जो अंग्रेजी काल में ही अधिनियमित किए गए थे। कुछ वर्ष पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग ने लगभग 1300 अधिनियमों को निरस्त या संशोधित किए जाने का सुझाव दिया था। इन सुझावों के आलोक में मोदी सरकार द्वारा 2017 में 1200 पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया, फिर भी किसी अपराध के घटित होने पर न केवल भारतीय दण्ड संहिता अपितु अनेक प्रवृत्त अधिनियमों को भी लागू कर दिया जाता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुलझने के बजाय और अधिक जटिल होती जाती है। कभी–कभी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर कई अधिनियमों के अन्तर्गत आरोप लगाया जाता है, इससे साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं प्रतिरक्षा करने में अपेक्षाकृत अधिक न्यायालीय समय का नुकसान होता है। वस्तुतः न्यायिक विलम्ब का एक बड़ा कारण यह भी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन का संचालन किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के बाद पुलिस अधिकारी अन्वेषण कार्य स्वयं या मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रारम्भ करता है जिसके बारे में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 धारा 154 से 176 में वर्णित है किन्तु अधिकांश मामलों में यह देखा गया कि पुलिस की निष्क्रियात्मक त्रुटि के कारण सम्बन्धित अपराध सम्बन्धी तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाता है। यद्यपि धारा 167 के अन्तर्गत पुलिस को 60 से 90 दिन के अन्दर अन्वेषण कार्य पूर्ण करना होता है किन्तु इस प्रक्रिया का पालन व्यवहारतः बहुत कम हो पाता है। टाडा मामले में यह अवधि 180 से 365 दिन तक बढ़ायी गयी थी और यह अवधि अन्य सभी मामलों के लिए एक परम्परा बन चुकी है और धारा 167(5) एवं (6) के अन्तर्गत विशेष कारणों या न्याय हित की आड़ में एक ओर तो अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा जाता है वहीं दूसरी तरफ मामले को विलम्बित भी किया जाता है। इस अन्तराल के बीच प्रायः अभियुक्त अपने प्रभाव से साक्ष्यों को नष्ट करने या अन्य प्रभाव से बचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब तक का इतिहास यही रहा है कि हमारी जांच एजेंसियां अधिकांश मामलों में असफल रही हैं और अभियुक्तों को अन्ततः बरी करना पड़ा। हवाला काण्ड, प्रतिभूति घोटाला आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं।

## आपराधिक न्यायिक प्रणाली में विचारण के विभिन्न चरण

अगले चरण में अभियुक्त को सम्मन या गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया जाता है (दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 204) किन्तु अधिकांश मामलों मे अभियुक्त फरार रहते हैं और मामला तब तक लटका रहता है जब तक कि वह गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। इस स्थिति से भी निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस चरण से आगे बढ़ा जाय तो मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान काल 6 माह से लेकर 3 वर्ष निर्धारित किया गया है (धारा 468)। यह एक चिन्तन और मंथन का विषय है कि जब किसी अपराध के केवल संज्ञान लेने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जा रहा है तो उस अपराध की शेष प्रक्रिया कितने

वर्ष तक जारी रह सकती है और इससे पीड़ित पक्षकार को कितना न्याय मिल पाएगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत प्रक्रिया (धारा 436 से 450) भी अत्यधिक लचीली है यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" की अवधारणा विकसित कर चुका है किन्तु इसी सिद्धान्त का लाभ उठाकर गम्भीर अपराधों के अभियुक्त भी फरार होने का प्रयास करते हैं। पुलिस से पूर्णतया सहयोग करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करने और न्यायालय या जांच एजेंसी की अनुमति के बिना देश न छोड़ने के प्रतिबंधों के साथ जमानत धनराशि के जब्त होने की चिन्ता किए बिना ऐसे अपराधी न्यायिक प्रक्रिया को धोखा देने में कोई कसर नही छोड़ते हैं।

अपील की अनेक सम्भावनाओं (सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) की प्रक्रिया में न्याय प्रक्रिया विलम्बित होती है। इसे सीमित करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। अन्ततः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधान भी न्यायिक प्रक्रिया की सुगमता में बाधा डालते हैं। एक तरफ जहाँ अभियोजन पक्ष (पुलिस, अभियोजन एवं न्यायालय) में तालमेल का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष इसका लाभ उठाकर साक्ष्यों एवं साक्षियों की अधिकता से न्यायालय को उलझाये रहते हैं। यद्यपि साक्ष्यों एवं साक्षियों की ग्राह्यता का अन्तिम निर्णय न्यायालय को करना होता है किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि पुलिस, अभियोजन, प्रतिपक्षी अधिवक्ता सभी न्यायालय का सहयोग करें। किन्तु व्यवहारतः न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्णतः अपराधी को सजा दिलाना नहीं अपितु एक दूसरे की कमियों (तथ्य, साक्ष्य एवं विधि) को सामने लाना होता है। यह सत्य है कि न्यायालय सभी अभियुक्तों को तब तक निर्दोष मानती है जब तक कि उसे दोषसिद्ध नहीं घोषित कर दिया जाता है किन्तु सम्पूर्ण कार्यवाही में यह भी देखा जाना चाहिए कि मामले में निर्णय नहीं अपितु न्याय हो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने अपने अधिवक्ता काल की एक संस्मरण में इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है, पटना के एक न्यायालय में उन्होंने न्यायाधीश से कहा– ''श्रीमान इस मुकदमे में न्याय की यह माँग है कि.....''; इस पर हस्तक्षेप करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि "न्यायाधीश यहाँ न्याय करने के लिए नही हैं बल्कि अभिलेख में दिए गए साक्ष्यों के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने के लिए है।" दशकों पूर्व किसी न्यायाधीश की यह गर्वोक्ति आज स्वतंत्र भारत में उसकी मजबूरी के रूप में परिवर्तित होने लगी है। इसका उदाहरण 'प्रियदर्शिनी मट्टू बलात्कार एवं हत्या काण्ड' से सत्र न्यायाधीश जी0 पी0 धरेजा का निर्णय है जिसमें उन्होनें लिखा कि "वह स्वयं यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है जिसका उस पर आरोप था, वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का पुत्र है, अतः उसे बचाने के लिए साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया। जाँच एजेंसियों (सी0बी0आई0) ने भी साक्ष्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर डाले हैं। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को बरी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।" यद्यपि इस निर्णय के विरूद्ध अपील किए जाने की घोषणा कर दी गयी किन्तु इसकी गूँज संसद तक उठी थी। वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ बलात्कार और हत्या के लिए सन्तोष को दोषी ठहराया तथा मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई। अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में सजा को बरकरार सखा लेकिन मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

## आपराधिक न्यायिक प्रणाली और सरकार की भूमिका

उपर्युक्त विवेचना के बाद पाँचवें एवं अन्तिम स्तर पर केन्द्रित स्वयं सरकार भी वर्तमान न्यायिक प्रणाली के दूषित होने में उतना ही उत्तरदायी है जितना कि स्वयं उपर्युक्त परिस्थितियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति डॉ0 ए0 एस0 आनन्द ने निर्भीकता पूर्वक अपना वक्तव्य दिया था कि ''न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति के लिए सरकार भी कुछ कम दोषी नही हैं।'' यह वक्तव्य निराधार नहीं है। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विधि आयोग ने अपनी कई रिपोर्टों में अनेकों सुझाव व सिफारिशें की थीं किन्तु सरकार ने उस पर अमल करने का प्रयास नहीं किया अपितु न्यायपालिका के राजनीतिकरण का प्रयास अवश्य किया गया जो आज तक जारी है।

विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 114, 116, 146, 230, 239 व 245 मुख्यतः जो न्यायिक सुधार से ही सम्बन्धित हैं; इन पर पूर्ण रूप से आज तक विचार नहीं किया गया। ग्राम न्यायालय की स्थापना, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन, न्यायाधीशों की समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन तथा 5000 नये न्यायालयों की स्थापना आदि सिफारिशें विधि आयोग कर चुका है किन्तु इनमें से एक को भी पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सरकार ने दृढ़ इच्छा, ईमानदारी और निष्ठा का परिचय नहीं दिया। इसके विपरीत सरकार ने समय–समय पर न्यायपालिका के पर कतरने का असफल प्रयास अवश्य किया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, निर्णयों को प्रभावित करना तथा न्यायपालिका की वित्तीय सुदृढ़ता की उपेक्षा इत्यादि मुख्य हैं।

## आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव

अभी भी समय है जब सरकार वर्तमान न्यायिक प्रणाली में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकती है। उसमें सुधार ला सकती है और जन सामान्य को यह विश्वास दिला सकती है कि उनको न्याय प्राप्त होगा। पहले से कार्यपालिका (प्रशासन एवं राजनीति) की निष्क्रियता, कर्तव्यबोध हीनता एवं भ्रष्टाचार के बोझ से त्रस्त जन सामान्य में अब न्यायपालिका के प्रति भी असन्तोष, अविश्वास और निराशा की भावना बढ़ी है जिसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें न्यायालय से आशातीत सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अतः गम्भीर रूप से धीरे–धीरे लकवे से ग्रस्त होती जा रही आपराधिक न्यायिक प्रणाली को स्वस्थ्य करने के लिये कुछ त्वरित व कठोर निर्णय लेने होंगे। न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिय जा सकते हैं–

1. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रणाली की सर्वाधिक गम्भीर समस्या लम्बित वादों की है। दिसम्बर 1999 में एक सम्मेलन में मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे0 एस0 वर्मा ने अपना विचार व्यक्त किया था कि "यदि देश में मामलों की सुनवाई की यही गति रही तो न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलों को निपटाने में 350 वर्ष लगेंगे।" इस समय देश के 25 उच्च न्यायालयों तथा 672 जिला न्यायालयों में कुल 5 करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं। वस्तुतः इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या की तुलना में वादों की संख्या में वृद्धि होना है किन्तु उसी अनुपात में न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न होना है। वर्तमान में भारत में न्यायाधीशों की संख्या 21 प्रति दस लाख जनसंख्या पर है जबकि यही अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन में 150 तथा कनाड़ा में 75 है। वर्तमान में दिसम्बर 2022 तक भारत के सभी जिला न्यायालयों में 25628 जज कार्यरत हैं। एक न्यायाधीश के ऊपर प्रतिदिन 4000 मुकदमों का बोझ है जिसे निपटाना किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। अतः यह पहली आवश्यकता है कि जनसंख्यीय अनुपात में न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाये।
2. न्यायिक सुधार हेतु गठित अब तक की समितियों (रनकित 1924, सतीश चन्द 1986, मालवीय 1993) की सिफारिशें एवं विधि आयोग के सुझावों पर शीघ्र अमल करने हेतु भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति जे0 एस0 वर्मा समिति 2013 ने न्यायिक व्यवस्था में विलम्ब पर अपनी टिप्पणी की थी कि "औद्योगिक विषमता, नये एवं अव्यावहारिक अधिनियमों में वृद्धि ही न्याय में विलम्ब का मुख्य कारण है किन्तु अब न्यायिक व्यवस्था में कुप्रबन्ध भी इसका एक कारण बन चुका है।" इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें।
3. यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में अब तक (1973 से 2022) अनेकों बार संशोधन किए जा चुके हैं किंतु आज भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं आवश्यकतानुरूप संशोधित किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
4. अधिवक्ता वर्ग की ओर से होने वाले अनावश्यक विलम्ब यथा तारीखों का बढ़वाना, किसी न किसी कारण से न्यायालय से अनुपस्थित रहना, अधिवक्ताओं की हड़ताल, अनावश्यक एवं निराधार साक्ष्यों तथा साक्षियों के प्रस्तुतीकरण से न्यायालीय समय की उपेक्षा, सूचक प्रश्नों के द्वारा मामले को उलझाये रखना इत्यादि प्रवृत्तियां न्यायालय के समय को अनावश्यक रूप से नष्ट करना है, अतः अधिवक्ता एवं न्यायाधीश संयुक्त प्रयास से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं।

## निष्कर्ष

एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वीकार्य न्याय के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीश भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पक्षपात से दूर रहें। इसके लिए एक योग्य, कुशल और निष्पक्ष न्यायाधीश का होना आवश्यक है। अतः सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ न्यायिक कार्यों पर भी निगरानी रखने के लिए एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका की सुधार सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं पर शीघ्र अमल किया जाना समय की मांग है जिनमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा प्रारम्भ किया जाना, न्यायाधीशों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान की स्थापना, उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष किया जाना मुख्य हैं।

उपर्युक्त संशोधनों के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायिक प्रक्रिया अब पूर्णतः स्वच्छ, स्वतंत्र, पारदर्शी और सर्व सुलभ हो गयी है। वस्तुतः प्रत्येक सुधार की मांग तब तक उठती रहेगी जब तक तत्कालीन व्यवस्था न्यायोचित न हो। वस्तुतः सुधार की प्रक्रिया समय एवं माँग के साथ एक गतिशील अवधारणा है और एक सुव्यवस्थित न्याय प्रशासन तभी स्थापित हो सकता है जबकि विधि, संविधान एवं न्यायालय देश के नागरिकों को उनके नागरिक एवं मानवीय अधिकार न्यायपूर्ण ढंग से प्रदान कर सकें। हमारे देश की वर्तमान न्यायिक प्रणाली मुख्यतः सदियों पूर्व अंग्रेजी शासन की देन है तब ये प्रणाली हम पर शासन करने के लिए विकसित की गयी थी, किन्तु आज हम स्वतंत्र हैं। अतः न्याय प्रक्रिया व विधियों को आम जनता के अनुरूप होना ही चाहिए।

## संदर्भ

1. (2000). सामयिक पॉलिटिकल एण्ड़ लॉ टाइम्स. अक्टूबर. अंक 12. वर्ष–8.
2. मिश्र सूर्य नारायण. (1973). दण्ड़ प्रक्रिया संहिता. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
3. चतुर्वेदी, मुरलीधर., बावेल, बसन्ती लाल. लाल, रतन., लाल, धीरज. (1860). भारतीय दण्ड संहिता।
4. सिंह, अवतार., यादव, राजाराम. (1872). भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
5. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायण. (1950). भारत का संविधान।
6. विधि आयोग की 114, 116, 146, 230, 239 व 245वीं रिपोर्ट।
7. विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाएं।
8. न्यायिक सुधार विकिपीडिया।

10

# साइबर अपराध और विधि : भारतीय परिप्रेक्ष्य

**राजदेव सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, विधि विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

***सारांश***

*यह सर्वविदित है कि किसी भी वैज्ञानिक अविष्कार का जहाँ एक ओर लाभकारी प्रयोग होता है, वहीं दूसरी तरफ उसका विनाशकारी उपयोग भी किया जा सकता है। साइबर अपराध तकनीक के विनाशकारी प्रयोग की कोटि में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में तकनीक जहाँ नित्य नई–नई ऊँचाईयों को छू रही है, साइबर अपराधियों ने भी अपने अपराध का दायरा और बढ़ा दिया है। जहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने व्यापार को भलीभाँति बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही हैं, वहीं संगठित अपराधी भी अपराधों को नया आयाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत में स्मार्टफोन की की सस्ती कीमत व डेटा की स्पीड़ में वृद्धि (4जी से 5जी) ने इंटरनेट उपभोगकर्ताओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि की है। इन इंटरनेट उपभोगकर्ताओं में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो साइबर जागरूकता से परिचित ही नहीं हैं। साइबर अपराधी ऐसे लोगों को आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गये हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार की ओर से अनेक कदम उठाये गये हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित करके इस दिशा में सफलता प्राप्त की जा सकती है।*

***मुख्य शब्द***

*इंटरनेट, साइबर स्टॉकिंग, हैकिंग, कम्प्यूटर, वायरस, साइबर आतंकवाद, स्पूफिंग, एबाकस, पोर्नोग्राफी आदि।*

**प्रस्तावना**

21वीं सदी सूचना क्रांति का युग है। हर तरफ कम्प्यूटर और इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। पलक झपकते ही माउस की एक क्लिक पर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आप विचरण कर सकते हैं, हर उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, जो आपके दिमाग में उठ रहा है। सूचना क्रांति के इस युग में जहाँ अधिकांश लोग इससे लाभांवित हो रहें हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तकनीक से उचित लाभ उठाने की बजाय अनुचित लाभ ले रहे हैं, तकनीक का दुरूपयोग कर रहे हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है। आज हम जितनी तेजी से आभासी दुनिया की ओर बढ़ रहें हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब्स इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके सम्बंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

**साइबर स्पेस और साइबर अपराध**

साइबर स्पेस एक आभासी दुनिया है, वास्तव में ऐसी कोई दुनिया नहीं है। साइबर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1948 में विलियम गिब्सन जो विज्ञान गल्फ (काल्पनिक विज्ञान कथायें) लिखते थे; की पुस्तक 'न्यूरान एन्सन' में किया था। साइबर स्पेस को हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की सूचनाओं का प्रवाह अन्तरिक्ष में जिस मार्ग से होता

है जिसे हम सूचना परिपथ भी कह सकते हैं, उसे साइबर स्पेस कहा जाता है। शोध एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान के एक यंत्र के रूप में विकसित इंटरनेट का उपयोग अब ई–कॉमर्स, ई–बिजनेस, ई–गवर्नेंस और ई–एजुकेशन के रूप में होने लगा है। साधारण मोबाइल फोन का स्मार्ट फोन में बदलना तथा इंटरनेट की गति 4जी से बढ़कर 5जी में पहुँचना जहाँ एक तरफ लोगों के सामान्य जन–जीवन को आसान बना रहें हैं, वहीं इनके दुरूपयोग करने वालों की संख्या में भी गुणात्मक वृद्धि हुई है।

आज हम सभी की कम्प्यूटर, लैपटॉप व स्मार्टफोन पर निर्भरता बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। सस्ते एवं सर्वसुलभ इंटरनेट के कारण एक कम्प्यूटर या स्मार्टफोन का दूसरे कम्प्यूटर या स्मार्टफोन से जुड़ाव बना रहता है। इसी इंटरनेट के कारण ही अपराधीगण आसानी से अपराध को अंजाम दे पाते हैं और ऐसे अपराधियों को पहचान पाना और उनके खिलाफ कार्यवाही कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इंटरनेट के जरिये बाहर सुदूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति भारत या किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति से धन की उगाही कर सकता है या किसी प्रख्यात व्यक्ति के मान–सम्मान को हानि पहुँचा सकता है या अति गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को गैरकानूनी ढंग से असामाजिक तत्वों या दुश्मनों तक भेज सकता है।

**साइबर अपराध क्या है?**

साइबर अपराध को सामान्यतः कम्प्यूटर/स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़े हुए अपराध के रूप में माना जाता है। साइबर अपराध का तात्पर्य ऐसे अवैध कृत्य से है, जिसमें कम्प्यूटर, स्मार्टफोन या तो संचार युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे साइबर आतंकवाद, आई.पी.आर. उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि का लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे– हैकिंग, वायरस हमले आदि या दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कम्प्यूटर अपराध नियंत्रण और निवारण मैनुअल के अनुसार साइबर अपराध ऐसा अपराध है जिसमें ठगी, जालसाजी और अनाधिकृत प्रवेश सम्मिलित होता है। यूरोपियन साइबर अपराध संधि परिषद के अनुसार साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो डेटा तथा प्रतिलिप्याधिकार के विरूद्ध किया जाता है। सरल शब्दों में साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रानिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कम्प्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है।

**साइबर अपराध का विकास**

साधारणतया "साइबर अपराध" का तात्पर्य ऐसे अपराधों से है, जो कम्प्यूटर अथवा संचार युक्ति के माध्यम से किए जाते हैं। अतः साइबर अपराध के विकास को जानने के लिए पहले कम्प्यूटर के विकास को जानना आवश्यक है। सामान्यतः एबाकस को कम्प्यूटर का सबसे प्रारम्भिक रूप माना जाता है जिसकी उत्पत्ति लगभग 3500 ई0 पू0 में मानी जाती है तथा चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाए गये विश्लेषणात्मक इंजन को सामान्यतः आधुनिक कम्प्यूटर युग की शुरूआत माना जाता है, इसलिए चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कम्प्यूटर का पिता कहा जाता है। कम्प्यूटर की दुनिया में सबसे पहला अभिलिखित साइबर अपराध सन् 1820 में हुआ था, जो जोसेफ मैरी जेकार्ड के कर्मचारियों की अपने मालिक द्वारा उनके बुनाई के कार्य की जाँच करने के लिए प्रयुक्त की गई नई तकनीक के प्रयोग को हतोत्सहित करने के लिए कारित किया गया था।

**साइबर अपराध के प्रकार**

प्रमुख साइबर अपराध इस प्रकार हैं– वित्तीय अपराध, बौद्धिक सम्पदा अपराध, साइबर मानहानि, साइबर कूटरचना, ऑनलाइन जुआ, ई–मेल बमबाजी, अवैध वस्तुओं का विक्रय, साइबर अश्लील लेखन, अश्लील MMS, SMS तथा E- Mail भेजना/फोटोग्राफी, ई–मेल, SMS स्पूफिंग, ट्रोजन्स की–लागर्स, कपट, वेब जैकिंग, सालामी आक्रमण, सेवा से इन्कार आक्रमण, वायरस आक्रमण, डाटा डिडलिंग, वेबसाईट डिफेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, इन्टरनेट पर चोरी, साइबर आतंकवाद, हैकिंग (अनाधिकृत पहुँच) आदि। इन विभिन्न साइबर अपराधों को सुविधा के लिए हम निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रेणियों में बाँट सकते हैं–

(क) **व्यक्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–** ऐसे अपराध यद्यपि ऑनलाइन होते हैं, परन्तु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न एंव साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल है। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के विरूद्ध दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है।

(ख) **सम्पत्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–** कुछ साइबर अपराध सम्पत्ति के खिलाफ होते हैं जो किसी कम्प्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किये जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्टॉकिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आई.पी.आर. उल्लंघन आदि शामिल हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति आपको कोई एक वेब लिंक भेजे जिस पर क्लिक करने के पश्चात् एक वेब पेज खुले, जहाँ आपसे आपके बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज से सम्बन्धित सारी जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार की ओर से मांगी जा रही है, आप वहाँ सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज एवं बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो यह सम्पत्ति के विरूद्ध साइबर अपराध कहा जायेगा।

**(ग) सरकार विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–** यह सबसे गम्भीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार या सरकार के किसी विभाग के विरूद्ध किये गये अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। उल्लेखीय है कि जब सरकार के विरूद्ध एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्यवाही माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। इस प्रकार के साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर कानून बनाए गए हैं।

## साइबर अपराधी कौन होते हैं?

साइबर अपराध से जुड़े व्यक्ति सामान्यजन न होकर ज्यादा पढ़े–लिखे व जानकर व्यक्ति होते हैं। इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी–कभी असंतुष्ट अधिकारी या कर्मचारी अपने साथी कर्मचारियों को बदनियती से नुकसान पहुँचाने के लिए या सिरफिरे व्यक्ति किसी बुरी नियत से कम्प्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ कर देते हैं। आपसी प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कम्पनियों के द्वारा पारस्परिक एक दूसरे की व्यापारिक संसूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकर्स की सेवायें प्राप्त की जाती हैं। इस तरह के अपराध से जुड़े व्यक्ति पेशेवर, दक्ष तथा कम्प्यूटर क्षेत्र के अच्छे जानकर होते हैं। ऐसे अपराधी अनेक कारकों से प्रेरित होकर साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। इसमें से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं– अपने को श्रेष्ठ या चालाक सिद्ध करना, प्रतिशोध की भावना, किसी तरह भय उत्पन्न करके धन उगाहना, गोपनीय सूचना प्राप्त करने की गलत इच्छा, विनाशकारी दृष्टिकोण का होना, प्रचार–प्रसार का लालच, दुस्साहस का प्रदर्शन आदि।

## राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और साइबर अपराध

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने जहाँ लोगों के जीवन स्तर को काफी ऊँचा उठा दिया है, वहीं इसका गलत मंशा के साथ प्रयोग को भी गति मिली है। एन.सी.आर.बी. के द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में साइबर अपराध के मामले 2018 की तुलना में 2020 में लगभग दुगुना हो गये। 2018 में देश में जहाँ कुल 27248 मामले पंजीकृत हुए थे, वहीं 2020 में इनकी संख्या 52035 हो गयी जिसमें से सर्वाधिक अकेले उत्तर प्रदेश में ही 11097 मामले पंजीकृत किये गये, जो 2018 की तुलना में दुगुना (6280) है।

इन साइबर अपराधों में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 29643 मामले वर्ष 2020 में पंजीकृत किये गये थे, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश से ही 9131 मामले दर्ज किये गये थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराधों (धारा 66) की संख्या सर्वाधिक (21926) थी, वहीं दूसरे नम्बर पर कम्प्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने (धारा 66–घ) के कुल 11191 मामले दर्ज हुए।

कुल साइबर अपराधों में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत 2020 में देश में कुल 20201 मामले पंजीकृत किये गये थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या 1940 थी। देश में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में सर्वाधिक कपट के मामले (धारा 420 सपठित धारा 465, 468–471) जिनकी संख्या 10395 थी, दर्ज की गयी, जिनमें ए.टी.एम., ऑनलाइन बैकिंग, कपट और ओ.टी.पी. कपट जैसे अन्य मामले सम्मिलित हैं। कुल दर्ज मामलों में दूसरे नम्बर पर साइबर स्टॉकिंग/दृश्यरतिकता (धारा 354–घ) के मामले (872) पंजीकृत किये गये।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अलावा अन्य विधानों के अन्तर्गत (जैसे–जुआ अधिनियम, लाटरी अधिनियम, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क्स अधिनियम) भी देश में 191 मामले 2020 में पंजीकृत किये गये थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या 26 थी।

## साइबर अपराध और भारतीय दण्ड संहिता

सन् 2000 तक साइबर अपराधों से निपटने के लिए हमारे पास कोई विधिक उपबन्ध नहीं था। साइबर अपराधों की प्राथमिकी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दर्ज की जाती थी और कुछ अपराध तो ऐसे भी थे, जिनके लिए कहीं कोई उपबन्ध न था। अतः हमें इस स्थिति से निकलने के लिए समुचित विधि की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया। चूँकि हमारे पास भारतीय दण्ड़ संहिता, 1860 पहले से ही विद्यमान है, अतः इसमें संशोधन अपरिहार्य हो गया था। आई0टी0 ऐक्ट के आते ही आई0पी0सी0 की अनेक आधारों में संशोधन कर दिया गया।

यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आई0टी0 ऐक्ट, 2000 के द्वारा आई0पी0सी0 में किसी सारभूत अपराध को जोड़ा नहीं गया है बल्कि कुछ धाराओं में संशोधन करके उन्हें समय के हिसाब से ढ़ाला गया है। लेकिन दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 354 में कुछ नयी धारायें जोड़कर नये अपराधों को समाहित किया गया। नयी धारा 354–ग दृश्यरतिकता को अपराध घोषित करते हुये कहती है कि, "कोई पुरूष, जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या का चित्र खींचेगा, जहाँ उसे सामान्यता या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, इस धारा के अधीन दण्डनीय होगा।" इसी प्रकार धारा 354–घ पीछा करना को अपराध घोषित करते हुए कहती है कि, "कोई पुरूष जो (i) एक महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है, या ऐसी महिला द्वारा अनिच्छा

के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार–बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता है या (ii) स्त्री द्वारा इन्टरनेट, ई–मेल या इलेक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग का अनुवीक्षण करेगा, इस धारा के अधीन दण्डनीय होगा।"

**साइबर अपराध और साक्ष्य अधिनियम**

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की लगभग 16 धाराओं में संशोधन किया गया, इस अधिनियम द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा में दस्तावेज शब्द के आगे "जिनमें इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं" जोड़ दिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि दस्तावेज की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई। साक्ष्य अधिनियम, 1872 में एक नई धारा (65–ख) जोड़ी गयी जिसमें इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर उत्पाद जैसे सी0डी0, हार्डडिस्क, प्रिन्टआउट आदि वैध हो जायेगें। ऐसी सूचनाओं को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने के पहले कतिपय शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है।

**साइबर अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**

साइबर अपराध वैश्विक समस्या बन चुका है। विकसित, विकासशील सभी देश समस्या से पीड़ित हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया और यह अपेक्षा की कि सभी सदस्य राष्ट्र अपनी स्थानीय विधियों में उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रावधान करेंगें। भारतीय संसद ने इसी के अनुसरण में सन् 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मूलतः एक वाणिज्यिक विधि है किन्तु फिर भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए इसमें पर्याप्त उपबन्ध हैं, जिसे 2008 में संशोधित करके और परिष्कृत कर दिया गया है।

आई0टी0 ऐक्ट के प्रमुख दाण्डिक प्रावधान :–

(1) धारा 43 : इस धारा द्वारा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि से नुकसान पहुँचाने पर तीन वर्ष तक का कारावास या पाँच लाख तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है।

(2) धारा 65 : कम्प्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माने से जो दो लाख तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) धारा 66 तथा इसमें कई अन्य धारायें जोड़ी गई हैं जिसमें अनेक अपराधों को परिभाषित किया गया है जैसे– संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दण्ड, चुराये गये कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दण्ड, पहचान की चोरी के लिए दण्ड, एकान्तता का उलंघन के लिए दण्ड तथा साइबर आंतकवाद के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आई0टी0 ऐक्ट की धारा 66–क को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में वर्णित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

(4) धारा 67 : अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। पहली बार ऐसा करने पर तीन वर्ष का कारावास तथा पाँच वर्ष लाख जुर्माना तथा दूसरी बार ऐसा करने पर पाँच वर्ष का कारावास तथा 10 लाख जुर्माना का प्रवाधान किया गया है।

(5) धारा 67–क, 67–ख व 67–ग; इन धाराओं में पोर्नोग्राफी के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है तथा दण्ड का प्रावधान है।

(6) धारा 71 : दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो एक लाख तक का हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

(7) धारा 72 : गोपनीयता एवं एकांतता के भंग करने पर दो वर्ष तक के कारावास और एक लाख तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

(8) कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए प्रकाशन (धारा 74); ऐसा करने पर दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

**साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के अन्य प्रयास**

भारत सरकार ने देश में बढ़ रही साइबर गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं–

- सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की गयी जिसके तहत सरकार ने अति–संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए "राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र" का गठन किया।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने "सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता" परियोजना प्रारम्भ की है।

- सरकार द्वारा "कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम" की स्थापना की गई जो कम्प्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
- देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'साइबर स्वच्छता केन्द्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।
- भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- अंतर–एजेंसी समन्वय के लिए जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र–14सी' का उद्घाटन किया गया है। इस योजना को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर अपराधों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा 14सी को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक हैं–

(i) नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट
(ii) नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
(iii) संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच
(iv) राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र
(v) राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केन्द्र
(vi) साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट
(vii) राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केन्द्र

## निष्कर्ष

साइबर अपराधों के रूप में हमारे समाज को आज एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए न पर्याप्त कानून हैं, न अन्वेषण करने की उचित तकनीक और न ही उनको लागू करने वाले प्रशिक्षित लोग। अपराधियों को इसमें गोपनीयता का सुरक्षा कवच स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जिसे भेदना अत्यन्त कठिन होता है। वे न केवल अश्लील सूचनाओं का संगठित व्यापार कर रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से दूसरों के बैंक खातों से रूपये भी उड़ा रहे हैं और कई तरह के दूसरे अन्य अपराध कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आई0टी0 ऐक्ट के पहले कोई विधि नहीं थी। आई0टी0 ऐक्ट ने पहली बार साइबर क्राइम से सम्बन्धित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया। परंतु इस अधिनियम में बहुत सारी कमियाँ होने की वजह से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकें हैं। आई0टी0 ऐक्ट की दो बड़ी कमियाँ हैं। एक तो यह विशेष तकनीक एसीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम व हैश सिस्टम को ही मान्यता देता है जबकि किसी भी कानून को किसी विशेष तकनीक पर आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर इस कानून में डोमेन नेम, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि का जिक्र नहीं है और इसके उल्लंघन की की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही पर स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रानिक भुगतान के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। यह सही है कि आई0टी0 कानून सही समय पर लाया गया और भारत ने इस मामले में अपनी स्थिति समय रहते मजबूत कर ली। यह भी सही है कि इस कानून के जरिये साइबर अपराध पर रोक लगाने को लेकर सरकार को तमाम तरह के अधिकार दिये गये। लेकिन इसमें व्यक्तित्व, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार और इलेक्ट्रानिक भुगतान को लेकर स्पष्टता का अभाव है। इसके अलावा आई0टी0 ऐक्ट की भाषा इस तरह की है कि यह केवल भारत में नहीं बल्कि देश से बाहर किये गये किसी अपराध पर भी लागू हो सकता है। लेकिन इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख ऐक्ट में नहीं है। ऐसे में जाहिर है ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा रोजाना प्रकाश में आ रहे नये–नये साइबर अपराधों को देखते हुये भविष्य के लिहाज से अभी से तैयारियों की जरूरत है।

## संदर्भ

1. ठाकुर, अभिताभ., जैदी., हसन, मोहम्मद. (2011). साइबर क्राइम. एलिया लॉ एजेन्सीः प्रयागराज।
2. परांजपे, डॉ0 विश्वनाथ. (2019). साइबर क्राइम एण्ड लॉ. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सीः प्रयागराज।
3. गुप्ता, डॉ0 एम0 दास. (2009). साइबर क्राइम इन इंडिया. ईस्टर्न लॉ हाउस।
4. पाठक, अरूण कुमार. (2020). साइबर क्राइम एवं साइबर लॉज. पुस्तक सदन प्रकाशन।
5. मिश्रा, डॉ0 जे0 पी0. (2014). ऐन इनट्रोडक्सन टू साइबर लॉ. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंसः प्रयागराज।
6. मिश्रा, एस0 एन0. (2021). भा0 द0 सं0, 1860. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सीः प्रयागराज।

7. यादव, राजाराम. (2019). भा0 सा0 अधि0, 1872. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सीः प्रयागराज।
8. (2015). जजमेन्ट एण्ड लॉ टुडे (इलाहाबाद). फरवरी–मार्च।
9. (2015). जजमेंट एण्ड लॉ टुडे (इलाहाबाद). अप्रैल–मई।
10. (2020). जजमेंट एण्ड लॉ टुडे (इलाहाबाद). जून–जुलाई।
11. https:/www.drishtiias.com.
12. https:/wwwhindi.livelaw.in.
13. https://ncrb.gov.in.

## विशिष्ट शब्दावली

1. आभासी दुनिया. Virtual World.
2. काल्पनिक विज्ञान कथायें. Science Fiction.
3. न्यूरान एन्सन. Neuron Anson.
4. विश्लेषणात्मक इंजन. Analytical Engine.
5. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र. Indian Cyber Crime Co-ordination Centre- 14C.
6. राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र. National Critical Information Infrastructure Protection Center - NCIIPC.
7. सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता. Information Security Education and Awareness : ISEA.
8. कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम. CERT-In.
9. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. Ministry of Electronics and Information Technology-Meity.
10. नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट. National Cyber Crime Threat Analytics Unit.
11. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. National Cyber Crime Reporting Portal.
12. संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच. Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team.
13. राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र. National Cyber Crime Forensic Laboratary Ecosystem.
14. राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केन्द्र. National Cyber Crime Training Centre.
15. साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट. Cyber Crime Ecosytem Management Unit.
16. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केन्द्र. National Cyber Research and Innovation Centre.

11

# आतंकवाद : ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या

**डॉ० शिवाली चौहान**
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

**डॉ० अंकुर अग्रवाल**
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

***सारांश***

*आतंकवाद आतंक का दर्शन है। यह एक बीमार तथा विश्रृंखलित समाज की देन है। आतंकवाद अपने सभी रूपों में शस्त्ररहित नागरिक समुदाय के विरूद्ध अत्याचार का पर्याय है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति एवं युद्धनीति की शब्दावली में आतंकवाद नवीन नहीं है। इसका अस्तित्व थोड़े बहुत रूप में मानव–समुदाय के अस्तित्व के साथ–साथ रहा है। आतंकवाद का जन्म दो परिस्थितियों में संभव है। प्रथम उस स्थिति में जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए आतंक को उपाय के रूप में प्रयोग करता है। द्वितीय स्थिति में आततायी के उत्पीड़न का सामना करने के लिए उत्पीड़ित व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय आतंक का रास्ता चुनता है। यह स्थिति प्रायः राजनीतिक आंदोलनों के समय उत्पन्न होती है। वैसे तो भारत सहित समूचा विश्व आतंकवाद नामक मानवजनित त्रासदी से पीड़ित है तथापि भारत बहुत लम्बे समय से आतंकवाद का शिकार होता रहा है। भारतीय राज्यों में प्रमुखतः जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश आतंकवाद से त्रस्त रहा है। आतंकवाद समय–समय पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। जानमाल की अत्यधिक क्षति आतंकवादी घटनाओं से ही अब तक हुयी है।*

***मुख्य शब्द***

*आतंकवाद, राजनीति, कूटनीति, युद्धनीति, मानव–समुदाय, उत्पीड़न, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्य।*

'आतंकवाद' शब्द 'आतंक' और 'वाद' दो शब्दों से मिलकर बना है। 'आतंक' का तात्पर्य भय से है और 'वाद' का तात्पर्य विचार से है। आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ उस विचार से होता है जिससे भय या दहशत का वातावरण उत्पन्न हो। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। गैर–सरकारी कारकों द्वारा की गयी राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा भी आतंकवाद की ही श्रेणी में आती है। इसके तहत गैर–कानूनी हिंसा को भी आतंकवाद में शामिल कर लिया गया है। अगर इसी प्रकार की गतिविधि आपराधिक संगठन चलाने या उसे बढ़ावा देने के लिए की जाती है तो सामान्यतः उसे भी आतंकवाद माना जाता है। 2006 में देश के 608 जिलों में से कम से कम 232 जिले विभिन्न तीव्रता स्तर के विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित थे। अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। आतंकवाद के कारण 9/11 का विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में वर्ष 2001 में हुआ था और 26/11 का ताज होटल जो मुम्बई में स्थित है, वहाँ पर भी वर्ष 2008 में आतंकी हमला ही था। आतंकवाद का जन्म उन कारणों से होता है जो लम्बे समय से परिवर्तन या बदलाव चाहते हैं किन्तु समाज उस पर ध्यान नहीं देता है। असन्तोष, निराशा एवं कुंठा इसके प्रमुख कारण होते हैं, जो एक बीमार समाज की देन हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय के साथ कुशासन एवं न्याय में विलम्ब इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अपनी जायज–नाजायज मांगों को मनवाने के लिए हिंसक व अमानवीय तरीकों से बल प्रयोग कर विधि व्यवस्था व शान्ति का पालन करने वाले लोगों को भयभीत करना आतंकवाद का प्रमुख अस्त्र होता है।

## आतंकवाद की विशेषताएं

- आतंकवाद राज्य या समाज के विरूद्ध होता है तथा इनके विरूद्ध कार्य करता है।

- आतंकवाद का राजनीतिक उद्देश्य होता है।
- यह न केवल अपने तत्कालिक शत्रुओं को अपितु सामान्य जनता को भी डराने और उनमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें उत्पीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता है।
- आतंकवादी अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देते हैं कि केवल जन–साधारण में ही नहीं अपितु कभी–कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा हो जाती है।
- इनके कारनामें किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं होते और कभी–कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाज से उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है।
- यह बुद्धिसंगत विचार को समाप्त कर देता है और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़–मोड़कर कुतर्कों की मदद से प्रस्तुत करता है और इस बात पर बल देता है कि जो कुछ वह कर रहा है या कह रहा है, वही ठीक है।
- यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं सजातीय समुदाय पर भी हमला बोल सकता है।
- इससे लड़ने या भागने की तीव्र प्रतिक्रिया होती है।
- इसमें की गयी हिंसा में मनमानी होती है क्योंकि शत्रु या शिकारों का चयन बिना किसी सोच–समझ या योजना के तथा अंधाधुंध होता है। इसलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, आयु या वर्ग के यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएँ भी हो सकते हैं।

## आतंकवाद के तरीके

- विमानों का अपहरण करना।
- गणमान्य व निर्दोष जनसामान्य का अपहरण करना।
- जन–सामान्य व बच्चों को बंधक बनाना एवं फिरौती वसूलना।
- राजनयिकों का अपहरण एवं बंधक बनाकर ब्लैकमेलिंग करना।
- निरर्थक व्यक्तिगत एवं सामूहिक हत्यायें करना।
- तोड़फोड़, बमविस्फोट, रेल पटरियों को तोड़ना।
- दो समुदायों के मध्य घृणा का वातावरण उत्पन्न करना।
- धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में विध्वंस करना।
- मानव बम का इस्तेमाल करना।
- जैव आतंकवाद का खतरा उत्पन्न करना।

## आतंकवाद के उद्देश्य

आतकंवाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंसक गतिविधियों द्वारा राज्य या समाज में अपनी जायज–नाजायज मांगों को मनवाना है। आतंकवाद एक व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह के कार्यों का परिणाम हो सकता है। आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो, सभी आतंकवादियों का प्रायः एक ही उद्देश्य होता है वह है कि उनके लक्ष्य या मनसूबे की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले लोगों, समूहों, वर्गों, राजनेताओं से बदला लेना; इसके लिए वे शान्ति व्यवस्था एवं जन–सामान्य को अपना निशाना बनाते हैं। आतंकवादियों के लक्ष्य सामान्यतया अवैधानिक, विध्वंसकारी, अनैतिक होते हैं। राजनीतिक–सामाजिक क्रान्ति की बातें करते हुए आतंकवादियों का उद्देश्य ऐसी सत्ता एवं नीतियों को उखाड़ फेंकना होता है जो उन्हें विरोधकारी महसूस होती हैं। इस हेतु आतंकवादी ऐसे नागरिक समुदाय पर अत्याचार करते हैं, जो उस नीति या निर्णय विशेष के लिए दोषी नहीं होते हैं। आतंकवादी अपनी गतिविधियों द्वारा राज्य व समाज में भय एवं आतंक का वातावरण लम्बे समय तक जारी रखना चाहते हैं, जिससे जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए, जिसका स्वाभाविक परिणाम आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक अस्थिरता का होना है तथा; जिसके द्वारा आतंकवादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें तथा सरकार का पतन हो जाए।

**विश्व के शीर्ष 5 आतंकवाद ग्रसित देश**

| विवरण | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम स्थान | इराक | अफगानिस्तान | अफगानिस्तान | अफगानिस्तान | अफगानिस्तान |
| द्वितीय स्थान | अफगानिस्तान | इराक | इराक | इराक | बुर्किना फ़ासो |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तृतीय स्थान | सोमालिया | सोमालिया | सोमालिया | सोमालिया | सोमालिया |
| चतुर्थ स्थान | नाइजीरिया | नाइजीरिया | नाइजीरिया | बुर्किना फ़ासो | माली |
| पंचम स्थान | पाकिस्तान | पाकिस्तान | सीरिया | नाइजीरिया | सीरिया |
| भारत का स्थान | 6वां | 9वां | 10वां | 13वां | 13वां |

**स्रोत– www.visionofhumanity.org**

## आतंकवाद की उत्पत्ति के कारण

आतंकवाद की उत्पत्ति धार्मिक कट्टरतावाद, जातीय उन्माद, रंगभेद, जातीय सर्वोच्चता और बाहरी राष्ट्रों द्वारा पोषण के आधार पर हुयी है और तेजी से विकसित भी हुई है। आतंकवादी गतिविधियों के उत्पन्न होने के विभिन्न देशों में अलग–अलग कारण होते हैं। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से ग्रस्त है। आतंकवाद के अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु आतंकवाद के उत्पन्न होने के मूल कारणों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विवाद व अन्य कारण प्रमुख हैं। आतंकवाद के मुख्य कारणों का निम्नानुसार विवेचन किया जा रहा है–

1. **आर्थिक कारण–** आतंकवाद की जड़ मूलतः आर्थिक असमानता है। गरीबी, भुखमरी तथा बेरोजगारी है, जो आर्थिक कारण का आधार होती है। बेरोजगार गरीब आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। सम्पत्ति, सुविधा व संसाधनों के असमान वितरण से व्यक्ति में क्षोभ, विद्वेष व असन्तोष का फायदा आंतकी उठाते हैं एवं अपने लक्ष्य से इसे मुद्दा बनकर प्रस्तुत करते हैं। अशिक्षा, शोषण, बेरोजगारी एवं भुखमरी से ग्रस्त अज्ञानी लोग (व्यक्ति) आतंक का सहारा ले लेते हैं। हालांकि सभी गरीब लोग आतंकवादी नहीं होते हैं। मगर जिस तरह के माहौल में हताशा का जीवन वे जीते हैं, उससे अपराधियों को उन्हें अपने जाल में फॅसाने का अवसर मिल जाता है।
2. **मनोवैज्ञानिक कारण–** आतंकवाद एक मानसिक बीमारी या मनोदशा है। समाज में कम योग्य एवं अकुशल व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति एवं भूमिका से असंतुष्ट होकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होकर समाज में अपनी भूमिका एवं स्थान को प्राप्त करने हेतु समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आतंक का सहारा लेते हैं। समाज में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपनी खीझ और चिंता को विध्वंसकारी गतिविधियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कभी–कभी शिक्षित मध्यमवर्गीय व्यक्ति भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु सुगम एवं सरल मार्ग के रूप में आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इसके लिए चित्रपट (सिनेमा) अधिक जिम्मेदार है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में रातों–रात परिवर्तन दिखाया जाता है। अल्पसंख्यक एवं उपेक्षित वर्ग में शासन के प्रति अपनी उपेक्षा की भावना भी इसके लिए कुछ सीमा तक अपने दायित्व से बच नहीं सकती। उपेक्षित एवं अल्पसंख्यक धर्म का सहारा लते हैं एवं शासनकर्ता को पूर्वाग्रही एवं अन्यायी मानते हैं। युवा वर्ग की उम्र इसे फैलाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। बहुसंख्यक आतंकियों की उम्र युवा वर्ग की उम्र होती है। युवावस्था में व्यक्ति जोश में ज्यादा होता है और होश में कम। आमूल–चूल परिवर्तन की मनोदशा वाला यह वर्ग क्रान्तिकारी विचारों वाला होता है जो अपना आत्म–नियंत्रण जल्दी खो देता है। आतंकवादी संगठन इनका फायदा उठाकर अपनी गतिविधियों में संलग्न कर लेते हैं एवं उन्हें मानसिक दृष्टि से अमानवीय, विध्वंसक बनाकर असामाजिक, अनैतिक व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सदा के लिए आतंकवाद में लीन कर देते हैं।
3. **सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन–** समाज और संस्कृति में आज द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है। समाज में परिवर्तन न होने पर बड़े से बड़ा समाज टूट जाता है। संस्कृतियों में भी बदलाव हो रहा है। इससे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक जीवन में परितर्वन का लाभ कुछ व्यक्तियों या एक ही वर्ग के लोगों को यदि प्राप्त होता है तो समाज का दूसरा वर्ग जो उपेक्षित है, उसमें क्षोभ व कुण्ठा की भावना का जन्म होता है। समाज में यह असन्तुलनकारी परिवर्तन समाज के विभिन्न वर्गों में संघर्ष को जन्म देता है। समाज में एकता, अखण्डता व भाईचारा बढ़ाने में भाषा, प्रथाएँ, परम्पराएं, साहित्य एवं कला के साथ–साथ इन तत्वों में बदलाव होता है तो इसके परिणाम भी पूर्व की स्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं। इससे अराजकता व हिंसा को बढ़ावा मिलता है। समाज में नवनिर्माण व परिवर्तन की आशा यदि धूमिल होती है, तो व्यक्तियों में ईर्ष्या, द्वेष, परिवर्तन या क्रान्ति का जन्म होता है। जब–जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है, क्रान्ति या परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण व्यवस्था, संगठन व संस्थाओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यदि व्यवस्था व संस्थाएं परिवर्तित नहीं होती हैं तो बदलती परिस्थितियों में वे अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल नहीं हो सकतीं। समाज में व्याप्त असामाजिक स्थितियाँ असन्तुष्ट तथा उपेक्षित व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बढ़ावा देती हैं। असन्तुष्ट व्यक्ति या समूह बदले के जुनून में हिंसा, प्रतिहिंसा का मार्ग अपनाता है। शासन के किसी अंग की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि भी शोषित वर्ग में विद्रोह को जन्म देती है। सांस्कृतिक मतभेदों के कारण हताशा में आकर लोग आतंकवाद और चरमपंथ के जाल में फंस जाते हैं।

4. **राजनीतिक विवाद–** राजनीतिक विवादों से भी आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला है। राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित समुदाय या समूह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देता है। भारत में हुर्रियत, पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा, एन.डी.एफ.बी., एन.एस.सी.एन., फिलिस्तीन में अल–फतह, चेचेन्या में चेचेन विद्रोही, श्रीलंका में लिट्टे जैसे संगठनों ने राजनीतिक विवाद के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। राजनीतिक विवादों के कारण दुःखी, गरीब, अशिक्षित तथा मजबूर लोग आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं।

5. **शासक व शासितों में संपर्क का अभाव–** शासक व शासित अर्थात् सरकार व जनता में संवादहीनता भी आतंकवाद का मार्ग प्रशस्त करती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में शान्तिपूर्ण तरीकों से मांगी गई जायज मांगों की अनदेखी होती है, जबकि नाजायज मांगों को आतंकी भाषा में मांगने पर मंजूर कर लिया जाता है। इससे वैधानिक मार्ग जो शान्ति का मार्ग होता है; के स्थान पर अवैधानिक मार्ग अपनाने के लिए जन–समूह का झुकाव बढ़ता जाता है।

6. **कानून व न्याय व्यवस्था के दोष–** कानूनों की जटिलता के कारण जनता में विक्षोभ उत्पन्न होता है। न्याय की विलम्बकारी भूमिका से भी लोगों में बदले की भावना बढ़ने लगती है। सुविधा सम्पन्न एवं अमीर लोगों को कानून व न्याय दोनों आसान लगते हैं जबकि गरीबों व असुविधा वाले वर्ग के लिए यह दोनों बाधक लगते हैं। कानून की जटिलता एवं अधिकता एवं न्याय में देरी के करण उग्र स्वभाव के नवयुवकों के द्वारा आतंकवाद का मार्ग चुन लिया जाता है।

7. **नवयुवकों में असन्तोष–** आतंकवादी सामान्यतः मध्यमवर्गीय परिवार के शिक्षित नवयुवक होते हैं, जो शिक्षित होने के साथ–साथ बेरोजगार भी होते हैं। रोजगार की अनुपलब्धता के कारण ये नवयुवक आतंकवाद की ओर सजह आकर्षित हो जाते हैं। योग्य होने के बाद भी नौकरी प्राप्त करने के लिए जब ये युवा भटकते हैं एवं तस्करों, अवैध धन्धों में लिप्त लोगों को विलासितापूर्ण जीवन जीते देखते हैं, तो सहज ही आतंकवादियों के हाथ में आकर उनकी गतिविधियों को अपना लेते हैं।

8. **शस्त्रों की प्राप्ति में सुगमता–** आतंकवादियों को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र विघ्नसंतोषियों द्वारा सुगमता से उपलब्ध करा दिये जाते हैं। अवैध हथियारों ने, जो आधुनिक होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है।

आतंकवाद की उत्पत्ति के कारणों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद ऐसी मानसिकता की उपज है जो सभ्य समाज में भय का वातावरण निर्मित कर अपने निहित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भुखमरी और बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है।

## आतंकवाद के परिणाम

1. **दंगे–फसाद को बढ़ावा–** आतंकवाद से दंगे–फसादों को अत्यंत बढ़ावा मिलता है। जगह–जगह मारकाट व खून की होलियाँ खेली जाती हैं, जो एक राष्ट्र के लिए भयंकर स्थिति का जन्म होता है। आतंकवाद में आतंकवादी हत्याओं के साथ–साथ लड़कियों का अपहरण भी करने लगे हैं और उन्हें भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कर रहे हैं जिससे अब इनका साम्राज्य फैलता जा रहा है। परिणामस्वरूप जगह–जगह दंगों को बढ़ावा मिल रहा है।

2. **सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय–** बढ़ते हुए आतंकवाद के फलस्वरूप जनता के मन में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होता है। वह यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह सरकार हमारी जान व माल की रक्षा करने में समर्थ नहीं है।

3. **असुरक्षा की भावना का उदय–** आतंकवाद के भयंकर परिणामों के कारण जनता में असुरक्षा की भावना का उदय होता है। उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है कि वह कहीं भी जाने में सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों में बचपन से ही एक भय समा जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनका विकास स्वाभाविक गति से नहीं हो पाता है।

4. **राष्ट्रीय एकता में बाधक–** आतंकवाद राष्ट्रीय एकता में भी बाधक है क्योंकि यह एक विशिष्ट सम्प्रदाय के लोगों द्वारा फैलाया जाता है और जिस राष्ट्र में विभिन्न सम्प्रदाय एक–दूसरे से बैर रखेंगें वहाँ एकता हो ही नहीं सकती। अतः यह आतंकवाद विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में एक–दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करता है जिस कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचती है।

5. **राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक–** आतंकवाद के फलस्वरूप हजारों–लाखों रूपये की आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है व जनता को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि आतंकवादी व्यक्तियों की हत्यायें करते हैं, लूटपाट करते हैं व घरों को जला देते हैं जिससे काफी जान–माल का नुकसान होता है। जनता के हुए इस नुकसान को सरकारी कोष से पूरा करना पड़ता है, अतः राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी असन्तोषजनक हो जाती है।

## आतंकवाद को दूर करने के उपाय

1. **उचित नैतिक शिक्षा–** आतंकवाद को दूर करने के लिए युवाओं व बालकों को उचित नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता

है जिससे वह पथ–भ्रष्ट न हों और किसी विदेशी शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं बनें। साथ ही वहाँ की चमक–दमक व उनकी तरफ से दिये गये प्रलोभनों को भी नहीं स्वीकारें।

2. **बाहरी शक्तियों का कठोरता से दमन–** भारत में आतंकवाद फैलाने वाली जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनका कठोरता से दमन किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह 'खून का बदला खून' से ले। कहने का तात्पर्य है कि आतंकवादी अगर पकड़ में आ जायें तो उसे सीधे फाँसी पर चढ़ा देना चाहिए न कि मुकदमे की सुनवाई तक प्रतीक्षा की जाये जिससे अन्य आतंकी सरकार को फिर कोई भय दिखाकर उन आतंकवादियों को छुड़वा न सकें जो सरकार की गिरफ्त में हैं।
3. **जनता में जागरूकता की भावना पैदा करना–** आतंकवाद को दूर करने के लिए जनता में जागरूकता की भावना का होना अति आवश्यक है। वह भीरू न बनकर, आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हो जाये। वह उन आतंकवादियों का दमन करने को तत्पर हो जाये जो देश में आतंकवाद व अलगाववाद फैला रहे हैं।
4. **सीमाओं पर कठोर नियंत्रण–** सीमाओं पर नियंत्रण को कठोर कर दिया जाना चाहिए, जिससे कोई आतंकवादी देश की सीमा के अंदर प्रवेश न कर सके और जो प्रवेश करना भी चाहे उसको कठोरतापूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए सीमाओं पर तैनात बल को हमेशा ईमानदारी पूर्वक जागरूक रहना आवश्यक है।
5. **राजनैतिक एकता–** आतंकवाद आज की ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या है। अतः इस समय आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक नेता पक्ष और विपक्ष के द्वन्द से उभरकर एक ऐसी सफल राष्ट्रीय योजना बनायें जिससे आतंकवाद का अन्त हो सके।

## निष्कर्ष

आतंकवाद महज एक हिंसात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह देश तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा रक्षा के तानेबाने पर हमला कर देश के सतत् विकास में बाधक बनता है। किसी भी रूप में आतंकवाद समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक है। परन्तु कहीं न कहीं गलत धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित आतंकवाद पर विश्व का एकमत न होना आतंक के विरूद्ध राह में सबसे बड़ा अवरोधक है। अतः आवश्यक है कि सभी देशों को सामाजिक व आर्थिक न्याय, शरणार्थी संकट, मानवाधिकार के हनन जैसी समस्याओं को वैश्विक स्तर पर हल करते हुए आतंकवाद के सभी स्वरूपों के विरूद्ध एकमत होकर इसे समाप्त करने हेतु समन्वित प्रयास करने चाहियें।

## संदर्भ

1. शास्त्री, युगल किशोर शरण. संघी आतंकवाद।
2. सिंह, जनार्दन. भारत में आतंकवाद।
3. बिसारिया, डॉ0 पुनीत., ईनोफाइल, रोनी. आतंकवाद पर बातचीत।
4. त्रिपाठी, मेजर सरस. कश्मीर में आतंकवाद।
5. सहगल, मेजर जनरल विनोद. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद।
6. सक्सेना, विवेक., राजेश, सुशील. नक्सली आतंकवाद।

12

# बेरोजगारी : कारण व निवारण एवं वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या

**डॉ० बिमला सिंह**
एसोसिऐट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग
एस० बी० डी० (पी०जी०) कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)

***सारांश***

*विकास के नारों के बीच वर्तमान में रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके दक्ष आवेदकों के समक्ष नौकरी प्राप्त करना वर्तमान में एक गम्भीर समस्या है। प्रतिदिन तकनीकी में हो रहे बदलावों के कारण कार्यस्थल पर उपयुक्त तालमेल न बिठा पाना, बेरोजगारी के संकट को बढ़ा रहा है। भविष्य में आर्थिक प्रगति की वर्तमान दर, रोजगार की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएगी वरन् सामाजिक असमानतायें भी बढ़ायेगी। विश्व में युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत का युवाओं की संख्या के अनुपात में रोजगार सृजन करने में सक्षम न होना भी चिन्ताजनक विषय है। ऑटोमेशन अर्थात् मशीनों से काम लेने की प्रवृत्ति इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आई.टी. और बैंकिंग क्षेत्रों में बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनीकरण के प्रभाव के कारण श्रमिकों का स्थान मशीनें तथा रोबोट ले रहे हैं। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के बढ़ावे के कारण, कम्पनियां नयी तकनीकी द्वारा लागत में भारी कटौती करके कार्यकुशलता में बदलाव द्वारा मुनाफा प्राप्त कर रही हैं जो छँटनी का प्रमुख कारण है। एसोचैम और पी.डब्ल्यू.सी. की रिपोर्ट के अनुसार आई.टी., कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और वानिकी क्षेत्रों में जहां रोबोटिक सिस्टम का असर पड़ने पर रोजगार कम होंगे वहीं, कर्मचारियों की दक्षताओं और कार्यकुशलता में बदलाव लाना, रोजगार की निश्चितता को बढ़ाएगा। नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन प्लान में रोजगार बढ़ाने संबंधी सुझावों में स्किल डेवलपमेन्ट और श्रम कानूनों में बदलाव की सिफारिशें की गयी है।*

***मुख्य शब्द***

*सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमबल भागीदारी दर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग।*

भारत में जहाँ जनसंख्या अत्यधिक और अनवरत् रूप से बढ़ रही है, वहीं बेरोजगारी एक गम्भीर तथा जटिल समस्या के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। यह समस्या गाँव व शहर, शिक्षित वर्ग व अशिक्षित वर्ग के साथ–साथ आर्थिक तथा सामाजिक रूप से दिखाई दे रही है। बेरोजगारी बढ़ने पर आर्थिक कष्ट लोगों की संवेदना तथा पारिवारिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में व्यक्ति चोरी, डकैती, बेईमानी तथा शराबखोरी के साथ–साथ आत्महत्या जैसे गम्भीर कदम तक उठा लेते हैं जो अभिशाप के रूप में वर्तमान समय में हम देखते हैं। बेराजेगार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करता है, जो 15 से 64 वर्ष की आयु के समूह में होते हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किये जाने के उपरांत भी जब काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वर्ल्ड बैंक के आंकडों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020–21 में यह दर 4.2 प्रतिशत है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई–सितम्बर 2021 में 9.8 प्रतिशत तथा जुलाई–सितम्बर 2022 में 7.2 प्रतिशत थी। बेरोजगारी अनुपात जुलाई–सितम्बर 2021 पुरूषों में 9.3 प्रतिशत, तथा महिलाओं में 11.6 प्रतिशत था। यह अनुपात जुलाई–सितम्बर 2022 में पुरूषों में 6.6 प्रतिशत तथा महिलाओं 9.4 प्रतिशत हो गया।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों में जुलाई–सितम्बर 2021 में 42.3 प्रतिशत तथा जुलाई–सितम्बर 2022 में 5 प्रतिशत

बढ़कर 47.3 प्रतिशत हो गया। जुलाई–सितम्बर 2021 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों में पुरूषों में 66.6 प्रतिशत तथा महिलाओं में 17.6 प्रतिशत था। जुलाई–सितम्बर 2022 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों में पुरूषों में 68.6 प्रतिशत तथा महिलाओं में 19.7 प्रतिशत था।

श्रमबल भागीदारी दर जुलाई–सितम्बर 2021 में 46.9 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई–सितम्बर 2022 में 55.9 प्रतिशत हो गयी। यह दर जुलाई–सितम्बर 2021 में पुरूषों में 73.5 प्रतिशत व महिलाओं में 19.9 प्रतिशत थी तथा जुलाई–सितम्बर 2022 में पुरूषों में 73.4 प्रतिशत व महिलाओं मे 21.7 प्रतिशत हो गयी।

## बेरोजगारी के प्रकार

- **चक्रीय बेरोजगारी–** चक्रीय बेरोजगारी, जो समग्र माँग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। व्यापार चक्र के परिणामतः मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है तथा आर्थिक विकास के साथ घटती है, यह चक्रीय बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात् विकसित देशों में अधिकतर पायी जाती है। भारत में नगण्य आंकडों में है।
- **घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी–** घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी ऐसे समय उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है अर्थात् किसी कर्मचारी को एक नयी नौकरी को खोजने या नयी नौकरी में स्थानान्तरित होने के लिये समय की आवश्यकता होती है, इसी अपरिहार्य समय की देरी, घर्षण बेरोजगारी का कारण होती है। यह स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कहलाती है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होती वरन् बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। चक्रीय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी को विकसित देशों की बरोजगारी भी कहते हैं।
- **मौसमी बेरोजगारी–** मौसमी बेरोजगारी मुख्यतया कृषि क्षेत्रों में पायी जाती है अर्थात् कृषि कार्यों के समय पर तो श्रमबल को रोजगार मिलता है लेकिन बाकी समय के लिये नहीं। भारत में खेतिहर मजदूरों के पास वर्षभर कम काम होता है।
- **अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी–** अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी में वास्तव में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत जैसे कृषि प्रधान तथा असंगठित क्षेत्रों में पायी जाती है।
- **संरचनात्मक बेरोजगारी–** यह बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी, प्राविधिक बेरोजगारी व अन्य बेरोजगारी के रुप में हो सकती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, बाजार में उपलब्ध नौकरियों तथा श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। भारत में आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती और शिक्षा का खराब स्तर होने के कारण प्रशिक्षित भी करना मुश्किल कार्य होता है।

अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा संरचनात्मक बेरोजगारी अल्प विकसित देशों में ही दिखाई देती है। शिक्षित बेरोजगारी, प्राप्त शिक्षा के अनुसार रोजगार न मिलने के कारण होती है। कार्यकुशलता या प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरी का न मिल पाना, प्राविधिक बेरोजगारी कहलाती है।

## बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी के विभिन्न कारण हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि (जनसंख्या विस्फोट), दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, निर्धनता, तीव्र उदारीकरण, मशीनीकरण/नयी तकनीकों का प्रयोग, नये रोजगारों की अपर्याप्तता, धीमा आर्थिक विकास, कुटीर और लघु उद्योगों का पतन, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव इत्यादि।

## बेरोजगारी दूर करने के उपाय

बेरोजगारी दूर करने के विभिन्न उपाय हैं जैसे उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या पर नियंत्रण, छोटे ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, औद्योगिक तकनीकी में परिवर्तन, स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित करके सहायता प्रदान करना इत्यादि।

## सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिये अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रम

स्वयं रोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, महिला स्वयं सिद्धा रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), आजीविका और उद्यम हेतु सीमान्त व्यक्तियों के लिए समर्थन, पी.एम.–दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पूर्ण हितग्राही), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना इत्यादि।

पूंजीवादी दुनिया में नौकरियों के अत्यधिक विशिष्ट होने और भारतीय शिक्षा प्रणाली में आवश्यक विशिष्ट प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदायक क्षमता न होने के कारण अर्थात् कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है।

## वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या

वह घटना, जब कम्पनी की ओर से किसी समस्या के कारण कम्पनी के कर्मचारी का अनुबंध समाप्त करना पड़ता है, छँटनी कहलाती है। छँटनी एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्रर्दशन से असम्बन्धित कारणों के लिये रोजगार की अस्थायी या स्थायी समाप्ति से है। 2008 की मंदी के दो–तीन साल बाद कम्पनियों ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को धीमा करना शुरू किया। पिछली वैश्विक मंदी में सार्वजनिक रूप से छँटनी न करके, उपयुक्त प्रदर्शन न करने वाले कर्मचारियों को ही निकाला जाता था। कम्पनी की खराब स्थिति होने पर अतिरिक्त कर्मचारी (बैंच स्ट्रेंथ) में ही कटौती हुआ करती थी। एक महीने तक अतिरिक्त कर्मचारी अर्थात् बिना प्रोजेक्ट के कर्मचारी को कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये साइनअप करने को कहा जाता था। तीन महीने से अधिक होने पर अतिरिक्त कर्मचारी को सिस्टम स्वयं नौकरी से ही निकाल देता था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महामारी के उपरान्त और रूस–यूक्रेन संघर्ष (2022–23) के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पूर्वानुमान को निराशाजनक बताते हुए कहा कि कम्पनियां आर्थिक मंदी से आशंकित हैं, दुनिया के अधिकांश भागों में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। एडटेक (शैक्षिक प्रोद्यौगिकी) तथा ई–कामर्स क्षेत्रों में स्टार्टअप द्वारा 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छँटनी हुयी क्योंकि महामारी के बाद शैक्षिक वेबसाइटों पर कम इंटरनेट उपयोगकर्ता रह गये हैं। वैश्विक स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की अमेजन (18000), माइक्रोसॉफ्ट (10000), गूगल (12000), सेल्फोर्स (7000), आई.बी.एम. (3900), एस.ए.पी. (3000) इत्यादि कम्पनियों द्वारा एक लाख से अधिक कर्मचारियों की छँटनी की गयी है। छँटनी ट्रैकिंग साइट ले ऑफ फाई के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1000 से अधिक कम्पनियों द्वारा 154336 कर्मचारियों की छँटनी हुई। 2.5 लाख से अधिक तकनीकी कर्मचारियों ने 2022 से अब तक नौकरी खो दी है। 11000 कर्मचारियों की छँटनी के उपरान्त मेटा संस्थापक और सी.ई.ओ. मार्क जुकरबर्ग ने 2023 को दक्षता का वर्ष कहा है। ऑनलाइन मार्केटप्लेस ओएलएम्स ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर भारत सहित 15 प्रतिशत कर्मचारी लगभग 1500 की छँटनी की है। एडटेक प्रमुख बाईजूस की इंजीनियरिंग टीम ने 15 प्रतिशत कर्मचारी निकाले। सूचना प्रोद्यौगिकी सेवा फर्म संगठित क्षेत्र में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से है। वैश्विक आर्थिक रूझान का विकास अनुमानों पर प्रभाव पड़ रहा है। पी.डब्ल्यू.सी. की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेशन के कारण अमेरिका में 48 प्रतिशत, जर्मनी में 35 प्रतिशत, इंग्लैंड में 30 प्रतिशत और जापान में 21 प्रतिशत नौकरियां कम हो जायेंगी। 2021 तक वैश्विक स्तर की दस में से चार नौकरी खत्म होगी जिनमें एक भारत में होगी।

## छँटनी के कारण

छँटनी के विभिन्न कारण हैं जैसे तकनीकी क्षेत्र में मंदी की आंशका, बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति और केन्द्रीय बैंकों की सख्त नीतियां, उधार लेना और उपयोग करना अधिक महंगा इत्यादि।

आई.एम.एफ ने 2022 और 2023 में निराशाजनक वैश्विक जी.डी.पी. वृद्धि का अनुमान लगाया है।

## वैश्विक स्तर पर छँटनी का प्रभाव

- छँटनी का प्रभाव कर्मचारियों के साथ–साथ परिवारों, समुदायों, सहकर्मियों और अन्य व्यवसायों पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से हानिकारक होता है।
- छँटनी के उपरान्त ग्राहक सम्भावना भी घटती है क्योंकि ग्राहकों को संदेश जाता है कि कम्पनी किसी संकट से गुजर रही है।
- छँटनी के बाद 60 दिनों तक नया नियोक्ता खोजने में असमर्थ होने पर कर्मचारी को देश छोड़ने और पुनः स्वदेश में प्रवेश करने की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके स्वदेश वापसी की संभावनायें भी कमजोर होती जाती हैं।
- छँटनी का प्रभाव कम्पनी के शेष कर्मचारियों पर भावात्मक रूप से पड़ता है क्योंकि डर से कार्य करने वाले कर्मचारियों का उत्पादकता स्तर नीचे गिरने की सम्भावना होती है।
- आई.टी. क्षेत्रों में छँटनी के कारण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तनाव में रहते हैं। नींद न आना, चिंता और अवसाद जैसी बीमारियों से वे ग्रस्त हो रहे हैं।

कुशल और योग्य श्रमिकों की कमी के कारण संयुक्त अरब अमीरात की कम्पनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डाटा वैज्ञानिक और क्लाउड इंजीनियर के रिक्त पदों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं।

जी.सी.सी. सैलरी गाइड सर्वे 2022 के अनुसार छँटनी के कारण निम्न हानिकारक प्रभाव हैं–

- 50 प्रतिशत कम्पनियों को उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी होना।
- 21 प्रतिशत आवेदकों का अधिक वेतन मांगना।
- 19 प्रतिशत कम्पनियों को क्लाउड, साइबर सुरक्षा व साइंस प्रोद्यौगिकी क्षेत्रों में कुशल आवेदकों की कमी होना। आई.टी. क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की कमी होना जैसे कुशल सॉफ्टवेयर, डेवलेपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस विशेषज्ञों की कमी होना।

सर्वे के अनुसार कम्पनियों द्वारा स्थायी वेतन देने के बजाय आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है।

**छँटनी के समाधान– वैश्विक स्तर पर/भातीय स्तर पर/राज्य स्तर पर**

विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करके, सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे में असमानताओं के कारण सेवा क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार सृजन के लिये नीतियों को कम उत्पादक परंतु उच्च रोजगार पैदा करने वाली सेवाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन कौशल और शैक्षिक योग्यता की उपलब्धता के अधीन है। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सकल शैक्षिक नामांकन अनुपात कम तथा संस्थानों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक भिन्नताएं हैं। भारतीय नीति–निर्माता कौशल आवश्यकताओं की पहचान करके, विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिये सार्वजनिक–निजी भागीदारी विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों और सेवा क्षेत्र के साथ सहयोग करें। प्रशिक्षण लागत कम हो और बेरोजगारों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलें।

वैश्विक सेवा क्षेत्र में वृद्धि, आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पर्यटन और आतिथ्य जैसी ढ़ांचागत सुविधा क्षेत्रों के विकास को निर्धारित करते हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की अधिक सम्भावनाएं होती हैं। अस्पतालों, स्कूलों, पर्यटन के स्थलों के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार व नीतियों द्वारा सेवाओं में वृद्धि करके रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

**निष्कर्ष**

विश्व में अमेरिका की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जैसे अमेजन, मेटा, इंटेल, ट्विटर और सिटी इत्यादि; वित्तीय दिग्गज मॉर्गन स्टेनली की छँटनी की घोषणा के उपरांत, भारत की निर्यात सम्भावनाओं पर मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इसलिये वर्तमान अर्थव्यवस्था के अधिक डिजिटल और टेक्नोलॉजी संचारित होने के कारण जीवन शैली में तीव्रता से बदलाव आ रहे हैं जिसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, खुदरा और अन्य जीविकोपार्जन स्तरों पर भी पड़ रहा है। इस नयी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत जहाँ नए रोजगार सृजित होंगे वहीं मौजूदा रोजगार समाप्त भी होंगे। लाखों युवा आधुनिकता वाले महँगे संस्थानों से डिग्रियाँ प्राप्त करके शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं परन्तु नवीन तकनीकों के साथ स्वयं को समायोजित करने में असक्षम (असमर्थ) हो रहे हैं।

बेरोजगारी दर दहाई अंक तक पहुँचने के साथ मान्य है कि आर्थिक विकास भारत में पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने में परिवर्तित नहीं हुआ है। वर्तमान में औपचारिक क्षेत्र में सृजित रोजगार संख्या की धीमी वृद्धि और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमबल की भागीदारी की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि भी एक जटिल समस्या हैं। लगभग 92 प्रतिशत श्रमशक्ति जो अनौपचारिक क्षेत्र का भाग है, श्रमिकों में एक अनिश्चित रोजगार की स्थिति भी पैदा कर रहा है। भारत में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कुल कार्यबल का केवल 4.69 है जबकि चीन में 24, अमेरिका में 52, ब्रिटेन में 68, जर्मनी में 75, जापान में 80 और दक्षिण कोरिया में तो 96 तक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार भारत में लगभग 93 प्रतिशत आबादी ने कोई व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता में सुधार हेतु प्रशिक्षण, आवश्यकता का ऑकलन, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण आयोजन में क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना अत्यावश्यक है। तकनीकी शिक्षा के स्तर पर कौशलों में सुधार करके कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। श्रमिकों को मशीन संचालन का प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशलता में बदलाव भी किये जायें।

एकसमान मूल दक्षता वाले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग द्वारा विषय आधारित उत्कृष्ट केन्द्रों के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। एक ही विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में समान मूल दक्षता वाले संस्थानों को अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के तरीकों में साझेदारी हेतु उनकी एकीकरण प्रक्रिया को आरम्भ किया जाए। जैसे भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड बिजली घरों के लिए टर्बाईन और सार्वजनिक उपक्रमों के लिये उपकरण बनाता है। यदि उपयोगकर्ता सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों के लिये बी.एच.ई.एल. के प्रशिक्षण संस्थानों के अनुकूल अल्पावधि प्रशिक्षण के अवसरों का आयोजन किया जाए तो कर्मियों को स्वयं प्रयोग के उपकरणों की निर्माण प्रक्रिया, आकार, क्षमता और अन्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप कर्मी अपनी कार्यकुशलता का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

भौगोलिक समूहों के आधार पर ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायें, जहाँ संसाधनों, विशेषज्ञों, अनुसंधानों और विकास तथा भौतिक अवसंरचना की साझेदारी से संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सके। उत्कृष्टता के आधार पर प्रशिक्षकों का पूल तैयार करके कर्मियों के कार्यस्थल पर जाकर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके। प्रबंधन, एहतियाती सतर्कता और नेतृत्व जैसे प्रशिक्षण मोड्यूल डिजाइन करके एक समान प्रशिक्षण के तौर–तरीकों का मानकीकरण भी किया जाये।

## संदर्भ

1. https://www.drishtiias.com.
2. Toppers Notes - https://web.toppersnotes.com.
3. Times of India - https://m.timesofIndia.com.
4. Hindustansamachar.in - https://www .hindustansamachar.in.
5. https://www.jansatta.com.
6. https://www.deshkinaat foundation.com.

## विशिष्ट शब्दावली

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. National Statistical Office (NSO).
2. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण. Periodic Labour Force Survey (PLFS).
3. श्रमिक जनसंख्या अनुपात. Worker Population Ratio (WPR).
4. श्रमबल भागीदारी दर. Labour Force Participation Rate (LFPR).
5. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. International Monetary Fund.
6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Artifical Intelligence (AI).
7. बी.एच.ई.एल. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

13

# बेरोजगारी– कारण व निवारण एवं वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या

**डॉ० पुन्ज भाष्कर**
असिस्टैंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
डी० ए० वी० कॉलेज, कानपुर

***सारांश***

*बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है। समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने घर ही नहीं बाहर में लोगों के द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी नौकरियों का क्रियान्वयन नहीं हो सकता क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र की सहायता से ही व्यक्तियों को रोजगार संभव हो सकता है। व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को रोजगार व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।*

***मुख्य शब्द***

*बेरोजगार, भारतीय अर्थव्यवस्था, मजदूरी, पूर्ण रोजगार, व्यावहारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा।*

**प्रस्तावना**

बेरोजगारी का तात्पर्य लोगों की उस स्थिति से है, जिसमें वे प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने के इच्छुक तो होते हैं, परन्तु उन्हें काम नहीं प्राप्त होता। यह स्थिति अत्यन्त कष्टदायक तथा श्रमशक्ति के लिए विनाशकारी होती है। प्रतिभा पलायन, भ्रष्टाचार आदि अनेक सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयाँ बेरोजगारी से पनपती हैं, अतः इसका समाधान अति आवश्यक है। भारत के लिए अतिरेक श्रमशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के अनुरूप रोजगार सृजन करने में सक्षम नहीं है, फलतः बेरोजगारों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा में एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, रिकार्डो, मिल, गॉलब्रेथ आदि क्लासिकल अर्थशास्त्री शामिल हैं। जे. बी. से के नियम के अनुसार 'पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है।' मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखतीं हैं अर्थात् कोई बेरोजगार नहीं होता है।

क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया कि बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की अवस्था से अस्थाई रुप से परिवर्तित हो जाती है। बेरोजगारी बढ़ने पर मजदूरी दर घट जाती है जिससे श्रमिकों की मांग बढ़ती है क्योंकि मजदूरी दर एवं श्रमिकों की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है–

1. **स्वैच्छिक बेरोजगारी–** कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो या तो रोजगार में दिलचस्पी नहीं रखता है या फिर मजदूरी की प्रचलित दरों से अधिक मजदूरी पर ही काम करने को तैयार होता है, ऐसी दशा को स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।
2. **घर्षणात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी–** बाजार की दशाओं अर्थात् मांग एवं पूर्ति की दशा में परिवर्तन होने से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति जो एक काम को छोड़कर या अस्थाई समय के लिए निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं, इस अवधि में वह अस्थाई बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षणात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं।

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

## कीन्स की विचारधारा

1929 में विश्व में महान मंदी आती है जिससे बेरोजगारी में काफी तेजी से वृद्धि होती है और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की पूर्ण रोजगार की अवधारणा असफल सिद्ध हो जाती है। मंदी क्यों आई एवं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक 'जनरल थिअरी आफ अनइंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी' प्रकाशित होती है। इसमें स्पष्ट किया गया कि बेरोजगारी का कारण प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग (इफेक्टिव डिमांड) की कमी के रूप में जाना जाता है। समर्थ मांग का आशय मांग की उस स्थिति से है जहां अर्थव्यवस्था में पूर्ति एवं मांग बराबर होती है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही संतुलन की अवस्था में आ जाती है और इस प्रकार बेरोजगारी अस्थाई बन जाती है जिसके कारण अनैच्छिक बेरोजगारी का सृजन होता है।

## अनैच्छिक बेरोजगारी

ऐसे कार्यशील व्यक्ति जो कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता है। इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में प्रभावी माँग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अतः इसे अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि करके दूर किया जा सकता है।

उपरोक्त बेरोजगारी के अतिरिक्त बेरोजगारी के निम्नलिखित रूप भी पाये जाते हैं–

शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, आलस्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, अल्प रोजगार आदि।

## बेरोजगारी के कारण

हमारे देश में बेरोजगारी के अनेकों कारणों को बताया गया है जो निम्नलिखित हैं–

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, धीमी आर्थिक विकास दर, कम बचत तथा निवेश, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, संयुक्त परिवार प्रणाली, नई तकनीकी का प्रयोग, शिक्षा प्रणाली में दोष, तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण की मंद प्रक्रिया, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, तृतीयक क्षेत्र की धीमी गति, नये रोजगार की अपर्याप्तता, शिक्षित बेरोजगारी, सम्पति का असमान वितरण आदि।

जनसंख्या में हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा कारण है। जीवन–निर्वाह हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है, ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। हमारे देश में व्यावहारिक शिक्षा के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा तो होती है, परन्तु न तो वह किसी कार्य में दक्ष होता है, और न ही वह अपना निजी व्यवसाय शुरू कर पाता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी बढ़ाने में काफी हद तक जिम्मेदार है। पहले अधिकतर ग्रामीण लोग कुटीर एवं लघु उद्योग से अपनी जीविका चलाते थे। ब्रिटिश सरकार की लघु व कुटीर उद्योग विरोधी नीतियों के कारण देश में इनका पतन होता चला गया जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई।

औद्योगीकरण की मंद प्रक्रिया के कारण भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन होने के बावजूद भी तकनीकी के अभाव में हम इनका समुचित दोहन नहीं कर पाते हैं। भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, किन्तु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को समुचित रोजगार नहीं मिल पाता है।

## बेरोजगारी के दुष्परिणाम

बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता तथा भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे मानसिक अशांति की स्थिति में बेरोजगार लोगों के चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना रहती है। अपराध और हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कभी–कभी यह भी देखने को मिलता है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।

युवा वर्ग की बेरोजगारी का लाभ उठाकर एक ओर स्वार्थी राजनेता इसका दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग भी बेरोजगारों का शोषण करने से पीछे नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में देश का राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यन्त दूषित हो जाता है।

रोजगार गारंटी जैसा अनूठा कानून बनने के बावजूद भी देश में बेरोजगारी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार जिस रफ्तार से रोजगार बढ़ा रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। जो थोड़ा बहुत रोजगार बढ़ा भी है वह निजी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में रोजगार है जिसमें श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व से वंचित हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार बहुत तेजी से सिमट रहे हैं।

## बेरोजगारी निवारण हेतु सरकारी नीतियाँ

भारत में बेरोजगारी एक चिंतनीय समस्या रही है परंतु सरकार ने अभी तक किसी ठोस और दीर्घकालीन रोजगार नीति का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन नहीं किया है। नियोजन प्रक्रिया में प्रारंभिक काल में आर्थिक वृद्धि पर ही अधिक जोर दिया गया और यह समझा गया कि आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रोजगार प्रदान करने वाले अनेक कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम निर्माण कार्यक्रम, कृषि विकास सेवा केंद्र आदि के अलावा भी 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का सुझाव सरकार द्वारा दिया गया, इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं–

1. लघु उद्योगों को पर्याप्त सहायता देना।
2. प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना।
3. राष्ट्रीय सेवा कार्यों का विस्तार करना।
4. श्रमिक प्रशिक्षकों की सुविधाएं प्रदान करना।
5. देशी उत्पादन के प्रति सरकार की कार्य नीति पर बल देना।
6. सड़क परिवहन का विस्तार करना।
7. सफाई कार्य का विस्तार करना।
8. कार्य एवं प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना करना।
9. निजी निर्माण को प्रोत्साहन देना।
10. विद्युत की कमी को दूर करना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्यापक एक स्कूल की स्थापना करना।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगार योजनाएं चलाए जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति के कई कारण हैं। कभी–कभी योजनाओं को तैयार करने में दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण कई बार योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। प्रशासनिक कमियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती या इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा–पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासनतंत्र के कारण जनता तक पहुंचने के पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से दो–तिहाई तक बिचौलिये खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे ऊँट के मुँह में जीरा साबित होती हैं।

## वैश्विक स्तर पर छँटनी की समस्या

प्रसिद्ध अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे अमेजन, मेटा, इंटेल, ट्विटर और मॉर्गन स्टेनली आदि ने बड़े पैमाने पर छँटनी की घोषणा करके बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया। तकनीकी क्षेत्र में मंदी की समस्या, बढ़ते वैश्विक मुद्दे, केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां, उधार लेना महंगा होना इत्यादि छँटनी के मुख्य कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022–23 में निराशाजनक वैश्विक जी.डी.पी. का अनुमान लगाया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज वाइग्रा ने कथित तौर पर अपने कुछ कर्मचारियों को निकाला है। वजीरएक्स ने एक बयान में कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण त्रस्त बाजार एक बियर मार्केट की चपेट में है। भारतीय क्रिप्टो मार्केट को भी टैक्स नियमों और बैंकिंग पहुंच के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे सभी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज में गिरावट आई है।

भारत की बड़ी कंपनियां एच.सी.एल. टेक्नोलॉजी ने वैश्विक स्तर पर छँटनी करके अपने 350 कर्मचारियों का बाहर रास्ता दिखाया गया। राइडर इंजीनियरिंग कर्मचारियों की छँटनी कर रही है। कंपनी ने बताया कि उसने अपने 2000 इंजीनियरों की मजबूत फोर्स में करीब 10 प्रतिशत लोगों को जाने के लिए कहा है। बड़ी आई.टी. कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 200 से ज्यादा लोगों को निकाला। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने 80 पायलटों को 3 महीने के लिए बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया। अमेजॉन ने अपने 18000 कर्मचारियों की छँटनी की और गूगल ने 12000 की छँटनी की।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बदती जा रही है जो विश्व के सभी देशो में विद्यमान है। वैश्विक बेरोजगारी एक विशाल समस्या है जो कि कई देशों को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कुछ मुख्य कारण हैं–

- **तकनीकी प्रगति–** तकनीकी प्रगति एक मुख्य कारण है, क्योंकि अधिक मशीनों और ऑटोमेशन का उपयोग करने के कारण कुछ रोजगार अनुपलब्ध हो जाते हैं।

- **विदेशी निवेश–** विदेशी निवेश भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि अनेक देशों में विदेशी कंपनियां सस्ते मजदूर और सामान्य लागत पर उत्पादन करने में सक्षम होती हैं।
- **बढ़ती जनसंख्या–** बढ़ती जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि इससे अधिक लोग रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- **अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने की समस्या–** अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने और अवरोधक नीतियों की समस्या भी वैश्विक बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है।

अतः वैश्विक बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं– शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपाय है जो बेरोजगारी को कम कर सकता है। सरकारों को सबके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और स्कूल और कॉलेजों के विस्तार और सुधार के लिए प्रयास करने चाहियें। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में सुधार बेरोजगारी कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, नये उद्योगों को विकसित करने, लोगों की कार्यशील उत्पादकता को बढ़ाने, विदेशी निवेशों को आमंत्रित करने और अधिक नौकरियों का सृजन करने के लिए सरकारों को उद्योगपतियों के साथ समन्वय करना चाहिए। कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं क्योंकि उनमें उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। इसलिए, सरकार को युवाओं और बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। उद्योगों को भी बेरोजगारी को कम करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। वे नौकरियों का सृजन करने और उन्हें भरने में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए उद्योगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, उन्हें नौकरियों के लिए अधिक संभावनाएं उपलब्ध कराने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करने की जरूरत है।

## संदर्भ

1. सेन ए0 के0. (1973), "एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट", ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक।
2. वैद्यनाथन ए. (1994), "एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडियाः द इमर्जिंग प्रोस्पेक्टिव", इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 29(50), 368–409.
3. Raj Krishna (1973), "Unemployment in India", Economic and Political Weekly, 8(9): 475–484.
4. Mathew E. T. (2006), "Employment and Unemployment in India- Emerging Tendencies during the Post-reform period", Sage Publications, New Delhi.
5. Visaria, Pravin (1995), "Rural Non-Farm Employment in India: Trends and Issues for Research", Indian Journal of Agricultural Economics. 50(3): 398-409.
6. Unemployed in India, 1993-94: Salient Features, NSS 50th Round. Report No. 418, New Delhi.

14

# बेरोजगारी : समस्या एवं उसका निराकरण

**डॉ० अंकुर अग्रवाल**
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

**डॉ० रत्नावली गर्ग**
असिस्टैंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

***सारांश***

*बेरोजगारी किसी भी देश के विकास की प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गम्भीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन सम्बन्धी समस्यायें कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास के सामने खड़ी प्रमुख बाधाओं में से ही एक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। भारत में बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी सहित कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक–आर्थिक मुद्दे पैदा होते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। हालांकि सरकार ने रोजगार–सृजन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं पर अभी तक वांछनीय प्रगति हासिल नहीं हो पाई है। नीति निर्माताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहियें। हालांकि सरकार ने हर तरह की बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, परन्तु अभी तक परिणाम संतोषजनक नहीं मिले हैं। सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। इस समस्या के विभिन्न कारकों का प्रभावी और एकीकृत समाधान देखने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए और इसे कम करने के लिए कुछ गम्भीर कदम उठाने चाहियें।*

***मुख्य शब्द***

*बेरोजगारी, सामाजिक–आर्थिक मुद्दे, रोजगार–सृजन।*

बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं मे से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गम्भीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन सम्बन्धी समस्यायें कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से ही एक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को भी प्रभावित करती है।

## बेरोजगारी का अर्थ

किसी भी देश में जनसंख्या के दो घटक होते हैं–

1. **श्रम शक्ति–** वे सभी व्यक्ति, जो किसी ऐसे कार्य में संलग्न है जिससे धन का उपार्जन होता हो। ध्यान योग्य बात यह है कि कभी–कभी व्यक्ति धन उपार्जन तो करना चाहता है और वो काम की तलाश भी करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, ऐसे ही व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है।

2. **गैर–श्रम शक्ति–** वे सभी लोग जो किसी धन उपार्जन करने वाले काम में संलग्न न हो और न ही वो ऐसे किसी काम की तलाश कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जाता है; जैसे कि बच्चे, बूढ़े, किशोर एवं किशोरियाँ।

कुल मिलाकर एक बेरोजगार व्यक्ति वह है, जो धन उपार्जन करना चाहता है और वह रोजगार की तलाश में भी है, लेकिन रोजगार पाने में असमर्थ है, इसीलिए इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ, ऐसा व्यक्ति जो खुद ही काम नहीं करना चाहता या करना भी चाहता है तो वेतन कम मिलने के कारण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है क्योंकि काम तो उपलब्ध है लेकिन किसी कारण से व्यक्ति खुद ही नहीं करना चाहता है।

## बेरोजगारी के कारण

कई कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने वाले निम्न कारक हैं–

1. **जनसंख्या में वृद्धि–** देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है।
2. **धीमा आर्थिक विकास–** देश के धीमे आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लोगों को रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।
3. **मौसमी व्यवसाय–** देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मौसमी व्यवसाय होने के कारण यह केवल वर्ष के एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान करता है।
4. **औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि–** देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है। इस प्रकार इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं।
5. **कुटीर उद्योगों में गिरावट**– कुटीर उद्योगों में उत्पादन काफी गिर गया है और इस वजह से कई कारीगर बेरोजगार हो गये हैं।
6. **झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा–** झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ इस रूप में पैदा हो रही है कि कुछ व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को करना अपनी मान–मर्यादा के प्रतिकूल समझते हैं। जैसे विक्रय कला व टाइप करने जैसे कार्यों को नीचे दर्जे का माना जाता है। कभी–कभी युवा व्यक्ति इस तरह के कार्य को करने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि उनसे उसके परिवार का स्तर ऊँचा है तथा वे ऐसे कार्यों के करने के बजाए बेरोजगार रहना पंसद करते हैं।
7. **दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था–** भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी सरकार की देन है। यह शिक्षा सफेदपोश, नौकरी को महत्व प्रदान करती है और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा की भावना बढ़ाती है। फलस्वरूप आई.ए.एस., आई.पी.एस., डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज शिक्षक आदि सेवा में जाने के प्रति लोगों का झुकाव विशेष रूप से है जबकि ये सेवाएँ कम उपलब्ध हैं। फलस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी भरपूर है।
8. **गतिशीलता की कमी–** गतिशीलता की कमी बेरोजगारी को उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से हिचकते हैं, तो एक स्थान पर ही श्रमिकों की जमघट सी लगी रहती है। वे अपने ही जातीय समूह, गांव, नगर व राज्यों में सिमटकर रह जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, पारिवारिक दायित्व, धार्मिक रूढ़ियाँ, साम्प्रदायिकता आदि विशेष बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं जिससे व्यक्तियों में गतिशीलता नहीं हो पाती।
9. **भौतिक आपदाएं–** भारतीय कृषक को समय–समय पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, महामारी आदि जैसी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई आदि के साधन भी बहुत कम हैं, फलतः जितनी उपज होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो पाती है। अधिक उपज हो तो अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है। अतः भौतिक विपत्तियों से भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
10. **ग्रामीण शहरी प्रवासन–** शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण ये भी है कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में शहरों की ओर पलायन करती है। इससे शहरों पर बहुत ज्यादा दवाब बढ़ गया है वो इतनी बड़ी अकुशल एवं अशिक्षित जनसंख्या को झेल सकने में असमर्थ हो रहे हैं।

बेरोजगारी के उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट हब बनने के लिए जिस आधारभूत संरचना की जरूरत थी उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ति नहीं कर सकी है। साथ ही कुपोषण या अन्य स्वास्थ्य समस्यायें भी बेरोजगारी बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं।

## बेरोजगारी के प्रकार

भारत में बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी सहित कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। मूल रूप से बेरोजगार ऐसा व्यक्ति होता है जो काम करने के लिए तैयार है और एक रोजगार के अवसर

की तलाश कर रहा है पर रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ है। जो लोग स्वेच्छा से बेरोजगार रहते हैं या कुछ शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम करने में असमर्थ होते हैं वे बेरोजगार नहीं गिने जाते हैं। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार निम्न हैं–

1. **प्रच्छन्न बेरोजगारी–** जब जरूरी संख्या से ज्यादा लोगों को एक जगह पर नौकरी दी जाती है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इन अतिरिक्त लोगों को हटाने से उत्पादकता प्रभावित नहीं होती है।
2. **मौसमी बेरोजगारी–** मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है कुछ खास महीनों में काम का न मिलना। दूसरे शब्दों में, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ खास महीनों में तो खूब रोजगार पैदा करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद साल के अन्य महीनों में फिर से वही स्थिति आ जाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादक इकाईयों जैसे चीनी एवं बर्फ के कारखानों में देखी जाती है। कृषि क्षेत्र, चीनी व बर्फ के कारखानों में काम की प्रकृति ऐसी है कि श्रमिकों को एक वर्ष में 4–6 माह बेकार रहना पड़ता है।
3. **छिपी बेरोजगारी–** ऐसी बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, छिपी बेरोजगारी कहलाती है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह उस समय होता है जब कोई व्यक्ति उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। छिपी बेरोजगारी के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक लोग एक ही तरह के कार्य संपादन में देखे जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। गांव में उतने भूमि के हिस्से पर कई व्यक्ति काम करते हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति कर सकता है जिससे उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि उसमें एक के अलावा अन्य को हटा दिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी।
4. **अर्द्ध बेरोजगारी–** जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करने लगता है, तो ऐसी अवस्था को ही अर्द्ध–बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अन्य शब्दों में, ऐसा व्यक्ति जो किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न तो है लेकिन उसके इच्छा और कौशल के अनुसार वेतन या काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अल्प बेरोजगार कहा जाता है।
5. **खुली बेरोजगारी–** खुली बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब एक बड़ी संख्या में मजदूर नौकरी पाने में असमर्थ हैं जो उन्हें नियमित आय प्रदान कर सकें। यह समस्या तब होती है जब श्रम बल अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ जाता है।
6. **तकनीकी बेरोजगारी–** तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल से मानवीय श्रम की आवश्यकता कम होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है।
7. **संरचनात्मक बेरोजगारी–** संरचनात्मक बेरोजगारी मूल रूप से आर्थिक ढांचे से सम्बन्धित है। जब आर्थिक ढाँचे में दोष या विकास के कारण परिवर्तन होता है, तब बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऐसा देखा जाता है कि किसी समय में किसी विशेष उद्योग का विशेष रूप से विकास होता है, तो किसी दूसरे उद्योग में गिरावट होती है। गिरावट होने वाले उद्योग के मजदूर बेकार हो जाते हैं– जैसे भारत में कपड़े के उद्योग में मशीनों के आ जाने से जुलाहों का सफाया हो गया। इसी तरह से कम्प्यूटर आ जाने से कई श्रमिकों को काम से हाथ धोना पड़ा था।
8. **चक्रीय बेरोजगारी–** चक्रीय बेरोजगारी व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में पाई जाती है। जब व्यापार में तेजी–मंदी या उतार–चढ़ाव होता है, तब बेरोजगारी का चक्रवात सामने आता है। जब मंदी होती है तब बेरोजगारी बढ़ जाती है और जब तेजी आती है तो बेरोजगारी घट जाती है। व्यापार की इन चक्रीय दशाओं की उत्पत्ति से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्त हैं– जलवायु का सिद्धान्त, अधिक बचत या कम उपभोग का सिद्धान्त, मुद्रा का सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त आदि।
9. **संघर्षात्मक बेरोजगारी–** जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है, इस दौरान नए रोजगार मिलने तक जो वो बेरोजगार बैठा रहता है, तो उसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि जब किसी भी उद्योग में उत्पादन की स्थिति और मशीनें बदलती हैं तो पुराने श्रमिक कुछ समय के लिए बेकार हो जाते हैं। किन्तु शीघ्र ही उत्पादन की नयी तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर वे अपने लिए नया रोजगार खोज लेते हैं।
10. **शिक्षित बेरोजगारी–** भारत की आर्थिक समस्याओं में से शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है। जैसे कई व्यक्ति सालों लगाकर स्नातक, स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब वे अपनी पढ़ाई समाप्त करके और डिग्री साथ लेकर बाजार में आते हैं तो उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता है और वे बेरोजगार हो जाते हैं तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है।
11. **ठेका बेरोजगारी–** इस तरह की बेरोजगारी में लोग या तो अंशकालिक आधार पर नौकरी करते हैं या उस तरह के काम करते हैं जिसके लिए वे अतिरेक रुप से योग्य हैं।
12. **प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी–** यह तब होता है जब श्रम बल की मांग और इसकी आपूर्ति उचित रूप से समन्वयित नहीं होती है।
13. **दीर्घकालिक बेरोजगारी–** दीर्घकालिक बेरोजगारी वह होती है जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण देश में जारी है।

14. **आकस्मिक बेरोजगारी–** मांग में अचानक गिरावट, अल्पकालिक अनुबंध या कच्चे माल की कमी के कारण ऐसी बेरोजगारी होती है।

## बेरोजगारी के परिणाम

बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक–आर्थिक मुद्दे पैदा होते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख परिणामों की व्याख्या नीचे की गई है–

1. **गरीबी में वृद्धि–** बेरोजगारी दर में वृद्धि से देश में गरीबी की दर में वृद्धि हुई है। देश के आर्थिक विकास को बाधित करने के लिए बेरोजगारी मुख्यतः जिम्मेदार है।
2. **अपराध दर में वृद्धि–** एक उपयुक्त नौकरी खोजने में असमर्थ बेरोजगार आमतौर पर अपराध का रास्ता अपना लेता है क्योंकि यह पैसा बनाने का एक आसान तरीका है। चोरी, डकैती और अन्य भयंकर अपराधों के तेजी से बढते मामलों के मुख्य कारणों में से एक बेरोजगारी भी है।
3. **श्रम का शोषण–** नियोक्ता आमतौर पर कम वेतन की पेशकश कर बाजार में नौकरियों की कमी का लाभ उठाते हैं। अपने कौशल से जुड़ी नौकरी खोजने में असमर्थ लोग आमतौर पर कम वेतन वाली नौकरी के लिए व्यवस्थित होते हैं। कर्मचारियों को प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या से अधिक घंटों के लिए भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
4. **राजनैतिक अस्थिरता–** रोजगार के अवसरों की कमी के फलस्वरूप सरकार में विश्वास की कमी होती है और यह स्थिति अक्सर राजनीतिक अस्थिरता की ओर जाती है।
5. **मानसिक स्वास्थ्य–** बेरोजगारी लोगों में असंतोष का स्तर बढ़ाती है जिससे यह धीरे–धीरे चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में बदलने लगती है।
6. **कौशल का नुकसान–** लम्बे समय के लिए नौकरी से बाहर रहने से जिन्दगी नीरस और कौशल का नुकसान होता है। यह एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को काफी हद तक कम कर देता है।

## भारत में बेरोजगारी दर

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर दिसम्बर 2022 में बढ़कर 8.30 प्रतिशत हो गई, जो नवम्बर 2022 में 8.00 प्रतिशत थी; यह 16 महीनों में उच्चतम स्तर पर थी। शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने के 8.96 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 2022 में 10.09 प्रतिशत हो गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.55 प्रतिशत से घटकर 7.44 प्रतिशत हो गई। दिसम्बर 2022 में उच्चतम बेरोजगारी दर हरियाणा में 37.4 प्रतिशत थी, जबकि सबसे कम ओडिशा में 0.9 प्रतिशत थी। हरियाणा के अलावा, देश की राजधानी सहित सात अतिरिक्त राज्यों में बेरोजगारी दर दो अंकों में मौजूद है।

## भारत में बेरोजगारी दर वर्षवार

भारत में वर्षवार भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 में 23.50 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर से लेकर सितम्बर 2022 में 6.40 प्रतिशत के रिकॉर्ड निम्न स्तर तक थी, जो उन वर्षो के बीच औसतन 8.22 प्रतिशत थी। नीचे हमने भारत में वर्षवार बेरोजगारी के कुछ ऑकड़े प्रदान करे हैं–

- 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 5.98 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.02 प्रतिशत कम थी।
- भारत में 2020 के लिए बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.73 प्रतिशत अधिक थी।
- 2019 के लिए भारत में बेरोजगारी दर 5.27 प्रतिशत थी, जो 2018 में 0.06 प्रतिशत कम थी।
- 2018 में भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की तुलना में 0.03 प्रतिशत गिरकर 5.33 प्रतिशत हो गई।

## भारत में बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़े

| माह | भारत में बेरोजगारी दर प्रतिशत में | उ0प्र0 में बेरोजगारी दर प्रतिशत में |
|---|---|---|
| मार्च 2016 | 8.7 | 14.4 |
| मार्च 2017 | 4.7 | 2.4 |
| मार्च 2018 | 6.0 | 3.1 |
| मार्च 2019 | 6.7 | 8.9 |
| मार्च 2020 | 8.8 | 10.1 |
| मार्च 2021 | 6.5 | 4.1 |
| मार्च 2022 | 7.6 | 4.4 |
| मार्च 2023 | 7.8 | 5.5 |

**स्रोत – www.cmie.com**

भारत में बेरोजगारी दर प्रतिशत में

| माह | कुल | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| अप्रैल 2022 | 7.83 | 9.22 | 7.18 |
| मार्च 2023 | 7.80 | 8.51 | 7.47 |

**स्रोत – www.cmie.com**

**बेरोजगारी खत्म करने के सम्भव समाधान**

- **जनसंख्या पर नियत्रंण–** बेरोजगारी को दूर करने के लिये जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। जिस अनुपात में रोजगार से साधन बढ़ते हैं, उससे कई गुना अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि पर रोक आवश्यक है।
- **कृषि का विकास–** भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि विकास होने से बेरोजगारी में कमी आ सकती है। कृषि में नवीन उपकरणों, कृत्रिम खादों, उन्नत बीजों, सिंचाई योजनाओं, कृषि योग्य नई भूमि बनाने, वृक्षारोपण, बाग–बगीचे लगाने व सघन खेती से रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृषि विकास से व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। जीवन स्तर ऊँचा उठेगा, इच्छा व क्षमता में विकास होगा। ये सब बेरोजगारी को कम करेंगी।
- **रचनात्मक कार्य–** राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों और मध्य–वर्गीय लोगों के लिए भवनों का निर्माण सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इससे एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ श्रमिकों को अच्छे निवास मिलने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं तथा कार्यालयों का विस्तार एवं विकास होने से रोजगार के अवसर बढ़ेगें। इसी तरह बांध, पुल, सड़क, पार्क एवं नदी–घाटी आदि के निर्माण के कार्यों को बढ़ावा देकर अनेक बेरोजगार व्यक्तियों के श्रम का उपयोग किया जा सकता है।
- **शिक्षा व्यवस्था–** भारत में शिक्षा प्रणाली कौशल विकास की बजाए सैद्वान्तिक पहलुओं पर केन्द्रित है। कुशल श्रम शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रणाली को सुधारना होगा।
- **औद्योगीकरण–** लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहियें।
- **विदेशी कम्पनियां–** सरकार को रोजगार की अधिक सम्भावनाएं पैदा करने के लिए विदेशी कम्पनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **रोजगार के अवसर–** एक निश्चित समय में काम करके बाकि समय बेरोजगार रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहियें।
- **अन्य उपाय–** उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त बेरोजगारी निवारण में निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं–
  - श्रम की गतिशीलता को संतुलित करके कुछ हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
  - बेरोजगारी बीमा योजना या बेरोजगारी भत्ता आदि का प्रावधान सरकारों द्वारा तब तक किया जा सकता है, जब तक कि रोजगार प्राप्त न हो जाये।
  - गांव–नगर सम्बन्ध को और अधिक विकसित करके सही जगह पर सही स्किल वाले लोगों को भेजा जा सकता है, साथ ही शहरों की कुछ खूबियों को गांव में क्रियान्वित करके कुछ रोजगार का सृजन किया जा सकता है।
  - सरकार द्वारा चीन के बाजार को भारतीय बाजार में आने से रोक कर और खुद सस्ते और टिकाऊ प्रॉडक्ट बनाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इससे भी बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन हो सकता है।

**बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी पहल**

1. **स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षण–** 1979 में शुरू किए गये इस कार्यक्रम का नाम नेशनल स्कीम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करना है।
2. **इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम–** वर्ष 1978–79 में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम पर 312 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे और 182 लाख परिवारों को इससे लाभ हुआ था।
3. **विदेशी देशों में रोजगार–** सरकार विदेशी कम्पनियों में रोजगार पाने में लोगों की मदद करती है। अन्य देशों में लोगों के लिए काम पर रखने के लिए विशेष एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं।

4. **लघु और कुटीर उद्योग–** बेरोजगारी के मुद्दे को कम करने के प्रयास में सरकार ने छोटे और कुटीर उद्योग भी विकसित किए हैं। कई लोग इस पहल के साथ अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं।
5. **स्वर्ण जयंती रोजगार योजना–** इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी आबादी के लिए स्वयं रोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसमें दो योजनाएं शामिल हैं–
   - शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम
   - शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
6. **रोजगार आश्वासन योजना–** यह कार्यक्रम देश में 1752 पिछड़े वर्गों के लिए 1994 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बेरोजगार लोगों को इस योजना के तहत 100 दिनों तक अकुशल मैनुअल काम प्रदान किया गया था।
7. **सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम–** यह कार्यक्रम 13 राज्यो में शुरू किया गया और मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से 70 सूखा–प्रवण जिलों को कवर किया गया। अपनी सातवीं योजना में सरकार ने इस पर 474 करोड़ रूपये खर्च किए।
8. **जवाहर रोजगार योजना–** अप्रैल 1989 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार में कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष तक पचास से सौ दिन रोजगार प्रदान करना था। व्यक्ति को आसपास के क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है और इन अवसरों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है।
9. **नेहरू रोजगार योजना–** इस कार्यक्रम के तहत कुल तीन योजनाएं हैं। पहली योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। दूसरी योजना के अन्तर्गत 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में मजदूरों के लिए मजदूरी–रोजगार की व्यवस्था की जाती है। तीसरी योजना के तहत शहरों में शहरी गरीबों को अपने कौशल से मेल खाते रोजगार के अवसर दिए जाते हैं।
10. **रोजगार गारंटी योजना–** बेरोजगार लोगों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसे केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है।

    इनके अलावा बेरोजगारी को कम करने के लिए कई अन्य कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं।

## निष्कर्ष

बेरोजगारी एक गम्भीर मुद्दा है। कई कारक है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ में उचित शिक्षा की कमी, अच्छे कौशल और हुनर की कमी, प्रदर्शन करने में असमर्थता, अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी और तेजी से बढ़ती आबादी शामिल है। देश में बेरोजगारी की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। हालांकि सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं पर अभी तक वांछनीय प्रगति हासिल नहीं हो पाई है। नीति निर्माताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। हालांकि सरकार ने हर तरह की बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, परन्तु अभी तक परिणाम संतोषजनक नहीं मिले हैं। सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। हालांकि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय कर रही है पर इस समस्या को सही मायनों में रोकने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी समाज में विभिन्न समस्याओं का मूल कारण है। हालांकि सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए पहल ही है लेकिन उठाये गये उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या के विभिन्न कारकों का प्रभावी और एकीकृत समाधान देखने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए और इसे कम करने के लिए कुछ गम्भीर कदम उठाने चाहियें।

## संदर्भ

1. भारत में बेरोजगारी. https://www.drishtiias.com › unemployment-in-india.
2. बेरोजगारी उन्नमूलन में विषयों का योगदान. Prof. (Dr.) R.P.Yadav and Dr. Meena Yadav, January 2022.
3. www.wikipedia.com.
4. दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान. विभिन्न अंक।
5. द इकोनामिक टाईम्स. विभिन्न अंक।

15

# भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी – कारण, परिणाम एवं रोकथाम हेतु उपाय

**प्रोफेसर (डॉ०) कमल सिंह**
प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय
हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद (उ0प्र0)

***सारांश***

*भ्रष्टाचार एक प्रकार का अपराध होता है जो बेईमान लोगों द्वारा किया जाता है। विश्व में वर्तमान समय में लगभग 200 देश हैं जिनमें सभी देशों में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चाहे समाज, कोई जाति, धर्म, ऊंच–नीच, गरीब–अमीर में बॉटने की बात हो या कोई अन्य बात; यहीं से भारत में भ्रष्टाचार की नींव पड़ी। काला बाजार भी एक प्रकार का अवैध व्यापार है जो विश्व के लगभग समस्त देशों में है। काला बाजार एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें उत्पादक एवं व्यापारी अवैध रूप से आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को जमा कर लेते हैं जिस कारण बाजार में उन वस्तुओं की उपलब्धता मे कमी आने लगती है। इससे इन समस्त वस्तुओं का मूल्य बढ जाता है और जमाखोरों को ज्यादा फायदा होता है। छुपी अर्थव्यवस्था में ऐसा बाजार होता है जहां गैर–कानूनी गतिविधियां चल रही होती हैं और बाजार के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है।*

*प्रस्तुत शोध पत्र में हमने भारत में काली अर्थव्यवस्था का कुल आकार, भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता एवं भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारणों का अध्ययन किया है तथा साथ ही साथ हमने भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के परिणाम तथा भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी पर रोकथाम हेतु उपाय इत्यादि का अध्ययन किया है ।*

***मुख्य शब्द***

*भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, काला धन, रिश्वतखोरी, कर चोरी, जालसाजी, हेराफेरी, लोकपाल, डिजिटलाइजेशन।*

**प्रस्तावना**

भारत में प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन काल में राजाओं एवं महाराजाओं द्वारा भारतीय जनता को विभिन्न जातियों एवं समुदायों में विभाजित कर दिया गया। लगता है कि यहीं से भ्रष्टाचार की भारत में शुरुआत हो गई थी जिससे पूरे देश में उस समय पूरा सामाजिक ढांचा कमजोर हो गया। भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है निजी लाभ के लिए अपनी समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना। भ्रष्टाचार मानवता के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो व्यक्तियों और समुदायों के विनाश का कारण बनती है। भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता में व्यापक स्तर पर रोष फैलता है जिससे समाज में अशांति फैलती है और झगड़े होने की हमेशा संभावना बनी रहती है। भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ती रहती हैं और उसे सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार के कारण देश का गरीब आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सेवाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाता है क्योंकि उसके पास रिश्वत देने की सामर्थ्य नहीं होती। किसी आकस्मिक स्थिति के चलते जब किसी वस्तु विशेष की बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाते हुए वस्तुओं को बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर अनुचित तरीके से लाभ कमाने की प्रक्रिया को कालाबाजारी कहते हैं। कालाबाजारी उस स्थिति में की जाती है जब किसी वस्तु की पूर्ति में लगातार कमी आ रही हो। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर कोरोना महामारी का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस

महामारी के दौरान लोगों के सामने आने वाली अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे ऑक्सीजन, दवाओं, जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी और अस्पताल में बिस्तरों की अनुपलब्धता से बढ़ गई थी। अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों की भारी मांग ने कालाबाजारियों और जमाखोरों को उनकी जेब भरने का मौका दिया। नकली रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत अधिक कीमत पर बेची जा रही थीं। कालाबाजारी का आधार वस्तु की आपूर्ति में कमी से होता है, क्योंकि वस्तुओं की उपलब्धता मुश्किल होने पर काला बाजार सबसे अच्छी तरीके से फलता फूलता है।

## भारत में काली अर्थव्यवस्था का कुल आकार

भ्रष्टाचार और काला धन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भ्रष्टाचार या रिश्वत के माध्यम से अवैध संतुष्टि प्राप्त की जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाली आय काली होती है। करों की चोरी करके भी कालाधन उत्पन्न होता है। काली अर्थव्यवस्था का भारत में अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है क्योंकि इसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही छुपी हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने काले धन के बारे में कुछ नहीं बताता है। यही कारण है कि भारत में काली अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उनसे प्राप्त परिणामों में व्यापक अंतर है। भारत में विभिन्न संस्थाओं एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा काली अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में कुछ अनुमान दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं–

- **निकोलस काल्डर के अनुसार** – उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा का अनुमान 1956 में प्रकाशित रिपोर्ट में किया गया, जिसमें वर्ष 1953–54 में भारत में काली आय 600 करोड़ रुपए थी जो उस वर्ष की सकल राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत थी।
- **बाचूँ समिति के अनुमान के अनुसार –** बाचूँ समिति ने निकोलस काल्डर की अनुमान विधि का प्रयोग करते हुए वर्ष 1961–62 के लिए काले धन की मात्रा के अनुमान प्रस्तुत किए। इस समिति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन का अनुमान 700 करोड़ रुपए निश्चित किया गया। इस समिति ने वर्ष 1965–66 के लिए भी अनुमान प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार इस वर्ष कालेधन की मात्रा 1000 करोड़ रुपए थी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.2 प्रतिशत था।
- **ओ0 पी0 चड्ढा के अनुमान के अनुसार** – वर्ष 1982 में ओ0 पी0 चड्ढा ने 1976–77 में काले धन की मात्रा के बारे में अपने अनुमान प्रस्तुत किए। वर्ष 1960–61 में काले धन की मात्रा जहां मात्र 916 करोड़ रुपए थी जो उस वर्ष के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5 प्रतिशत के बराबर थी, यही वर्ष 1976–77 में बढ़कर 8098 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 11.40 प्रतिशत के बराबर थी।
- **पूनम गुप्ता एवं संजीव गुप्ता के अनुमान के अनुसार** – वर्ष 1967–68 में भारत में काले धन की मात्रा 3034 करोड रुपए थी, जो 1978–79 में बढ़कर 46867 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस 11 वर्ष की छोटी अवधि में काले धन की मात्रा 15 गुना से भी अधिक हो गई।
- **अरुण कुमार के अनुमान के अनुसार** – अरुण कुमार ने वर्ष 1990–91 एवं वर्ष 1995–96 तथा वर्ष 2016–17 के लिए काले धन के बारे में अनुमान प्रस्तुत किये। उनके अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 में काले धन का मूल्य 93 लाख करोड़ रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 62 प्रतिशत था तथा जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था। निम्नलिखित सारणी–1 में भारत मे कालेधन के अनुमान को दिखाया गया है–

**सारणी–1: भारत में काले धन का अनुमान वर्ष 1975–76 से वर्ष 1983–84 तक**

| वर्ष | काले धन के अनुमान (करोड़ रुपए में) | सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में (प्रतिशत में) |
|---|---|---|
| 1975–76 | 9958 से 11870 | 15 से 18 |
| 1980–81 | 20362से 23678 | 18 से 21 |
| 1983–84 | 31584 से 36786 | 18 से 21 |

**स्रोत–** NIPFP, Aspects of the Black Economy In India (New Delhi, 1985) Table XIII 2.6, P.431 and Table XIII 2.7, P.433.

## भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता

भ्रष्टाचार का मतलब अपने निजी लाभ के लिए अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने से है। यह एक ऐसा जहर है जो किसी समाज, देश, संप्रदाय और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है जिस कारण भ्रष्ट व्यक्ति अपनी छोटी सी इच्छा और अनुचित लाभ के लिए सामान्य जन के संसाधनों की बर्बादी करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण इसका प्रभाव व्यक्ति के विकास के साथ ही राष्ट्र पर भी पड़ रहा है और यही समाज और समुदायों के बीच असमानता का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। भारत में भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रस्तुत सारणी–2

के अनुसार विश्व के 180 देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से लेकर 100 (नगण्य भ्रष्ट) के बीच सी.पी.आई. स्कोर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इस सारणी में न्यूजीलैंड का स्कोर सर्वाधिक 89 है इसलिए वह सबसे कम भ्रष्ट देश है। भारत का स्कोर 40 है और उसकी क्रम संख्या 81 है। इसका मतलब है कि भारत में व्यापक भ्रष्टाचार है।

भारत सहित विश्व के कुछ प्रमुख देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति को निम्नलिखित सरणी के माध्यम से दर्शाया गया है–

**सारणी–2(अ): भ्रष्टाचार बोध सूचक 2017**

| सबसे कम भ्रष्ट देश | | | सर्वाधिक भ्रष्ट देश | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **देश** | **सी.पी.आई. स्कोर** | **क्रम संख्या** | **देश** | **सी.पी.आई. स्कोर** |
| 1 | न्यूजीलैंड | 89 | 175 | सूडान | 16 |
| 2 | डेनमार्क | 88 | 177 | अफगानिस्तान | 15 |
| 3 | फिनलैंड | 85 | 178 | सीरिया | 14 |
| 3 | नार्वे | 85 | 179 | दक्षिण सूडान | 12 |
| 3 | स्विटजरलैंड | 85 | 180 | सोमालिया | 9 |
| 6 | सिंगापुर | 84 | | | |
| 6 | स्वीडन | 84 | | | |

**सारणी–2(ब): भ्रष्टाचार बोध सूचक 2017**

| ब्रिक्स देश | | | अन्य बड़े देश | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **देश** | **सी.पी.आई. स्कोर** | **क्रम संख्या** | **देश** | **सी.पी.आई. स्कोर** |
| 71 | दक्षिण अफ्रीका | 43 | 8 | इंग्लैंड | 82 |
| 77 | चीन | 41 | 16 | अमेरिका | 75 |
| 81 | भारत | 40 | 20 | जापान | 73 |
| 96 | ब्राजील | 37 | 117 | पाकिस्तान | 32 |
| 135 | रूस | 29 | 143 | बांग्लादेश | 28 |

उपरोक्त सारणी का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्ष 2017 की भ्रष्टाचार बोधक सूची में भारत 81वें स्थान पर है जिसका सी.पी.आई. स्कोर 40 है, इसका मतलब यह है कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण अफ्रीका एवं चीन से ज्यादा भ्रष्ट है जबकि पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से बहुत कम भ्रष्ट है। अब वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार बोधक सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया है जबकि सर्वाधिक कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य कर्नाटक है जबकि सबसे कम भ्रष्ट राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस लिस्ट में कुल चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है यहां 74 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने रिश्वत देकर अपना काम कराया।

## भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार उसकी जड़ों में समाया हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप मे विद्यमान है। वर्तमान समय में भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित रुप में दिखाया गया है–

**सामाजिक कारण** : भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां आज भी विद्यमान हैं जिस कारण समाज के कुछ बड़े हिस्से में जागरूकता एवं शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें पग–पग पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है और बाजार में अपने अधिकारों के प्रति सचेत न होने के कारण तमाम प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

**राजनीतिक कारण :** भारत में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक राजनीतिक वातावरण काफी प्रदूषित हो चुका है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहां पर भ्रष्ट व्यक्ति अपनी पहुंच के कारण जीतने से लेकर अच्छे पद पर बैठकर राजनीति की दिशा एवं दशा को प्रभावित करता हैं।

**जमाखोरी और मुनाफाखोरी** : उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग का एक तबका किसी भी वस्तु, सेवा या कोई भी आवश्यक चीज की आवश्यकता से बहुत ज्यादा मात्रा में जमाखोरी कर लेता है और जरूरतमंद लोगों को उन वस्तुओं के उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचकर मुनाफाखोरी करता है; ऐसी स्थिति देश एवं समाज के लिए अच्छी नहीं होती है।

**प्रशासनिक कारण** : भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन समस्त प्रकार के सरकारी अधिकारियों के द्वारा कराया जाता है ताकि उन सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को आसानी से मिल सके किंतु भ्रष्टाचार के कारण समाज के अनेकों लोगों को उन सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

**मिलावट एवं कालाबाजारी** : भारत में खाद्य पदार्थों में, दवाओं में और अन्य उन समस्त वस्तुओं में मिलावट एवं

कालाबाजारी की जाती है जिनका जनता बहुतायत मात्रा में प्रयोग करती है। कभी–कभी किसी हाईप्रोफाइल क्रिकेट मैच में भी टिकटों की बिक्री में भी कालाबाजारी हो जाती है।

**आर्थिक कारण** : समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पद के लिए या कोई सेवा पाने के लिए सुयोग्य नहीं होते हुए भी वह भ्रष्टाचार के कारण पद पर नियुक्त कर लिए जाते हैं या वह सेवा प्राप्त कर लेते हैं जबकि धन के अभाव के कारण सुयोग्य व्यक्ति पद या सेवा प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है।

**जागरूकता का अभाव** : भारत की अधिकांश जनता आज भी उतनी जागरूक नहीं है जितनी होनी चाहिए।

**नैतिक मूल्यों का पतन :** वर्तमान में भारत में अधिकांश लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वह न गरीब–अमीर में फर्क समझते हैं और न अपने पराए में अंतर समझते हैं अर्थात् ऐसे लोगों का नैतिक पतन हो गया है।

**अधिक जनसंख्या का होना** : भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है यहां सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भ्रष्टाचार से होकर गुजरना पड़ता है।

**बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवाद** : भारत में जनता के मन में यह स्वीकार्यता हो गयी है कि इस काम को कराने के लिए या यह सुविधा प्राप्त करने के लिए कुछ मोल चुकाना पड़ेगा, तो वह मानसिक रूप से उस काम को पूरा कराने के लिए तैयार रहता है। अतः कुछ मामलों में भ्रष्टाचार को सामाजिक रुप में भी स्वीकार कर लिया जाता है।

## भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के परिणाम

भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं–

**देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है :** अर्थव्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी दोनों ही नासूर का काम करते हैं। इन दोनों के कारण योग्य व्यक्ति को योग्य होते हुए भी रोजगार नहीं मिल पाता जबकि अयोग्य व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है।

**देश में घूसखोरी** : जब देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है तो कोई भी कार्य बिना रिश्वत या घूसखोरी के नहीं हो पाता। घूसखोरी के कारण समाज एवं देश में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है।

**अपराध में वृद्धि** : भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण देश में दिन–प्रतिदिन हालात बिगड़ते जाते हैं जिसमें समस्त प्रकार के अपराधों की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह दो प्रकार के होते हैं– एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध।

**देश की कानून व्यवस्था पर सवाल** : देश में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब व्यक्ति और गरीब होते जाते हैं जिस कारण देश की जनता द्वारा देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं।

**सार्वजनिक निर्माण कार्य का घटिया स्तर** : इस व्यवस्था में जो सरकारी कार्य किए जाते हैं वह बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये कार्य अधिकतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं।

**योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं** : इस व्यवस्था में योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को उचित अवसर नहीं मिलता क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण अयोग्य और चापलूस किस्म के लोगों को अवसर मिलते हैं।

**काले धन का अंबार :** देश में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण कुछ गिने–चुने लोगों के पास काले धन का अंबार लग जाता है और गरीब व्यक्तियों के पास धन का अभाव रहता है जिस कारण देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है।

**मिलावटखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी** : मिलावटखोरी एवं जमाखोरी के बढ़ने के कारण देश में अफरा–तफरी का माहौल बनने लगता है और मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी के कारण देश की जनता में आक्रोश पनपने लगता है। ऐसी स्थिति में जनता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है।

**गरीब व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर :** भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी के कारण देश के गरीब व्यक्तियों के जीने के मूल अधिकार रोटी, कपड़ा और मकान एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन होता है।

**गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच खाई में वृद्धि** : इस व्यवस्था में गरीब व्यक्ति और गरीब एवं अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाते है।

**आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास उठना** : इस व्यवस्था में देश के आम आदमी का सरकारी मशीनरी एवं तंत्र से विश्वास उठ जाता हैं।

**उच्च स्तर का भ्रष्टाचार खतरनाक** : इस व्यवस्था में उच्च स्तरों पर बैठे अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण निम्न स्तर के कर्मचारियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिससे वे निकम्मे एवं कामचोर बन जाते हैं।

## भारत में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी की रोकथाम हेतु उपाय

भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कड़े से कड़े कानून व नियम बनाकर

उस पर स्वयं द्वारा एवं जनता का सहयोग लेकर अमल करना होगा, क्योंकि न तो केवल सरकारों द्वारा और न ही केवल जनता द्वारा किए गए प्रयास सफल होते हैं बल्कि जब सरकार एवं सब लोग साथ मिलकर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, भारत में भ्रष्टाचार रोकने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं–

- न्यायालय द्वारा सरकार व प्रशासन को आदेश दिया जाए कि वह भ्रष्ट लोगों पर व संस्थाओं पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही करें।
- संसद व राज्य विधायिका द्वारा तीव्र गति से कार्य करने वाला कानून बनाया जाए।
- पुलिस प्रशासन एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं उन्हें पर्याप्त स्टाफ एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा संस्थानों की आवश्यकता को पूरा किया जाना आवश्यक है।
- भारत सरकार द्वारा उन समस्त लोगों पर सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है जो देश–विदेश से भ्रष्टाचार में सहायता प्रदान करते हैं।
- समय–समय पर सभी कर्मचारियों के कार्य का अवलोकन एवं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कर्मचारी किस प्रकार का कार्य कर रहा है।
- न केवल समस्त सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बल्कि आम जनता को हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- भारत में आधुनिक समय में इंटरनेट के माध्यम से हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत रोकने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा समस्त प्रकार की सरकारी एवं निजी संस्थाओं, दुकानदार, बिजनेसमैन, डॉक्टर आदि को अपने यहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश जारी करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके।
- भारत में कालाबाजारी की रोकथाम और उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु का रखरखाव अधिनियम 1980 बनाया है जो भारत में यह सुनिश्चित करता है कि एक समय में एक उत्पादक या व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कितना माल स्टॉक में रख सकता है। इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने की जरुरत है।

## निष्कर्ष

वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी का बोलबाला है क्योंकि भ्रष्टाचार मानव की नियति बन चुका है। विश्व के 180 देशों की सूची में न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट देश है जबकि सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। भ्रष्टाचार बोधक सूची में भारत का सी.पी.आई. स्कोर 40 है जबकि 81 क्रम संख्या पर यह मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत में धीरे–धीरे भ्रष्टाचार का असर कुछ कम हो रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां पर भी भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी का प्राचीन काल से ही बोलबाला रहा है। भारत में विशाल जनसंख्या है। इतनी विशाल जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं को लागू करने में एवं धरातल पर उतारने के लिए अनेकों प्रकार की सरकारी मशीनरी लगी हुई है। इन योजनाओं को लागू कराने में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी का उदय होता है। जब बाजार में उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को जमा कर लिया जाता है तो यह स्थिति बाजार एवं आम जनता के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार, समस्त राज्य सरकारें एवं समस्त स्थानीय सरकारें अपने–अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस प्रकार की योजना एवं नीतियों का निर्माण करते रहते हैं ताकि समाज के किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार का कम से कम सामना करना पड़े और आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं उपभोग करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

## संदर्भ

1. पुरी, वी0के0., मिश्र, एस0के0. भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. Kumar, Ajeet. Indian Economy.
3. hihindi.com.
4. https://hihindi.com. What is Corruption.
5. https://my-knowledge.in. bhrashta.
6. अमर उजाला एवं दैनिक जागरण. दैनिक अखबार।

16

# भ्रष्टाचार : एक अभिशाप

**डॉ० संजीव गौड़**
प्राचार्य एवं असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
नहटौर डिग्री कॉलेज, नहटौर (बिजनौर)

**डॉ० अंकुर अग्रवाल**
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

***सारांश***

*वर्तमान समय में भारत के दृष्टि पटल पर कई प्रमुख समस्यायें हैं जिनमें एक प्रमुख है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनुचित और अनैतिक हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरूद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, सस्ता सामान लाकर मंहगा बेचना, ब्लैकमैल करना, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, पैसे लेकर वोट देना आदि। भ्रष्टाचार में कई गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं जिनमें उत्कोच ग्रहण, अनुचित रुप से प्रभावित करना और गबन शामिल हैं और इसमें ऐसी प्रथाएँ भी शामिल हो सकती हैं जो कई देशों में कानूनी हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक क्षमता के साथ कार्य करता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं किन्तु वे अधिक प्रभावी नहीं है। भ्रष्टाचार रूपी समस्या से पूर्णतः छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा तथा ''हम न तो रिश्वत लेगें और ना ही किसी को कार्य के लिए रिश्वत देगें'' इस संकल्प को कृत संकल्पित होकर आत्मसात करना होगा।*

***मुख्य शब्द***

*भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वत, गबन, आध्यात्मिक–शिक्षा।*

भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी या अपराध है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जिसे अधिकार का कोई पद सौंपा जाता है, ताकि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध लाभ या शक्ति का दुरूपयोग किया जा सके। भ्रष्टाचार में कई गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं जिनमें उत्कोच ग्रहण, प्रभावित करना और गबन शामिल हैं और इसमें ऐसी प्रथाएँ भी शामिल हो सकती हैं जो कई देशों में कानूनी हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक क्षमता के साथ कार्य करता है। भ्रष्टाचार चोरतंत्रों, अल्पतंत्रों और माफिया राज्यों में सबसे सामान्य है। भ्रष्टाचार और अपराध स्थानिक सामाजिक घटनाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों में अलग–अलग डिग्री और अनुपात में नियमित आवृत्ति के साथ दिखाई देती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत राष्ट्र भ्रष्टाचार के नियंत्रण और नियमन और अपराध के निवारण के लिए घरेलू संसाधनों का आबंटन करता है। भ्रष्टाचार को प्रतिरोध करने के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, उन्हें अक्सर 'भ्रष्टाचार विरोधी छत्र' शब्द के तहत संक्षेपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी वैश्विक पहलों का भी एक लक्षित उद्देश्य है जो भ्रष्टाचार को उसके सभी रूपों में काफी हद तक कम करने वाला है।

## भ्रष्टाचार के विभिन्न क्षेत्र

भ्रष्टाचार के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं जैसे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली, श्रमिक संघ, धर्म, दर्शन, उद्योग, राजनीति इत्यादि।

## भ्रष्टाचार की विधियाँ

भ्रष्टाचार की विभिन्न विधियां हो सकती हैं जैसे घूस (रिश्वत), चुनाव में धांधली, लिंग के आधार पर पक्षपात, हफ्ता वसूली, जबरन चन्दा लेना, बलात धन ऐंठना एवं भयादोहन, विवेकाधिकार का दुरूपयोग, भाई–भतीजावाद, अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग, भ्रष्ट विधान बनाना, न्यायाधीशों द्वारा गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय, कालाबाजारी करना, अनुचित व्यापारिक नेटवर्क बनाना, चार्टर्ड अकाउन्टैंटों द्वारा किसी बिजनेस के वित्तीय कथनों पर सही और निर्भीक राय न लिखना या उनके गलत आर्थिक कार्यों को ढ़कना, वंशवाद, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्याकंन, सही उत्तर पर अंक न देना और गलत/अलिखित उत्तरों पर भी अंक दे देना, पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछना, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब आदि बाँटना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, विभिन्न पुरस्कारों के लिए चयनित लोगों में पक्षपात करना आदि।

## भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव

देश में भ्रष्टाचार के होने से देश की दुर्दशा हो गयी है, गरीब ज्यादा गरीब व अमीर जयादा अमीर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण देश के आर्थिक विकास पर रोक लग जाती है। भ्रष्टाचार के कारण से समाज में अराजकता का जन्म होता है। काले धन में वृद्धि होती है। अमीर–गरीब के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। जातिवाद और भाषावाद के बीच व भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है।

## भ्रष्टाचार के लक्षण

कर्तव्य से हटकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार की व्यापक परिधि में राजनैतिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात, निजी एवं स्वार्थपूर्ण भावनाएं होती हैं। भ्रष्टाचार में जल्दी काम कराने एवं जल्दी धन कमाने की मनोवृत्ति होती है। इसमें नगद राशि व वस्तु माध्यम होती है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। भ्रष्टाचार साध्य भी है और साधन भी है। इसमें शक्ति, पद या अधिकारों का दुरूपयोग होता है।

## भ्रष्टाचार के प्रकार

1. **विश्व बैंक के अनुसार** – विश्व बैंक ने भ्रष्टाचार को उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र तथा उद्देश्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है जो निम्नानुसार है–

- **प्रशासनिक भ्रष्टाचार–** संसार में सर्वाधिक प्रवर्तित इस श्रेणी में लोकनीति, नियमों तथा प्रक्रियाओं में हेर–फेर करके किसी को अवैध लाभ पहुंचाया जाता है।
- **राजनीतिक भ्रष्टाचार–** वोट खरीदने से लेकर नीति एवं कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार राजनैतिक भ्रष्टाचार कहलाता है।
- **लोक भ्रष्टाचार–** जनता की सुविधा के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करना ही लोक भ्रष्टाचार है।
- **निजी भ्रष्टाचार–** व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला भ्रष्टाचार जैसे माफिया द्वारा स्थानीय व्यक्तियों या व्यापारियों से पैसे ऐंठना आदि निजी भ्रष्टाचार है।
- **वृहद् भ्रष्टाचार–** उच्च स्तर पर किये जाने वाला भ्रष्टाचार जिसमें राजनीतिज्ञों से लेकर उच्च अधिकारी तक प्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहते हैं। हालांकि आम जनता पर इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से ही पड़ता है। जैसे उच्च स्तरों पर पैसे का भारी लेन–देन करना।
- **लघु भ्रष्टाचार–** निचले स्तर पर व्याप्त छोटा या फुटकर भ्रष्टाचार जो जोर–जबरदस्ती के साथ किया जाता है तथा आम जनता को सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और यह फुटकर या छोटा भ्रष्टाचार पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जैसे कम पैसे लेकर छोटे कार्मिकों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार।

2. **केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार–** केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार को उसकी प्रकृति, क्षेत्र व विषय वस्तु के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है–

- सार्वजनिक धन और कोष का दुरूपयोग करना।
- निम्नस्तरीय वस्तुओं या कार्य को स्वीकार करना।
- आय से अधिक सम्पत्ति रखना।
- अनैतिक आचरण करना।
- उपहार प्राप्त करना।

- ठेकेदारों एवं फर्मों को रियायतें प्रदान करना।
- लालच व अन्य कारणों से शासन को हानि पहुँचाना।
- टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता व लापरवाही करना।
- आयकर, सम्पत्ति कर आदि को कम बताना या छिपाना।
- भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में गैर कानूनी रूप से धन लेना।
- शासकीय आवास पर अनाधिकृत कब्जा एवं उन्हें गलत ढंग से किराए पर देना।
- विस्थापितों के दावों का गलत मूल्याकंन करना।
- रेल एवं वायुयान के सीट आरक्षण एवं कोटे में अनियमितता बरतना।
- पुराने स्टाम्प या डाक टिकट का प्रयोग पत्र–व्यवहार में करना।
- जाति, जन्म व मृत्यु के जाली प्रमाण पत्र पैसे लेकर बनाना।
- शासकीय कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में प्रयोग करना।
- बिना पूर्वानुमति या पूर्व सूचना के अचल सम्पत्ति अर्जित करना।
- विस्थापितों के दावों के निपटान में अनावश्यक विलम्ब करना।
- मनीऑर्डर, बीमा एवं मूल्य देय पार्सलों को प्राप्तकर्ता को न देना।
- आयात–निर्यात लाइसेंस देने में अनियमितता।
- शासकीय कर्मचारी की जानकारी एवं सहयोग से सांठ–गांठ करके कम्पनियों के आयातित एवं आबंटित कोटे का दुरूपयोग करना।
- झूठे दौरों, भत्तों, बिल एवं गृह किराया आदि का दावा करना।
- वाहन खरीदने के लिए स्वीकृत अग्रिम धनराशि का दुरूपयोग करना।
- ऐसी फर्मों या व्यक्तियों से ऋण लेना जिनसे कार्यालयीन सम्बन्ध है।
- जिन व्यक्तियों से अधिकारियों के कार्यालयीन सम्बन्ध है उनके वित्तीय दायित्वों को वहन करना।
- आवासीय भूमि की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी करना।

आमतौर पर सरकारी सत्ता और संसाधनों का निजी फायदे के लिए किये जाने वाले इस्तेमाल को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। एक दूसरी और अधिक व्यापक परिभाषा यह है कि निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित और स्वीकार्य मानक का चोरी छिपे उल्लंघन भ्रष्टाचार है। विभिन्न मानकों और देशकाल के हिसाब से भी इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं अर्थात् भारत में रक्षा सौदों में कमीशन खाना अवैध है। इसलिए इसे भ्रष्टाचार और राष्ट्र–विरोधी कृत्य मानकर घोटाले की संज्ञा दी जाती है। लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में यह एक जायज़ व्यापारिक कार्यवाही है।

**भ्रष्टाचार का राजनीति से सम्बन्ध**

भ्रष्टाचार का राजनीति से गहरा सम्बन्ध है अर्थात् राजनीतिक क्षेत्र में व बड़े–बड़े नेता भी भ्रष्टाचार व बेईमान हैं। बड़े–बड़े नेता भी जनता को झूठे वायदे करके तथा जनता को बड़े–बड़े सपने दिखाकर उन्हें लूटते हैं व उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। सरकारी शक्तियों का दुरूपयोग जैसे अपनी राजनैतिक विरोधी पार्टी को सताना, नीचा दिखाना, पुलिस की बेईमानी आदि राजनैतिक भ्रष्टाचार में नहीं गिने जाते। ये भ्रष्ट नेता बिना नौकरशाही की मदद के सरकारी धन को यह लूट नहीं सकते थे। खास बात यह है कि इस भ्रष्टाचार में निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट पूंजी की भूमिका भी शामिल होती है। बाजार की प्रक्रियाओं और शीर्ष राजनीतिक–प्रशासनिक मुकामों पर लिये गये निर्णयों के बीच सौदे के बिना यह भ्रष्टाचार इतना बड़ा रूप नहीं ले सकता। आजादी के बाद भारत में भी राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की घटनायें तेजी से पनप रही हैं। एक तरफ शक किया जाता है कि बड़े–बड़े राजनेताओं का ब्लैक मनी स्विस बैंकों के खुफिया खातों में जमा है। दूसरी तरफ क्लर्कों से लेकर आई.ए.एस. अफसरों के घरों पर पड़ने वाले छापों से करोड़ों की सम्पत्ति बरामद हुई है। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दो श्रेणियों में बांटा गया है–

1. **पहली श्रेणी–** इसमें निजी क्षेत्र को दिए गए ठेकों और लाइसेंसों के बदले लिया गया कमीशन, हथियारों की खरीद–बिक्री में लिया गया कमीशन, फर्जीवाड़े और अन्य आर्थिक अपराधों द्वारा जमा की गयी रकम, टैक्स चोरी में मदद और प्रोत्साहन से हासिल की गयी रकम, राजनीतिक रूतबे का इस्तेमाल करके कमाया गया धन, सरकारी पद का इस्तेमाल करके किसी कम्पनी को लाभ पहुँचाने और उसके बदले रकम वसूलने और फायदे वाली नियुक्तियों के बदले बड़े नौकरशाहों और नेताओं द्वारा वसूली जाने वाली ब्लैक मनी जैसी चीजें पहली श्रेणी में आती हैं।

2. **दूसरी श्रेणी–** इसमें चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फण्ड के नाम पर कमायी जाने वाली रकमें, वोटरों को खरीदने की कार्यवाही, वोट प्राप्त करने के लिए विधायकों और सांसदों को खरीदने में खर्च किया जाने वाला धन; संसद, अदालतों, सरकारी संस्थाओं, नगर समाज की संस्थाओं और मीडिया से अपने पक्ष में फैसले लेने या उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए खर्च किये जाने वाले संसाधन और सरकारी संसाधनों के आबंटन में किया जाने वाला पक्षपात आता है। भ्रष्टाचार अत्याधिक चुनावी दिनों में देखने को मिलता है। कहीं वोट खरीदे व बेचे जाते हैं तो कहीं वोटों की हेर–फेर की जाती है। गरीब लोगों के वोटों को पैसों द्वारा खरीदा जाता है।

## भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास

भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक विकास में मन्दी आती है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ने पर निजी निवेश घटने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण उत्पादक क्रियाओं से मिलने वाला लाभ (रिटर्न) कम हो जाता है। भ्रष्टाचार के कारण असमानता में वृद्धि होती है।

**विश्व के सबसे कम भ्रष्ट देशों में भारत का स्थान**

| वर्ष | भारत का इंडेक्स स्कोर (100 में से) | भारत का स्थान | संसार का सबसे कम भ्रष्ट देश |
|---|---|---|---|
| 2014 | 38 | 76 (168 देशों में) | डेनमार्क (92 स्कोर) |
| 2015 | 38 | 76 (168 देशों में) | डेनमार्क (91 स्कोर) |
| 2016 | 40 | 79 (176 देशों में) | डेनमार्क (90 स्कोर) |
| 2017 | 40 | 81 (180 देशों में) | न्यूजीलैण्ड (89 स्कोर) |
| 2018 | 41 | 78 (180 देशों में) | डेनमार्क (88 स्कोर) |
| 2019 | 41 | 80 (180 देशों में) | डेनमार्क (87 स्कोर) |
| 2020 | 40 | 86 (180 देशों में) | डेनमार्क (88 स्कोर) |
| 2021 | 40 | 85 (180 देशों में) | डेनमार्क (88 स्कोर) |
| 2022 | 40 | 85 (180 देशों में) | डेनमार्क (90 स्कोर) |

**स्रोत– Transparency International संस्था द्वारा घोषित Corruption Perception Index के आधार पर जारी रिपोर्ट**

## भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्ट यानि बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनुचित और अनैतिक हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरूद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94वें स्थान पर है। आम नागरिक भ्रष्टाचार रूपी विकराल समस्या से त्रस्त है। इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन करने के लिए समुचित स्तर पर कानूनी प्रावधान बना कर उचित कठोरतम दंडात्मक उपबंध बनाना अपेक्षित तो है ही, इसी के साथ–साथ यह कानून तब तक वास्तविक धरातल पर फलीभूत होना संभव नही हैं, जब तक कि सामान्य नागरिक अपनी मानसिकता में सार्थक और सकारात्मक बदलाव नहीं लायें। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के निम्न कारण हो सकते हैं–

- **असंतोष–** जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है, तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है।
- **स्वार्थ और असमानता–** असमानता, आर्थिक, सामाजिक या सम्मान पद–प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आपको भ्रष्ट बना लेता है। हीनता और ईर्ष्या की भावना से शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए विवश हो जाता है। रिश्वतखोरी, भाई–भतीजावाद आदि भी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं।
- **सामाजिक कारण–** भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप है। इसको लोग सही ठहराने के लए तरह–तरह के तर्क गढ़ते है। यथा– ''साहब, इस बढ़ती हुई मंहगाई से वेतन से खर्च नहीं चल सकता है, अतः मजबूर होकर रिश्वत लेनी पड़ती है।'' भ्रष्टाचार बढ़ने का मुख्य कारण देश की सामाजिक नैतिकता और सामाजिक ढांचा है। भारत में सामाजिक नैतिकता का स्तर बहुत गिरा हुआ है। भारतीय समाज और प्रशासन में अनेक अत्याचार होते रहते हैं परन्तु उनके विरूद्ध आवाज उठाने वाले बहुत कम है। हमारे समाज का ढांचा और नैतिकता ही ऐसी है जहाँ भ्रष्टाचार का विकसित होना स्वाभाविक है। एक और अधिकारी वर्ग घूस लेने में नहीं हिचकते तो दूसरी ओर नागरिक भी कर से बचना पंसद करते हैं। वास्तव में, कर नहीं चुकाना या कुछ नाजायज खर्च करके उससे बच निकलना असामाजिक और अनैतिक कार्य है, जब तक समाज में नागरिकों और सेवकों की यह धारणा रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता।
- **राजनीति में भ्रष्टाचार–** राजनीति में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कौन नहीं जानता कि सरकार द्वारा प्रत्याशियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा में चुनाव लड़ पाना असंभव है। नेतागण चुनाव जीतने के लिए सभी मर्यादाओं को त्याग देते

हैं और जब वे भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीत जाते हैं तो फिर नाक तक भ्रष्टाचार में डूबकर पैसा बनाते हैं। भारत में भ्रष्टाचार फैलाने में राजनीतिक दल बहुत अधिक सहायक रहे हैं। अशिक्षित नेतृत्व ने भी भ्रष्टाचार को विकसित करने में काफी सहायता पहुँचाई है। अपने अज्ञान के ही कारण मंत्रियों को प्रशासकों पर काफी निर्भर रहना पड़ता है जो उनकी कमजोरी से लाभ उठाते हैं, वे उन्हें भ्रष्ट बनने से नहीं रोकते हैं, बल्कि स्वयं भी उसी पथ के पथिक हो जाते हैं। ऊँचे स्तर पर भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी बताया जा सकता है कि मंत्रियों और व्यापारियों में सीधा सम्पर्क होता है। शक्ति के प्रति आसक्ति के कारण भी राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है, क्योंकि वे भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करके भी शक्ति प्राप्त करने में नहीं हिचकते हैं। सरकार में भ्रष्टाचार के विकास का एक कारण यह भी है कि मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ समान व्यवहार नहीं रखा गया है। जहाँ पदाधिकारियों के बीच शुद्धता स्थापित करने के लिए अनेक विस्तृत नियम निर्मित किए गए हैं, वहाँ मंत्रियों के लिए एक भी नहीं।

- **आर्थिक कारण –** जिस देश की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, वहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट होगा, वास्तव में आर्थिक व्यवस्था प्रशासन को अपने रूप में ढाल लेती है। यह निर्विवाद है कि जो देश गरीब रहेगा, वह प्रशासकीय कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं दे सकता जिससे वे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यद्यपि उन्हें अपने वेतन के अनुसार ही अपनी आवश्यकताएँ बनाकर रखनी चाहिए, तथापि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता, वे भी आरामपूर्ण जीवन व्यतीत करना पंसद करते हैं। फिर, जब आसानी से उन्हें नाजायज तरीके से पैसे की प्राप्ति हो सकती है तो फिर दुःख भरा जीवन क्यों व्यतीत करें? यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कर्मचारियों को भ्रष्ट करने में काफी सहायक सिद्ध हुई है।

**प्रशासनिक कारण**

- **जटिल नौकरशाही प्रणाली–** भारत में नौकरशाही की कार्यप्रणाली कानूनों, कठोर नियमों, जटिल प्रक्रियाओं तथा लिखित कार्यवाही से घिरी होने के कारण धन, श्रम एवं समय साध्य होती हैं। अधिकांश व्यक्ति इन प्रक्रियाओं से परेशान होकर शीघ्रता से अपना कार्य करवाने के लिए रिश्वत देने के लिए बाध्य होते हैं। शासकीय कर्मचारी भी धीरे–धीरे रिश्वत लेने के आदी हो जाते हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव–** पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को आसान बनाता है क्योंकि गोपनीयता की आड़ में ऐसे आंकड़े छुपा लिए जाते हैं जो भ्रष्टाचार को सामने ला सकते हैं। शासन–प्रशासन में अपारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार के अधिक रास्ते मिलते हैं।
- **प्रशासन में अनिश्चितता–** शासन–प्रशासन में अनिश्चतता के कारण भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। प्रशासन में लालफीताशाही, असक्षमता, औपचारिकता एवं असंवेदनशीलता के कारण प्रशासनिक अनिश्चितता की स्थिति रहती है अर्थात् जब तक अवैध साधनों का सहारा नहीं लिया जाता तब तक फाइलें दबी रहती हैं। साथ ही शासकीय कार्य संस्कृति में जनसामान्य से दूरी बनाकर रहने से संवाद के अभाव में लोग शीघ्र काम कराने के लिए पैसे एवं अन्य साधनों का उपयोग रिश्वत देने के लिए करते हैं।
- **शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता–** शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ने से भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा मिलता है।

**वैधानिक कारण**

- **भ्रष्टाचार रोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं–** भ्रष्टाचार निवारण हेतु बनाए गए नियम एवं कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।
- **जटिल न्यायिक प्रक्रिया–** भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं विलम्बकारी है। इस कारण से भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति प्रायः मामलों को लम्बा खींचते हुए बच निकल जाते हैं। इस प्रकार भारत की न्याय प्रणाली का भ्रष्टाचार के मामलों का शीघ्र निपटारा करने में असफल रहना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
- **कठोर कानूनों का अभाव–** भारत में भ्रष्टाचार निवारण हेतु बनाए गए कानूनों एवं नियमों में अल्प सजा का प्रावधान तथा सजा की न्यूनतम संभावना की प्रवृत्ति के कारण भ्रष्टाचारियों को कानून का भय नहीं है और इसके कारण वे निरन्तर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं।
- **सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अनुचित संरक्षण–** भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 310 व अनुच्छेद 311 में सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान हैं। ये उपबंध भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना कठिन बना देते हैं।

**भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय**

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं किन्तु वे अधिक प्रभावी नहीं हैं। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार

की जड़ें ऊपर तक होती हैं। यदि किसी विभाग का मंत्री या सचिव रिश्वत लेता है तो उसका चपरासी भी भ्रष्ट होता है। अतः इसको समाप्त करने के लिए ऊपर के पदों पर योग्य एवं ईमानदार लोगों को आसीन किया जाये। ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ लोगों को सरकार एवं समाज की तरफ से सम्मानित किया जाये एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाये। शिक्षकों एवं समाज के अन्य जिम्मेदार नागरिकों को विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श उपस्थित करना चाहिए। समाज भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का सामाजिक तिरस्कार एवं बहिष्कार करे एवं ऐसे लोगों को महिमामंडित न करे जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित करते हैं। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने पर भी भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं–

- **सरकारी नौकरी में बेहतर वेतन दें–** सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों को बेहतर वेतन देना चाहिए, ताकि वे अपनी आय से संतुष्ट रहें और बेईमानी करके, गलत तरीके व रिश्वतखोरी करके पैसे न कमायें।
- **कार्यालयों में कार्मिकों की वृद्धि–** सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इनकी कमी के कारण काम का अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है जिस कारण से जनता अपना काम पहले करवाने के लिए रिश्वत देती है।
- **भ्रष्टाचारी पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्त–** कार्यालय में किसी को भ्रष्टाचार करते/रिश्वत लेते हुए पाया जाने पर अधिकारी व कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर देने का कानून लागू कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने का यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। किसी नेता को भ्रष्टाचारी पाए जाने पर उसे उसके पद से बर्खास्त करने का कानून लागू करना चाहिए।
- **सरकारी दफ्तरों में कैमरे लगवाने चाहियें–** सभी सरकारी दफ्तरों में कैमरे लगवा देने चाहियें, जिसके कारण रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के डर से रिश्वत नहीं ली जाएगी।
- **भ्रष्टाचार विरोधी दिवस–** भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसम्बर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाए जाने की घोषणा की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र एवं दुनिया का इस जंग में शामिल होना एक शुभ घटना कही जा सकती है क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व की समस्या है।

**अन्य उपाय**

- सूचना का अधिकार एवं नागरिक घोषणा पत्र के लिए जन–जागरूकता बढ़ाना चाहिए।
- ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए।
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुकदमों की कार्यवाही में तीव्रता लानी चाहिए।
- सत्यनिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार रोकने के लिए मीडिया को सक्रिय रहना चाहिए।
- लोक–सेवकों में भ्रष्टाचार के प्रति विरोध की भावना विकसित करनी चाहिए।
- अधिकारियों की निगरानी सम्बन्धी भूमिका पर पुनः जोर दिए जाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक अधिकारी की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ अधिकारी को यह प्रकट करना हो कि उसने अपने अधीनस्थों के बीच भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु क्या उपाय किये हैं।
- विभागीय कार्यवाहियों में नियमितता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों का निपटारा सम्भव हो सके।
- संदिग्ध अधिकारियों को संवेदनशील पदों से दूर रखें, उदारवादी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए।
- नियमों के उल्लंघन पर त्वरित व उचित दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**निष्कर्ष**

भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रूपी समस्या से पूर्णतः छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा तथा ''हम न तो रिश्वत लेंगे और ना ही किसी को कार्य के लिए रिश्वत देंगे'' इस संकल्प को कृत–संकल्पित होकर आत्मसात करना होगा। तब जाकर कहीं सच्चे अर्थों में वास्तविक धरातल पर भ्रष्टाचार का समूल उन्मूलन संभव है अन्यथा कभी नहीं।

## संदर्भ

1. शील, नित्येन्द्रनाथ. भ्रष्टाचार और लोकसतर्कता. हिन्दुस्तानी एकेडमी।
2. दैनिक अमर उजाला. दैनिक जागरण. हिन्दुस्तान।
3. Yogesh, Atal., Sunil, K. Choudhary. Combating Corruption (The Indian Case). Orient Blackswan Pvt. Ltd.
4. Debroy, Bibek., Bhandari, Laveesh. Corruption in India (DNA and the RNA). Konark Publishers.
5. Gupta, K.R., Gupta, J. R. Indian Economy. Vol. 2. Atlantic Publishers & Distributors.
6. India Corruption Study. (2005). To Improve Governance: Volume I. New Delhi.
7. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/corruption-perception.
8. www.wikipedia.com.
9. The Economics Times.

17

# आर्थिक मंदी के कारण व निवारण एवं आर्थिक मंदी की वैश्विक आहट

**डॉ० पिंकी बिष्ट**
प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग
अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रामनगर (नैनीताल)

***सारांश***

*आर्थिक मंदी किसी भी देश अथवा विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए उस संक्रामक महामारी की भांति है जो यदि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है तो फिर यथासमय रोकथाम के प्रयास न होने पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेती है। आर्थिक मंदी का सामान्य अर्थ है आर्थिक गतिविधियों की गति का सुस्त होना अथवा थम जाना। वर्तमान समय में विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाऐं घटित हुई हैं और लगातार जारी हैं जो विश्व को आर्थिक मंदी की ओर ढकेल सकती हैं, अतः विश्व के देशों को चाहिए कि वे यथासमय इस आर्थिक मंदी को रोकने के लिए यथोचित प्रयास करने प्रारम्भ कर दें क्योंकि आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देने लगी है।*

***मुख्य शब्द***

*अर्थव्यवस्था, जी.डी.पी., आर्थिक मंदी, छंटनी, दिवालिया, जीवाश्म ईंधन, रोजगार, राजनीतिक अस्थिरता।*

## आर्थिक मंदी का परिचय

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में जी.डी.पी. ग्रोथ घटती है, तो इसे तकनीकी मंदी कहा जाता है और जब यह स्थिति दीर्घावधि तक चलती रहती है तो इसे अर्थव्यवस्था में मंदी के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में जी.डी.पी. एक लंबी अवधि तक संकुचित होती रहती है, तो इसे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति माना जता है। अमेरिका के National Bureau of Economic Research के मुताबिक जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक लगातार जी.डी.पी., आय, रोजगार और व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है तो उस दौर को आर्थिक मंदी के तौर पर जाना जाता है। सामान्य अर्थ में आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा कुचक्र है जिसमें यदि किसी भी कारण से उपभोक्ता अपनी माँग में कमी करते हैं तो बाजार में वस्तुओं की भरमार होते हुए भी माँग न होने के कारण ये वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं। उत्पादित वस्तुएं न बिक पाने के कारण उत्पादन में कमी करना उत्पादक की मजबूरी हो जाती है, परिणामस्वरूप उत्पादक की आय भी घट जाती है और वह घटती आय के सापेक्ष अपने खर्च कम करने के लिए विवश हो जाता है जिस कारण औद्योगिक कम्पनियों में श्रमिकों की छंटनी आरम्भ हो जाती है। अर्थव्यस्था में होने वाली ये छंटनियाँ बेरोजगारी की एक नवीन समस्या को जन्म देती हैं जिससे बाजार में पूँजी का अभाव और बढ़ जाता है और माँग में पुनः और कमी हो जाती है और इस प्रकार ये चक्र तब तक निरन्तर चलता रहता है जब तक बाहर से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर इस चक्र को तोड़ा नहीं जाता है।

## आर्थिक मंदी के कारण

विश्व ने विगत 100 वर्षों में अनेकों बार आर्थिक मंदी का सामना किया है जिनमें 1929–39 की महामंदी, 1975 की आर्थिक मंदी, 1982 की आर्थिक मंदी, 1991 की आर्थिक मंदी व 2008–09 की आर्थिक मंदी प्रमुख रही हैं। आर्थिक मंदी की इन घटनाओं के अध्ययन से आर्थिक मंदी के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है। आर्थिक मंदी का मूल कारण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह का रुक जाना है। धन के प्रवाह से आशय है लोगों की खरीदने की क्षमता का घट जाना। इसके कई कारण हो सकते हैं–

- जीवन निर्वाह की वस्तुओं की कमी हो जाने से उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है तथा उपभोक्ताओं की आय का बड़ा

हिस्सा इन वस्तुओं की खरीद में व्यय हो जाता है जिससे अन्य वस्तुओं की माँग कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आने लगती है। इसके अतिरिक्त 1929 की आर्थिक मंदी में यह भी देखने में आया था कि अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन के कारण उत्पादित सामग्री की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं जिससे किसानों की आय में कमी हो जाती है और उनकी क्रय क्षमता भी कम हो जाती है जिससे औद्योगिक रुप से उत्पादित वस्तुओं की माँग में भी कमी हो जाती है।

- शेयर बाजारों में अचानक होने वाली उथल–पुथल भी आर्थिक मंदी को जन्म देने का कारण बन जाती है। शेयरों की कीमतों में अचानक होने वाली तीव्र गिरावट शेयरधारकों को भावी नुकसान से बचने हेतु शेयरों की बिकवाली के लिए प्रेरित करती है जिससे आर्थिक मंदी को जन्म देने वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 1929 की महामंदी का जन्म भी अमेरिकी शेयर मार्केट की ऐसी ही उथल–पुथल के कारण हुआ था।
- वर्तमान विश्व में पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन न केवल यातायात के साधनों को गति प्रदान करते हैं वरन् ये देश की आर्थिक गति को भी प्रभाावित करते हैं। विश्व के अधिकांश देश इसके लिए तेल निर्यातक देशों पर निर्भर हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि तेल आयातक देशों में परिवहन लागत में वृद्धि का कारण बन जाती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और माँग प्रभावित होने लगती है जिससे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 1975 की आर्थिक मंदी के पीछे भी यही कारण माना जाता है क्योंकि 1973 के अरब–इजराईल युद्ध में अमेरिका द्वारा इजराईल का साथ देने के कारण ओपेक ग्रुप के देशों ने अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों को तेल निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिस कारण वहाँ तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो गई थी।
- युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता को भी आर्थिक मंदी का कारण माना जा सकता है। 1982 की आर्थिक मंदी के पीछे भी ईरान की राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है। 1979 में ईरानी क्रान्ति के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1990–91 के खाड़ी युद्ध के बाद भी विश्व ने आर्थिक मंदी की स्थिति को देखा था। इससे समझा जा सकता है कि विश्व को किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु अथवा तकनीक की आपूर्ति करने वाले देश में होने वाली कोई भी अस्थिरता आर्थिक मंदी को जन्म दे सकती है।
- प्रत्याशित माँग के आधार पर अविवेकपूर्ण तरीके से किसी एक क्षेत्र में किया जाने वाला विनियोग भी आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है। प्रत्याशित माँग के आधार पर किया गया विनियोग तब प्रतिफल देने में असफल रहता है जब प्रत्याशित माँग की तुलना में वास्तविक माँग बहुत कम होती है। इस प्रकार की आर्थिक मंदी को विश्व ने 2008–09 में तब देखा था जब अमेरिका के प्रोपर्टी बाजार में प्रत्याशित माँग के आधार पर बहुत अधिक निवेश किया गया किन्तु वास्तविक माँग उत्पन्न न होने से पूरा प्रोपर्टी बाजार और शेयर बाजार ध्वस्त हो गया। निवेश के लिए पूँजी उपलब्ध कराने वाला बैंकिंग सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित हो गया था।

## आर्थिक मंदी के निवारण के उपाय

'सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस' के इकोनॉमिस्ट डॉ0 सुधांशु कुमार के अनुसार सबसे पहले लोगों को अनावश्यक खर्चे कम करने चाहियें और लगभग छः महिने के व्यय के लायक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यही बात विश्व के देशों पर भी लागू होती है। आर्थिक मंदी के निवारण के विभिन्न उपाय निम्न हैं–

- जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में होने वाली तीव्र कमी या तीव्र वृद्धि दोनों ही आर्थिक मंदी के कारणों को जन्म देते हैं, अतः विश्व के देशों की सरकारों को चाहिए कि वे अपनी भण्डारण क्षमता को इस योग्य बनाऐं कि बाजार में जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियन्त्रित किया जा सके।
- विश्व की आर्थिक मंदियों के इतिहास ने यह भी साबित कर दिया है कि आधुनिक विश्व में ईंधन की आपूर्ति की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता है। अतः विश्व के देशों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईंधन की आपूर्ति के लिए उन्हें किसी एक स्रोत अथवा एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए ताकि किसी एक देश से या स्रोत से होने वाली आपूर्ति के बन्द हो जाने पर भी अर्थव्यवस्था गतिमान रहे। इसके साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उत्पादन तथा आविष्कार पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- विभिन्न देशों की ऐसी नियामक संस्थाओं को मजबूत एवं अधिकार संपन्न करने की आवश्यकता है जो निवेश और शेयर बाजार की गतिविधियों को नियन्त्रित करती है। केवल प्रत्याशित माँग के आधार पर किए गये निवेश किस प्रकार आर्थिक मंदी को जन्म देते हैं; ये विश्व ने 2008–09 की अमेरिकी आर्थिक मंदी के समय देख लिया है। अतः नियामक कम्पनियों को ऐसे निवेश पर नजर रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब निवेश बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेकर किया जा रहा हो क्योंकि ऐसे निवेश से जब प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है तो पूरे बैंकिंग तन्त्र के दिवालिया होने का खतरा भी हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में जा सकती है। वर्तमान समय में कम्पनियों के शेयरों की कीमत को भी कम्पनियों की सम्पति के रूप में देखा जाता है तथा इन शेयरों को बन्धक बनाकर बैंक कम्पनियों को बहुत बड़ी मात्रा में

ऋण उपलब्ध करा देते हैं किन्तु शेयर बाजार में तीव्र गिरावट होने की स्थिति में बैंकों के लिए अपनी पूँजी वापस प्राप्त करना कठिन हो जाता है, अतः इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक है जो शेयर के आधार पर ऋण देने को कुछ सीमा तक नियन्त्रित कर सकें।

**वर्तमान समय में आर्थिक मंदी की आहट एवं उसके कारण**

वर्ष 2020 में कोरोना की आहट के साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के सामने नवीन चुनौतियों का उदय हुआ और उसके पश्चात् लगातार विश्व स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी की कगार पर ले जाने में सक्षम हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में विश्व के अधिकांश देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) की सर्वे रिपोर्ट जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने तैयार की है; में भी वैश्विक मंदी की आशंका जताई गई है। आर्थिक मंच की प्रबंध निदेशक सादिया जहिदी ने सर्वे के परिणामों पर जारी बयान में कहा– 'बढ़ती महंगाई, धीमी पड़ती वृद्धि, बढ़ रहा कर्ज और पर्यावरणीय बदलावों से निवेश का लाभ कम हुआ है। इससे तरक्की की रफ्तार कम हो रही है।' वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों में मंहगाई की दरें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं जिस कारण विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों ने मंहगाई को नियन्त्रित करने के लिए ब्याज दरों में इज़ाफा कर दिया है जिस कारण स्टॉक मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। Goldman Sachs ने अपनी फॉरकास्ट में यह सम्भावना जताई है कि आने वाले समय में दुनियाभर में मंदी आने की सम्भावना 30 प्रतिशत तक है। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक मंदी आने की सम्भावना 40 प्रतिशत तक है। फिनांशियल टाइम्स और यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ के एक संयुक्त सर्वे में कहा गया गया कि वर्ष 2022 में नहीं भी तो वर्ष 2023 तक मंदी अवश्य आएगी। वॉशिंगटन डी.सी. स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के हचिंस सेंटर फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्टर डेविड वेसल कहते हैं कि यद्यपि मंदी की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है और कई बार ये अनुमान गलत भी साबित होते हैं किन्तु फिर भी वे वर्ष 2023 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की तीव्र सम्भावना देख रहे हैं जो 65 प्रतिशत तक है। elindependent.org के डायरेक्टर और UCL इंस्टीट्यूट के 'सेंटर फॉर ग्लोबल प्रास्पेरिटी' में रिसर्च एसोसिऐट गेब्रियल गैसवे कहते हैं कि 2023 में यूरोप और अमेरिका दोनों ही आर्थिक मंदी का सामना करेंगे। शिकागो के स्टिफेल फाइनेंशियल की सी.ई.ओ. और प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट लिंडसे पिएज्जा कहती हैं कि सप्लाई चेन में बाधा पड़ने और युद्ध के जारी रहने के चलते लोग अभी भी महंगाई से परेशान हैं और अब जब फेडरल रिजर्व करीब 4 प्रतिशत की प्रस्तावित या उससे भी ज्यादा गति से दरें बढ़ा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का खतरा है। वर्तमान में विश्वस्तर पर ऐसी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जो आर्थिक मंदी को जन्म दे सकती हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं–

- इस समय दुनिया भर में महंगाई की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती मुद्रास्फीति के दौर में पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी., तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका में मंहगाई की दरें 8.6 प्रतिशत से भी ऊपर जा चुकी हैं और मंहगाई की दरों ने पिछले 40 वर्षों के रिकार्ड को तोड़ दिया है।
- दुनियाभर में बढ़ रही महंगाई के पीछे अनेकों कारण हैं जिनमें कोरोना और यूक्रेन–रूस युद्ध प्रमुख हैं। इन दोनों घटनाओं ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। कोरोना काल जिसका आरम्भ वर्ष 2019 के अंतिम महीनों में चीन से हुआ था; वर्ष 2020 और 2021 में अपने चरम पर था और इस दौरान विश्व के अनेक देश इतिहास के सबसे बड़े लॉकडाउन के साक्षी बने थे। बहुत बड़े पैमाने पर हुए इन लॉकडाउन्स ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के पहिए जाम कर दिए थे और लाखों कामगारों ने अपने रोजगार से हाथ धो दिया था। विश्व आज भी कोरोना महामारी और उसके प्रभावों से उभर नहीं पाया है।
- फरवरी 2022 में आरम्भ हुआ रूस और यूक्रेन युद्ध न केवल राजनीतिक रूप से विश्व के लिए नवीन चुनौतियाँ पैदा कर रहा है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी नवीन चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। युद्ध के आरम्भ में ही यूक्रेन से खाद्यान्न आयात करने वाले देशों में खाद्यान्न की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। इसके साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबन्धों ने रूस को बदले की कार्यवाही के लिए विवश किया और उसके द्वारा यूरोप के देशों को गैस की आपूर्ति बन्द कर दी गई थी जिससे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव हुआ।
- यद्यपि साम्यवादी चीन और पूँजीवाद और लोकतंत्र के सिरमौर अमेरिका के सम्बन्ध कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे किन्तु कोरोना वायरस के जन्मदाता के रूप में चीन की छवि ने दोनों के सम्बन्धों में कटुता को और अधिक बढ़ा दिया है। चीन जहाँ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की नई शक्ति बनने का सपना देख रहा है वहीं अमेरिका अपनी जगह पर बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, परिणामस्वरूप विश्व के पहले और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के मध्य बहुत बड़े स्तर पर ट्रेड वार लगातार जारी है जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है।
- भू–राजनीतिक तनाव भी विश्व स्तर पर मंदी के हालात पैदा करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अरब और मध्य–पूर्व के कई देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंग्लैंड के द्वारा ईरान के तेल के एक जहाज को जब्त करा गया तथा बदले

में ईरान द्वारा इंग्लैंड के एक जहाज को अगवा कर लिया गया जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव बहुत बढ़ गया। सऊदी अरब के बंदरगाह जेद्दाह के पास ईरान के तेल टैंकर में विस्फोट के बाद आग लगने की घटना के लिए ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार माना था जिससे अमेरिका और ईरान के संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया है। बढ़ते भू–राजनीतिक तनावों ने विश्व व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

- यूरोपीय संघ की आन्तरिक परिस्थितियों ने भी विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण भी इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है। ऑटोमोबाईल क्षेत्र के उत्पादों की माँग घटने से उत्पादन में कमी कर दी गई है जिससे बड़े स्तर पर छंटनी का सामना भी यूरोपीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र के कामगारों को करना पड़ रहा है।
- 2008 की भांति ही एक बार फिर अमेरिकी बैंक दिवालिया हो रहे हैं जिससे उसी प्रकार के हालात उत्पन्न हो गये हैं जैसे 2008 की मंदी से पहले उत्पन्न हो गये थे। मार्च 2023 में मात्र दो दिन में ही अमेरिका के दो प्रमुख सिलिकन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गये हैं। अमेरिका के बैंकों के दिवालिया होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे न केवल अमेरिका बल्कि भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ेगा। सिलिकॉन वैली बैंक मुख्य रूप से स्टार्टअप्स के डिपॉजिट लेता है और उन्हें लोन देता है जिस कारण उसके दिवालिया होने से विश्वभर के स्टार्टअप्स के प्रभावित होने का अनुमान है।

## निष्कर्ष

आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में घटित होने वाली एक ऐसी सामान्य परिघटना है, जो समय–समय पर घटित होती रहती है तथा सामान्यतः यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, किन्तु यदि यह लगातार लम्बे समय तक अर्थव्यवस्था में बनी रहती है तो अर्थव्यवस्था में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका समाधान स्वतः नहीं हो पाता है तथा उसमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो जाती है। अर्थव्यवस्था में पूर्व–घटित आर्थिक मंदियों का गहन अध्ययन करने से हम उन परिस्थितियों को समझ पाते हैं जो आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायीं थीं तथा साथ ही उन परिस्थितियों के निवारण के उपायों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। विश्व स्तर पर पूर्व में घटित आर्थिक मंदियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थितियाँ व्याप्त हैं जो पूर्व में घटित आर्थिक मंदियों के लिए उत्तरदायी थीं। अतः यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में घट रही घटनाओं का निरन्तर अध्ययन करते हुए आर्थिक मंदी को जन्म देने वाली परिस्थितियों के निवारण हेतु प्रयास किए जाने चाहियें।

## संदर्भ

1. www.studyfry.com.
2. www.bbc.com.
3. hindi.news18.com.
4. https://admiralmarkets.sc.
5. www.jagran.com.
6. www.fincash.com.
7. www.drishtiias.com.
8. https://kaiseinhindi.com.
9. https://hi.m.wikipwdia.org.
10. www.dhyeyaias.com.

18

# महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

**डॉ० मनवीर सिंह**
एसोसिऐट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग
एन०एम०एस०एन०दास (पी०जी०) कॉलेज, बदायूँ

**धनीराम**
शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग
एन०एम०एस०एन०दास (पी०जी०) कॉलेज, बदायूँ
(सम्बद्ध एम०जे०पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)

***सारांश***

*महिला सशक्तिकरण वह है जिसके द्वारा महिलायें भी पुरूषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, महिलाओं को सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। वैदिक काल में भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा होने के कारण महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। मुगल काल में महिला शिक्षा की भरसक उपेक्षा एवं निन्दा की गयी। इस काल में महिला शिक्षा खुले रूप में नहीं थी, अपितु घरों एवं मस्जिदों तक ही सीमित थी। शाही घराने और अमीरों की लड़कियाँ अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। किसी भी युग में महिला शिक्षा को लेकर कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये और जो भी प्रयास किये गये वह किसी खास वर्ग की महिलाओं के लिए किये गये। यही कारण रहा कि इतने वर्ष बीत गये सदियाँ बीत गयी लेकिन महिला वर्ग अब भी निर्बल असहाय महसूस कर रहा है। आज भी महिला स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले पाती। उसको जो अधिकार जो सम्मान चाहिए वह अब भी नहीं मिल पा रहा। महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वह वर्षभर में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित बहुत से कार्यक्रम आयोजित करता है जिसके माध्यम से वह महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत से कार्यक्रम चला रही है। नारी को समस्त प्रकार की सुविधायें दी जा रही है। उनकी प्रत्येक क्षेत्र में मदद की जा रही है। अतः महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करना होगा, विवेकशील बनाना होगा और उसके लिए महिलाओं को शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षित महिला ही सशक्त हो सकती है।*

***मुख्य शब्द***

*सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा, राष्ट्रीय नीति, सामाजिक सुरक्षा, समान रोजगार।*

''अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है? मैं उससे माापता हूँ।''

**– डॉ0 भीमराव अम्बेडकर**

## महिला सशक्तिकरण का अर्थ

भारतीय परम्परा में स्त्री को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उसे देवी, माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था, परन्तु फिर भी उसे सदियों तक विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती की पूजा करने से भी विमुख रखा गया। महिला सशक्तिकरण के अर्थ से आशय है कि महिला सशक्त बने, अपने निर्णय स्वयं ले सके, समाज में उसको समस्त अधिकार प्राप्त हो उस पर कोई नियंत्रण न हो जो उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करता हो। रोजगार, शिक्षा तथा आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। महिला सशक्तिकरण वह है जिसके द्वारा महिलायें भी पुरूषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, महिलाओं को सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

## स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला शिक्षा

हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और हमारी शिक्षा का पदार्पण आधुनिक भारतीय शिक्षा के रूप में हुआ। स्वतंत्र भारत में महिला की प्रत्येक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा था। महिला जिन बन्धनों में बंधी हुई थी, वह धीरे–धीरे बन्धनों से मुक्त होती जा रही थी। महिलाओं के प्रति पुरूषों का दृष्टिकोण भी बदल रहा है, उनकी मान्यताएं भी बदल रही हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक हुआ कि इस स्वतंत्र भारत में शिक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने महिला शिक्षा का अलख़ जगाया और महिलायें सशक्तिकरण की ओर बढ़ती चली गयीं।

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग) (1948)–** 04 नवम्बर 1948 को प्रो0 डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा के विषय में अपने विषय चुनने का सुझाव दिया।
- **आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952–1953)–** मार्च 1952 में 'माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति' का गठन किया गया, इसको 'आचार्य नरेन्द्र देव समिति' भी कहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि स्त्री व पुरूष दोनों को समान शिक्षा दी जाये परन्तु शिक्षा व्यवस्था अलग–अलग होनी चाहिए। गणित विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में तथा गृहविज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में करना चाहिए।
- **माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) (1952–53)–** केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश पर दिनांक 23 सितम्बर 1952 को मुदालियर जी की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। डॉ0 ए0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने लडकियों के लिए पृथक विद्यालयों की माँग वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने का सुझाव दिया।
- **दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957–1959) एवं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)–** दुर्गा बाई देशमुख केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, नई दिल्ली की अध्यक्ष थीं, उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर सुझाव दिया कि महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाये। मिडिल स्तर तक सभी लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो व महिला प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हो ।
- **हंसा मेहता समिति (1962–64)–** 01 नवम्बर 1961 को राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा सरन ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर सुझाव दिये कि लड़कों व लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर दिये जायें। लड़कियों वाले स्कूलों में महिला अध्यापकों को नियुक्त किया जाये। प्राथमिक स्तर पर सह–शिक्षा का विचार दिया गया।
- **राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद (1964)–** केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत (1959) में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसने स्त्री शिक्षा को लेकर विचार–विमर्श, गोष्ठियाँ, सम्मेलनों के आयोजन कर सुझाव प्राप्त किये।
- **कोठारी आयोग (1964–66)–** 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। प्रो0 दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। दौलत सिंह कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा को लेकर सुझाव दिये कि स्त्री शिक्षा में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाये, उच्च शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने स्त्री शिक्षा को पुरूष शिक्षा से भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने छात्रवृत्ति तथा छात्रावास की उपलब्धता, पृथक महिला कॉलेज आदि के विचार दिये।
- **स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय समिति (1971)–** स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1971 में की गयी थी। इस समिति ने सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा के लिए भारत सरकार निश्चित धनराशि रखे। महिला शिक्षक को ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रेरित करें। स्त्री शिक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करें।
- **अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975)–** स्त्री शिक्षा के विकास हेतु संसार के सभी देशों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसलिए 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके अन्तर्गत समाज में स्त्रियों की स्थिति, सम्मान, शिक्षा, स्वतंत्रता के अधिकारों से सम्बन्धित कार्य किये गये। इसके साथ यह भी प्रेरणा ली कि स्त्री शिक्षा के विकास को लेकर निरन्तर प्रयास किये जायेंगे।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 'स्त्री' शिक्षा को लेकर सुझाव दिये गये कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर अच्छा परिवेश प्राप्त हो, औपचारिक व अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त हो, आवश्यकताओं की पूर्ति के

लिए अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार किया जाये। निरक्षर महिलाओं के लिए समाज सेवी संगठनों की सहायता लेकर निरक्षरता दूर करने का प्रयास किया जाये।

- **आचार्य राममूर्ति समिति (1991)–** तत्कालीन भारत सरकार ने अपने 7 मई 1990 के प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में पुनर्निरीक्षण करने के लिए यह समिति नियुक्त की। यह समिति भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समिति ने स्त्री शिक्षा को लेकर सुझाव दिये कि महिला अध्यापकों की नियुक्ति अधिक से अधिक की जाये। विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये। स्त्री शिक्षा के लिए अलग से धन की व्यवस्था की जाये। छात्रवृत्तियाँ, पाठ्य पुस्तक व अन्य प्रोत्साहन दिये जायें।
- **जनार्दन रेड्डी समिति (1992)–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सम्बन्ध में आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1990 में प्रस्तुत की। 1992 में सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। इस समिति ने अपने सुझाव दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाये और उनकी सुरक्षा तथा आवास की व्यवस्था हो।
- **रस्तौगी समिति (1997)–** 1997 में यू.जी.सी. ने प्रोफेसर आर. पी. रस्तौगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। कमेटी ने अनुभव किया कि कार्यरत महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उन महिलाओं के लिए विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। निर्धारित समय में आधा कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए, जब उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक हों व बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल या कॉलेज के पास क्रैच खोले जायें।

## राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एवं राष्ट्रीय नीति

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के बाद से महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को लेकर सकारात्मक बदलाव किये गये। अभी हाल ही के वर्षों में स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में स्त्रियों के सशक्तिकरण को केन्द्रीय मुद्दों के रूप में मान्यता दी गयी। महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों के चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया जो स्थानीय स्तर पर विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक मजबूत स्तम्भ बनते हैं।

## भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत में प्राचीन काल की तुलना में अगर देखा जाये तो मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी परन्तु अब आधुनिक भारतीय महिलायें राजनैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से ऊँचे–ऊँचे पदों पर कार्य कर रही हैं। लेकिन ऐसा तब ही हो पाया है जब महिला शिक्षा में आगे बढ़ी। परन्तु गांव की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुलभ न हो पाना और तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र की महिला शिक्षा से वंचित रह जाती है। और जब वह शिक्षित ही नहीं हो पायेगी तो सशक्त कैसे बन पायेगी? अतः स्त्री को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

## महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार

- **समान वेतन का अधिकार–** समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- **कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून–** यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिला को वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केन्द्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी।
- **कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार–** भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने का अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
- **सम्पत्ति पर अधिकार–** हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर हक है।
- **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार–** किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

## भारत में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनायें

- **नेशनल मिशन फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमन–** महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन को

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

प्रारम्भ किया। इस मिशन को 15 अगस्त 2011 को राज्य व राष्ट्रीय दोनों स्तर पर एक साथ लागू किया गया। इस मिशन के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

- **वन स्टॉप सैन्टर योजना–** इस योजना के तहत घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। हिंसा से ग्रसित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित सहायता भी दी जाती है।
- **स्वाधार गृह योजना–** इस योजना में 18 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु वाली लड़कियों को आवास दिये जाते हैं। यह योजना उन लड़कियों के लिए चलाई गयी जो बेघर हों। उन्हें आवास के साथ–साथ भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधायें, सामाजिक व आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना–** यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति 'लड़की एक बोझ है'; की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और उनके दैनिक जीवन और उनकी दीर्घकालीन संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहल सरकार ने की हैं। केन्द्र सरकार ने अपने कामकाज की बदौलत एक तरह से महिलाओं को एक साथ जोड़ दिया है। न केवल लिंग समानता की दिशा में परिवर्तनकारी पहल है बल्कि इसने जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत भी किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के बारे में जागरूकता लाकर समाज को बेहतर बनाना है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास योजना–** जो महिलायें घर से दूर कार्य करती हैं उन्हें रहने के लिए छात्रावास में ही स्थान दिया जाता है जहाँ पर वे सुरक्षित रहकर अपनी नौकरी करती रहती हैं।
- **उज्जवला योजना–** सरकार ने उन महिलाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की जो असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपने परिवारों के लिए खाना पकाया करती थीं। लकड़ी से निकलने वाले धुएं और स्टोव के धुएं के खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को बेहतर जीवन के लिए सरकार ने गैस चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर उन्हें बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया।
- **महिला शक्ति केन्द्र–** यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत छात्र और पेशेवर व्यक्ति जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक; ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- **महिला हैल्प लाइन योजना–** वर्ष 2015 में महिला सशक्तिकरण के लिए इस हैल्प लाइन का प्रारम्भ किया गया। इस हैल्पलाइन से महिला 24 घण्टे हैल्प ले सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम बड़े स्तर पर जोर–शोर से भारत के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों में मनाया जाता है। इसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन आदि विषयों को जोड़ा गया है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत अन्य हैल्प लाइन नम्बर इस प्रकार हैं जो 24 घण्टे कार्य करते हैं–
  - 1090 – वूमैन पावर लाइन
  - 181 – महिला हैल्प लाइन
  - 1076 – मुख्यमंत्री हैल्प लाइन
  - 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
  - 1098 – चाइल्ड लाइन
  - 102 – स्वास्थ्य सेवा
  - 108 – एम्बूलैंस सेवा
- **पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण–** भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, सरकार ने इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं।
- **सुकन्या समृद्धि योजना–** सरकार द्वारा लड़की की सुरक्षा और भविष्य के साथ–साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में ही इस योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। सरकार की यह योजना 'सबका साथ सबका विकास' के विज़न से जुड़ी हुई है।

- **राजीव गांधी राष्ट्रीय आंगनबाड़ी योजना–** यह योजना उन महिलाओं के बच्चों के लिए चलायी गयी है जो महिलायें ऑफिस में काम करती हैं। वे अपने छोटे–छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर आती थीं, जहाँ उनके बच्चों की देखभाल होती थी और ऑफिस के बाद वे अपने बच्चों को घर ले जाती थीं।
- **अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस–** प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में आस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीट्जरलैण्ड में मनाया गया। इसके 100 वर्ष बाद शताब्दी वर्ष, वर्ष 2011 में मनाया गया। वर्ष 2022 में 111वाँ अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जायेगा।

## अध्ययन में प्रयुक्त विधि एवं प्रविधि तथा न्यायदर्श

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर एक अध्ययन किया गया। इसके लिए 15 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गयी। इस प्रश्नावली से आर. एस. एम. (पी.जी.) कॉलेज, धामपुर की 100 स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं पर अध्ययन किया गया। उनसे यह प्रश्नावली भरवाई गयी। 100 छात्राओं में 50 शहरी व 50 ग्रामीण थीं। ग्रामीण छात्राओं में 25 विज्ञान संकाय व 25 कला संकाय की छात्रायें थीं। शहरी छात्राओं में भी 25 विज्ञान संकाय व 25 कला संकाय की छात्रायें थीं।

छात्राओं द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुए उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का निष्कर्ष इस प्रकार है–

**प्र01: क्या वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है?**

उ01: (क) हाँ – 95 प्रतिशत (ख) नहीं – 05 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 95 प्रतिशत छात्राओं ने यह बताया कि आज भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। केवल 05 प्रतिशत छात्राओं ने इसकी आवश्यकता नहीं मानी।

**प्र02: क्या शिक्षित महिला समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है?**

उ02: (क) हाँ – 92 प्रतिशत (ख) नहीं – 08 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 92 प्रतिशत छात्राओं ने यह माना कि शिक्षित महिला समाज व राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती हैं और 08 प्रतिशत छात्राओं ने माना कि अनपढ़ महिला भी समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए सहायक होती हैं।

**प्र03: क्या महिला सशक्तिकरण के लिए महिला का शिक्षित होना आवश्यक है?**

उ03: (क) हाँ – 82 प्रतिशत (ख) नहीं – 18 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 82 प्रतिशत छात्राओं ने यह माना कि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है और 18 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक नहीं।

**प्र04: क्या महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं?**

उ04: (क) हाँ – 26 प्रतिशत (ख) नहीं – 74 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 26 प्रतिशत छात्राओं ने यह माना कि अभी भी महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं जबकि 74 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि अभी भी महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

**प्र05: क्या केन्द्र व राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए और अधिक प्रयास करने चाहियें?**

उ05: (क) हाँ – 93 प्रतिशत (ख) नहीं – 07 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 93 प्रतिशत छात्राओं का कहना है कि केन्द्र व राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए और अधिक प्रयास करने चाहियें जबकि 07 प्रतिशत छात्राओं का कहना है कि इन प्रयासों की और अधिक आवश्यकता नहीं है।

**प्र06: क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत करती है?**

उ06: (क) हाँ – 94 प्रतिशत (ख) नहीं – 06 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 94 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओ योजना महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत बनाती है। 06 प्रतिशत छात्रायें बताती हैं कि इस योजना ने महिला सशक्तिकरण में कोई आवश्यकता नहीं की।

**प्र07: क्या आपको महिला हैल्प लाइन नम्बर के बारे में जानकारी है?**

उ07: (क) हाँ – 80 प्रतिशत (ख) नहीं – 20 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 80 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उन्हें महिला हैल्प लाइन नम्बर के बारे में जानकारी है। 20 प्रतिशत छात्राओं ने कहा कि उन्हें महिला हैल्प लाइन नम्बर के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

**प्र08: क्या आपने कभी महिला हैल्प लाइन नम्बर का उपयोग किया है?**

उ08: (क) हाँ – 08 प्रतिशत (ख) नहीं – 92 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 08 प्रतिशत छात्राओं ने जानकारी दी कि उन्होंने महिला हैल्प लाइन नम्बर का प्रयोग किया है जबकि 92 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उन्होंने कभी भी महिला हैल्प लाइन नम्बर का उपयोग नहीं किया।

**प्र09: क्या महिलाओं को भी अपना स्वयं का रोजगार अपनाना चाहिए?**

उ09: (क) हाँ – 95 प्रतिशत (ख) नहीं – 05 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 95 प्रतिशत छात्राओं ने कहा कि महिलाओं को भी स्वयं का रोजगार अपनाना चाहिए जबकि 05 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

**प्र010: क्या महिलाएं स्वयं वित्तीय निर्णय ले लेती हैं?**

उ010: (क) हाँ – 64 प्रतिशत (ख) नहीं – 36 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 64 प्रतिशत छात्राओं ने यह जानकारी दी कि महिलायें स्वयं वित्तीय निर्णय ले लेती हैं। 36 प्रतिशत छात्राओं ने अपने उत्तर में बताया कि अभी भी महिलायें वित्तीय निर्णय लेने में असक्षम हैं।

**प्र011: क्या महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं जागरूक है?**

उ011: (क) हाँ – 38 प्रतिशत (ख) नहीं – 62 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 38 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी सहमति दी कि महिला स्वयं महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक है। 62 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि अभी भी महिला स्वयं महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक नहीं है।

**प्र012: क्या महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों से आप संतुष्ट हैं?**

उ012: (क) हाँ – 42 प्रतिशत (ख) नहीं – 58 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 42 प्रतिशत छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के लिए सकारात्मक सहमति दी जबकि 58 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से हम संतुष्ट नहीं हैं।

**प्र013: क्या उच्च शिक्षा में महिलाओं (बालिकाओं) का नामांकन बढ़ा है?**

उ013: (क) हाँ – 98 प्रतिशत (ख) नहीं – 02 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 98 प्रतिशत छात्राओं ने अपना उत्तर दिया कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन स्तर बढ़ा है। 02 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उच्च शिक्षा में नामांकन नहीं बढ़ा।

**प्र014: क्या उच्च शिक्षित महिलाओं (बालिकाओं) का योगदान महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत करेगा?**

उ014: (क) हाँ – 95 प्रतिशत (ख) नहीं – 05 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 95 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उच्च शिक्षित महिलायें (बालिकाओं) का योगदान महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत करेगा। 05 प्रतिशत ने माना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**प्र015: क्या महिला सशक्तिकरण में विभिन्न आयोगों व समितियों के सुझावों को अमल में लाया गया?**

उ015: (क) हाँ – 76 प्रतिशत (ख) नहीं – 24 प्रतिशत

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में 76 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि महिला सशक्तिकरण में विभिन्न आयोगों और समितियों के सुझावों को अमल में लाया गया जबकि 24 प्रतिशत छात्राओं ने माना कि सुझावों को अमल में नहीं लाया गया।

## निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त सब का अध्ययन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत से कार्यक्रम चला रही है। नारी को समस्त प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं। उनकी प्रत्येक क्षेत्र में मदद की जा रही है। लेकिन फिर भी स्त्रियां अपने को ठगा सा, लाचार सा महसूस कर रही हैं। उनके अन्दर आत्मविश्वास की अभी भी कमी है। परन्तु इसके बीच हमें यह भी याद रखना होगा कि कुछ महिलायें अच्छे पदों पर काम कर रही हैं तो कुछ महिलायें अपने दायित्वों को अच्छी प्रकार निभा रही हैं। अतः महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करना होगा, विवेकशील बनाना होगा और उसके लिए महिलाओं को शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षित महिलायें ही सशक्त हो सकती हैं।

## संदर्भ

1. पाठक, पी.डी. (1974). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें. विनोद पुस्तक मन्दिरः आगरा।
2. वर्मा, जी.एस. (2001). आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्यायें. लायल बुक डिपोः मेरठ।

3. लाल, रमन बिहारी. (2005). भारतीय शिक्षा का विकास एवं उनकी समस्यायें. रस्तौगी प्रकाशनः मेरठ।
4. देवपुरा, प्रतापभल. (2006). 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व'. कुरूक्षेत्र।
5. कानिटकर, मुकुल. (2016). 'भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका'. योजना।
6. शर्मा, पी.डी. (2017). महिला सशक्तीकरण और नारीवाद।
7. Desai, V. (1992). Rural Development in India. Himalaya Publishing House: Bombay.
8. www.google.com.
9. www.wikipedia.com.
10. www.education.corner.com.

**आरेख संख्या – 1 (प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 05 तक)**

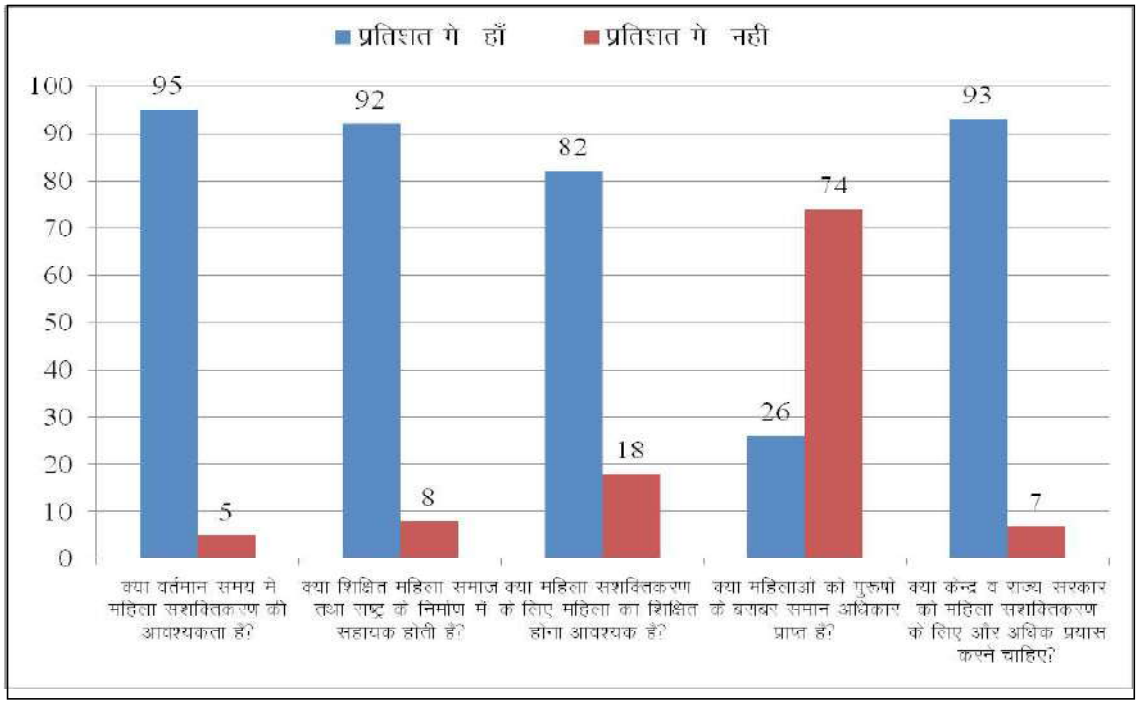


**आरेख संख्या 2 (प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 10 तक)**

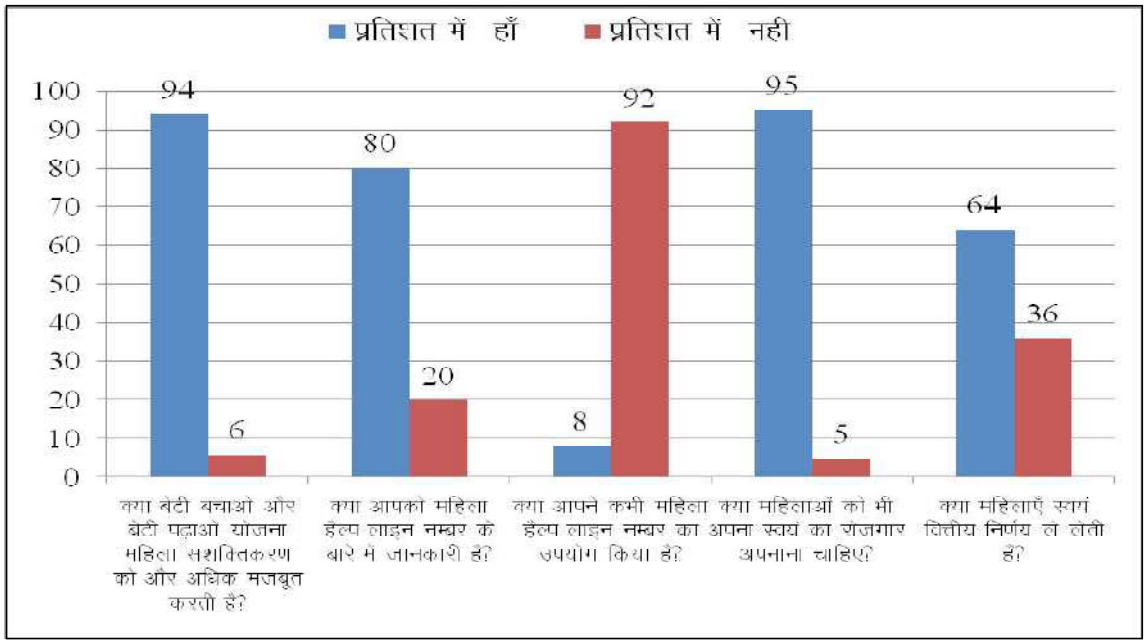

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

**आरेख संख्या 3 (प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 15 तक)**

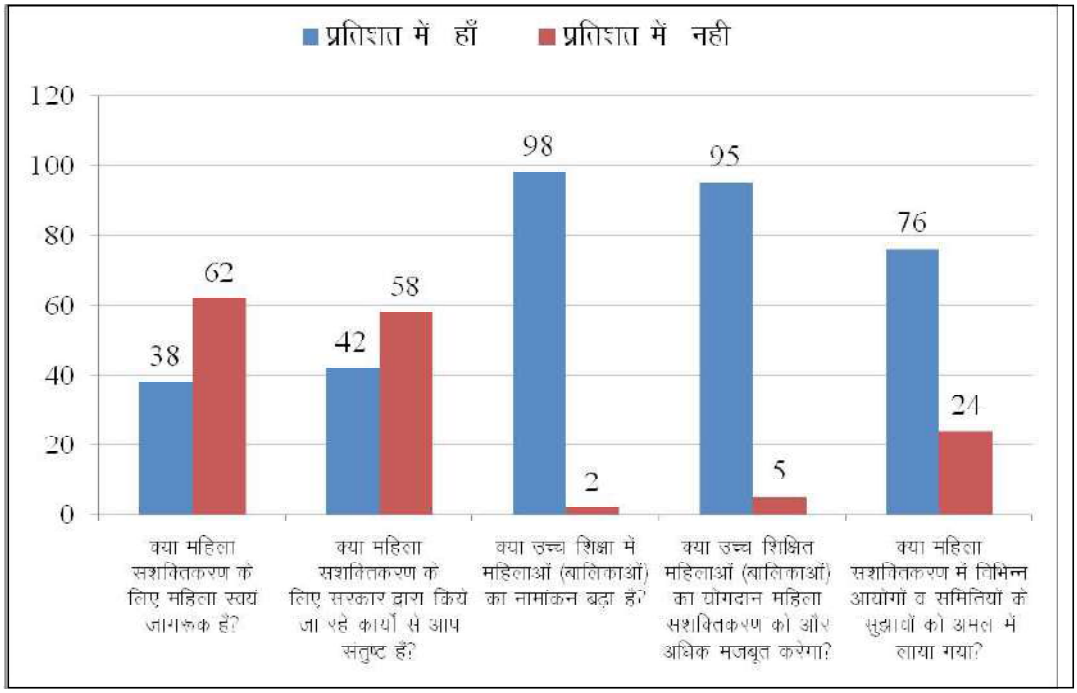

19

# महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन

**रवि कुमार**
शोधार्थी, इतिहास विभाग
के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

**प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द**
शोध पर्यवेक्षक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

***सारांश***

*महिला सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जो देखने में भले ही छोटा प्रतीत होता है परन्तु अर्थ में बेहद ही व्यापक है। महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एक ऐसी प्रक्रिया की बात की जा रही है जिसका उद्देश्य समाज के एक ऐसे वर्ग को जो आज तक घर की चार–दीवारी में कैद रहा है; उसे दृश्य पटल पर लाना है जिससे समाज के साथ ही साथ देश के विकास में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। वैसे तो महिलाओं की वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन महिला सशक्तिकरण के ही अंग है परंतु जब तक महिलाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाती हैं तब तक महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं माना जा सकता है।*

***मुख्य शब्द***

*सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय ऋण, लैंगिक समानता।*

महिलाओं का सशक्तीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं के जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों की बात करने में महिलाओं को सक्षम बनाती है। इसी प्रकार वित्तीय साक्षरता महिलाओं में व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशल को समझने और लागू करने की क्षमता प्रदान करती है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है जिससे वे वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकें। अगर हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से है ताकि समाज के हाशिए पर खड़ा वह वर्ग वित्तीय रूप से सक्षम हो सके।

एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास का सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच प्राप्त करती है। सशक्तीकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है अर्थात् महिला निर्णय लेते समय किसी प्रकार के दबाव में न रहे। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण की बात करें तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद महिलाओं की स्थिति सुधार के संबंध में अनेक कार्य और कानून पारित किए गए जिनसे महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन मिला। इसके अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित हुआ जिसमें एक समय में एक ही पत्नी रखने का प्रावधान किया गया। पति व पत्नी दोनों को तलाक संबंधी समान अधिकारों का प्रावधान किया गया। इसके अगले ही वर्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित हुआ जिसके अंतर्गत महिला को अपने पिता की संपत्ति में हकदार माना गया।[1]

दहेज की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत दहेज लेना व देना तथा दहेज के लिए उकसाना दंड की श्रेणी में रखा गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं का अश्लील रूपण अधिनयम 1986 लाया गया जिसके अंतर्गत किसी विज्ञापन, लेखन, पेंटिंग में महिलाओं के अश्लील रूप को निषिद्ध

किया गया। समाज में बढ़ते घरेलू हिंसा के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाया। पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह के बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया है जो ऐसे लोगों को दंडित करता है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं।[2]

कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम) 2013 पारित किया।[3]

इन सभी बने हुए कानूनों को अमली जामा पहनाने हेतु भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख कार्य महिलाओं के हक में लड़ना तथा उनको विधिक सहायता प्रदान करना है।[4]

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं जिनमें 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट तथा स्त्री शिक्षा को संज्ञान में रखकर शुरू की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य गर्भवती स्त्री को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वन स्टॉप सेंटर–सखी योजना ऐसी महिलाओं के लिए शुरू की गई जो अक्सर हिंसा का शिकार होती हैं परंतु न्याय की जटिल प्रक्रिया के कारण न्याय से वंचित रह जाती हैं। भारत सरकार ने पुलिस को महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने तथा महिलाओं के लिए पुलिस तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु ब्लॉक स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है।[5]

कामकाजी महिलाओं को रोजगार के लिए रहने हेतु सुरक्षित स्थान पर छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम शुरू की गई।[6]

महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति लाई गयी जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय रुप से सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[7]

वित्तीय साक्षरता के विषय में देखें तो वित्तीय साक्षरता वित्तीय जानकारी एवं सलाह की तुलना में व्यापक वस्तु है। वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थायित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए विकसित तथा विकासशील देश वित्तीय साक्षरता पर अधिक जोर दे रहे हैं। भारत में इसके लिए राष्ट्रीय वित्त शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख कार्य आबादी के सभी वर्गों के लिये पूरे भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में वित्तीय साक्षरता की प्रतिशत की बात करें तो ग्लोबल फाइनैन्शियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वयस्क आबादी का केवल 24 प्रतिशत ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं।[8] यह बेहद चिंताजनक है। आधुनिक समय में यदि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के विषय में देखें तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बिना वित्तीय साक्षरता के संभव नहीं लगता है। कई विचारधाराएँ लैंगिक समानता की वकालत करती हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में आज भी महिलाओं में पुरुषों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का अभाव है। इस मसले की जड़ यह है महिलाओं को पुरुषों के समान वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। वित्तीय निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय महिलाओं को समग्र रूप से परिवार को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। वित्तीय शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने में बाधाओं के में से एक सामाजिक संबंध भी हैं। भारतीय समाज का पित्रसत्तात्मक होना भी कहीं न कहीं महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को प्रभावित करता है क्योंकि अधिकतर परिवारों के वित्त से संबंधित मामलों को पुरुष ही सँभालते हैं जिसके कारण महिलाओं का वित्तीय ज्ञान अधूरा ही रह जाता है जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी आती है। इसके साथ ही देखा गया है कि महिलाओं को वित्तीय रूप से अक्सर अपने पिता या पति पर निर्भर रहना पड़ता है। यह भी उनके वित्तीय ज्ञान के बढ़ने तथा आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में बाधक होता है।

यदि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता की बात करें तो इससे महिलाएं आर्थिक आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। अधिकांश महिलाएं जो घरों को संभालती है वह दिन प्रति दिन के खर्चों का प्रबंधन करती हैं। वित्तीय साक्षरता होने पर उनको धन के बेहतर तरीके से उपयोग में मदद मिलेगी। वित्तीय साक्षर महिलाएं अपने निर्णय लेने की क्षमता को और बेहतर कर पाएंगी। वित्तीय साक्षर महिलाएं अपने बच्चों में वित्तीय क्षमताओं को विकसित कर पाएंगी। ऐसी महिलाएं कुटीर उद्योगों को शुरु कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकेंगी। वित्तीय साक्षरता द्वारा महिलाएं वित्त की समझ विकसित कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा और वे आर्थिक स्वायत्तता के मामले में पुरुषों के बराबर होंगी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। इसका कार्य बचत क्यों करें, अपने जीवन में आरंभ से ही बचत क्यों करें, क्यों बैंक में बचत करें, क्यों बैंको से उधार लें, जहाँ तक संभव

हो सके क्यों आय उत्पादन गतिविधियों के लिए उधार लें, क्यों समय पर चुकौती करें, क्यों स्वयं का बीमा करें, क्यों अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करें आदि के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है।[9]

वित्तीय समावेशन से आशय है वहन योग्य लागत उपेक्षितों और अल्प आय के समूह के लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि देश के हर एक वर्ग को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल किया जाए। इसी कार्य को करने हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना को वर्ष 2014 में शुरू किया जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जा सके। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक लगभग 44.58 करोड़ लोग बैंकिंग सेवा में जोड़े जा चुके हैं। इसके आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो इन सेवाओं में जुड़ने में महिलाएं सबसे आगे रहीं जो इस बात को दर्शाती है कि महिलाओं के वित्तीय समावेशन में पहले की अपेक्षा अधिक सुधार हुआ है।[10]

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक उत्थान तथा कम शर्तों में सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऋण योजनायें उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे महिलाएं सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। इसी के तहत महिला ई–हाट कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों के हुनर को संपोशण ओर सहायता प्रदान कर वित्तीय रूप से उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।[11]

वित्तीय समावेशन में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2017 में नई दिल्ली में 'भारत का महिला महोत्सव' का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आयी हुईं महिला कृषकों एवं महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों को बेचा। इस तरह के प्रयास भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

## निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण, महिला वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए महिलाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना बेहद ही आवश्यक है। यद्यपि सरकार इस संबंध में लगातार कार्य कर रही है जो संभवतः आने वाले भविष्य में महिलाओं को आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर सकेंगे। परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया है। सरकार को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना चाहिए जिससे वयस्क होने तक महिलाएं वित्त के विषय में अपना ज्ञान परिपूर्ण कर सकेंगी। सरकार को विश्वविद्यालय स्तर पर भी वित्तीय साक्षरता के लिये अलग से पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए। महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए सरकार को चाहिए कि वह अधिक योजनाएं इस संबंध में चलाएं। इन योजनाओं से सरकार ग्रामीण महिलाओं को भी वित्तीय समावेशित करे। जो छोटी इकाईयां उद्योग क्षेत्र में फैली हैं उन्हें सरकार संपोषित तथा संबंधित करें ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इसमें जुड़कर अपना वित्तीय विकास कर पायें। बैंकिंग संस्थानों तक महिलाओं की सीधी पहुँच को सरकार सुनिश्चित करे तथा बैंकिंग प्रक्रिया की जटिलता को समाप्त कर उन्हें आसान बनाए ताकि महिलाओं की ऋण संबंधी समस्याओं का निपटारा हो सके। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को साझा लक्ष्य की दिशा में कार्य करना होगा जिसमें सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करे तथा वित्तीय संस्थान आवश्यक वित्तीय सेवा प्रदान करें।

## संदर्भ

1. त्रिपाठी, डॉ0 बी0 एन0 मणि. (2009). हिन्दू विधि. सेंट्रल लॉ एजेंसीः प्रयागराज।
2. (2020–2021). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट।
3. (2014). कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नः रोकथाम और निपटारा. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
4. (1990). राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम. भारत सरकार।
5. 2014–2018 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां. भारत सरकार– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
6. (2022). प्रेस सूचना ब्यूरो. भारत सरकार– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. अंक–4 फरवरी।
7. ((2001)). राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
8. https://streetfins.com/the-importance-of-financial-literacy-in-india/
9. https://m.rbi.org.in//hindi/Scripts/Notifications.aspx?Id=3426&Mode=0
10. (2022). कुरुक्षेत्र– ग्रामीण विकास को समर्पित. संस्करण– मार्च. नई दिल्ली।
11. (2019–2020). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट।

20

# महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

**डॉ० रश्मि सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
महिला महाविद्यालय, कानपुर नगर

***सारांश***

*आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा पहला और मूलभूत साधन है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिलाएं समाज में अपनी सशक्त, समान और उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वतन्त्रता के पहले और आज तक नारी को सशक्त बनाने के प्रयास किये जाते रहे हैं, फिर भी अभी तक नारी सशक्त नहीं हैं। आज भी लड़कियों के साथ लैंगिक भेदभाव हो रहा है, दहेज उत्पीड़न हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। इन सभी समस्याओं का सर्वप्रथम समाधान शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं।*

***मुख्य शब्द***

*शिक्षा, सशक्तिकरण, लैंगिक भेदभाव, समावेशी शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान।*

**प्रस्तावना**

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रुप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुँमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है और सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। किसी भी समाज की वास्तविक स्थिति को पता करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि उस समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है।

शिक्षा सीखने व सिखाने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके व्यक्तित्व को उसके सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरुकता, कार्यशीलता, बेहतर नियन्त्रण के प्रयास द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एंव स्वतन्त्र होता है। इस दृष्टिकोण से नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी मे विश्वास रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब सम्पूर्ण विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में सम्पूर्ण विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। 1951 में भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 27.16 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 8.86 थी।

पितृसत्तात्मक, पुरुषवादी मानसिकता वाले भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व नहीं था, इस कारण स्त्रियाँ आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर नहीं थी। परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। उनको केवल गृहकार्य और बच्चों के पालन पोषण तक सीमित कर दिया गया था। यही कारण है कि स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरुक नहीं थीं। परन्तु आज भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व समझ चुका है। यह भी माना जाता है कि समाज में महिलाओं का स्तर ऊँचा उठाने में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की शिक्षा और प्रस्थिति में तीव्र वृद्धि देखी गयी है। आज की भारतीय स्त्री सभी प्रकार की नौकरियों यहाँ तक कि चाँद से लेकर माउन्ट एवरेस्ट

तक पहुँचने में भी पुरुषों के साथ कदम मिला रही हैं। यह सब सम्भव हुआ है महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव के कारण। अब महिलाएँ सरकार चलाने से लेकर अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी अपनी सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

परन्तु भारतीय समाज में महिलाओं की यह प्रस्थिति सिक्के का मात्र एक पहलू है। यद्यपि उन्नत वैज्ञानिक तकनीक और शिक्षा आज हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सम्मिलित हो गयी है तथापि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो कि अशिक्षित हैं और देश के वर्तमान विकास में भागीदारी से वंचित हैं। इसका कारण उपेक्षा, शिक्षा की कमी व आत्मविश्वास की कमी आदि हैं। केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही बालिकाओं के लिए आवश्यक नहीं है अपितु उच्च शिक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है। उच्च शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है तथा वे परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका के प्रति सचेत व जागरुक होती हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से ही स्त्री समाज में अपना स्तर ऊँचा उठा सकती है। महिलाओं की शिक्षा विशेष रुप से उनके सामाजिक परिवेश जिनमें वे रहती हैं तथा उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। अतः महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को केवल साक्षर होना नहीं अपितु उच्च शिक्षित होना भी आवश्यक है ताकि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, नौकरियों व अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में वे अपनी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। अधिक से अधिक बालिकाएं विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों में नामांकन कराएं व इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र, सेना व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होकर स्वयं सशक्त बनें व राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

## साहित्य की समीक्षा

**वोहरा (1982)** ने अपने अध्ययन में पाया कि निम्न जाति की महिलाएँ आर्थिक रुप से अधिक आत्मनिर्भर होती हैं ,परन्तु फिर भी उन्हें अपने पतियों के द्वारा पीटा जाता है ऐसा इसलिए होता है कि ये महिलाएँ अशिक्षित थीं।

**डी. के. सुधा (2000)** ने अपने अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में पाया कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार उनकी जागरुकता बढ़ाने और परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन करने में सहायक होते है। जैसे–जैसे महिलाओं की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि होती है, वैसे–वैसे उनमें आर्थिक स्वतन्त्रता की इच्छा बलवती होती जाती है। प्रायः ऐसा पाया गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं अपने आत्मसम्मान व अपनी स्वतन्त्र पहचान बनाने हेतु अधिक उन्मुख होती हैं।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. वर्तमान समय में भारतीय समाज में महिला–पुरुष साक्षरता की स्थिति का अध्ययन करना।
2. शिक्षित कामकाजी महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण पर सरकार का दृष्टिकोण।
4. महिला सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

## भारतीय समाज में शिक्षा

भारतीय समाज में शिक्षा गुरुकुल से निकलकर डिजिटल युग में प्रवेश कर गयी है। निश्चित रुप से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है परन्तु अभी भी समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। कहीं पर जाति, धर्म तो कहीं लिंग के आधार पर असमानता की खाई सदैव से व्याप्त है, वह 21वीं सदी में भी भर नहीं पायी है। यद्यपि भारत में महिला शिक्षा की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक काल में भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक आकलन के अनुसार वेदों की ऋचाओं में से 60 प्रतिशत मन्त्रों की रचना महिला ऋषियों द्वारा की गई है। मध्यकाल में आते–आते समाज में अनेक कुरीतियों का प्रादुर्भाव होने लगा और स्त्री शिक्षा अत्यन्त सीमित हो गई। ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए अनेक योजनाएं लागू कीं ताकि स्त्रियों को शिक्षित करने में कोई बाधा न आए। ये योजनाएं सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, सी.बी.एस.ई. छात्रवृत्ति योजना व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव सामने आए हैं परन्तु अभी भी स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अन्तर बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत में साक्षरता की स्थिति प्रदर्शित की गई है–

**सारणी संख्या – 1**

| वर्ष | कुल साक्षरता | पुरूष साक्षरता | महिला साक्षरता |
|---|---|---|---|
| 1951 | 18.33 | 27.16 | 8.86 |
| 1961 | 28.30 | 40.40 | 15.35 |
| 1971 | 34.45 | 45.96 | 21.97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1981 | 43.57 | 56.38 | 29.76 |
| 1991 | 52.21 | 64.13 | 39.29 |
| 2001 | 64.83 | 75.26 | 53.67 |
| 2011 | 74.04 | 82.14 | 65.46 |

**स्रोत–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महिला शिक्षा पर रिपोर्ट, 2014

उपरोक्त सारणी से प्राप्त निष्कर्षों में हम पाते हैं कि स्वतन्त्रता के बाद भारत में स्त्री शिक्षा में वृद्धि हुई है परन्तु अभी भी एक ओर 2011 में जहाँ पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है, वहीं स्त्री साक्षरता मात्र 65.46 प्रतिशत है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है।

## भारतीय समाज में शिक्षित कामकाजी महिलाओं की स्थिति

विश्व को आज महिला नेतृत्व की आवश्यकता अधिक है क्योंकि हम अपने युग के कायाकल्प के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों से जूझ रहे हैं। परन्तु आज की शिक्षित भारतीय नारी विश्व की चुनौतियों का सामना करने के स्थान पर स्वयं के समक्ष खड़ी चुनौतियों का ही सामना नहीं कर पा रही हैं। समाज ने उस पर दोहरी जिम्मेदारी डाल रखी है। एक ओर वह शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई है वहीं दूसरी ओर घर–परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों से बँधी हुई है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में पुरुष उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके अनेक उदाहरण हम दिन–प्रतिदिन समाचार पत्रों या सोशल मीडिया पर देखते हैं।

जब लॉकडाउन और कोविड़–19 अपने चरम पर था तब बिहार के किसी जिले में एक महिला सिपाही को तेज धूप में अपने बच्चे के साथ ड्यूटी पर देखा गया था जिसकी समाज में मीडिया द्वारा प्रायोजित वाहवाही होती रही। उस महिला को कोरोना वारियर कहा गया। ऐसी ही दूसरी घटना चंडीगढ़ की है, जहां ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही थी। क्या वास्तव मे आसान है एक बच्चे को गोद मे लेकर चौराहे पर तैनात रहना। शायद नहीं, परन्तु ये समाज उसे महान घोषित करके एक अनकहा दबाव बनाये रहता है कि स्त्री एक साथ घर और बाहर दोनों ही अत्यधिक कुशलता से संभाल सकती है। आज भी पैरेंटहुड को मदरहुड मानकर पुरुष समाज अपने कार्यभार से मुक्त है। वास्तव में यदि कामकाजी महिलाओं की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को बाँटकर उनकी दिनचर्या सहज कर दी जाए तो वे अपने क्षेत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।

## महिला सशक्तिकरण पर सरकार का दृष्टिकोण

महिला सशक्तिकरण एक जटिल मुद्दा है जिसके असंख्य संकेतक हैं। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय स्वतन्त्रता के स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा तभी उन्हें सशक्त माना जाएगा। भारत जैसे बहुसंख्यक और निर्धनता से जूझ रहे समाज मे समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है; को लागू किया। महिलाओं में पोषण की कमी देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में प्रत्येक तीसरी महिला कुपोषण का शिकार है। इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा को सार्वभौमिक एवं सशक्त बनाया गया। यह बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास का सबसे बड़ा और अनूठा आउटरीच कार्यक्रम है। इसमें 14 लाख आँगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से देश के सभी जिलों और ब्लाकों को जोडा गया है। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जच्चा बच्चा निगरानी प्रणाली, टीकाकरण सेवा तथा मातृत्व मृत्यु समीक्षा आदि के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लाने के प्रयास किये गये हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के प्रयास किये हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करके प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरुप लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई और ड्रापआउट दर में कमी आई है। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम व नई शिक्षा नीति में भी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं।

वित्तीय सुरक्षा दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि सरकार की अनेक योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमन्त्री जन–धन योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

## महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा अशिक्षा है। इसके साथ ही लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएं, पर्दा प्रथा, बाल–विवाह, निर्धनता, सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ व परम्परागत सोच आदि अन्य समस्याएं भी हैं जिसके कारण महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सरकार विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है और यह सम्भव है शिक्षा के माध्यम से। सर्वप्रथम बालिकाओं को जागरुक

करके शिक्षित करना आवश्यक है ताकि उनमें नये विचारों का उदय हो, वे निर्णय लेने में सक्षम हों, आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हों, स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहारों के विरुद्ध आवाज उठा सकें। महिला सशक्तिकरण तभी सम्भव है जब महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक सभी क्षेत्रों में आगे आकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करायें। वर्तमान समय में महिलाएं अपनी परम्परागत भूमिका को छोड़कर नए अवसरों व चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं परन्तु भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में अभी भी बालिकाओं व बालकों में लैगिंक भेदभाव होता है, लडकियों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, निर्धनता व गृहकार्यों में संलग्नता के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। सशक्त महिला प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करती है परन्तु कोई उन्हें अपने घर में नहीं देखना चाहता। पुरुष सदैव उन्हें स्वयं से निम्न स्थिति में देखना चाहता है। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद भी हैं।

उपरोक्त अनेक नकारात्मक पहलुओं के अतिरिक्त महिलाओं के बारे में अनेकों सुखद और सकारात्मक पहलू भी हैं जो यह दिखाते हैं कि आधुनिक भारतीय नारी सशक्तिकरण की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए ओडिशा की अनुप्रिया लाकडा देश की पहली आदिवासी महिला पायलट बनीं। साहित्य के क्षेत्र में नासिरा शर्मा जिन्हें 2019 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया, गीतांजलि श्री जिनके उपन्यास 'रेत समाधि' को 2022 का अन्तर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना में पायलट बनने वाली पहली महिला बनीं। ले. कर्नल ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश बनीं। खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा, पी. वी. सिन्धू, हिमा दास आदि अनेक प्रसिद्ध महिला खिलाडी हैं। इसी प्रकार अनेकों महिलाएं हैं जो विभिन्न चुनौतियों को पार करती हुई अपने–अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यह सशक्तिकरण वृहद स्तर पर हो। देश की प्रत्येक महिला इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े।

## निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के वास्तविक व समावेशी विकास के लिए सरकार को पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता बढ़ानी होगी, उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, परिवार, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर अधिक सचेत रहना होगा। सरकार द्वारा चलाई गयी विभिन्न योजनाओं जैसे–बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एँड एम्प्लायमेट प्रोग्राम फॉर वूमेन, महिला शक्ति केन्द्र, पंचायती राज में आरक्षण आदि के माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में जानना और उनका प्रयोग समुचित रुप से महिलाओं को करना चाहिए। सरकार को इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए और इन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहिए। ये सभी कार्य शिक्षा के माध्यम से ही सही तरीके से हो सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज की रुढ़िवादी मानसिकता को बदल सकते हैं, लैगिक भेदभाव को कम कर सकते हैं, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरुक कर सकते हैं तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरुक कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का होना अत्यन्त आवश्यक है।

## संदर्भ

1. आहूजा, राम. (2002). सामाजिक समस्याएं. रावत पब्लिकेशनः जयपुर।
2. कपूर, प्रमिला. (1978). मैरिज एण्ड वर्किंग वीमेन इन इण्डिया. विकास पब्लिकेशनः दिल्ली।
3. गीता, श्री. (2000). 'सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिये'. राष्ट्रीय सहारा. 10 जून।
4. (2016). योजना पत्रिका. सितम्बर।
5. (2018). कुरुक्षेत्र पत्रिका. जनवरी।

21

# महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान

**डॉ० अखिला सिंह गौर**
असिस्टैंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग
डी० ए० वी० कॉलेज, कानपुर

***सारांश***

*प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक होती है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुँमुखी विकास की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरूरी है और सशक्तीकरण के लिये शिक्षा की जरुरत है। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिये पहला और मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका को दर्ज करा सकती है। इस सम्बन्ध में राधाकृष्णन आयोग ने लिखा है ''स्त्रियों के शिक्षित हुये बिना किसी भी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना।'' वर्तमान युग वैज्ञानिकता का युग कहा जाता है, अगर स्त्री के संस्कार, शिक्षा–दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है। समाज के लिये स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार–कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही सम्भव है। शिक्षा महिला को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।*

***मुख्य शब्द***

*महिला सशक्तिकरण, सभ्य, सशक्त, समृद्धशाली, सहभागिता, शैक्षिक भूमिका।*

राष्ट्र को यदि उन्नत बनाना है तो हमें हर क्षेत्र जैसे पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक; प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को बराबर–बराबर का सशक्त भागीदार बनाना होगा, अपने मित्रों एवं सहयोगियों के रूप में। नेपोलियन बोनापार्ट का वह अमर कथन ''तुम मुझे शिक्षित माँ दो और मैं तुम्हें बदले में एक सभ्य, सशक्त और समृद्धशाली राष्ट्र देने का वचन देता हूँ'' अक्षरशः सत्य है।

वास्तविकता तो यह है कि सम्पूर्ण मानव–जाति, समाज, देश और विश्व यहाँ तक कि सम्पूर्ण सृष्टि का भविष्य महिला की क्षमताओं पर ही निर्भर है। स्पष्ट है यदि नारी को समाज में उचित स्थान, आदर और सम्मान नहीं मिला तो सम्पूर्ण सृष्टि भयावह भूचाल की चपेट में होगी और मानव सभ्यता तहस–नहस हो जायेगी।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का सम्मान महत्वपूर्ण रहा है, पौराणिक काल से पूर्व भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा उच्च कोटि की एवं सम्मानित थी।

भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षों में भारत में बहुत कुछ बदला। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र ने सभी को अपनी इच्छा से जीने की, सोचने की, विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता दी। एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह वर्ग है स्त्रियों का।

यह कैसी विडम्बना है कि जिस नारी को प्रकृति ने सृष्टि का आधार बनाया है, जो असीम क्षमताओं की प्रबल धनी है, जिसके बारे में प्रायः कहा जाता है कि हर महान व्यक्ति के पीछे एक महिला ही होती है; उसी महिला वर्ग के एक बड़े भाग को दिन–प्रतिदिन दयनीय दुर्दशा से दो–चार होना पड़ता है। यदि स्त्री–जीवन के स्याह पक्ष पर नजर डालें तो बराबरी अभी तक नहीं मिल पाई है।

## अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य हैं कि किस प्रकार महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान अहम है। महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधायें क्या हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। क्या शिक्षा के अभाव में महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है? शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में कितनी जागरूकता आयी है? प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिये विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना है क्योंकि शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण असम्भव है।

## शोध की परिकल्पनायें

1. शिक्षा ने महिलाओं में सशक्तिकरण के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. अंधविश्वास एवं कुरीतियों को त्यागने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3. शिक्षा के कारण वर्तमान समय में महिलायें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
4. शिक्षा से महिलाओं में सशक्तिकरण की स्थिति में बढ़ावा हुआ है।
5. महिलाओं को अंधविश्वास, जादू–टोना, धार्मिक भेदभाव, छुआ–छूत, जात–पात से ऊपर उठाने शिक्षा की भूमिका अहम रही है।

महिलाओं को सामाजिक समानता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की रही है। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिये प्रथम एवं मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है वरन् उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिये पूर्णतया आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

शिक्षा ज्ञान रूपी दरवाजे की वह कुंजी होती है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार ''किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिये महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुये हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंच है तथा राजनैतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।''

संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिये धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरूषों में साक्षरता की दर 20 प्रतिशत थी, वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहां पुरूषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। 2010–2021 के बीच भारत में महिला साक्षरता दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

## बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनायें शुरू की हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है। इनमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रूपये के शुरूआती कोष के साथ यह योजना शुरू में देश भर के सौ जिलों में शुरू की गयी थी खासकर उन जिलों में जहां लिंगानुपात बेहद कम है। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत हर लड़की के लिये पैसे बचाने की और लघु बचत हेतु सुकन्या समृद्धि अकाउण्ट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिये आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिये यह पहल की गयी थी। साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 उपखण्डों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिये 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की गयी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा

वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिये प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिये सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में; सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समस्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुये शुरू की गयी थी लेकिन बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

## महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधायें

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इसी कारण प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि वह कौन–कौन सी बाधायें है जिनके कारण महिलायें शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अध्ययन में पाया गया है कि लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्परायें, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक–आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी आदि अनेक कारण महिला शिक्षा में बाधक हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी तथा पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46 प्रतिशत थी यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में निरन्तर सुधार हुआ है और 2010 से 2021 के बीच महिला साक्षरता दर में 14.40 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

किंतु फिर भी महिला वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्न बाधायें हैं:–

1. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव।
2. महिला शिक्षा के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति की कमी।
3. शैक्षिक अवसरों में असमानता।
4. महिला शिक्षा के प्रति दोषपूर्ण प्रशासन एवं दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
5. महिला शिक्षा के लिये स्कूलों की भौगोलिक दूरी अधिक होना।
6. सरकार का महिला शिक्षा के प्रति उदासीन होना।
7. सामाजिक भेदभाव का होना।

## महिलाओं की शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिये सुझाव

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता है किंतु समाज के सहयोग से सरकार की देश भर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिये बड़ी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों में सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिये महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। हमें शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिये तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिये। महिला शिक्षा के लिये स्कूलों की घर से भौगोलिक दूरी कम की जानी चाहिए। जनता में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिये स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इस लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित करना चाहिये। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिये। सरकार को निर्धन, पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें। संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहां महिलायें काम करती हैं, बालगृहों की स्थापना की जाये जिससे लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई–बहनों की देखभाल के लिये अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रूकना पड़े।

## निष्कर्ष

समाज में महिलाओं का स्थान पुरूषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला सबला नारी के रूप में सुदृढ़ व सशक्त होकर पुरूष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपयुक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे–जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रूझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुयी हैं, वैसे–वैसे वे सभीं सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुयी हैं तथा आत्म निर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरूष दोनों रथ के पहियों के समान है, यदि एक निर्बल हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न रुप से आगे नहीं बढ़ पायेगा।

## संदर्भ

1. व्यास, डॉ0 मिनाक्षी. (2008). नारी चेतना और सामाजिक विधान. रोशनी पब्लिकेशनः कानपुर।
2. अग्रवाल, एस0 पी0., अग्रवाल, जे0 सी0. भारत में महिला शिक्षा. नई दिल्ली।
3. भटनागर, सुरेश. (1984). भारतीय शिक्षा. आज और कल मेरठ।
4. बर्न, एलेन एम0. (1984). ''महिला और शिक्षा''. लंदन।
5. रेड्डी, सी0 आर0. (1986). शिक्षित कामकाजी महिलाओं की स्थिति. बी. आर. प्रकाशन निगमः दिल्ली।
6. मकोल, नीलम., शर्मा, संदीप. (2006). सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान. कुरूक्षेत्र सितम्बर।
7. अंसारी, एम0 ए0. (2001). महिला और मानवाधिकार।
8. श्रीवास्तव, सुधा रानी. (1999). ''भारत में महिलाओं की वैज्ञानिक स्थिति''. कॉमनवेल्थस पब्लिशर्सः नई दिल्ली।

22

# महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन

**विनीता सिंह**
शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग
मेरठ कॉलेज, मेरठ

**सरला सिसोदिया**
शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग
चौधरी शिवनाथ सिंह शांडिल्य पी०जी० कॉलेज, माछरा (मेरठ)

***सारांश***

*भारत देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ अनेक उदाहरणों से भरे हैं जहाँ महिलाओं ने अपने शस्त्र तथा शास्त्रीय कौशल का प्रदर्शन किया। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनको समाज में समानता प्रदान करना है, साथ ही महिलाओं को सत्ता प्रतिष्ठानों में साझेदारी देना सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिलाओं को आवश्यकता है वित्तीय साक्षरता की। वित्तीय साक्षरता का अर्थ व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशलों को समझने और लागू करने की क्षमता है। वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज में पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचितों का वित्तीय समाधान करना है, गरीबों और पिछडों को बचत एवं ऋण सेवाओं के प्रावधानों को उपलब्ध कराना है और धन का सदुपयोग करना है।*

***मुख्य शब्द***

*महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, पितृसत्तात्मक समाज, ऋण सेवायें।*

**या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।**
**नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।**

भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही महिलाओं को शक्ति रूप में पूजा जाता है और उनकी शक्ति को नमन किया जाता है। महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय हर क्षेत्र में देती हैं, चाहे वह घरेलू परिवेश हो या उनका कार्यस्थल। परिवारिक संबंधों की जहाँ बात आती है महिलाएं अपने कोमल हृदय से सभी रिश्तों को बहुत ही सौम्यता से निभाती हैं और कार्यस्थल पर भी सामंजस्य बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं। जहाँ एक और वह प्रेम की नदिया है वहीं दूसरी ओर समय पड़ने पर वह प्रचंड अग्नि का भी रूप धारण करके दुष्टों का विनाश कर देती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाएं अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थीं तथा शस्त्र और शास्त्र में निपुण थीं और समय–समय पर अपने कौशल का प्रदर्शन भी करती थीं।

लेकिन मध्यकालीन समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है और उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई जहां उनको किसी भी विषय पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, वहीं उनका जीवन भी उनके अपने हाथ में नहीं था। भारतीय समाज में फैली हुई उस समय की कुरीतियाँ स्त्रियों के लिए अभिशाप बन गई थीं।

आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है। आज हम महिलाओं को आधी आबादी के रूप में जानते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं। किसी भी समाज और देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी।

## सशक्तिकरण क्या है?

सशक्तिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है स+शक्ति। 'स' एक 'उपसर्ग' है तथा 'शक्ति' एक संज्ञा है। महिला सशक्तीकरण

को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में सशक्त बन सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है। सशक्तिकरण का अर्थ है 'शक्ति सहित गति'। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यह निर्बल को सबल बनाने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिला को आत्मनिर्भर बनाना तथा नारी को समाज में समानता प्रदान करना साथ ही महिलाओं को सत्ता प्रतिष्ठानों में साझेदारी देना। निर्णय लेने की क्षमता होना सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है।

**डॉ. दिग्विजय** के अनुसार, ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों की चुनौती में समान अवसर, राजनीतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि। सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की प्रस्तुतियों को नियंत्रित करने के लिए बेहतर मौके मिल जाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पुरुष समाज, स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बने।''

**यूनिफॉर्म** के अनुसार, ''नारी सशक्तिकरण से स्त्री पुरुष के संबंधों को समझा जा सकता है तथा उन तरीकों को भी समझा सकता है जो इसे बदल सकें तथा स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णयों का नारी स्वयं ले सकें। समय का मूल्य समझते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी नारी सशक्तिकरण का घटक है।''

**महात्मा गाँधी** के अनुसार, ''हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। उनमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती हैं।''

## महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है?

किसी भी संतुलित समाजिक व्यवस्था में विकास के लिए स्त्री–पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ स्त्री या पुरुष को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है बल्कि उन उपायों की खोज करना है जिससे विकास के क्षेत्र में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। एक ऐसे वातावरण का सृजन करना जो लिंगभेद से रहित परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम हैं जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वाँछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। स्त्रियों की समाज में स्थिति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं, बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। स्त्री हर भारतीय संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से कोसों दूर है।

**सिमोन द बोउवार** ने महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा, "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" समाज को जैसी जरूरत होती है वह महिलाओं को उसी अनुसार ढाल लेता है। उसके स्वछंद विचार, कार्य शैली और जीवन आज भी पुरुषों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित है जहाँ पर पुरुषों का ही वर्चस्व है और पुरुष ही हर क्षेत्र में निर्णय लेते हैं। महिलाएं उनके आधीन ही कार्य करने में अपनी संतुष्टि मानती हैं। विवाह से पूर्व अपने पिता या भाई के अधीन निर्णय लेती है और विवाह पश्चात् वह अपने पति की सहमति से ही कोई भी निर्णय ले पाती है। जब–जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब–तब समाज ही कटघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है। 21वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति धीरे–धीरे बेहतर हो रही है।

## महिला सशक्तिकरण के आयाम

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम है जो इस प्रकार हैं–

**शैक्षिक आयाम –** एक सुशिक्षित महिला अपनी शिक्षा द्वारा अपने परिवार को सशक्त और समृद्ध करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। हर संतान की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। यदि माँ शिक्षित होती है तो अगली पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा महिलाएं समाज में फैली विसंगतियों से लड़ सकती हैं और अपने लिए एक सम्मानपूर्ण स्थिति और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं, एक शिक्षित स्त्री ही परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। वर्तमान भारतीय समाज में लोग बच्चियों को पढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में यह प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है कि हर स्तर पर बालिकाओं की सफलता दर बालकों से अधिक है। भारत के संदर्भ में उच्च शिक्षा में महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात में क्रमिक वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति नजर आई। यह दर वर्ष 2012–2013 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 27.3 प्रतिशत हो गई हैं। आज महिलाएं निरंतर शिक्षा ग्रहण करके हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं।

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

**स्वास्थ्य आयाम –** भारतीय परंपरा रही है कि महिलाएं सभी को भोजन कराने के पश्चात् ही भोजन करती हैं। कभी–कभी वे बहुत अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करती हैं या अपने काम में व्यस्तता के कारण सही समय पर भोजन नहीं करती हैं, इसका उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अस्वस्थ महिला कभी भी स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकती है, साथ ही परिवार का सही तरह से देखभाल करने में असमर्थ रहती है और योग्य होते हुए भी वह अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने में असमर्थ होती है। स्वास्थ्य आयाम का अर्थ महिलाओं को उनके खानपान तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है।

**सामाजिक आयाम –** एक परिवार सामाजिक व्यवस्था का प्रथम चरण होता है। यदि परिवार में महिलाओं और बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है तो वे समाज में उच्च स्तर की ओर अग्रसर होती हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं क्रियाशील नहीं है बल्कि ऐसे क्षेत्र जहां केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था उनमें भी आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जैसे कैप्टन शालिजा धामी हमारे देश की पहली फ्लाइट कमांडर बनी है। शिवांगी सिंह लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। इसी तरह कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी है जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात की गई है और सुरेखा यादव पहली महिला जो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली लोको पायलट है।

**विधिक आयाम –** भारतीय संविधान स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है। भारतीय संविधान में स्त्रियों के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जो उनके प्रति हिंसा और शोषण को रोकने में सहायता करते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, वही महिलाओं को अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सके। महिला होने के कारण उनको किसी भी कार्य को करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23–24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को उचित नहीं माना गया है और महिलाओं की खरीद–बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। अनुच्छेद 39 में स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 242 के अनुसार महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन पर भरे गए स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। देशभर की अदालतों में कार्यरत महिला जजों की संख्या 3815 है।

सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला न्यायाधीश हैं– जस्टिस कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम. त्रिवेदी। जस्टिस कोहली का कार्यकाल सितंबर 2024 तक है, जस्टिस त्रिवेदी जून 2025 तक पद संभालेंगी और जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं।

**आर्थिक आयाम –** आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रुप से स्वाबलंबी होना जरूरी है। यदि एक महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी है तो वह परिवार की समृद्धि मे सहायता कर सकती है और यदि कोई बुरा वक्त आता भी है तो वह अपने परिवार की मदद कर सकती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए महिलाएं निजी और सरकारी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा अपना निजी व्यवसाय भी कर सकती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है।

**भावात्मक आयाम –** भावात्मक रूप से सबल व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का आसानी से सामना कर सकता है। महिलाएं शैक्षिक और आर्थिक रूप से कितनी भी सशक्त हों लेकिन वे कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भावुक होकर कमजोर पड़ जाती हैं। इसी कारण कभी–कभी वे अपने पक्ष में गलत निर्णय ले लेती हैं।

लेकिन महिलाओं को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति में चाहे वह पारिवारिक हो उसमें भी वो कभी कमजोर ना पड़ें, हमेशा मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करें।

**कोमल है कमजोर नहीं तू।**
**शक्ति का नाम ही नारी है।।**
**जग को जीवन देने वाली।**
**मौत भी तुझसे हारी है।।**

**राजनीतिक आयाम –** राष्ट्रीय तथा स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रही हैं। हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गाँधी बनीं जो महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है जिन्होंने महिला को सशक्त बनने तथा महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया। अभी तक भारत के 28 राज्यों में से अब 21 राज्यों में पंचायती राज्य के पदों पर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण हो चुका है। आज हमारे देश की महिलाएं सर्वोच्च पद को भी ग्रहण कर रही हैं जैसे श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं। वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी।

## वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता का अर्थ व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशल को समझने और लागू करने की क्षमता से है। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। अब प्रश्न उठता है कि महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? महिलाएं अपनी योग्यताओं से अनभिज्ञ होकर वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकताएं नहीं देती हैं, जबकि हम जानते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कँधे से कँधा मिलाकर चल रही हैं लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। महिलाओं की वित्तीय साक्षरता उनमें एक प्रमुख क्षेत्र है। महिलाओं में वित्तीय निरक्षरता के कारण महिलाएं रुपए–पैसे के लेन–देन के लिए पूरी तरह पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहती हैं और वित्त संबंधी किसी भी कार्य को करने में आत्मविश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पातीं। पुरुष रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में उनका वित्तीय कार्य पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। वित्त संबंधी कार्य को सीखने में महिलाएं आलस और संकोच दिखाती हैं। वित्तीय साक्षरता की कमी केवल ग्रामीण, गरीब और अनपढ़ महिलाओं में ही नहीं देखी जाती बल्कि शहरी, मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय साक्षर महिलाओं में भी देखी जाती है। 'ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर' (जीएफएलई) द्वारा 2020–21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वयस्क आबादी का केवल 24 प्रतिशत वित्तीय मामलों में साक्षर है। विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर सबसे कम है और यदि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता की दर की बात की जाए तो स्थिति और भी चिंताजनक है। आज हमारे देश की जनसंख्या 1.4 अरब है और उनमें से हम महिलाओं को आधी आबादी की संज्ञा देते हैं। महिलाओं का वित्तीय साक्षरता के प्रति उदासीनता देश के विकास में एक प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है। अतः वित्तीय साक्षरता को महत्व देना आवश्यक है और यह जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण और साक्षरता प्रदान की जाए। बैंकिंग संबंधी जानकारियां प्रदान करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों को भी समय–समय पर महिलाओं को वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने हेतु कार्यक्रम चलाने चाहिएं और जिन महिलाओं को बैंक और वित्तीय कामकाज की जानकारी नहीं हैं, उन्हें आगे बढ़ कर सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज के दौर में महिलाओं को वित्त संबंधी कुछ काम तो आना ही चाहिए जैसे बैंक में खाता खोलना, चेक भरना, चेक जमा करवाना, रुपया निकालना व जमा कराना, ए.टी.एम. का उपयोग, ऑनलाइन भुगतान करना आदि। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020–2025 बनाई गई है। इसके अंतर्गत डिजिटल लेन–देन की सुविधा, डिजिटल लेन–देन की सुरक्षा, लेन–देन में सावधानी, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के प्रावधान किए गए हैं। 'सेबी', रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाएं भी समय–समय पर विज्ञापनों के माध्यम से बैंक लेन–देन और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जानकारियां देती रहती हैं, ताकि वित्तीय साक्षरता बढ़ सके। इन सभी में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता की जरूरत बताई गई है।

## वित्तीय समावेशन और महिलाएँ

वित्तीय समावेशन (फाइनेंशयल इन्क्लूजन) का मतलब समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। वित्तीय समावेशन शब्द को वर्ष 2000 से महत्व दिया जाने लगा है। किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था का विकास तभी संभव है जब देश का हर एक नागरिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ेगा। मुख्यतः ग्रामीण लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचितों को वित्तीय समाधान प्रदान करना, गरीबों और पिछड़ों को बचत और ऋण सेवाओं के प्रावधानों को उपलब्ध कराना और धन का सर्वोत्तम उपयोग करना है।

प्रायः यह देखा गया है कि कम आय वाले घरों में बचत तथा व्यय का निर्णय महिलाएँ लेती हैं। अतः महिलाएं अधिक अनुशासित और प्रतिबद्ध बचतकर्ता साबित होती हैं। अतः बैंकों के लिये महिलाओं को लक्षित करना आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है। जब महिलाएं वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ती हैं और ऐसे संस्थानों के कार्य में भागीदारी करती हैं, तो वे सामाजिक पूँजी की वृद्धि में सहयोग करती हैं।

## निष्कर्ष

महिला सशक्तीकरण, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन द्वारा आर्थिक विकास की राह पर कदम बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2017 के ग्लोबल फाइनडेक्स डेटाबेस के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83 प्रतिशत पुरुष जबकि, केवल 77 प्रतिशत महिलाओं का खाता किसी वित्तीय संस्थान में खुला हुआ है।

महिलाओं को केंद्रित कर वित्तीय साक्षरता की शिक्षा प्रदान कर वित्तीय समावेशन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें काम के समान अवसर प्रदान कर और ऋण की उपलब्धता कराकर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे वे किसी भी आर्थिक संकट का सामना आसानी से कर सकती हैं।

## संदर्भ

1. प्रतापभल, देवपुरा. (2006). 'महिला सशक्तिकरण मे शिक्षा का महत्व'. कुरूक्षेत्र. अंक 5. मार्च।
2. आनंद, कीर्ती. (2016). 'महिला स्वावलम्बन'. वॉल्यूम 5. अंक 5.
3. मकोल, नीलम., शर्मा, संदीप. (2006). 'सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान'. कुरूक्षेत्र. सितम्बर।
4. अंसारी, एम0 ए0. 'महिला और मानवाधिकार'. ज्योति प्रकाशनः जयपुर।
5. दृष्टि. (2021). 'वित्तीय समावेशन में महिलाएँ'।
6. श्रीवास्तव, सुधा रानी. (1991). 'भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति'. कॉमनवेल्थस पब्लिशर्सः नई दिल्ली।
7. जैन, प्रतिभा. 'भारतीय स्त्री : सांस्कृतिक सन्दर्भ'. रावत पब्लिकेशनः जयपुर।
8. तिवारी, आर. पी. 'भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान'. नई दिल्ली।
9. कानिटकर, मकुल. (2016). 'भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका'. योजना. सितम्बर।
10. व्यास, मिनाक्षी. (2008). नारी चेतना और साामजिक विधान. रोशनी पब्लिकेशनसः कानपुर।

23

# विदेशी संबंध – पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास

**प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चन्द**
शोध पर्यवेक्षक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

**सचिन सिंह**
शोधार्थी, इतिहास विभाग
के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

***सारांश***

*वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है जिससे पड़ोसी देश एक दूसरे को सदैव संदेह की नजरों से देखते रहते हैं और लगातार उत्पन्न इस अविश्वास के कारण देशों के मध्य टकराव की स्थिति भी बन जाती है जो एक गंभीर समस्या है। अतः पड़ोसी देशों को चाहिए कि उनके बीच हमेशा विश्वास बना रहे जिससे वैश्विक शांति की स्थापना हो सके। किसी भी विवाद का हल ढूंढने के लिए बल प्रयोग का रास्ता न अपनाकर बातचीत के द्वारा उसका हल ढूंढने का प्रयास करें; तभी पड़ोसी देशों के मध्य अविश्वास को खत्म कर विश्वास को बढ़ाया जा सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को कायम रखने में सहायता मिलेगी। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सभी देशों को समानता का व्यवहार करना चाहिये क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति में मित्र का विकल्प हो सकता है परंतु पड़ोसी का नहीं।*

***मुख्य शब्द***

*देश, अविश्वास, वैश्विक शांति, आतंकवाद।*

वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ सम्पूर्ण विश्व प्रगति के पथ पर अग्रसर है व विश्व के अधिकांश देश अपने आप को विकसित देश के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वही आज के प्रौद्योगिकी प्रधान वाले इस युग में भी पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरा है। वैसे तो प्राचीन काल से ले कर वर्तमान में भी राज्यों/देशों का अपने पड़ोसी देशों से विवाद बना रहना स्वाभाविक है परंतु आज के वैश्वीकरण के इस युग में जब अधिकांश देश खुद को साधन संपन्न बनाने में लगे हैं तब भी उनका अपने पड़ोसी देशों के प्रति अविश्वास होना आम बात है। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार साधनों, इंटरनेट, सोशल मीडिया, के दौर में जहां देशों की भौगोलिक सीमायें नाममात्र की रह गई हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के अनेक देशों का पड़ोसी देशों के प्रति अविश्वास बढ़ा है। साथ ही कई देश अपने पड़ोसी देशों पर अपनी–अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने का आरोप भी लगा चुके हैं जिसकी परिणिति आतंकवाद को बढ़ावा, सैन्य टकराव से ले कर युद्ध तक की रही है। अतः वैश्विक शांति के लिए सभी देशों का अपने पड़ोसी देशों के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है।

जब किन्हीं दो पड़ोसी देशों में अविश्वास अत्यधिक बढ़ जाता है तो उनके बीच युद्ध तक हो जाता है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन युद्ध इसका एक उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे अविश्वास के कारण लड़ा जा रहा है। अविश्वास के कारण युद्धों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव जाति। 1914–18 के प्रथम विश्व युद्ध की कहानी का अभूतपूर्व महत्व इस तथ्य में निहित है कि इतना गम्भीर और सर्वव्यापी आयामयुक्त संग्राम पहली बार घटित हुआ। इसे सम्पूर्ण युद्ध कहने का यह आशय है कि "अपनी विजय को सुनिश्चित बनाने की धुन में प्रतिद्वंदी पक्ष अन्ततः अपने सभी संसाधनों, अपनी जनशक्ति, उत्पादन एवं द्रव्य लाभ कमाने वाले उद्योगों, कृषि, जहाजरानी, परिवहन तथा संचार व्यवस्था को दाँव पर लगाने पर विवश हो गए।'[1] पड़ोसी देशों के बीच लड़े जाने वाले युद्धों का प्रमुख कारण अविश्वास का होना ही है। वर्तमान में जितने पड़ोसी देशों में विवाद चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि अविश्वास से ही जुड़ी है जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं–

### रूस–यूक्रेन

वर्ष 1991 में यू.एस.एस.आर. को समाप्त कर दिया गया था। यूक्रेन में आज़ादी की मांग कुछ वर्ष पहले से बढ़ रही थी तथा वर्ष 1990 में 3 लाख से अधिक यूक्रेनवासियों ने स्वतंत्रता के समर्थन में एक मानव ऋंखला बनाई। इसके बाद ग्रेनाइट की क्रांति हुई जब यूक्रेन के छात्रों ने यू.एस.एस.आर. के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की। 24 अगस्त 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने और कम्युनिस्टों को सत्ता में बहाल करने के लिये तख्ता–पलट की विफलता के बाद यूक्रेन की संसद ने देश की स्वतंत्रता हेतु अधिनियम को अपनाया। इसके बाद संसद के प्रमुख लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए। दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ की सदस्यता त्याग कर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का गठन किया। हालांकि यूक्रेन की संसद वेरखोव्ना राडा ने कभी भी परिग्रहण की पुष्टि नहीं की, इसलिये यूक्रेन कानूनी रूप से कभी भी CIS (Commonwealth of Independent States) का सदस्य नहीं था। वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई शुरू करा दी।'[2] वर्ष 2014 से ही रूस और यूक्रेन में अविश्वास बहुत तेजी से बढ़ने लगा। संघ ही रूस एवं यूक्रेन को संदेह की नजरों से देखने लगा। रूस को डर था कि कही यूक्रेन पश्चिमी देशों के पाले में ना चला जाये, अतः अविश्वास के तौर पर उभरे इस मुद्दे ने वर्तमान में बहुत भयानक युद्ध का रुप ले लिया जिसमे अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है।

### इज़राइल–फिलिस्तीन

इज़राइल और फिलीस्तीन देशों के मध्य भी वर्षों से अविश्वास बना हुआ है। आधा दशक से जारी इस विवाद का अभी तक हल नहीं निकला है। यह विवाद यरुशलम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है। वर्ष 1948 के पहले अरब–इज़रायल युद्ध में इज़रायल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिस पर बाद में इज़रायल ने कब्जा कर लिया। तब से इज़रायल ने पूर्वी यरुशलम में बस्तियों का विस्तार किया है। फिलिस्तीनी पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाना चाहते हैं। इज़रायल पूरे शहर को अपनी 'एकीकृत व शाश्वत राजधानी' के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करता है जब तक कि पूर्वी यरुशलम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।'[3]

### भारत–चीन

भारत और चीन विवाद के संदर्भ में भी दोनों देशों के मध्य अविश्वास का होना ही है, साथ ही चीन की साम्राज्यवादी नीति भी भारत के साथ उसके सीमा विवाद का मुख्य कारण रही है। चीन खुद को एशिया का सबसे ताकतवर देश मानकर हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद करता रहता है। भारत चीन की इन साम्राज्यवादी नीतियों का खुलकर विरोध करता है, अतः दोनों देशों के मध्य अविश्वास बना रहता है। चूंकि 1949 में अपनी आजादी के बाद से ही चीन ने अपना साम्राज्यवादी रूप दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले तिब्बत पर 1950 में आक्रमण कर दिया। दिसंबर 1950 तक लगभग 40 हजार सैन्य टुकड़ियों ने पूर्वी तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उसकी राजधानी कामडो पर कब्जा कर लिया। हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तिब्बती स्रोतों के अनुसार, मरने वालों की संख्या 4 हजार के ऊपर थी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 19 अक्टूबर 1950 को पणिक्कर को एक तार भेजा और अपना एक परामर्श चीनी शासकों के सामने रखने के लिए कहा कि हम चीन के संबंध में तिब्बत की स्थिति को लेकर चीनी या तिब्बती दावों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं परंतु यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि तिब्बत पर किसी भी प्रकार के आक्रमण के कारण संयुक्त राष्ट्र में उनकी स्थिति के विषय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह चीन के शत्रुओं की स्थिति को मजबूत व उन लोगों की स्थिति को कमजोर कर देगा, जो यहाँ उनके उद्देश्य का समर्थन कर रहे हैं।'[4]

भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है लेकिन ये क्षेत्र फ़िलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत चीन का अंग रहा है इसलिए वो खुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकता।'[5]

तब से लेकर अब तक चीन सदा अपने पड़ोसी देशों के साथ अविश्वास का व्यवहार करता है तथा अपने साम्राज्यवादी स्वरूप के अनुसार सदैव सीमाओं का अतिक्रमण, हिंसक झड़प व सैन्य टकराव की कोशिशें करता रहता है। इसी क्रम में चीन 1962 में भारत से एकतरफा युद्ध कर चुका है जिसका परिणाम; हजारों मौतों तथा भारत का एक बड़ा भू–भाग चीन के कब्जे के रूप में आया था। तब से लेकर अब तक चीन लगातार अन्य देशों के साथ–साथ भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करता रहता है तथा अवैध तरीके से एल.ए.सी. पर हमेशा विवाद बनाए रखता है। इसका ताजा उदाहरण 2017 में डोकलाम विवाद व 2020 में गलवान घाटी विवाद में घटित हिंसक झड़पों के रूप में आया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (सी.एफ.आर.) और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चीन का अपने

सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ द्वीप या जमीनी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। चीन जिन भी देशों से सीमा पर उलझ रहा है, उसके अपने आर्थिक और रणनीतिक मायने हैं जिनके जरिए वो एकाधिकार कायम करने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं, आखिर चीन क्यों चुनिंदा देशों के साथ उलझता है? भारत, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम समेत अन्य कई देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। ताइवान में अपना जोर दिखाने के लिए चीन विमानों से घुसपैठ करता है। हांगकांग और मकाऊ में भी अस्थिरता कायम करने के लिए चीन उकसावे का खेल खेलता है। अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन लगातार कहता रहा है कि चीन उकसावे की रणनीति से सीमा पर अशांति की स्थिति पैदा करता है।'[6]

## अफगानिस्तान–तालिबान

इसी प्रकार 20 साल तक अमेरिकी सुरक्षा बलों की मौजूदगी तथा वर्तमान में उनके अमेरिका वापस जाने के बाद तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता को कब्जाना भी अमेरिका सहित अन्य देशों के लिए चिंता का कारण है। साथ ही वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता की स्थापना हो चुकी है। परन्तु अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा से वैश्विक विश्वास बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिली बल्कि इसने तालिबान के अपने वादों पर कायम रहने के प्रति संदेह पैदा कर दिया। 33 सदस्य मंत्री परिषद के गठन में तालिबान का हाथ साफ नजर आता है। नए शासन में नरमपंथियों के नेतृत्व में दोहा समझौते के वार्ताकारों को दरकिनार कर पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आधिकारिक रुप से घोषित आतंकियों और आई.एस.आई. समर्थक हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को सरकार में शामिल किया गया है।'[7]

अतः तालिबान के प्रति उसके पड़ोसी देशों के साथ–साथ अन्य देशों का नजरिया भी अविश्वास का है जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। अतः अन्य देश भी तालिबान पर शिकंजा कसने के लिए एकजुट हो रहे हैं। साथ ही कुछ देश तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जिससे तनावपूर्ण अविश्वास बना हुआ है।

## भारत–पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान विवाद तो जग–जाहिर है जो वास्तव में अविश्वास के कारण ही उत्पन्न हुआ है। दरअसल पाकिस्तान और भारत को एक साथ आजादी मिली। जहाँ भारत ने अपने देश में एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र की नींव डाली, वहीं पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता चुना तथा अपनी आजादी के शुरू से ही भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। परम्परागत सैन्य क्षमता में हमारी बढ़त होने और परमाणु क्षमता के कारण पाकिस्तान आई.एस.आई. प्रेरित आतंकवाद का सहारा लेता रहा है। पाकिस्तान मानता है कि आतंकवाद हमारी परम्परागत सैन्य क्षमता को निष्क्रिय कर देगा और इसलिए यह हमें इसमें फँसाए रहता है। भारत में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देना, जो कि कम खर्च वाला विकल्प है; जारी रह सकता है। इसे पाकिस्तान की परम्परागत युद्ध विचारधारा के समकक्ष देखा जाना चाहिए। कश्मीर और देश के अन्य भागों में चलाए जा रहे अप्रत्यक्ष युद्ध से प्रभावशाली प्रतिरोध के साथ दृढ़तापूर्वक निपटने की आवश्यकता है।'[8]

जैसा की सर्वज्ञात है कि पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता और कश्मीर को अवैध तरीके से कब्जाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता रहता है। 1947 से ही भारत और पाकिस्तान में चरम अविश्वास बना हुआ है, अतः इस अविश्वास के कारण ही दोनों देशों के रिश्ते सदैव तनावपूर्ण रहे हैं जिसका परिणाम कई बार युद्ध के रूप में देखने को मिल चुका है। वस्तुतः पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति ही आतंकवाद को पोषित करने वाली रही है। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद का खामियाजा खुद पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हमले होना आज आम बात है, इसका एक उदाहरण पेशावर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान की सत्ता में सेना का दखल भी छिपा नहीं है। वहां के उच्च शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में दशकों के असंवैधानिक दखल ने समय समय पर इसे सार्वजनिक आलोचना का पात्र बनाया है। पिछले 70 वर्षों से सेना का राजनीति में दखल रहा है जो असंवैधानिक है, इसलिए पिछले साल फरवरी में सेना ने काफी विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया था कि वे भविष्य में किसी राजनैतिक मामले में कभी दखल नहीं देगी; परन्तु ऐसा नहीं हो सका और वहाँ की सरकार अब भी सेना की कठपुतली बनी हुई है।'[9]

साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण उत्पन्न अविश्वास के कारण पाकिस्तान पर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थानों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसका एक उदाहरण आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाक की लगातार फजीहत होती रही है। हाल ही में साल के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एस.सी.ओ. सम्मेलन के एजेंड़े को अंतिम रूप देने के लिए गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत द्वारा हाल ही में भेजे गए आमंत्रण ठुकराने को लेकर पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है क्योंकि उसका यह कदम चीन को नाराज कर सकता है जो रूस के एस.सी.ओ. का सह–संस्थापक है। दूसरी तरफ अगर वह आमंत्रण स्वीकार करता है तो वहाँ के कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक और आगामी चुनाव में इसका फायदा उठा सकते हैं।'[10] अतः अब पाकिस्तान की स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गयी है जो सब उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की परिणति है।

## निष्कर्ष

उपरोक्त बातों व तथ्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि पड़ोसी देशों के मध्य अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं परन्तु सीमा विवाद मुख्य कारण है जिससे दो पड़ोसी देशों के मध्य अविश्वास बढ़ता है। अतः जरूरत है कि पड़ोसी देश एक दूसरे की सीमा रेखा का सम्मान करें व दूसरे देश की संप्रभुता का आदर करें क्योंकि कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं होता ना ही वह मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है बल्कि वह स्वयं में संप्रभु होता है। अतः बड़े और साम्राज्यवादी देशों को चाहिए कि वे छोटे देशों की संप्रभुता का आदर करें, साथ ही किसी भी विवाद का हल ढूंढने के लिए बल प्रयोग का रास्ता न अपनाकर बातचीत के द्वारा उसका हल ढूंढने का प्रयास करें; तभी पड़ोसी देशों के मध्य अविश्वास को खत्म कर विश्वास को बढ़ाया जा सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को कायम रखने में सहायता मिलेगी। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सभी देशों को समानता का व्यवहार करना चाहिये क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति में मित्र का विकल्प हो सकता है परंतु पड़ोसी का नहीं।

## संदर्भ

1. जौहरी, डॉ0 जे0 सी0. (2021). अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एस. बी. पी. डी. पब्लिकेशन. आगरा. पृष्ठ **3.**
2. दृष्टि द विज़नः रूस और यूक्रेन का इतिहास. www.drishtiias.com.
3. (2021). द बिग पिक्चरः इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष. दृष्टि द विज़न. आर्टिकल 20 मई. www.drishtiias.com.
4. शौरी, अरुण. (2009). भारत चीन संबंध. प्रभात प्रकाशन. नई दिल्ली. पृष्ठ **11.**
5. सैनी, गुरप्रीत. बीबीसी संवाददाता. (2022). भारत चीन सीमा विवाद (अक्साई चीन से तवांग तक). 13 दिसंबर।
6. झा, हिमांशु. (2022). हिंदुस्तान अखबार. नई दिल्ली. 15 दिसंबर।
7. कक्कड़, हर्ष. (2021). अमर उजाला अखबार. मेरठ संस्करण अखबार. अंक 271. 11 सितंबर. पृष्ठ **14.**
8. मलिक, जनरल वी0 पी0. कारगिल (अकस्मात् आक्रमण से ऐतिहासिक विजय तक) राजपाल एंड संस प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड. कश्मीरी गेटः नई दिल्ली. पृष्ठ **40.**
9. बाबर, मरियाना. (2023). अमर उजाला. मेरठ संस्करण. अंक 53. 3 फरवरी. पृष्ठ **13.**
10. तोमर, के0 एस0. (संपादकीय). (2023). अमर उजाला. मेरठ संस्करण. अंक 60. 10 फरवरी।

24

# भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान वर्तमान चुनौतियाँ

**डॉ० पूजा सिन्हा**
एसोसिऐट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
डी० ए० वी० कॉलेज, कानपुर

***सारांश***

*प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है; वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। यदि हमें त्वरित विकास एवं सामरिक सुरक्षा व स्वतंत्रता को कायम रखना है तो हमें एक मजबूत व संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यह एशिया की सदी है। मोदी सरकार के समक्ष हिंद–प्रशांत की सच्चाइयों के बीच तालमेल बनाना सरकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होगी। वैश्विक व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसमें इन चुनौतियों को हल करना और मुश्किल होगा। कई देशों के साथ साझेदारी बनाने में भारत की राजनयिक क्षमताओं की अग्नि परीक्षा होगी। इसके साथ भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत को भी बनाए रखना होगा, ताकि बड़ी ग्लोबल पावर के उसके दावे की विश्वसनीयता बनी रहे।*

***मुख्य शब्द***

*त्वरित विकास, सामरिक सुरक्षा, ग्लोबल पावर, राजनयिक क्षमतायें, संतुलित विदेश नीति।*

विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न देश विभिन्न स्थितियों में अलग–अलग प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है; वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है।

यह समय भारतीय विदेश नीति के लिए महान और अभूतपूर्व चुनौतियों एवं अवसरों का समय है। यदि हमें त्वरित विकास एवं सामरिक सुरक्षा व स्वतंत्रता को कायम रखना है तो हमें एक मजबूत व संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। वर्तमान वैश्विक व परिवर्तनशील दौर में भारत के लिए प्रौद्योगिकियों और संसाधनों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।

वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक विश्व व्यापक रूप से बदल चुका है। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के द्वि–ध्रुवीय विश्व से लेकर अमेरिकी आधिपत्य के एक संक्षिप्त एक–ध्रुवीय काल तक और अब चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वि–ध्रुवीय प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ने से लेकर बहु–ध्रुवीयता तक के एक भ्रम तक विश्व ने कई स्वरुप देखे हैं।

## भारत की वर्तमान विदेश नीति की विशिष्टतायें

आज के इस अस्थिर विश्व में भारत को अपनी विशिष्ट विदेश नीति पहचान को परिभाषित करने और नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के लिये अपनी संलग्नता अर्थात् एलायनमैंट की रूपरेखा को आकार देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति की कुछ विशिष्टतायें निम्न हैं–

- **'इंडिया फर्स्ट' की नीति–** स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ वर्तमान समय में देश में 'इंडिया फर्स्ट' की विदेश नीति को अभिव्यक्त करने का दृढ़ आत्म–विश्वास और आशावाद मौजूद है। भारत अपने लिये स्वयं निर्णय लेता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी भयादोहन या दबाव के अधीन नहीं लाई जा सकती। विश्व की लगभग 18.5 प्रतिशत आबादी के साथ भारत को अपना स्वयं का पक्ष चुनने और अपने हितों का ध्यान रखने का अधिकार है। यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय

संबंधों का एक मूल तत्त्व है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और भारत ने भी अन्य देशों की तरह विदेशी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अनुपालन में अपने हितों पर बल दिया है।

- **यथार्थवादी कूटनीति–** आज के आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के पास वैश्विक फलक पर अपनी नई आवाज है जिसकी जड़ें घरेलू वास्तविकताओं एवं सभ्यतागत लोकाचार में निहित होने के साथ ही स्वयं के प्रमुख हितों की खोज में गहराई से जमी हैं।
- **अपने लाभ के लिये शक्ति संतुलन बनाए रखना–** चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल को वर्ष 2014 में ही चुनौती दे देने वाली एकमात्र वैश्विक शक्ति होने से लेकर एक मजबूत सैन्य कार्रवाई के साथ चीनी सैन्य आक्रमण का जवाब देने वाले देश के रूप में भारत ने दृढ़ता का परिचय दिया है। दूसरी ओर, भारत ने किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल हुए बिना ही अमेरिका के साथ एक प्रभावशाली संबंध का विकास किया है और घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिये पश्चिमी देशों से संलग्नता बढ़ाई है और वह भी संतुलित तरीके से। भारत संलग्नता में अत्यंत व्यावहारिक रहा है और शक्ति के मौजूदा संतुलन का उपयोग अपने लाभ के लिये करने की इच्छा रखता है।
- **बढ़ते आर्थिक संबंध–** चूँकि शेष विश्व के साथ भारत की आर्थिक अन्योन्याश्रयता गहरी होती गई है; यह अपने उत्पादों, कच्चे माल के स्रोतों और इसके विस्तारित विदेशी सहायता के संभावित प्राप्तकर्ताओं के लिये बाजारों के प्रति अधिक चौकस हो गया है।
- **पंचशील सिद्धान्तों का पालन–** भारत 29 अप्रैल 1954 से चीन के साथ पंचशील के सिद्धान्तों का पालन कर रहा है, ये पाँच सिद्धान्त हैं– एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये एक दूसरे का सम्मान, गैर–आक्रामकता, गैर–हस्तक्षेप, समानता व शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भारतीय दर्शन 'सबका साथ सबका विकास' की सरकार की नीति में परिलक्षित हो रहा है। भारत पूरे विश्व को एकल वृहत् वैश्विक परिवार के रूप में मानने में संकोच नहीं करता है। भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस एवं वैश्विक सहमति की वकालत करता है।

## बदलता हुआ घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

भारतीय कूटनीति को मानवीय पुट देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि विदेश में किसी भी भारतीय की परेशानी प्राथमिकता के आधार पर हल की जाए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल चुका है और यह जटिल होने के साथ–साथ गतिमान भी है। साथ ही, पाकिस्तान–चीन की बढ़ती निकटता, अमेरिका–ईरान टकराव, अमेरिका में आर्थिक राष्ट्रवाद का उभार और इसके कारण बहुपक्षीय वार्ताओं के खतरे में पड़ने के कारण भारत के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब जबकि अमेरिका, चीन एवं रूस जैसी वैश्विक महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता नए सिरे से आकार ग्रहण कर रही है, वैश्विक व्यापार–व्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, और वैश्विक शक्तियों के आपसी संबंधों एवं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है; ऐसी स्थिति में भारत को इन तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी विदेश–नीति का पुनर्निर्धारण करना है और अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित एवं संवर्धित करना है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तेजी से आने वाले बदलावों के आलोक में अपनी विदेश–नीति को पुनर्परिभाषित करना है, जो आसान नहीं होने जा रहा है।

## भारत के समक्ष मौजूद चीनी चुनौतियां

जहाँ तक भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों का प्रश्न है, तो भारत–चीन संबंधों की गुत्थी बहुत जटिल है और इसे सुलझाना भारत की कूटनीति एवं सुरक्षा–प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है। इसके प्रमुख कारण हैं– व्यापारिक असंतुलन एवं बढ़ता हुआ व्यापार–घाटा, और गहराती सामरिक चुनौती एवं शत्रुओं से घिरता भारत।

समस्या सिर्फ यह नहीं है। डोकलाम विवाद और उसके समाधान तक पहुँचना भी एक चुनौती है, क्योंकि यह समस्या समाप्त नहीं हुई है। विदेश–सचिव के रूप में एस. जयशंकर ने डोकलाम गतिरोध को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी आलोक में बतौर विदेश मंत्री जयशंकर ने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान का करते हुए उसे आश्वस्त करने का काम किया कि भले ही चीन का दबाव बढ़े, लेकिन भारत हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

समस्या चीन और पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबन्दी भी है जिसने मसूद अजहर के मामले में भारत को बैकफुट पर धकेलते हुए भारत को चीन के 'बेल्ट एंड रोड' के मसले पर चुप्पी साधने को विवश किया जो कहीं न कहीं पाक अधिकृत कश्मीर के मसले पर भारत के सैद्धांतिक पक्ष को कमजोर कर रहा है। इसीलिए चीन के प्रभाव को कम करना सरकार के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण चुनौती है।

## भारत के समक्ष मौजूद पाकिस्तानी चुनौती

राजग सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल (2014–19) के दौरान पाकिस्तान के मोर्चे पर दो गलतियाँ कीं जिसका खामियाजा

उसे कश्मीर में भुगतना पड़ रहा है। ये गलतियाँ हैं– कश्मीर के मसले को बलूचिस्तान से जोड़ना और पाकिस्तान के प्रति नीतियों में निरंतरता का अभाव। इसीलिये यह कहा जाने लगा कि 'नो पाकिस्तान पालिसी' ही भारत की पाकिस्तान–नीति है। इसीलिए नयी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की पकिस्तान–नीति को स्पष्टता के साथ पुनर्परिभाषित करने और प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पाकिस्तान को इंगेज करने की होगी, ताकि भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए सीमा–पार आतंकवाद पर अंकुश लगाने के सन्दर्भ में उससे आश्वासन ले पाने में समर्थ हो सके और कश्मीर के मोर्चे पर उसकी मुश्किलें कम हों।

**पश्चिम एशिया में भारत की मुश्किलें**

भारत को अपने पड़ोस पर नजर रखने के साथ ही पश्चिम एशिया में अपने हितों को भी सुरक्षित रखना होगा जहाँ काफी उथल–पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के निर्णय ने पश्चिम एशिया के परिदृश्य को कहीं अधिक जटिल बनाया है, और ऐसी स्थिति में भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान की मदद से चीन इस क्षेत्र में सृजित शून्य को भरते हुए अपनी सामरिक उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाना चाहेगा।

ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति ईरान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के मोर्चे पर भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं जिसके कारण ईरान को साधना भारत के लिए आसान नहीं होने जा रहा है; विशेषकर तब जब सीरिया में असद के विरुद्ध रूस, चीन और ईरान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। चूँकि ईरान के खिलाफ अमेरिका की कड़ी नीतियों से भारत प्रभावित हुआ है, इसलिए भारत को अमेरिका–ईरान विवाद के समाधान तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो अमेरिका के आर्थिक राष्ट्रवादी आग्रहों के कारण आसान नहीं होने जा रहा है। इसीलिए भारत के सामने महत्वपूर्ण चुनौती अमेरिका और ईरान के साथ सामंजस्य स्थापित करने की होगी।

**क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए राष्ट्रीय हितों का संरक्षण एवं संवर्धन**

अपने वाणिज्यिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक हितों को देखते हुए भारत को हिन्द–प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्तों में निरंतर धार देनी होगी। इन सभी क्षेत्रों में भारत को चीनी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

**अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन**

आने वाले समय में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के समक्ष चुनौती आने जा रही है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता हासिल करने की कोशिशों में लगा है। उधर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार वार्ता के मोर्चे पर आ रही मुश्किलों को भी दूर करना होगा।

**भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति में भूमिका**

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल अपनी खास विदेश नीति के लिए भी जाना जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत की विदेश नीति बहुआयामी रही है। मोदी सरकार में विदेश मामलों में व्यावहारिक रणनीति पर फोकस बढ़ा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही अपनी विदेश नीति की रूपरेखा के संकेत दे दिए थे। अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित दक्षेस के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं अपने पहले विदेश दौरे के लिए उन्होंने भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान को चुना तो दूसरी बार पी.एम. बनने के बाद वह पहली विदेश यात्रा पर मालदीव गए। उनकी यह कार्ययोजना एक रणनीति के तहत थी। मोदी की विदेश नीति में पड़ोसियों को प्राथमिकता देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें इन देशों को लेकर भारत की दृष्टि बदली है। भारतीय विदेश नीति में आया यह बदलाव सकारात्मक एवं तार्किक है।

मोदी के प्रथम कार्यकाल में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला हो या जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का मसला; भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। दोनों मसलों पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग–थलग हो गया। इस दौरान मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों विरोधी देशों के साथ अपनी रिश्तों में निकटता बनाए रखी। यह विदेश नीति का बड़ा कौशल था। रूसी एस–400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद मामले में भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने सामरिक संबंधों के मामले में स्वतंत्र है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी दबाव से मुक्त होकर इस मिसाइल को अपनी रक्षा उपकरणों में शामिल किया। अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने इस रक्षा सौदे में यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने रक्षा सौदों के मामले में किसी के दबाव में नहीं आएगा।

रूस–यूक्रेन जंग के मामले में भारत की तटस्थता नीति का अमेरिका व पश्चिमी देशों ने जमकर विरोध किया। अमेरिका ने कहा कि भारत की तटस्थता नीति अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रतिकूल है। क्वाड देशों में खासकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की तटस्थता नीति की निंदा की। इन सबके बावजूद रूस–यूक्रेन जंग में भारत ने अपनी तटस्थता नीति का पालन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लेकर अपने पक्ष को और मजबूत किया।

मोदी जी के कार्यकाल में दुनिया के परमाणु क्षमता से लैस देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। हालांकि, चीन ने अकेले ही एन.एस.जी. में भारत के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में भारत ने नए करार किए हैं। परमाणु संपन्न देशों के साथ निकटता बढ़ाने के लिए भारत ने राजनीतिक समर्थन भी जुटाया है, लेकिन भारत के समक्ष एन.एस.जी. में प्रवेश पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

## भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर की भूमिका

वर्तमान सरकार ने एस. जयशंकर के अनुभव की अहमियत को समझते हुए ही उन्हें विदेश मंत्री बनाया है। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील में अहम भूमिका निभाई थी, वहीं विदेश–सचिव के रूप में डोकलाम–मसले पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने में भी उनकी भूमिका अहम रही। साथ ही, उनकी कार्य–शैली एवं सोचने का तरीका भी वर्तमान नेतृत्व को कहीं अधिक सूट करता है। जयशंकर के पास अमेरिका ही नहीं, चीन के साथ काम करने का भी अच्छा–खासा अनुभव है। उन्होंने करीब साढ़े चार साल तक चीन में भी भारत के राजदूत के रूप में काम किया है जिसके कारण यह उम्मीद की जा सकती है कि इनके पास चीन को लेकर बेहतर समझ होगी। इस समझ का प्रदर्शन डोकलाम–विवाद के क्रम में हो चुका है। वर्तमान में इन्हीं दोनों देशों को साधते हुए भारतीय विदेश–नीति राष्ट्रीय हितों को संरक्षित कर सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीलंका, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में भी सेवाएँ दी हैं। उन्होंने सोवियत दौर में मास्को में सेवाओं के साथ अपने कूटनीतिक–करियर की शुरुआत की। लेकिन, उनके सामने सबसे अधिक मुश्किलें पकिस्तान के मोर्चे पर आनेवाली हैं जहाँ उन्हें पाकिस्तानी चुनौती के साथ–साथ घरेलू राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के दबाव का भी सामना करना है। उम्मीद की जा रही है कि विदेश–मंत्री के रूप में जयशंकर विदेश–नीति और कूटनीतिक मसलों पर इसमें विशेष रूचि रखने वाले और निरंतर सक्रियता प्रदर्शित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे।

## निष्कर्ष

स्पष्ट है कि आने वाले समय में विदेश–नीति के मोर्चे पर सरकार को कई मोर्चों पर जूझना है। चीन के प्रभाव को कम करना सरकार के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए सीमा–पार आतंकवाद पर अंकुश लगाने के सन्दर्भ में उससे आश्वासन ले पाने में समर्थ होना है जिससे कश्मीर के मोर्चे पर मुश्किलें कम हो सकें। भारत के सामने महत्वपूर्ण चुनौती अमेरिका और ईरान के साथ सामंजस्य स्थापित करने की है। अपने वाणिज्यिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक हितों को देखते हुए भारत को हिन्द–प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता लानी होगी। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को अपने पक्ष व मसलों को मजबूती से रखना है। यह एशिया की सदी है। मोदी सरकार के समक्ष हिंद–प्रशांत की सच्चाइयों के बीच तालमेल बनाना सरकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होगी। वैश्विक व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसमें इन चुनौतियों को हल करना और मुश्किल होगा। कई देशों के साथ साझेदारी बनाने में भारत की राजनयिक क्षमताओं की अग्नि परीक्षा होगी। इसके साथ भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत को भी बनाए रखना होगा, ताकि बड़ी ग्लोबल पावर के उसके दावे की विश्वसनीयता बनी रहे। भारत अब ज्यादा वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। जी–20 राष्ट्रों का सम्मेलन 2023 में भारत में होना मोदी जी व उनकी विदेश नीति की सफलता का एक प्रमाण है।

## संदर्भ

1. दत्त., सुन्दरम. भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. सिंह, रमेश. भारतीय अर्थव्यवस्था।
3. https://www.orfonline.org.
4. https://www.icwa.in.
5. youtube.com.
6. http://sarthaksamwad.blogspot.com.
7. http://www.dhyeaisa.com.

25

# उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं की जनसंख्या एवं साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर का मूल्यांकनात्मक अध्ययन (जनपद पौड़ी गढ़वाल के संदर्भ में)

**डॉ० दीप्ति**

असिस्टैंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग

राजकीय महाविद्यालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

***सारांश***

*किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में शिक्षा का अपना योगदान होता है, क्योंकि शिक्षा एवं विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में युवा जितना अधिक उच्च शिक्षित होगा, उस राष्ट्र का भविष्य उतना ही उज्जवल एवं सुरक्षित होगा। यदि युवाओं की जनसंख्या की साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर अधिक होगी, तो उस राज्य/देश की सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रकृति सकारात्मक होगी। शिक्षा आवश्यकता एवं सफलता की एक कुंजी है, जिससे मानव विकास में धनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है।*

***मुख्य शब्द***

*राष्ट्र, साक्षरता दर, उच्च शिक्षा दर, जनसंख्या एवं सामाजिक–आर्थिक विकास।*

*''मानव विकास में शिक्षा एक सेतु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास में शिक्षा सकारात्मक संदेश का कार्य करती है। मानव संसाधन जितना अधिक शिक्षित एवं बुद्धिजीवी होगा, वह राष्ट्र उतना अधिक प्रगतिशील तथा विकसित होगा।''*

## प्रस्तावना

शिक्षा समाज और राष्ट्र की रीढ़ है, जो युवाओं के भविष्य का निर्माण करती है, जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन में ज्ञान की उम्मीद जगाती है। युवाओं की जनसंख्या में उच्च शिक्षा दर अधिक होगी, तो राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में वे मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही जनपद से बढ़ते पलायन को रोका जा सकता है। भारत की उच्च शिक्षा गुणवत्ता वैश्विक स्तर के पैमाने पर बहुत नीचे है, जो एक गंभीर विषय है, लेकिन नई शिक्षा नीति, 2020 लागू होने से आगामी दस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन होंगे, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

## शोध की आवश्यकता

वर्तमान युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है। इस समय देश की जनसंख्या की उच्च शिक्षा की साक्षरता दर अधिक होनी चाहिए। 'उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं की जनपद पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या एवं साक्षरता दर का मूल्यांकनात्मक अध्ययन कर किस प्रकार से समाज में प्रति लाख जनसंख्या पर उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी कर साक्षरता दर को बढ़ाया जाये?' इस विषय पर इस शोध पत्र में अध्ययन किया गया है।

## संबंधित साहित्यों का अध्ययन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में पूर्व अन्य शोधकर्ताओं द्वारा संबंधित विषयों पर निम्न अध्ययन किये गये–

1. **टोप्पो, डॉ0 महिमाती सालेन (2016)** ने छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर के साथ पड़ोसी राज्यों का तुलानात्मक अध्ययन किया।

2. **कुमार, नरेन्द्र एवं बहुगुणा, डॉ0 विजय (2016)** ने साक्षरता के वितरण प्रतिरूप को प्रकाश में लाना एवं जनपद में बेहतर शिक्षा सुविधा किस प्रकार से बढ़ाई जाये? इस विषय में अध्ययन किया।
3. **यादव, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह (2014)** ने वैश्वीकरण की चुनौतियों और उच्च शिक्षा के पहलुओं पर अध्ययन किया कि भारतीय उच्च शिक्षा विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाये।

उपरोक्त अध्ययनों से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी राष्ट्र, राज्य एवं जनपद की साक्षरता दर अधिक होगी, तो उस राष्ट्र, समाज एवं व्यक्तियों का विकास होगा। इस शोध पत्र में उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं की जनसंख्या एवं साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर का मूल्यांकनात्मक अध्ययन के साथ जनपद की साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर को किस प्रकार से बढ़ाया जाये, इसी दिशा में अध्ययन किया गया।

## अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल में जनसंख्या आयु वर्गानुसार एवं शैक्षिक (स्नातक या अधिक) का अध्ययन।
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर का अध्ययन।
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का अध्ययन।
4. साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर में बढ़ोतरी के निष्कर्ष एवं सुझावों को प्रकाश में लाना।

## उपकल्पना

जनसंख्या एवं साक्षर व्यक्तियों में धनात्मक सह–संबंध है।

## शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है। द्वितीयक समंकों के लिये संबंधित पत्र–पत्रिकायें, शोध पत्र, समाचार पत्र एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

## तथ्यों का विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय (स्नातक/स्नातकोत्तर) में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं की जनसंख्या, साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर (2020–24 वर्ष) की तुलनात्मक/मूल्यांकनात्मक जानकारी एकत्रित कर अध्ययन किया गया है।

## सांख्यिकी विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा प्रतिशतीय विश्लेषण, प्रतीपगमन विश्लेषण एवं सह–संबंध विधि का प्रयोग किया गया है।

## पारिभाषिक शब्दावली

### जनपद पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखण्ड़ राज्य के तेरह जनपदों में पौड़ी गढ़वाल एक महत्वपूर्ण जनपद है। यह पृथ्वी के अक्षांश 29.20'' तथा 30.15'' उत्तर व देशान्तर 78.10'' तथा 79.20'' पूर्व के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में देहरादून, उत्तर–पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, पूर्व में रूद्रप्रयाग व चमोली, दक्षिण पश्चिम में बिजनौर (उ0प्र0) तथा दक्षिण–पूर्व में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले स्थित हैं।

**तालिका : 1 जनपद पौड़ी गढ़वाल का विवरण–2021**

| क्र०सं० | विवरण | पौड़ी गढ़वाल का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | क्षेत्रफल | 5230 वर्ग कि0मी0 |
| 2. | जनसंख्या | 687271 |
| 3. | विकास खण्ड़ | 15 |
| 4. | नगर/नगर समूह | नगर निगम–01, नगर पालिका परिषद–03, नगर पंचायत–03, |
| | | छावनी क्षेत्र–01, जनगणना शहर–02, औद्योगिक कस्बे–04 |
| 5. | तहसील | 12 |
| 6. | उप तहसील | 01 |
| 7. | लोक सभा क्षेत्र | 01 |
| 8. | विधान सभा क्षेत्र | 06 |
| 9. | साक्षरता दर | 82.02 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | गांव की संख्या जनगणना–2021 | 3473 |
| 11. | **शिक्षा** | |
| 11.1 | जूनियर बेसिक स्कूल | 1588 |
| 11.2 | सीनियर बेसिक स्कूल | 449 |
| 11.3 | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 447 |
| 11.4 | महाविद्यालय | 13 |
| 11.5 | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 2 |
| 11.6 | विश्वविद्यालय | 1 |
| 11.7 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 18 |
| 11.8 | पॉलीटेक्निक | 7 |

**स्रोत–** 1. जनपद ''एक दृष्टि में'' 2020–21 www.pauri.nic.in

2. सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2021

## जनसंख्या

जनसंख्या व्यक्तियों का समूह है जो समाज के एक क्षेत्र विशेष में निवास करता है, जिसके बिना समाज की संकल्पना असंभव है। समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं।

**तालिका : 2 जनपद पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या एवं दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर का विवरण (2001–2011)**

| क्र०सं० | वर्ष | जनसंख्या | | | दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योग | पुरूष | स्त्री | |
| 1. | 2001 | 697078 | 331061 | 366017 | 3.91 |
| 2. | 2011 | 687271 | 326829 | 360442 | –1.41 |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2021, www.pauri.nic.in

तालिका 2 से विदित होता है कि जनपद की वर्ष 2011 में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन हुआ है।

## साक्षरता दर

साक्षरता से अभिप्राय है व्यक्ति का पढ़ने व लिखने में सक्षम होना। साक्षरता समाज तथा व्यक्ति को विकास की ओर अग्रसर करती है जो समाज के विकास की आधारशिला है। साक्षरता दर निम्न सूत्र से गर्णित होती है–

साक्षरता दर = शिक्षित जनसंख्या*100 / कुल जनसंख्या

**तालिका : 3 जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षरता दर के प्रतिशत का विवरण**

| क्र०सं० | वर्ष | पुरूष | स्त्री | कुल | दशकीय (पु0 / स्त्री0) (वृद्धि / कमी) प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971 | 32.53 | 51.18 | 17.26 | – |
| 2. | 1981 | 41.37 | 56.26 | 27.73 | +10.47 |
| 3. | 1991 | 67.67 | 41.26 | 54.10 | +26.37 |
| 4. | 2001 | 90.91 | 65.70 | 77.49 | +23.39 |
| 5. | 2011 | 82.02 | 92.71 | 72.60 | –4.89 |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2021, www.pauri.nic.in

तालिका 3 से विदित होता है कि जनपद की साक्षरता दर में प्रति दशक में वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना में स्त्री साक्षरता दर पुरूषों की तुलना में अधिक हो गयी है।

## उच्च शिक्षा

साक्षरता एवं शिक्षा के अंतर को भी समझना महत्वपूर्ण है, ''साक्षरता का आधार शिक्षा अर्जित करना होता है और शिक्षा का आधार ज्ञान''। शिक्षा शब्द अक्सर औपचारिक शिक्षा को संदर्भित करता है, औपचारिक शिक्षा में कई श्रेणियां होती हैं–

1. प्राथमिक शिक्षा

2. माध्यमिक शिक्षा
3. तृतीयक शिक्षा।

शिक्षा में निम्न प्रकार के चरण होते हैं–

1. प्राथमिक विद्यालय
2. माध्यमिक विद्यालय
3. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा से आशय सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा से है।

**तालिका : 4 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्डवार उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र–छात्राओं की संख्या का विवरणः 2021–22**

| क्र०सं० | विकास खण्ड | महाविद्यालय का नाम | कुल संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दुगडड्ा | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार | 4719 | 56.07 |
| | | राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार भाबर | 588 | 6.98 |
| 2. | जयहरिखाल | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरिखाल | 549 | 6.52 |
| 3. | द्वारीखाल | राजकीय महाविद्यालय, सतपुली | 387 | 4.59 |
| 4. | थलीसैंण | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैण | 335 | 3.98 |
| | | व्यावसायिक राजकीय महाविद्यालय, पैठाणी | 15 | 0.17 |
| | | राजकीय महाविद्यालय, उफरैखाल | 258 | 3.06 |
| | | राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव | 155 | 1.84 |
| 5. | रिखणीखाल | राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल | 248 | 2.94 |
| 6. | नैनीडांडा | राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा | 235 | 2.79 |
| 7. | यमकेश्वर | राजकीय महाविद्यालय, बिथ्याडी, यमकेश्वर | 231 | 2.74 |
| 8. | बीरोंखाल | राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल | 220 | 2.61 |
| 9. | पौड़ी | – | – | – |
| 10. | पाबौ | राजकीय महाविद्यालय, पाबौ | 150 | 1.78 |
| 11. | पौखड़ा | राजकीय महाविद्यालय, पौखड़ा | 47 | 0.55 |
| | | राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल | 263 | 3.12 |
| 12. | कोट | – | – | – |
| 13. | खिर्सु | राजकीय महाविद्यालय, खिर्सु | 8 | 0.09 |
| 14. | कल्जीखाल | राजकीय महाविद्यालय, कल्जीखाल | 7 | 0.08 |
| 15. | एकेश्वर | – | – | – |
| | | योग | 8415 | 100.00 |

**स्रोत–** https://he.uk.gov.in

तालिका 4 से विदित होता है कि जनपद के नगर क्षेत्र में छात्र–छात्राओं का प्रतिशत अधिक है एवं विकासखण्ड़ थलीसैंण में सबसे अधिक राजकीय महाविद्यालयों की संख्या है।

**तालिका : 5 जनपद पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या का विवरण**

| क्र०सं० | महाविद्यालयों की संख्या | | वृद्धि दर प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| | 2012–13 | 2021–22 | |
| 1. | 09 | 17 | 88.88% |

**स्रोत–** https://he.uk.gov.in

तालिका 5 से विदित होता है कि जनपद में उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22 में 88.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**जनसंख्या एवं साक्षरता दर/उच्च शिक्षा दर का मूल्यांकन –**

**तालिका : 6 जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयु वर्गानुसार एवं शैक्षिक स्तरवार जनसंख्या का विवरण**

| क्र०सं० | वर्ष | कुल जनसंख्या | जनसंख्या/शैक्षिक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयु वर्ग (20–24 वर्ष) जनसंख्या योग | शैक्षिक स्नातक योग | पुरूष (20–24 वर्ष) जनसंख्या | शैक्षिक स्नातक पुरूष | स्त्री (20–24 वर्ष) जनसंख्या | शैक्षिक स्नातक स्त्री |
| 1. | 2001 | 697078 | 60749 (8.7 प्रतिशत) (100 प्रतिशत) | 7736 (100 प्रतिशत) | 27100 (44.6 प्रतिशत) | 3527 (45.6 प्रतिशत) | 33649 (55.4 प्रतिशत) | 4209 (54.1 प्रतिशत) |
| 2. | 2011 | 687271 | 58033(8.4 प्रतिशत) (100 प्रतिशत) | 12310 (100 प्रतिशत) | 25524 (43.9 प्रतिशत) | 5052 (41 प्रतिशत) | 32509 (56.1 प्रतिशत) | 7258 (59 प्रतिशत) |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2021/ www.pauri.nic.in

* तालिका में कुल जनसंख्या से आयु वर्ग के प्रतिशत को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

तालिका 6 से विदित होता है कि जनपद के वर्ष 2001 व 2011 में आयु वर्ग (20–24) जनसंख्या में स्त्री की संख्या तथा स्नातक स्त्री का प्रतिशत अधिक है।

**तालिका : 7 जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर (20–24 आयु वर्ग) का विवरण**

| क्र०सं० | वर्ष | साक्षरता दर (प्रतिशत में) | | | उच्च शिक्षा दर (प्रतिशत में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्ति | पुरूष | स्त्री | व्यक्ति 20–24 आयु वर्ग | पुरूष | स्त्री |
| 1. | 2001 | 77.49 | 90.91 | 65.70 | 12.73 | 13.01 | 12.50 |
| 2. | 2011 | 82.02 | 92.71 | 72.60 | 21.21 | 19.79 | 22.32 |
| प्रतिशत (वृद्धि/कमी) | | 4.53% | 1.80% | 6.90% | 8.48% | 6.78% | 9.82% |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2004 एवं 2021.

तालिका 7 से विदित होता है कि जनपद में उच्च शिक्षा दर वर्ष 2001 में पुरूषों का प्रतिशत स्त्री वर्ग से अधिक था, लेकिन वर्ष 2011 में स्त्री वर्ग का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा अधिक है, इसका मुख्य कारण पुरूषों में रोजगार के लिये पलायन भी हो सकता है तथा वर्ष 2001 से वर्ष 2011 में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर दोनों में ही वृद्धि (पुरूष वर्ग एवं स्त्री वर्ग दोनों में ही) हुई है।

**तालिका : 8 जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षरता दरं एवं उच्च शिक्षा दर का विवरण**

| क्र०सं० | वर्ष | साक्षरता दर (प्रतिशत में) | उच्च शिक्षा दर(प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2001 | 77.49 | 12.73 |
| 2. | 2011 | 82.02 | 21.21 |
| 3. | 2021* | 78.86 | 15.27 |
| 4. | 2031* | 79.31 | 16.12 |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2004 एवं 2021.

*वर्ष 2021 एवं 2031 के लिये सांख्यिकीय विधि प्रतीपगमन विश्लेषण द्वारा अनुमान गर्णित किया गया है।

तालिका 8 से विदित होता है कि वर्ष 2021 में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर के प्रतिशत में कमी अनुमानित की गयी।

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

**तालिका : 9 जनपद पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र–छात्राओं की संख्या का विवरण**

| क्र०सं० | वर्ष | स्नातक कक्षा (अ) | | | स्नातकोत्तर कक्षा (ब) | | | कुल योग (अ)+(ब) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्राएं | योग | छात्र | छात्राएं | योग | |
| 1. | 2001–02 | 4354 | 3765 | 8119 (79.87 प्रतिशत) | 984 | 1061 | 2045 (20.13 प्रतिशत) | 10164 (100 प्रतिशत) |
| 2. | 2020–21 | 1401 | 935 | 2336 (29.50 प्रतिशत) | 3348 | 2232 | 5580 (70.50 प्रतिशत) | 7916 (100 प्रतिशत) |
| प्रतिशत (वृद्धि / कमी) | | –67.82 प्रतिशत | –75.16 प्रतिशत | | 240 प्रतिशत | 110 प्रतिशत | | |

**स्रोत–** सांख्यिकीय पत्रिका, पौड़ी गढ़वाल–2004 एवं 2021

तालिका 9 से विदित होता है कि जनपद के उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्नातक कक्षा में छात्र–छात्राओं के प्रतिशत में कमी हुई है तथा स्नातकोत्तर कक्षा में छात्र–छात्राओं में क्रमशः 240 प्रतिशत व 110 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि स्नातकोत्तर कालेज नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं।

**जनसंख्या एवं साक्षर व्यक्तियों में धनात्मक सह–संबंध है–**

**तालिका : 10 जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षर व्यक्ति एवं जनसंख्या का विवरण**

**(01 व्यक्ति =10000 हजार)**

| क्र०सं० | वर्ष | जनसंख्या | साक्षर व्यक्ति | सह–संबंध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1981 | 63.79 | 26.39 | $r=\sum dxdy/\sqrt{\sum d^2x*\sum d^2y}$ |
| 2. | 1991 | 67.16 | 36.33 | |
| 3. | 2001 | 69.71 | 46.17 | |
| 4. | 2011 | 68.73 | 49.49 | $r=+0.949$ |

तालिका 10 से विदित होता है कि जनपद की जनसंख्या एवं साक्षर व्यक्तियों में धनात्मक सह–संबंध है क्योंकि जनसंख्या 1981 से 2001 तक बढ़ने व 2011 में घटने के बाद साक्षर व्यक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। यह जनपद में सकारात्मक संकेत है।

## निष्कर्ष

1. जनपद में वर्ष 2011 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन दर्शाती है।
2. जनपद की साक्षरता दर में प्रति दशक वृद्धि हो रही है। पुरूष वर्ग में वर्ष 1971 से 2011 तक साक्षरता दर में वृद्धि है, लेकिन स्त्री साक्षरता दर में वर्ष 2001 से 2011 में वृद्धि क्रमशः 24.44 प्रतिशत व 6.9 प्रतिशत हुई है।
3. जनपद के नगर क्षेत्र में छात्र–छात्राओं का प्रतिशत अधिक है।
4. जनपद की उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22 में 88.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
5. जनपद की वर्ष 2001 व 2011 में आयु वर्ग (20–24 वर्ष) जनसंख्या में स्त्री की संख्या तथा स्नातक शैक्षिक स्त्री का प्रतिशत अधिक है।
6. जनपद में उच्च शिक्षा दर वर्ष 2001 में पुरूषों का प्रतिशत स्त्री वर्ग से अधिक था, लेकिन वर्ष 2011 में स्त्री वर्ग का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा अधिक है, इसका मुख्य कारण पुरूषों में रोजगार के लिये पलायन भी हो सकता है तथा वर्ष 2001 से वर्ष 2011 में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर दोनों में ही वृद्धि (पुरूष वर्ग एवं स्त्री वर्ग दोनों में ही) हुई है।
7. जनपद के उच्च शिक्षा संस्थाओं में डिग्री कक्षा में छात्र–छात्राओं के प्रतिशत में कमी हुई है तथा स्नातकोत्तर कक्षा में छात्र–छात्राओं में क्रमशः 240 प्रतिशत व 110 प्रतिशत वृद्धि हुई।
8. जनपद की जनसंख्या एवं साक्षर व्यक्तियों में धनात्मक सह–संबंध है क्योंकि जनसंख्या 1981 से 2001 तक बढ़ने व 2011 में घटने के बाद साक्षर व्यक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। यह जनपद में सकारात्मक संकेत है।
9. वर्ष 2021 में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर के प्रतिशत में कमी अनुमानित की गयी।

## सुझाव

1. जनपद के महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शुरूआत करनी चाहिए जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से पलायन को रोकने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
2. जल, जंगल एवं जमीन को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में समायोजित करना चाहिये जिससे उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा का विकास होगा।
3. पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की बढ़ोतरी के लिये मुख्यमंत्री टेबलेट वितरण योजना जैसी अन्य योजनाओं की शुरूआत करनी चाहिए।
4. जनपद में एडुसैट के माध्यम से महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए।
5. जनपद में ई–ग्रन्थालय की शुरूआत करनी चाहिए एवं सभी शहरी एवं ग्रामीण महाविद्यालयों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये।
6. वैश्विक/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में जनपद में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को सेमिनार, कार्यशाला, अनुसंधान, विकास एवं नवाचार के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
7. परिवहन सुविधाओं का बेहतर विकास करना चाहिये।

## संदर्भ

1. (2021). सांख्यिकीय पत्रिका. पौड़ी गढ़वाल. www.pauri.nic.in.
2. (2020–21). जनपद ''एक दृष्टि में''. www.pauri.nic.in.
3. https://he.uk.gov.in.
4. (2004). सांख्यिकीय पत्रिका. पौड़ी गढ़वाल।
5. दीप्ति. (2016). ''राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालिका शिक्षा की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के विशेष संदर्भ में)''. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research.* Vol.3. No.1. Feb.-March. Dep. Of French. Assam University. Silchar. Pg. **181-190.**
6. https://hi.m.wikipedia.org.
7. (2022). दैनिक जागरण. देहरादून. 18 जुलाई. पृष्ठ **6.**
8. https://hi.strephonsays.com>educat.
9. https://www.samacharjagat.com.
10. https://hi.m.wikipedia.org.
11. कोली, डॉ0 एल.एन. वाणिज्य. उपकार प्रकाशन. आगरा–2. Pg. **348-436.** ISBN: 978-81-7482-117-1.

## संक्षेपाक्षर

1. U.G.- स्नातक
2. P.G.- स्नातकोत्तर
3. L.R.- साक्षरता दर
4. H.E.R.- उच्च शिक्षा दर
5. P- जनसंख्या
6. E- शिक्षा (स्नातक या अधिक)

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

आरेख : 1 जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयु वर्गानुसार एवं शैक्षिक स्तरवार जनसंख्या का विवरण

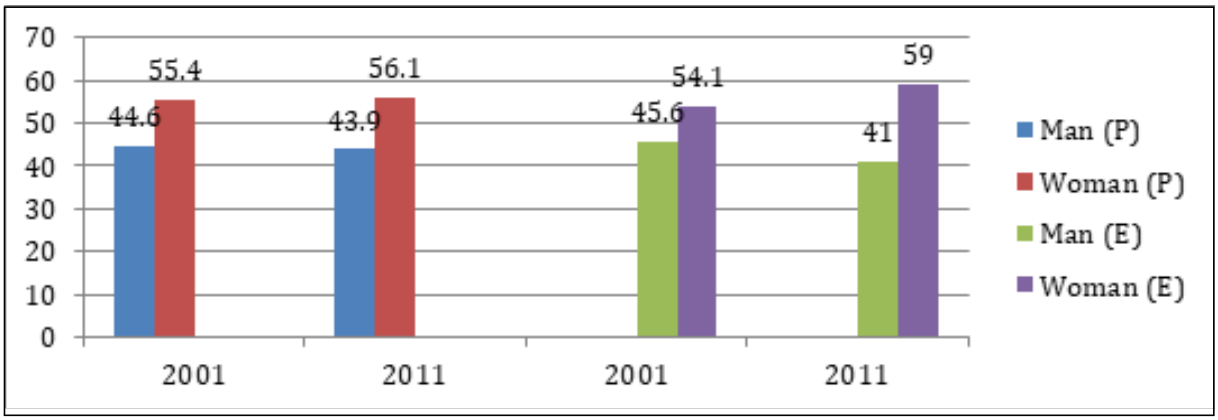


स्रोत– इस शोध पत्र की तालिका : 6

आरेख : 2 जनपद पौड़ी गढ़वाल में साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा दर (20–24 आयु वर्ग) का विवरण

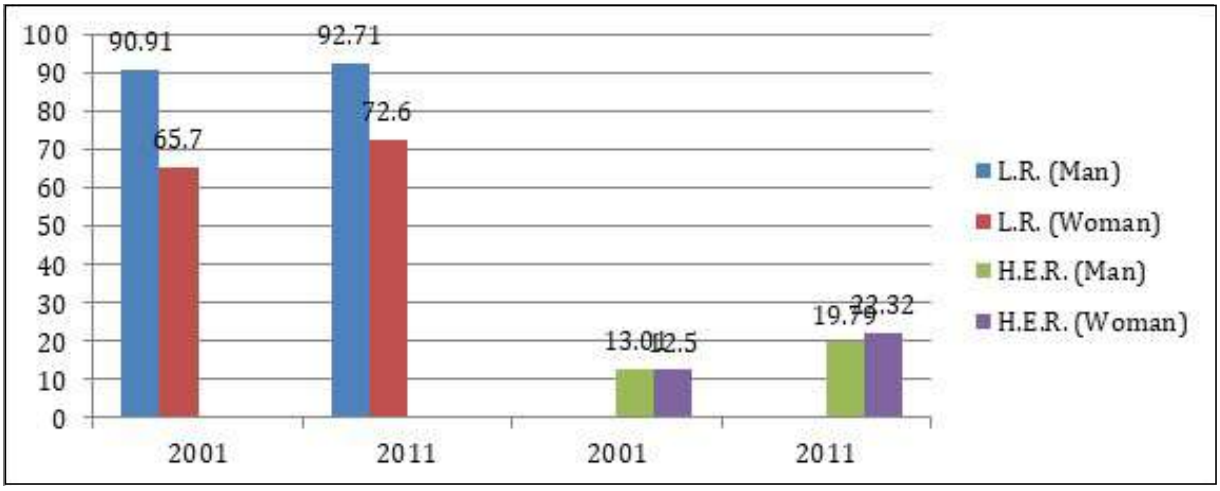


स्रोत– इस शोध पत्र की तालिका : 7

आरेख : 3 जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्नातक कक्षा एवं स्नातकोत्तर कक्षा की योग संख्या का तुलनात्मक विवरण

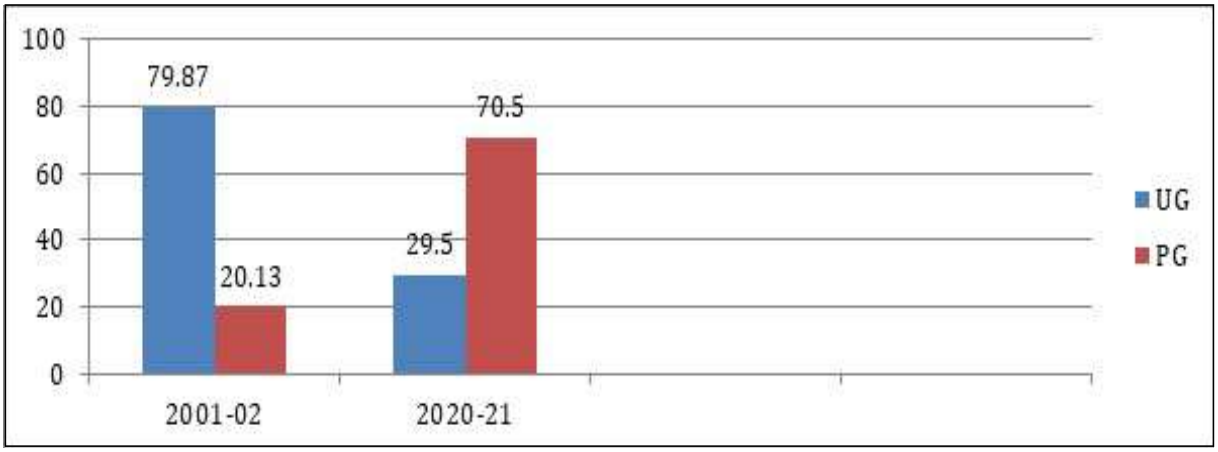


स्रोत– इस शोध पत्र की तालिका : 9

26

# उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

**नौमीलाल**
शोधार्थी, शिक्षक–शिक्षा विभाग
रामनगर पी.जी. कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

**प्रोफेसर (डॉ०) कृष्ण कुमार सिंह**
शोध निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षक–शिक्षा विभाग
रामनगर पी.जी. कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

***सारांश***

*प्रस्तुत शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा की सभी तक पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही पर आधारित सभी को उच्च शिक्षा से जोडना है। शिक्षा के सम्बंध में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था– शिक्षा ऐसी हो जो सर्व सुलभ हो, तथा धर्म, लिंग, जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करे। यह नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के साथ सभी को उत्पादन तथा रोजगार से जोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर उपलब्ध करायेगी। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनायी गयी है जिसमें शिक्षा पर अधिक निवेश कर अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देकर कौशल विकास पर जोर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा के साथ–साथ भारतीय ज्ञान परम्परा एवं मूल्यों को भी समाहित किया गया है। नई शिक्षा नीति से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम होगी तथा छात्र के अनुभव आधारित ज्ञान में वृद्धि होगी। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है जिससे भारत में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है तथा पर्याप्त सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को किसी खास कौशल या ज्ञान में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। भारत की उच्च शिक्षा का ढांचा मजबूत न होने के कारण विश्व की महाशक्ति बनने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है, अगर इस नीति को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाये तो यह भारत को पुनः विश्वगुरू बनाने की राह पर अग्रसर होगी और भारत को फिर से सोने की चिड़िया कहा जाने लगेगा।*

***मुख्य शब्द***

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समान एवं समावेशी शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सकल नामांकन अनुपात, नवाचार, जी0डी0पी0, कौशलपरक शिक्षा, इण्टीग्रेटेड कोर्स।*

## प्रस्तावना

शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष् धातु से बना है जिसका अर्थ सीखना होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है– सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती रहती है। भारतीय प्राचीन संदर्भ में शिक्षा का तात्पर्य है ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् विद्या ऐसी हो जो मुक्ति दिलाये अर्थात् जीवन–मरण के बंधन से छुटकारा दिलाना। शिक्षा के सम्बन्ध में जान डी0 का कथन है– ''एजुकेशन इस नॉट प्रीपेरेशन फार लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ।'' अर्थात् शिक्षा, जिंदगी की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा खुद जिंदगी है। नेल्सन मंडेला ने कहा था– ''शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।'' शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले आधुनिक भारत के शिक्षाविदों में ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले, महात्मा गाँधी, रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा स्वामी विवेकानन्द आदि विख्यात हैं।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषणों, पुस्तकों एवं लेखों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करते

हुए कहा कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास होता है तथा शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण में अमूल्य योगदान देती है। शिक्षा द्वारा ही सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना सम्भव है। संविधान व राष्ट्र निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के संदर्भ में कहा था–''शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो सर्वसुलभ हो अर्थात् शिक्षा सभी को उपलब्ध होनी चाहिए।'' धर्म, लिंग, जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा–''शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।'' शिक्षा के सम्बन्ध में उनका अन्य कथन है– ''हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनैतिक आंदोलन को महत्व देते हैं।''

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से 34 साल बाद नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनायी गयी कमेटी की सिफारिश पर तैयार की गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यू0एन0ओ0 द्वारा घोषित अपनी प्रस्तावना में सतत् वैश्विक विकास एजेण्ड़ा को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने पर बल दिया गया है। विश्व के सभी देश समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति कहाँ तक कारगर साबित हो सकती है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त धरातलीय वातावरण में जिस प्रकार मौलिक समस्याएँ हैं, उस पर ध्यान दिये जाने की अति आवश्यकता है, सिर्फ नीति के निर्माण से ही भारत देश का विकास सम्भव नहीं है।

भारतीय संविधान के भाग–4 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष की आयु होने तक सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था तभी से शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों पर आधारित 1968 ई0 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव पारित हुआ। 1986 ई0 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सम्पूर्ण देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया था और अधिकतर राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को भी अपनाया था तथा इस नीति को 1992 ई0 में संशोधित भी किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया। इसमें शिक्षा पर जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया है जोकि वर्तमान में 4.43 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है जिसमें उच्च शिक्षा पर भी खर्च समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एकल निकाय के रूप में 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसको 2030 तक पूरा करना है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों तथा उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर भी दिया गया है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर भी 100 प्रतिशत, तथा उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को मौजूदा 26.3 प्रतिशत से बढाकर 2035 तक 50 प्रतिशत पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 पाँच स्तम्भों पर केन्द्रित है– वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही। निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदाकर संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण उत्पादन, रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है।

## अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के मूल्यांकन पर प्रकाश डालना है। नई शिक्षा नीति 2020 से सम्बंधित प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उल्लेख कर अपने अनुसंधान कार्य को पूर्ण करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की सर्व सुलभता, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता तथा जवाबदेही आदि मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना ।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना।

## अध्ययन का महत्व

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया जा सके। इससे पहले 1986 में इन्दिरा गाँधी की सरकार में शिक्षा

नीति बनायी गयी थी और 1992 में पी0 वी0 नरसिंहाराव की सरकार में इसे संशोधित भी किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति वर्तमान में नवीन ज्ञान और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी तथा शिक्षा की दशा व दिशा तय करेगी। यह शिक्षा नीति शिक्षा तक सभी की पहुँच, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही पर आधारित है। यह शिक्षा नीति सतत् विकास एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समग्र और लचीला बनाना है। साथ ही भारत को वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में बदलकर प्रत्येक छात्र में अद्वितीय क्षमताओं को विकासित करना है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का पुनर्निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा की गयी है जिसके आधार पर वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में पीढ़ीगत बदलाव लाया जा सके ताकि वह बदलते परिदृश्य में जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। उच्च शिक्षा से सम्बंधित निम्नलिखित बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित हो रहे हैं–

1. **सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.)–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लए दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की बात कही गयी है तथा उच्चतर शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जायेंगी।
2. **बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी–** नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उसी के अनुसार उन्हें डिग्री प्रदान की जायेगी। एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर प्रमाणपत्र, दो वर्षों में डिप्लोमा तथा 3 वर्षों में डिग्री एवं 4 वर्षों में शोध के साथ बैचलर डिग्री प्रदान की जायेगी। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बी.एड. करना चाहते हैं वे चार वर्ष का इंटीग्रेटेड बी.एड. कोर्स कर सकते हैं। स्नातक के बाद दो वर्ष का बी.एड. कोर्स होगा जबकि परास्नातक के बाद 1 वर्ष के बी.एड. कोर्स का प्रावधान है। एम0फिल0 डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। पाँच साल के संयुक्त ग्रेजुएट–मास्टर कोर्स की व्यवस्था है।
3. **एकेड़मिक बैंक ऑफ क्रेड़िट–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेड़िट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जायेगा तथा छात्रों को उनके परफार्मेंस के आधार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
4. **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अहम पहलू राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना है। यह फाउंडेशन देश में अनुसंधान और नवाचार को बढावा देगी ताकि देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत किया जा सके।
5. **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग–** उच्च शिक्षा में अनुदान, गवर्नेन्स आदि मुद्दों पर सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एकल नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था जो उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक और संस्थागत स्वायत्तता में दखलंदाजी किये बिना रेगुलेटरी का कार्य करेगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के चार स्वतंत्र परिषद होंगे– विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद।
6. **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना–** देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का सुझाव है ताकि तकनीकी के बेहतर प्रयोग से कक्षा–प्रक्रियाओं में सुधार लाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ई–लर्निंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजिटल ढाँचे को मजबूत करने के लिए भी कदम आगे उठायेगा।
7. **बहुविषयक शिक्षा संस्थान–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम. की तरह बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया है। उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा व अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये साधनों में सम्पन्न संस्थाओं को बहुविषयक संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया जायेगा। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 2040 तक बहुविषयक शिक्षा कलस्टरों एवं हबों में बदल दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिला या उसके आस–पास, बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान को सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **भाषायी विविधता का संरक्षण–** विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों तथा उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर; पाली, प्राकृत और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया है। दक्षिण राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
9. **उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण–** उच्चतर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जायेगा

तथा भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में खोलने तथा विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को अपने देश में परिसर खोलने की अनुमति होगी।

10. **संस्थागत स्वायत्तता–** नई शिक्षा नीति 2020 में महाविद्यालयों की संबद्धता अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर क्रमिक स्वायत्तता प्रदान की जायेगी, इससे महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय के रुप में विकसित हो जायेंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जायेंगे।
11. **विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता–** उच्च शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए तथा समग्र बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के छात्रों की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति का समर्थन तथा उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जायेगा।
12. **पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत ही अंतर दिखाई पड़ेगा। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।
13. **शिक्षण व्यवस्था से सम्बंधित सुधार–** शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू हो। अध्यापन के लिए वर्ष 2030 तक न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 ई0 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास किया जायेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु तथा भविष्य से जुड़े निर्णय लेने मे सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमता आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जायेगा।
14. **समान और समावेशी शिक्षा पर बल–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों को अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जायेगी। उनको उच्च शिक्षा की नियमित शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जायेगा।

## उच्च शिक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें काफी अहम बदलाव किये गये हैं। इसमें खासकर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कही गयी है लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव भी दिखाई देते हैं और बहुत सी समस्याएं और चुनौतियां भी दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस नीति में कौशल के विकास पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। कुछ प्रमुख आलोचनायें निम्न हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है लेकिन अगर सरकार ईमानदारी और गम्भीरता से लागू करे तभी इसके सार्थक परिणाम निकल सकते हैं। इससे पहले कोठारी आयोग (1964–66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गयी थी लेकिन नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन न होने से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय कुपोषित से होते चले जा रहे हैं।
2. नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला के रूप में बालक को कई भाषाओं के साथ सम्बंधित विषय में ज्ञान हासिल करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। लेकिन बालक के द्वारा अंग्रेजी के ज्ञान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनना है तो विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा अर्थात् अंग्रेजी का ज्ञान अंर्जित करना पड़ेगा। इस फार्मूले से छात्रों को न सही से मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो सकेगा और न ही अंग्रेजी पर पकड़ बन पायेगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि सरकार त्रिभाषा सूत्र से शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
3. नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा पर जोर देने की बात की गयी है। कोविड़–19 महामारी के समय विश्वविद्यालयी शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया था। 40 प्रतिशत विद्यार्थी भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। कारण आज ग्रामीण छात्रों के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की अधिक समस्याएं रहती हैं तथा नेटवर्क भी सही से कार्य नही करता है। आज शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग' के माध्यम से 40 प्रतिशत विषयों को भविष्य में ऑनलाइन करने की बात कही गयी है ताकि सभी छात्र शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ सकें, जो छात्र घर पर रहते हैं वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर ठीक प्रकार से क्रियान्वयन तथा सुविधाएं प्रदान की जायें तो इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा सकता है।
4. उच्च शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम को कभी 3 वर्ष का तो कभी 4 वर्ष का कर दिया जाता है कभी बी0एड0 के पाठयक्रम को 1 वर्ष का कर दिया जाता है तो कभी 2 वर्ष का तो कभी फिर 1 वर्ष का कर दिया जाता है। कभी नेट की पात्रता को अनिवार्य बना दिया जाता है तो कभी ऐसी शर्त हटा दी जाती है। स्नातक कार्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था

को अपनाया गया है, इसके तहत छात्र कई स्तरों पर पाठयक्रम को छोड़ सकते हैं लेकिन बाद में इस कोर्स को पूरा कर पायेंगे या नहीं; ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की बात कही गयी है जिसमें विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। विश्वविद्यालयों की तरह छात्र भी अपने विषयों को चुन सकते हैं। गणित के साथ संगीत और भौतिक विज्ञान के साथ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने की बात की गयी है। लेकिन छात्रों को रोजगार से जोड़ पाना नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर ही सम्भव है।
6. नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया है। सरकार के सहयोग के बिना भारत के विश्वविद्यालय क्या विदेशी विश्वविद्यालयों से सीधा मुकाबला कर पायेंगे? भारत ने 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी है लेकिन क्या भारत के विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर पायेंगे? क्या विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों से फीस कम होगी? फिर भारतीय विश्वविद्यालय बन्द होने की कगार पर आ जायेंगे। नई शिक्षा नीति में सरकारी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में नियम समान होने की बात कही गयी है। क्या ऐसा सम्भव हो सकता है?
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने की बात कही गयी है जिसके द्वारा शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढावा मिलेगा। देश में शोध पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गयी है। इससे पहले की नीतियों ने भी इतना खर्च करने की बात कही थी लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शायद यह सपना साकार हो जाये। देश में शोध पर सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च किया जाता है जबकि अन्य देशों चीन में 1.5 प्रतिशत तथा जापान में 3.85 प्रतिशत करा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि वर्ष 2030 तक शिक्षा प्रणाली को बदलना है, शिक्षा को वैश्विक सतत् विकास के साथ–साथ लैंगिक समानता, मानवाधिकार, संस्कृति और अहिंसा के साथ–साथ छात्रों को वैश्विक नागरिकता की ओर ले जाना है।
8. नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की पदोन्नति व जवाबदेही की भी चर्चा की गयी है लेकिन यह शिक्षा नीति कहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेगी। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के अनुमोदित प्रवक्ताओं का वर्तमान में बुरा हाल है। उनको कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर कराया जाता है। सरकारी विश्वविद्यालयों में ठीक प्रकार से रोस्टर की प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है।
9. वर्तमान समय में निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। गाँव और छोटे बड़े कस्बों में धड़ल्ले से निजी महाविद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बद् से बद्तर होती चली जा रही है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। उच्च शिक्षा दिनों–दिन महँगी होती जा रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

## निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाये तो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव आयेंगे जिससे भारत देश फिर से विश्वगुरू एवं महाशक्ति बनने के मार्ग में अग्रसर होगा। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को विश्वविद्यालयी शिक्षा से जोड़ना है। इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक और कौशलपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने से बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। यह शिक्षा नीति छात्रों में अद्वितीय क्षमताओं का विकास करेगी। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास एजेंड़ा 2030 के लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा तकनीकी व डिजीटल शिक्षा को उच्च शिक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। इस नीति से रटने की प्रवृत्ति कम होगी। नई शिक्षा नीति ने 2040 तक प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बदलने के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया है।

## संदर्भ

1. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति : महत्व व चुनौतियां. 31 जुलाई. www.drishtiias.com.
2. (2020). नई शिक्षा नीति. 25 अगस्त. www.drishtiias.com.
3. (2020). http://hi.wikipedio.org/wiki/National education Policy/.
4. http://www.education.gov.in/sites/uploadfiles/Mhrd/files/NEP final Hindi O.Pdf.
5. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. उच्च शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन. http://slcelibrary.saraswatib.com.
6. उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि. http://www.ijrar.org.

27

# शिक्षा नीति – वैश्विक परिवेश के अनुसार बदलती प्रवृत्तियाँ

**विनीता सिंह**
शोधार्थी, शिक्षा संकाय
डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या, (उ.प्र.)

**प्रोफेसर (डॉ०) कृष्ण कुमार सिंह**
शोध निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षक–शिक्षा विभाग
रामनगर पी०जी० कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

***सारांश***

*वर्तमान समय में भारत जहां आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, वही कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है। विश्व के सभी देश अपने अपने तरीके से इस समस्या से निपट रहे हैं, भारत भी अपने स्तर से इस महामारी से बचाव में लगा है। ऐसे समय में शिक्षा के क्षेत्र में हुई क्षतिपूर्ति के लिए डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आधुनिक वैश्विक परिवेश में भारत जैसे देश को अमीरी–गरीबी के बीच की खाई समाप्त करने की आवश्यकता पड़ रही है। यह तभी संभव है जब शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा स्वयं में एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार करना होगा।*

***मुख्य शब्द***

*एन.ई.पी. 2020, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, अमृत महोत्सव, ऑनलाइन शिक्षण–प्रशिक्षण।*

## प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि उसके देश की शिक्षा का ढांचा उन्नत तथा सक्षम हो, यह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता व मांगों को पूरा कर सके। इसके लिए देश में एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोविड़–19 की महामारी ने पूरे विश्व को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचे में पूरी तरह से उथल–पुथल कर दिया है। इस आपदा के कारण जहां शिक्षा का पूरा ढांचा चरमरा गया है वहीं वैश्विक स्तर पर सुधार के लिए संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस महामारी ने देश ही नहीं विश्व की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण–प्रशिक्षण की बहुत सी संभावनाओं को जन्म दिया। समय की मांग है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। जिसके चलते एन.ई.पी. 2020 में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं।

वैश्विक स्तर पर बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में जन्म लेती दुष्प्रवृत्तियों तथा उनका असामाजिक कृत्यों की ओर झुकाव देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है। वर्तमान वैश्विकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों ने आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में चिंताएं तथा कष्ट बढ़ाएं हैं। इन सभी से प्रभावित होकर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की शिक्षा देना बन गया है।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों को जानना।
2. व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से अवगत होना।
3. भावी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ उनमें कौशल निर्माण व कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। छठी कक्षा से इंटर्नशिप की व्यवस्था

की गई है। ई–लर्निंग पर जोर देकर किताबों पर निर्भरता को कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है जिसके अंतर्गत छात्र विज्ञान के साथ–साथ कला व सामाजिक विज्ञान के विषय का भी चयन कर सकते हैं।

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य सभी को उच्चतम गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा अपने देश को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत व न्याय संगत समाज में बदलने के लिए योगदान करना है। बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण वर्तमान शिक्षा पद्धति में भाषागत समस्या प्रमुख है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मातृभाषा में ही मौलिक चिंतन होने की पुष्टि की गई है, अतः एन.ई.पी. 2020 मातृभाषा में प्राप्त शिक्षा, मौलिक शोध, आविष्कार तथा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा व शिक्षा के व्यावसायिकरण ने पारंपरिक शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया है। किसी भी पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान विषय का शामिल होना अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलों का सामाजिक स्तर पर उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग का वर्गीकरण बंद होना चाहिए तथा इनका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के साथ–साथ उन्हें दी जा रही शिक्षा का भी आकलन किया जाना चाहिए।

## शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत तेजी से विस्तार हुआ क्योंकि इसके तहत देश के तमाम शिक्षण संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल करने को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों में आगामी एक दशक में टी.वी.ई.टी. पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे लाखों छात्रों का भला हो सके। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट का मत है "इसमें दो राय नहीं है कि कोविड़–19 महामारी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट और रोजगार को इस स्तर पर प्रभावित किया है जो इससे पहले नहीं देखा गया था। कई मायनों में कोरोना वायरस ने एजूकेशन और ट्रेनिंग व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में तेजी से वैश्विक जरूरत बनती जा रही है।" भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करना है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 के अंत तक वोकेशनल पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्रतिशत जो 5 से भी कम हो गया है को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सभी छात्रों को वोकेशनल पढ़ाई कराई जाएगी। वोकेशनल पढ़ाई के भीतर बागवानी, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, बिज़ली का काम, लकड़ी का काम इत्यादि सिखाना सम्मिलित किया गया है।

## वैश्विक परिवेश में शिक्षा संबंधित चुनौतियां

वर्तमान समय में बदलती प्रवृत्तियों में शिक्षा संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता, शिक्षक– शिक्षार्थी के मध्य संबंधों का अभाव, परीक्षा में बढ़ती नकल की प्रवृत्ति, कक्षाओं में छात्रों की अनुपस्थिति, शिक्षा संस्था में बढ़ते यौन अपराध, नशाखोरी की प्रवृत्ति, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी, छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव; साथ ही विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों का बढ़ता बोझ, पाठ्यक्रमों में बदलाव, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, साइबर क्राइम वैश्विक स्तर पर शिक्षा के संबंध में बहुत बड़ी चुनौती हैं। पुराने ढ़र्रे की चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में कहीं बच्चों पर जबरदस्ती गृह कार्य थोपा जा रहा है तो कहीं यह छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चार्टर्ड़ अकाउंटेंट बनाने तक ही सीमित रह गई है। बच्चों को चित्रकार, प्लंबर, खिलाड़ी, कलाकार इत्यादि बनाने के बारे में कम ही सोचा जाता है जिससे कि वर्तमान समय की वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

## व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विविध तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थान स्थापित हुए जिससे भारत की प्रगति को देखा जा सकता है। परंतु शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप नहीं बन सकी। प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास में अनेक बाधाएं समस्याएं बनकर उपस्थित हुईं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। अब तक जितनी भी शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं वे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकामयाब रही हैं। सुविख्यात अर्थशास्त्री गौतम ने कहा था कि "आज देश में गरीब अमीर के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है। यदि देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। हमें विकास के सुनिश्चित पथ की खोज हेतु शिक्षा नीतियों, श्रम संगठनों, पूंजी नियोजन, कार्य कौशल उत्पादकता, जनसंख्या तथा मानव शक्ति संबंधी प्रश्नों को नए मानदंडों के आधार पर तोलना होगा।"

शिक्षा को रोजगार से संबंधित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को दृढ़ता से क्रियान्वित करना आवश्यक है, जिससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो बिना किसी रुचि या उद्देश्य से उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा से निश्चित ही आर्थिक अवरोध और काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि "शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए।" नई शिक्षा नीति 2020 में इसी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई के लिए समान इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को स्थानीय

कारखानों, व्यवसायों व कलाकारों को अनुसंधान कार्यों और शोधकर्ताओं के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे ताकि वे सक्रिय रूप से शिक्षा के व्यवसाय पक्ष से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

## प्रमुख बदलती प्रवृत्तियाँ

वर्तमान समय में वैश्विक चुनौतियां अपना आकार बदल चुकी हैं। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक विविधता, आतंकवाद, असमानता, तनावग्रस्त राजनैतिक स्थिति, आर्थिक विकास तथा कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों ने वैश्विक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है।

कौशल विकास व रोजगार में भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें तो आज भी रोजगार परक शिक्षा के बजाय पुराने ढ़र्रे पर आधारित शिक्षा प्रणाली विद्यमान है, इसमें बदलाव की जरूरत है। रोजगार के मामले में भी भारत में अलग–अलग क्षेत्रीय समानताएं हैं, साथ ही महिलाओं की भागीदारी में भी कमी है। 2 वर्षों में कोरोना ने भी अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार पर गंभीर असर डाला जिससे निपटने की आवश्यकता है। आर्थिक समावेशन और ग्रामीण भारत हेतु यह अनुमान है कि आगामी दशक में भारतीय शहरी जनसंख्या 40 प्रतिशत तक हो जाएगी परंतु गांव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि ग्रामीण भारत में उत्पादकता तथा आय में वृद्धि हुई है पर इससे विकास दर उच्च नहीं हो सकती। देश के प्रत्येक गांव तथा शहरों के बीच की कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

## भावी योजनाएं

**विद्यार्थियों का समग्र विकास–** शिक्षा नीति का मुख्य केंद्र बिंदु भारतीय शिक्षा प्रणाली जोकि रटने पर आधारित थी; से हटाकर वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है तथा 21वीं सदी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में सहायक होती है। अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में इन कौशलों और मूल्यों को आत्मसात किया जाना है और यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना जिससे कि बेहद बुनियादी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके; यह सरकार की योजना है।

**शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक–** राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी. को सभी क्षेत्रों के शिक्षकों, विकास हेतु संस्थानों आदि के परामर्श से सामान्य मानक परिषद से व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित करना नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों के अनुसार संशोधन किया जाएगा।

**व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन–** इस नीति का उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है जिसके लिए उसे समस्त शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल सीखे तथा अन्य व्यवसायों से परिचित हो।

**ऑनलाइन आधारित डिजिटल शिक्षण–** नई परिस्थितियों तथा वास्तविकताओं के लिए नई पहल अपेक्षित है। संक्रामक रोगों तथा वैश्विक महामारी में हुई वृद्धि से यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ भी शिक्षा के वैकल्पिक पारंपरिक व विशेष साधन संभव ना हो वहां गुणवत्तापरक शिक्षा वैकल्पिक साधन के लिए तैयार हो। नई शिक्षा नीति इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभ पर ध्यान केंद्रित है।

**व्यावसायिक शिक्षा की बढ़ती महत्ता–** किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहां की शैक्षिक व्यवस्था का महत्व अत्यधिक होता है। शिक्षा का उद्देश्य अगर छात्रों को रोजगार दिलाना हो तो निश्चित ही उस देश का विकास संभव है। शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकती है जब वह व्यावसायिक हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवसायपरक रखी गई है क्योंकि अब तक की शिक्षा नीति में यही कमी थी कि वह रोजगार परक नहीं थी। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को व्यवसाय चुनने में सहायक ही नहीं होती अपितु इसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों के अनुरूप बनाई जाए जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। आधुनिक समय में किसी विशेष तकनीकी शिक्षा के अभाव में जीवन निर्वाह ही कठिन है। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व इसलिए भी है कि यह केवल व्यक्ति की उन्नति का साधन ही नहीं अपितु समाज व राष्ट्र की उन्नति राष्ट्रीय एकता, वसुधैव कुटुंबकम् जैसे कार्यों में भी यह योगदान देती है।

## निष्कर्ष

समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पर ही किया जा सकता है। वैश्विक परिवेश के अनुसार बदलती प्रवृत्तियां वैश्विक समुदाय से संबंधित किसी भी देश की सीमा, सत्ता तथा सामर्थ्य से बड़ी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना जैसे संकट में देखा गया। समय के साथ साथ समुदाय व मानव की आवश्यकतायें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव करना आवश्यक है। शिक्षा में वैज्ञानिक व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्राचीन प्रचलित धारणाओं में सुधार किया जा सकता है।

## संदर्भ

1. (2018). आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदः रायपुर।
2. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार।
3. https://www-punjabkesari-in>news.
4. https://www-drishtiias-com>hindi.
5. https://hindi bag-com.
6. https://books-google-com/books/about.
7. nibandh.net.
8. www.divyahimachal.com.
9. Opportunities and challenges-SPRF.
10. https://www-hrw-org/hi/news/2021/05/17/37863.
11. https://nep2020.hinsoli.com/2020/08/2020-18.

## विशिष्ट शब्दावली

1. टी.वी.ई.टी. TVET (Technical and Vocational Education and Training).
2. एन.ई.पी. National Education Policy.

28

# तत्कालीन भारतीय सामाजिक समस्याओं पर भगत सिंह का चिंतन

**आशू सैनी**
शोधार्थी, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

**प्रोफेसर (डॉ०) गिरीश कुमार सिंह**
प्रोफेसर एवं शोध पर्यवेक्षक, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

**प्रोफेसर (डॉ०) सुरेश चंद**
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
के० जी० के० (पी०जी०) कॉलेज, मुरादाबाद

***सारांश***

*भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी युवाओं के अंतर्गत भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी के रूप में ही देखा जाता है अपितु ऐसा करना न्यायसंगत नहीं है। भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं, अपितु एक युवा बुद्धिजीवी, चिंतक और सामाजिक विचारक थे। प्रस्तुत शोध पत्र यह देखने की कोशिश करता है कि किस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में वे मार्क्सवादी समाजवाद की ओर आकृष्ट हुए। वे मार्क्स, लेनिन, त्रोत्सकी का गहन अध्ययन करने लगे और उन्होंने इस सिद्धांत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया। 1920–30 का दशक भारतीय समाज के लिए काफी विषमताओं से परिपूर्ण था तथा विविध समस्याओं ने पूरे देश को जकड़ रखा था जिनमें से अछूतों पर होने वाला जातिगत भेदभाव एवं हिंदू मुस्लिम के बीच साम्प्रदायिकता, ये दोनों ज्वलंत समस्या के रूप में उभरकर आए। इन समस्याओं पर चिंतन मनन करते हुए भगत सिंह ने कई पत्रिकाओं में लेख लिखे जिनमें उन्होंने 'अछूतों की समस्या' एवं 'सांप्रदायिकता का समाधान' पर विशेष जोर दिया। प्रस्तुत शोध पत्र भगत सिंह के द्वारा इन दो प्रमुख समस्याओं के समाधान पर गहन विचार करने की कोशिश करता है। इस शोध पत्र के तहत यह दर्शाया जाता है कि किस प्रकार उन्होंने अछूतों को मुक्त होने के लिए उन्हें अपना स्वयं नेतृत्व करने एवं संगठित होने का आह्वान किया। साथ ही सांप्रदायिकता के मूल में उन्होंने 'धर्म की खामियों' को देखा। उनके अनुसार यह धार्मिक अंधविश्वास समाज में सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ठोस कारणों की पहचान करते हुए वे दिखाई देते हैं।*

***मुख्य शब्द***

*भारतीय समाज, भगत सिंह, मार्क्सवादी समाजवाद, अछूत, साम्प्रदायिकता, धर्म, जाति, राष्ट्रीय आन्दोलन, क्रांति, वर्ग–चेतना, राजनीति।*

हमारे बीच में से अधिकांश लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी की तरह ही मानते हैं परन्तु भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं थे। भगत सिंह एक विचार है; एक दर्शन है, जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आयाम दिया। भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगतसिंह के चिन्तनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई पर और अधिक प्रकाश पड़ा है जिससे यह सच्चाई भी पुष्ट हुई है कि[1] भगतसिंह ने अपने अन्तिम दिनों में सुव्यवस्थित एवं गंभीर अध्ययन के बाद बुद्धिसंगत ढंग से मार्क्सवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाया था। हालांकि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेंसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित करी। महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिन्तन का जो स्तर उन्होंने हासिल कर लिया था, वह उनके युगद्रष्टा युगपुरुष होने का ही प्रमाण था। यह सोचना गलत नहीं है कि भगत को 23 वर्ष की अल्पायु में यदि फाँसी नहीं हुई होती तो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का इतिहास और भारतीय सर्वहारा क्रान्ति का इतिहास शायद कुछ और ही ढंग से लिखा जाता। बहरहाल यह उतना ही दुखद है कि आज भी इस देश के शिक्षित लोगों

का एक बड़ा हिस्सा भगत को एक ओर महान तो मानता है, पर यह नहीं जानता कि 23 वर्ष का वह क्रांतिकारी युवा एक महान चिन्तक भी था।

किसी भी महान व्यक्ति का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हुआ तो उसके पीछे भी कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1917 की रूस की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद पूरी दुनिया में बूम कर गया था। सर्वहारा वर्ग द्वारा निरंकुश शासन पर विजय को हर जगह सराहना मिली और इसे सर्वहारा (शोषित) वर्ग के पक्ष में क्रांति कहा गया। दूसरी बात,[2] 1920 के दशक में पूरे विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी। यही वजह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के कई पुरोधा भी उस लहर से अछूते न रहे। सुभाष चन्द्र बोस और जवाहर लाल नेहरू भी समाजवाद से काफी प्रभावित थे। इसके अलावा, 1929–1930 के समय वैश्विक महामंदी के कारण पूंजीवाद की सर्वश्रेष्ठता का भ्रम टूटा और उसकी खामियां उभरकर सामने आई। इसी दौर में, दुनिया को समाजवाद पूंजीवाद के एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूती ना रही।

यही वो परिस्थितियां थीं जिनके आलोक में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए।

## आखिर क्या था भगत सिंह का मार्क्सवादी समाजवाद?

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन वैयक्तिक हत्या तथा हिंसक गतिविधियों से विरक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था:[3] "पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।" इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन तथा लियोन त्रोत्सकी को पढ़ा। लेकिन वे मार्क्स से कहीं ज्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अपने लेख "टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स" में उन्होंने अपने आदर्श को 'नए अर्थात् मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण' के रूप में घोषित किया।[4] भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के सम्बन्ध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे 'किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं होना है अपितु उन्हें पूंजीपतियों और जमीदारों के चंगुल से भी मुक्त होना है।' उन्होंने समाजवाद की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना सामाजिक और राजकीय दोनो परिप्रेक्ष्य में की। अपनी[5] जेल डायरी में वे लिखते हैं,

"लोकतन्त्र सिद्धान्ततः राजनीतिक और कानूनी समानता की व्यवस्था है, किन्तु ठोस और व्यावहारिक रूप में यह झूठ है, क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता में भारी असमानता है, तब तक कोई समानता नहीं हो सकती, न राजनीति में और कानून के सामने। पूँजीवादी शासन में लोकतन्त्र की सारी मशीनरी शासक अल्पमत को श्रमिक बहुमत की यातनाओं के जरिये सत्ता में बनाये रखने के लिए काम करती है।"

जेल में वह सारी मानवजाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचार में लीन रहे। पृष्ठ 190 पर उन्होंने लिखा "समाजवादी व्यवस्था– प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार।" इस प्रकार भगत सिंह के विचारों में समाजवाद की ओर झुकाव काफी पहले से दिखाई देने लगा था। किंतु बाद में वे वैयक्तिगत हिंसा, हत्या और क्रान्तिकारी गतिविधियों से अरुचि से भरने लगे थे। उसके पश्चात् वे मार्क्सवाद की ओर तेजी से झुकते हुए प्रतीत हुए। यही कारण था कि 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एच.एस.आर.ए.) कर दिया और क्रान्ति की पुनर्व्याख्या करते हुए एवं स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण हेतु एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की। यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई देता है। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तत्कालीन समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भी उलझ रहा था। भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास रखने के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं पर चिंतन भी किया करते थे। जेल में उन्होंने चार पुस्तकें लिखीं थी, दुर्भाग्य से जिनकी पांडुलिपियां आज उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 'किरती', 'साप्ताहिक मतवाला' और 'वीर अर्जुन' समेत कई पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे। इसी परिदृश्य में उन्होंने अछूतों के साथ जातिगत भेदभाव एवं हिंदू–मुस्लिम साम्प्रदायिकता की समस्या पर कुछ लेख लिखे।

## 'अछूतों की समस्या' का हल

1920 के दशक में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रवाह में चल रहा था और जन आंदोलन में तब्दील हो रहा था, अंबेडकर भी राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ गए थे। अछूत समस्या की गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच भगत सिंह ने 'किरती' नामक पंजाबी पत्रिका में[6] 'अछूत का सवाल' लेख लिखा जोकि जून 1928 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में श्रमिक वर्ग

की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिये गये थे। सिंध के श्री नूर मोहम्मद का संदर्भ देते हुए वो कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इंकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं देते और एक इंसान के समान अधिकार देने से इन्कार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए? वे कहते हैं कि एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आखिर यह कैसी विडंबना है? भगत सिंह इस बात पर भी दृष्टि डालते हैं कि हिंदुओं द्वारा अछूतों के अलगाव और भेदभाव को दूर करने की फिराक में किस प्रकार सिक्ख, मुस्लिम और ईसाई धर्म अछूत समुदाय को अपने धर्म में प्रविष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं और समान अधिकार देने के दावे कर रहे हैं।

इस समस्या ने निदान में वह कहते हैं कि सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य–विभाजन से। वे तथाकथित अछूत वर्ग को स्पष्ट रुप से संगठित होने का आह्वान करते हैं। उन्हें अपने जनप्रतिनिधि बनाने और स्वयं अपने अधिकार मांगने का वे दृढ़ समर्थन करते हैं। वे कहते हैं उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। कौंसिल और असेम्बलियों का यह कर्तव्य है कि वे स्कूल–कॉलेज, कुएं तथा सड़कों के उपयोग की उन्हें पूरी स्वतंत्रता दिलाए। भगत सिंह अछूतों और श्रमिकों को असली सर्वहारा वर्ग के रूप में घोषित करते हुए उन्हें दूसरों पर आश्रित न होने तथा संगठित होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार वे पूरे समुदाय को सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा करने तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कटिबद्ध हो जाने का आह्वान करते हैं।

## 'सांप्रदायिक समस्या' का हल

असहयोग और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए और इसी दशक में देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। 1926 में कलकत्ता में एक भयानक दंगा हुआ।[7] संयुक्त प्रांत में 1923 और 1927 के बीच लगभग 88 दंगे हुए, जिनके कारण हिंदू–मुस्लिम सम्बन्ध लगभग पूरी तरह भंग हो गए। इसी समस्या पर विचार हेतु भगत सिंह ने[8] 'किरती' पत्रिका में 'सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज' लेख लिखा। इस लेख में वे सांप्रदायिकता के आलोक में भारत में वर्तमान परिदृश्य का जिक्र करते हुए उसके भविष्य पर प्रश्न उठाते हैं। किस प्रकार 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रसार किया जिसका प्रभाव हम 1924 में कोहाट में अमानवीय ढंग से हुए हिंदू–मुस्लिम दंगों में देख सकते हैं। वे दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति का हिंदू होना या मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था जोकि देश के भविष्य के लिए एक अन्धकार का सूचक मालूम पड़ती है।

सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भगत सिंह काफी गहराई से चिंतन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और इस समस्या के मूल में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी[9] धर्म के प्रति अनास्था और नास्तिकता जोकि उनकी पुस्तक 'मैं नास्तिक क्यों हूँ' से स्पष्ट होती है; इस संदर्भ से भी जोड़ी जा सकती है। उनके लेख के अनुसार, रूस के महान लेखक[10] लियो टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक 'एस्से एंड लेटर्स' में धर्म पर बहस करते हुए उसे तीन हिस्सों में विभाजित किया है। पहले हिस्से में धर्म की जरूरी बातें (जिन पर कोई विवाद नहीं होता) तथा दूसरे हिस्से में 'धर्म का दर्शन' तथा तीसरे हिस्से में धर्म के रिचुअल (रस्म, रीति–रिवाज आदि) आते हैं। इनमें से दूसरे तथा तीसरे हिस्सों पर ही विवाद पैदा होते हैं क्योंकि एक धर्म के रिवाज में गाय का बलिदान जरूरी है जबकि दूसरे धर्म में गाय की पूजा लिखी गई है। यही मूल विवाद बाद में बड़े बन जाते हैं जोकि संगठनों के कारण विस्तार लेते हैं। इस बारे में भगत सिंह कहते हैं कि यदि आपके रस्म–रिवाज अंधविश्वास की ओर अग्रसर करते हैं तो ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा वे समाधान के कई बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं। पहली बात, वे दंगों का इलाज भारत की आर्थिक दशा में सुधार को बताते हैं कि भारत के लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफी आसान है क्योंकि भूखा व्यक्ति अपने सिद्धांत ताक पर रख देता है। दूसरी बात, वे लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए वर्ग–चेतना की समझ को आवश्यक बताते हैं। वर्ग चेतना की समझ से युक्त व्यक्ति धार्मिक दंगों में नही उलझता। तीसरी बात, वे धर्म को राजनीति से अलग करने पर बल देते हैं कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, उसे राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि यदि सांप्रदायिकता को खत्म करना है तो हमें किसी भी व्यक्ति को 'इन्सान' के रूप में देखना होगा नाकि किसी 'धर्म विशेष के व्यक्ति के रूप में'।

## निष्कर्ष

भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रान्तिकारी संबोधित करना न्यायसंगत न होगा अपितु वह एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ–साथ एक विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे। उन्होंने तत्कालीन समाज की जटिल समस्याओं पर गहन अध्य्यन और चिंतन किया और अछूतों पर होने वाले जातिगत भेदभाव एवं हिंदू–मुस्लिम एवं अन्य पंथों के मध्य साम्प्रदायिकता के लिए उपरोक्त समाधान देश के सम्मुख प्रस्तुत किये। वे अन्य क्रान्तिकारियों से विशिष्ट थे क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक विचार रखते थे। बाद में सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था, "भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे।"

## संदर्भ

1. वर्मा, सत्यम (सम्पादन). (1999). शहीद ए आजम की जेल नोट बुक. राहुल फाउंडेशनः लखनऊ. अप्रैल. पृष्ठ **12.**
2. चन्द्र, बिपन. (2008). आधुनिक भारत का इतिहास : ओरियंट ब्लैकस्वान. हैदराबाद. पष्ठ **297.**
3. सिंह, भगत. (1930). इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है (पत्र). जनवरी. लाहौर हाई कोर्ट बेंच।
4. चन्द्र, बिपन. (1989). मुखर्जी आदित्यः स्वंतत्रता के लिए भारत का संघर्ष. ओरियंट ब्लैकस्वानः हैदराबाद।
5. (2022). जेल डायरी ऑफ भगत सिंह. ओम साई टेक बुक्सः नई दिल्ली।
6. सिंह, भगत. (1928). अछूत समस्या (प्रॉब्लम ऑफ अंटचौबिलिटी). किरती पंजाबी पत्रिकाः अमृतसर. जून।
7. बंदोपाध्याय, शेखर. (2009). प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद. ओरियंट ब्लैकस्वानः हैदराबाद. पृष्ठ **309.**
8. सिंह, भगत. (1928). साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज. किरती पंजाबी. मासिक पत्रिका. जून।
9. सिंह, भगत. (1931). मैं नास्तिक क्यों हूं. द पीपल अखबार. लाहौर।
10. लियो टॉलस्टाय की पुस्तक. (2011). "एस्से एंड लेटर्स" में संकलित. आयलमर मौदे द्वारा अनुवादित. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

29

# नागार्जुन के उपन्यासों में जन–चेतना

**डॉ० शैलेन्द्र पाल सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

***सारांश***

*स्वतन्त्रता के बाद ग्राम्य–जीवन को अपने उपन्यास की कथावस्तु बनाने वाले उपन्यासकारों में नागार्जुन सबसे पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने ग्रामीण–जीवन तथा उसके आस्था, विश्वास और परिवर्तित अर्थव्यवस्था का समग्रता के साथ विशद वर्णन किया है। नागार्जुन नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों के पथ–प्रदर्शक हैं। उनके 'रतिनाथ की चाची' उपन्यास के प्रकाशित होते ही एक ऐसे लेखक वर्ग का उदय हुआ जिसने ग्रामीण–जीवन को अपने उपन्यास साहित्य की विषय–वस्तु बनाया। नागार्जुन प्रेमचन्द परम्परा की अग्रिम कड़ी हैं, जिन्होंने प्रेमचन्द के मोह–भंग को नया जीवन बना दिया है। प्रेमचन्द का दृष्टिकोण 'सामाजिक यथार्थ' की देन है, नागार्जुन की जीवन–दृष्टि 'समाजवादी यथार्थ' से प्रेरित है। प्रेमचन्द की संवेदना नागार्जुन की रचनाओं में समाजवादी चेतना में परिणत हो जाती है। नागार्जुन के उपन्यासों में 'रतिनाथ की चाची' से लेकर 'वरूण के बेटे' तक वर्गीय संघर्ष का क्रमिक विकास हुआ है। डॉ0 इन्द्रनाथ मदान के अनुसार नागार्जुन ही शायद अकेले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समाजवादी बोध को सहज एवं अनायास रूप में आत्मसात किया है और यह बोध इनके पोर–पोर तथा रग–रग से निःसृत है। उनके उपन्यास यद्यपि समाजवादी सिद्वांतो से आच्छादित हैं पर उनमें कोरी सैद्धान्तिकता ही नहीं व्यावहारिकता भी है। नागार्जुन ने अपने सभी उपन्यासों में मिथिला के गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों का चित्रण किया है। उनके खान–पान, रीति–रिवाज, आस्था–विश्वास आदि का वर्णन एवं पात्रानुकूल मैथिली भाषा का प्रयोग करके कथावस्तु को जीवंत बना दिया है।*

***मुख्य शब्द***

*ग्राम्य–जीवन, संवेदना, समाजवादी, अभिजात्य वर्ग, कलात्मकता, जीवन–संघर्ष, शोषण, जमींदार, यथार्थवाद, सामंती व्यवस्था, लोक–संस्कृति।*

सामाजिक विकास परिवर्तनों को यथार्थाभिव्यक्ति देने के कारण ही उपन्यास आधुनिक युग की एक सशक्त और लोकप्रिय विधा बनी है। उपन्यास ने सदैव युग की धड़कनों को स्वर प्रदान किया है। इसीलिए उसकी यह भूमिका उसे सामाजिक स्वरूप भी प्रदान करती है। उपन्यास ने मानवीय सम्बन्धों और सामाजिक मूल्यों का गंभीरता से विवेचन किया है। उसने यथार्थ का सहारा लेकर युगीन सत्य को भी स्वीकारा है। उपन्यास पूँजीवाद व्यवस्था के अन्तर्विरोधों को जिस गहराई से विश्लेषित करता है उससे यह आशा बंधती है कि वह भविष्य में भी भावी सामाजिक परिवर्तनों को अभिव्यक्ति देने में निश्चित रूप से सफल होगा।

स्वतंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास ने सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक बदलावों को यथार्थगत परिप्रेक्ष्य में आत्मसात कर उन लेखकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है जो जन यथार्थ से जुड़कर सामाजिक विसंगतियों के विरूद्व संघर्ष करते हैं और शोषण–विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं।

ग्रामीण स्तर पर उपन्यास लेखन में प्रेमचन्दीय परम्परा को सर्वाधिक नागार्जुन और भैरव प्रसाद गुप्त ने आत्मसात किया है। ये दोनों ही लेखक ग्राम्य जीवन में पूरी तरह रंगे हुए हैं। आजादी के बाद होने वाले किसान आन्दोलनों में इनकी सक्रिय व्यावहारिक भूमिका ग्रामीण प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। स्वतन्त्रता के बाद ग्राम्य–जीवन को अपने उपन्यास की कथावस्तु बनाने वाले उपन्यासकारों ने नागार्जुन सबसे पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने ग्रामीण–जीवन तथा उसके आस्था, विश्वास और परिवर्तित अर्थव्यवस्था का समग्रता के साथ विशद वर्णन किया है। नागार्जुन नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों के पथ–प्रदर्शक हैं। उनके 'रतिनाथ

की चाची' उपन्यास के प्रकाशित होते ही एक ऐसे लेखक वर्ग का उदय हुआ जिसने ग्रामीण–जीवन को अपने उपन्यास साहित्य की विषय–वस्तु बनाया।

स्वतंत्रता संग्राम में भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवश्य प्रभावित हुआ था। किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी ने जेल काटी, किसी ने जुर्माना दिया, किसी ने चन्दा दिया, किसी ने प्रदर्शनों की भीड़ को बढ़ाया, किसी ने बम–विस्फोट किया, कोई फांसी के तख्ते पर झूल गया और किसी ने अपना गुप्त रूप में नैतिक समर्थन दिया। नागार्जुन के 'बलचनमा' उपन्यास का फूलबाबू इसी प्रकार के सामंतों का प्रतिनिधि है, जो अवसर देखकर गांधीवादी आंदोलन में सम्मिलित होता है। कानून के जमींदारों ने केवल मालगुजारी वसूल करने का अधिकार ही छीना, परन्तु फिर भी लम्बी–चौड़ी जोत की जमीनें उनके अधिकार में रहीं। कृषि का औद्योगिकीकरण हुआ। नागार्जुन ने 'रतिनाथ की चाची', 'बलचनमा', 'बाबा बटेसरनाथ' और 'वरूण के बेटे' उपन्यास में इस तथ्य को उजागर कर दिया है। 'नई पौध' में लेखक ने समाजवादी विचारधारा से युक्त नई पीढ़ी के नवयुवकों का चित्रण किया है जो सामंती रीति–रिवाजों, धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिक मानदण्डों और अभिजात्य वर्ग के अहम का खुला विरोध करते हैं। वे समाज विकास के लिए रूढ़िहीन नवीन सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं। नागार्जुन ने अपने सभी उपन्यासों में मिथिला के गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों का चित्रण किया है। उनके खान–पान, रीति–रिवाज, आस्था–विश्वास आदि का वर्णन एवं पात्रानुकूल मैथिली भाषा का प्रयोग करके कथावस्तु को जीवंत बना दिया है। नागार्जुन के उपन्यास सामाजिक यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। नागार्जुन के विभिन्न उपन्यासों के माध्यम से जन–चेतना का संचार किस प्रकार हुआ; इस शोध पत्र में इसी बात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

## रतिनाथ की चाची

'रतिनाथ की चाची' (1948) उपन्यास में नागार्जुन ने ह्रासोन्मुखी समाज में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक वैशम्य का चित्रण बड़ा ही सजीव, यथार्थ तथा मानवीय संवेदना के स्तर पर किया है। बिहार के शुभंकरपुर अंचल के भारतीय ग्रामीण समाज में प्रचलित परम्परित थोथी मान्यताएं, अंध–विश्वास, जादू–टोने, रूढ़िगत वैवाहिक रीतियों तथा धार्मिक कुरीतियों, धर्म की आड़ में होने वाले निम्न–मध्यम वर्ग की नारियों के साथ व्यभिचार और अत्याचार, कुलीन वर्ग का थोथा जातीय अहम्, अनमेल विवाह, दहेज–प्रथा, विकोआ वर और धन के आधार पर नारी के रूप की खरीदारी, वेश्यावृत्ति, अनैतिकता के आचरण में अनैतिक बच्चों का जन्म, कुलीन विधवा नारी का अभिशप्त जीवन, अंतर्जातीय विवाह, संयुक्त परिवार का विघटन, कर्मकाण्डी ब्राह्मणों का धर्माडम्बर, तीर्थस्थानों में होने वाले व्यभिचार, धार्मिक ठेकेदारों द्वारा निर्मित नैतिक विधान, नारी द्वारा नारी की उपेक्षा और ईर्ष्या आदि समस्याओं का उपन्यासकार ने चित्रण तथा समाधान किया है।

उपन्यास में अभिजात्य वर्ग का थोथा अहम्, लोगों के ढोंग तथा स्वार्थ के चित्र भी नागार्जुन ने खींचे हैं, जो समाज की जर्जरिता तथा रूढ़िवादिता को स्पष्ट करते हैं।

गांव में मलेरिया का प्रकोप और किसानों की मृत्यु पर सरकारी अधिकारियों की लूट–खसोट और नेताओं की उपेक्षा लेखक तारा चरण के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। गांव में सरकारी सहायता तब पहुंची जब सत्तर के करीब लोग मर चुके थे। कुनेन की टिकिया बांटी गयीं थीं किन्तु गरीबों को वह मुश्किल से ही मिली थीं।

उपन्यास की कथावस्तु प्रेमचन्द–परम्परा की वही पुरानी विधवा समस्या की कहानी है। लेकिन प्रेमचन्द युग में जहां विधवा समस्या को आदर्शवादी धरातल पर सुलझाने का प्रयास किया गया है, वहां नागार्जुन ने 'रतिनाथ की चाची' में समाज के कुलीन वर्ग के अत्याचारों और अर्थवादी व्यवस्था के ह्रासोन्मुखी स्वरूप पर चोट कर खुला समाधान प्रस्तुत किया है। गौरी विधवा की कहानी कोई एक विधवा की कहानी नहीं हैं, अपितु उन सहस्त्रों विधवाओं की करूण गाथा है जो सामाजिक नियमों और पुरूषों के अत्याचार से पीड़ित आजीवन अपनी जिन्दा लाश को बोझ के समान ढ़ोती हैं।

उपन्यास में स्थानीय शब्दों का प्रयोग कर लेखक ने ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्रण किया है। कहीं–कहीं धार्मिक अनुष्ठानों आदि के अवसर पर पंडिताऊ भाषा का भी प्रयोग किया है जो वातावरण और पात्रों के अनुकूल ही है, गांव की स्त्रियों का चौपाल लगाना, उनके रूप–रंग, वाणी, ईर्ष्या–द्वेष आदि के चित्रण में पर्याप्त सजीवता है। इसके अतिरिक्त पंडितों और जमींदारों के रहन–सहन, स्वभाव और संस्कारों का भी लेखक ने सूक्ष्म वर्णन प्रस्तुत किया है।

## बलचनमा

'बलचनमा' (1952) उपन्यास आजादी के बाद जमींदार और किसानों के मध्य सम्बन्धों के बनने–बिगड़ने की, परिवेश के बदलने पर बदले हुए शोषण के हथकण्डों की, जमींदारी बर्बरता की, निरीह एवं निर्दोष खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसानों पर होने वाले अत्याचारों की, गरीबों के विवश जीवन की, सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की भ्रष्टाचारिता की, नेताओं की, वर्गीय पक्षधरता की, अहिंसापरक आन्दोलन की अपूर्णता की, किसानों के प्रति स्वदेशी सरकार की उपेक्षा की, जीवन–संघर्ष से उद्भूत किसान और खेतिहर मजदूरों में विस्तार को प्राप्त करती हुई वर्गीय चेतना की, किसान, खेतिहर मजदूर और जमींदार के मध्य चलने वाले वर्ग–संघर्ष की, चन्दे के पैसा खाने वाले नेताओं की, जमींदारों द्वारा निम्न–वर्ग की नारियों के साथ किये जाने वाले बलात्कार

की एवं वर्ग–संघर्ष में जूझने वाले वर्ग–चेतन मजदूरों के बलिदान की; जीती जागती तस्वीर है। नागार्जुन ने देशव्यापी किसान आन्दोलन को महपुरा अंचल की परिधि में रखकर चित्रित करने का यथार्थवादी सफल प्रयास किया है। वह किसान जो जमींदारी शोषण को, अत्याचारों को और उसके जूतों और डण्डे को मूक बनकर सहन करता है, मार्क्सवादी चेतना का संबंल प्राप्त करके किसान–सभा में संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ता है और जमींदारों की क्रूरता का खुला विरोध करता है। किसान और जमींदारों के मध्य चलने वाले संघर्ष का कोई भी पहलू लेखक की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ है।

इस प्रकार 'बलचनमा' गांवों के जमींदारों द्वारा किसान और खेतिहर मजदूरों का किया जाने वाला शोषण, घटना के शहरी जीवन, लहरिया सराय के आश्रम में सत्याग्रही और उनके आन्दोलन, नेताओं के दांव–पेंच, सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं और स्वामी सहजानन्द तथा शर्मा जी जैसे मजदूर नेताओं के भाषणों को सुनकर शोषक और शोशितों के वर्गीय–स्वार्थों तथा तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक वैशम्यकों और समस्या के वास्तविक स्वरूप और यथार्थ समाधान के निकट पहुंचता है।

डॉ0 इन्द्रनाथ मदान नागार्जुन को आधुनिकता की चुनौती को समष्टि के धरातल पर स्वीकार करने वाला कथाकार मानते हैं और डॉ0 सुषमा धवन के अनुसार भी नागार्जुन की जीवन–दृष्टि समाजवादी यथार्थवाद से प्रेरित है।

'बलचनमा' उपन्यास का कथानक बिहार के मिथिलांचल से लेकर पटना, कलकत्ता आदि शहरों तक फैला हुआ है। ह्रासोन्मुखी सामन्ती–व्यवस्था में होने वाले जमींदार तथा पुलिस के क्रूर अत्याचार, नेताओं की पक्षधरता और स्वार्थ, गांधीवादी वैयक्तिक और आदर्शपरक सत्याग्रह तथा नमक कानून का विरोध, खेतिहर मजदूरों को जमींदारों द्वारा बेदखल करना, उभरती हुई साम्यवादी शक्तियों के नेतृत्व में चलने वाला किसान आन्दोलन और वर्ग–संघर्ष, किसान नेताओं की निर्मम हत्या आदि का लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यथार्थ चित्रांकन किया है। 'बलचनमा' भूमिहीन किसानों का प्रतीक है जो भूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। 'बलचनमा' निस्संदेह ही प्रेमचन्दीय परम्परा की आगे की कृति है।

चरित्र–चित्रण की दृष्टि से उपन्यास में 'बलचनमा' का चरित्र सशक्त रूप में उभरा है। बलचनमा उठते किसान–वर्ग तथा प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील पात्रों में लतीफ, विधवा हमीदा, कुन्ती, राधाबाबू, स्वामी जी, डॉ0 रहमान तथा शर्मा जी आदि भी आते हैं। वहीं दूसरी ओर शोषक वर्ग तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के पात्रों में जमींदार जसोधर चौधरी, बल्लोबाबू, फूलबाबू तथा सरकारी अधिकारी आते हैं।

उपन्यास में जनपदीय बोली के शब्दों का प्रयोग कर यथार्थता को अधिकाधिक स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास में कहीं भी क्लिष्टता तथा दुरूहता नहीं आ पाई है। उपन्यास की शैली नाटकीय न होकर एक पुरूष द्वारा कही जाने वाली आत्मपरक शैली है, जिसमें बलचनमा के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा मिथिला अंचल के आजादी के बाद के ग्रामीण परिवेश और बदलते सम्बन्धों के यथार्थ का वर्णन किया है।

**नई पौध**

'नई पौध' (1953) में नागार्जुन ने मिथिला के नौगछिया गांव के नवयुवकों की उभरती हुई सामाजिक चेतना को आंचलिक परिवेश की समग्रता के साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 'नई पौध' (नई पीढ़ी) उन सम्पूर्ण सामंती नैतिकताओं, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का कड़ा विरोध करती है, जिनके परिणामस्वरूप नारी को आजीवन यातनाएं झेलने के लिए विवश होना पड़ता है। डेढ़ सौ वर्ष पहले से चले आ रहे नारी सम्बन्धी सुधार आन्दोलनों, बड़े–बड़े राजनेताओं द्वारा की गई नारी स्वातंत्रय की घोषणा और नारी–जीवन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कानून पास होने के उपरांत भी ग्रामीण अंचलों में नारी की स्थिति आज भी पुरातन सामंतवादी मान्यताओं के अनुसार ही है। स्वतन्त्रता के बाद भी नासमझ भोली–भाली कम उम्र बालिकाओं का विवाह साठ वर्षीय वृद्ध के साथ होता है। अभावों से ग्रस्त पुरूषों को आज भी नयन ताराओं को उसी प्रकार बेच देना पड़ता है, जिस प्रकार मालिक अपने पशु को निर्मोही बनकर कसाई के हाथ बेच देता है। 'नई पौध' दिगम्बर मल्लिक, माहेश्वर, बूलों और स्वयं अपनी नातिनी को बेचने वाले खोंखा पंडित का बेटा टुनाई इस प्रकार के अमानवीय अत्याचारों का विरोध करते हैं। नवयुवकों की यह चेतना–सम्पन्न टोली जिनकी वाणी बम–विस्फोट की भांति समाज की अन्यानेक कुप्रथाओं पर कटु व्यंग्य करती है, पुरातन पंथियों द्वारा 'बम–पार्टी' के नाम से घोषित की जाती है। नवयुवकों का यह बम–विस्फोटक स्वर उदीयमान समाजवादी चेतना का स्वर है, जो नारी को समाज में भली–भांति स्थापित करने के लिए मुखरित हुआ है।

नागार्जुन ने अनमेल विवाह की समस्या को उठाकर, सामंती व्यवस्था के उस ह्रासोन्मुखी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें अर्थाभाव के कारण नारी के रूप की खरीद–फरोख्त होती है।

दुर्गानन्दन द्वारा दिगम्बर के मित्र वाचस्पति झा के पास विसेसरी के विवाह के प्रस्ताव को रखते समय लेखक वाचस्पति से स्पष्ट कर देता है– ''आप लोग सामाजिक विषमता के कारण जिस मुसीबत में फंस गये थे, उसके बारे में दिगम्बर से मेरी काफी चर्चा हो चुकी है और हमने जो फैसला किया सो आपको मालूम हो गया होगा। व्यक्ति का संकट ही समाज का संकट है और समाज का संकट समूचे देश का संकट है।'' वाचस्पति के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि वृद्ध विवाह और नारी के क्रय–विक्रय का मूल कारण सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की विषमता है।

'नई पौध' एक समस्या–प्रधान उपन्यास है। 'नई पौध' में उठाई गई वृद्ध विवाह या अनमेल–विवाह समस्या प्रेमचन्द परम्परा की समस्या है। प्रेमचन्द और उनके युगीन साहित्यकारों ने जहां अनमेल विवाह समस्या के समाधान का आदर्शवादी–सुधारवादी प्रयास किया हैं, वहां नागार्जुन ने समाजवादी यर्थाथवादी दृष्टिकोण के आधार पर नई पीढ़ी का विद्रोह कराकर समाधान भी प्रस्तुत किया है जो वास्तव में एक आगे का कदम है। उपन्यास की मूल–कथा विसेसरी की विवाह कथा है जो घटनाओं के विभिन्न सूत्रों में पिरोई गई है। कथानक का चित्रफलक विस्तृत न होकर मिथिला के ग्रामीण अंचल तक ही सीमित है। लेकिन नौगछिया गांव के माध्यम से लेखक ने सम्पूर्ण भारत में व्याप्त इस समस्या पर नई रोशनी में प्रकाश डाला है। इसीलिए कथा पुरानी होते हुए भी अपने आप में नई लगती है।

उपन्यास में दो प्रकार के चरित्रों की संयोजना हुई है। एक प्रगतिशील चेतना–सम्पन्न दिगम्बर, माहेश्वर, बूलों, वाचस्पति झा आदि नवयुवकों की जो सामंती, परम्परित रूढ़ियों और नैतिकता का विरोध कर समाजवादी चेतना का अनुगमन कर गांव–गांव के विकास और सामूहिक उत्थान का प्रयत्न करते हैं और युग–युग से शोषित नारी को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी धारा के खोंखा पंडित, पं0 घटकराज, फतुरी काका, छकाउड़ी खबास, चतुरी चौधरी हैं, जो अभी सामंती नैतिकताओं और मान्यताओं के व्यामोह से ग्रस्त हैं, और परम्परा तथा रूढ़ियों को छोड़ना नहीं चाहते। चतुरी चौधरी सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो पैसे के बल पर विसेसरी जैसी अबोध लड़की को अपनी भोग्या बनाना चाहता है। पं0 घटकराज उस ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए निरीह नारी के शोषण में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त नारी पात्रों में रामेसरी, विसेसरी और बूलों की भाभी का चरित्र प्रगतिशील ही कहा जा सकता है जो कम से कम मन में पुरानी पीढ़ी के दिखावेपन का विरोध करती हैं।

उपन्यास की भाषा मिथिला की आंचलिक भाषा है जो जन–जीवन से जुड़ी हुई है। लेखक ने आंचलिक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर नौगछिया गांव का चित्र साकार कर दिया है। कथोपकथनों में व्यंग्यात्मकता नागार्जुन की अपनी विशेषता है। 'नई पौध' के माध्यम से लेखक ने नयी पीढ़ी के युवकों में उभरती हुई समाजवादी चेतना को साकार किया है।

**बाबा बटेसरनाथ**

'बाबा बटेसरनाथ' (1954) उपन्यास में नागार्जुन ने मिथिलांचल के रूपउली गांव के सौ वर्षों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक इतिहास का वर्णन गांव के वट वृक्ष (बाबा बटेसरनाथ) के माध्यम से किया है। सामंती एवं पूंजीवादी व्यवस्था के सन्धिकाल में किसानों पर जमींदारों, महाजनों, सरकारी अधिकारियों और पुलिस के नृशंस अत्याचार, जमींदारों द्वारा गांव के सार्वजनिक तालाबों, वृक्ष–भूमि आदि पर अवैध अधिकार, किसानों की बेदखली, सूदखोरी और बढ़ती रिश्वतखोरी, नेताओं का वर्गीय चरित्र तथा वर्गीय स्वार्थ, गांव में उभरती हुई साम्यवादी चेतना से युक्त नई पीढ़ी के नेतृत्व में संगठित किसानों का अपने वर्ग हित के लिए जमींदारों और सरकारी अमले के विरूद्ध संघर्ष, झूठे मुकदमों तथा पूंजीवादी कानूनी दांव–पेंच, वर्गीय समाज में सम्पत्तिशाली और सत्ताधारी लोगों के लिए स्थापित न्याय–व्यवस्था, जनवादी नौजवान सभा द्वारा किसानों के वर्ग–संघर्ष में सहायता, द्वितीय विश्व महायुद्धोत्तर आर्थिक संकट, अकाल और बाढ़ की वीभत्सता, स्वतन्त्रता के पहले और बाद के राजनीतिक आंदोलन और विभिन्न दलों की भूमिका, साम्राज्यवादी–पूंजीवादी शोषण, पूंजीवादी विकास की विषमता से उत्पन्न बेरोजगारी, सर्वहारा तथा मध्य वर्ग का उदय, मध्यवर्गीय सफेद पोश लोगों की अवसरवादिता, गांव में प्रचलित जादू–टोने, अन्ध–विश्वास और धार्मिक कुरीतियों आदि का लेखक ने मार्क्सवादी धरातल पर यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है।

लेखक बाबा बटेसरनाथ के माध्यम से, जैकिसुन को गांव के विगत सौ वर्षों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास व शोषण की कथा सुनाता है। यह लेखक का प्रगतिवादी दृष्टिकोण है जिससे गांव के नवयुवक (जैकिसुन आदि) ऐतिहासिक विकास के आधार पर शोषण–प्रक्रिया को भली–भांति समझकर जीवन की वास्तविकता को निकट से देख सके हैं। लेखक का उपन्यास में यही मूल उद्देश्य है जिसमें उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

गांव में पड़ने वाला अकाल और बाढ़ वीभत्सता का चित्रण भी लेखक ने बड़ी मार्मिकता तथा मानवीय संवेदना के स्तर पर किया है। अकाल और सूखे से गांव की सारी फसल चौपट हो जाती है। गांव के लोग जौ और शकरकन्दी खाकर जीवित रहते हैं। मालदार खाते–पीते लोगों तक की स्थिति भी खराब हो जाती है। गांव के तीन परिवार ही ऐसे थे जिन्हें अन्त तक चावल नसीब होता रहा। बाकी शकरकन्द, मकई, अरहर और चनों पर, तथा निचले स्तर के लोगों को तो एक जून शकरकन्द भी नसीब नहीं होती।

'बाबा बटेसरनाथ' की कथावस्तु बिहार के रूपउली अंचल विशेष की ही कथावस्तु नहीं है, अपितु भारत के सम्पूर्ण गांवों में होने वाली उथल–पुथल की कहानी है। वट–वृक्ष के माध्यम से कहानी कहने की प्रेरणा लेखक को भारतीय जन–जीवन में प्रचलित नाना और नानी, बाबा और दादी के अपने नाती–पोतों को कहानी सुनाने से ही मिली है। वास्तव में, लेखक का यह जनवादी ढंग है।

उपन्यास के शीर्षक से लगता है कि 'बाबा बटेसरनाथ' एक चरित्र–प्रधान उपन्यास है, परन्तु घटनाओं का संगुम्फन और प्राधान्य के कारण यह वातावरण प्रधान उपन्यास ही कहा जा सकता है। उपन्यास में दो पीढ़ियों के इतिहास का लेखक ने वर्णन

किया है। स्वतंत्रता के पहले का कथानक बाबा बटेसरनाथ तथा बाद का कथानक जैकिसुन, जीवनाथ, दयानाथ आदि नवयुवकों के संघर्ष और विजय के माध्यम से व्यक्त हुआ है। कथानक की मुख्य कथा रूपउली गांव के शोषण की कथा है और जैकिसुन के पूर्वजों की कथा प्रासंगिक है। घटनाओं और वातावरण का परस्पर विकास हुआ है।

चरित्र–चित्रण की दृष्टि से भी लेखक को आशातीत सफलता मिली है। बाबा बटेसरनाथ उपन्यास का प्रमुख चरित्र है जो अपनी दीर्घायु और चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर उपन्यास में आदि से अन्त तक छाया हुआ है। जैकिसुन, जीवनाथ, दयानाथ आदि ऐसे नवयुवक हैं जिनका क्रमिक विकास हुआ है। जहां एक ओर प्रगतिशील पात्रों को उपन्यास में उभरने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर टुनाई पाठक, जैनारयण झा, नीलाम्बर पाठक, फणीन्द्रनाथ झा, वीरभद्र आदि पात्रों के विकास का भी अवसर मिला है, जो अपने–अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक एकता और संघर्ष के कारण प्रगतिशील पात्रों की ही विजय होती है। उपन्यास में बाबा बटेसरनाथ और दयानाथ ही दो ऐसे पात्र हैं जो गरीब किसान और मजदूरों के साथ पूर्णतः सहानुभूति रखते हैं।

नागार्जुन ने उपन्यास में समाजवादी यथार्थवाद का निरूपण किया है। घटनाएं, पात्र तथा आन्दोलनों का चित्रण कथावस्तु तथा देशकाल के अनुरूप ही लेखक ने किया है। साथ ही वर्तमान सामाजिक विषमता का अन्त साम्यवादी व्यवस्था में ही माना है। उपन्यास में लेखक ने आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है जो ग्रामीण किसानों–मजदूरों की रोजमर्रा की बोली जाने वाली भाषा है।

**वरूण के बेटे**

'वरूण के बेटे' (1956) में नागार्जुन ने मलाही गोढ़ियारी के जीवन, व्यवसाय, रीति–रिवाज, जमींदारों द्वारा गढ़पोखर पर अवैध अधिकार और सतधरा के जमींदारों द्वारा गढ़पोखर की बन्दोबस्ती, मछुओं में उभरती हुई वर्गीय चेतना, उनका संगठित होकर जमींदारों के विरूद्ध संघर्ष आदि का बड़ा सजीव तथा यथार्थपरक चित्रण किया है। साथ ही बाढ़–पीड़ित जनता की सहायता करने के बजाय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले जुल्म, नेताओं की स्वार्थ–साधना, व्यापारियों द्वारा मण्डियों में मछुओं की लूट, जमींदारों द्वारा मछुआ–संगठन को तोड़ने का प्रयास, सामंती मान्यताओं और नैतिकताओं के विरुद्ध विद्रोह, पुलिस और मिलिट्री द्वारा शोषक–वर्ग के स्वार्थों की रक्षा, मछुओं और खेतिहर मजदूरों की गिरफ्तारियां, वारण्ट, धारा 144 के द्वारा उनकी एकता तोड़ने का प्रयास, मछुओं के पोखर में सामूहिक रूप से महाजाल डालने की विधि एवं गायन आदि के चित्र बड़ी ही कलात्मकता एवं मानवीय संवेदना के साथ उपन्यास में प्रस्तुत किये गये हैं।

उपन्यास में नागार्जुन ने मछुओं के जीवन के सूक्ष्म विवेचन के साथ–साथ किसान, बंधुआ मजदूरों आदि निम्न वर्ग के लोगों तथा उनसे मिलते–जुलते पात्रों की समस्याओं को भी उठाया है।

'वरूण के बेटे' की कथावस्तु मलाही गोढ़ियारी के मछुआरों के जीवन–संघर्ष की ही कथावस्तु नहीं है, अपितु 1952 में जमींदारी–उन्मूलन कानून के पास हो जाने के बाद जमींदारों के बढ़ते शोषण और देश के अधिकांश देहातों में होने वाली उथल–पुथल के संघर्ष की कथावस्तु है। मछुओं के जीविकोपार्जन, सामाजिक रीति–रिवाज, अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियां एवं संघर्ष आदि को नागार्जुन ने इतने निकट से देखा है कि लगता है, वे स्वयं मोहन मांझी के रूप में मछुओं के संगठन से जुड़कर उनके संघर्षों में कूदे पड़े हों। कथानक का क्षेत्र बिहार के देपुरा गांव (गरोखर बस्ती) से लेकर पटना, लहेरिया सराय एवं दिल्ली तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मछुए, किसान, खेतिहर मजदूर, व्यापारी, ठेकेदार, पुलिस दरोगा, सिपाही, अंचलाधिकारी, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सेकेट्रियेट के बाबू, नेतागण आदि सभी वर्ग के लोगों का चित्रण लेखक ने कथानक में समग्रता के साथ किया है। उपन्यास में दो धरातल पर संघर्ष हुआ है। एक सांस्कृतिक स्तर पर दूसरा राजनीतिक स्तर पर। लेखक को दोनों ही स्तरों पर सफलता प्राप्त हुई है। उपन्यास की मूल कथा मछुओं के स्वामित्व का प्रश्न और संघर्ष की कथा है। माधुरी के जीवन से सम्बन्धित प्रेम–सम्बन्धों की कथा आधिकारिक है। घटनाएं परस्पर एक–दूसरे से संगुम्फित हैं और उनका यथोस्थान विकास हुआ है।

भाषा और शिल्प की दृष्टि से 'वरूण के बेटे' नागार्जुन के अन्य उपन्यासों की तुलना में अधिक सशक्त रचना कही जा सकती है। अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग करने से गरोखर बस्ती का जन–जीवन साकार हो उठा है। गढ़पोखर में महाजाल डालते समय, मछुओं का सामूहिक श्रम, संकेतात्मक ध्वनियों का प्रयोग, उपन्यास की भाषा की जीवंतता तथा संबलता का ही प्रतीक है। शिल्प की दृष्टि से 'वरूण के बेटे' नागार्जुन के 'बाबा बटेसरनाथ' तथा अन्य उपन्यासों से कही आगे विकास कर गया है, जो उसकी कलात्मकता की श्रेष्ठता ही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर उपन्यास में लोकगीतों का प्रयोग लोक संस्कृति का ही परिचायक है।

**निष्कर्ष**

विषय विवेचन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण स्तर पर उपन्यास लेखन में नागार्जुन का अतुलनीय योगदान है। वे पूर्णरूपेण ग्राम्य जीवन में रंगे हुए हैं। अपने उपन्यासों में नागार्जुन ने स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण भूमि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों, कृषि का यंत्रीकरण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों की दयनीय स्थिति, तथाकथित अहिंसावादी नेताओं की वास्तविकता, सरकारी अमले

की गतिविधियां, नारी जीवन की यंत्रणा आदि का यथार्थ चित्रण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उजागर किया है। किसान, मजदूरों अर्थात् श्रमिक वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता ही इनकी उपन्यास कला की विशेषता है। जन–चेतना के जागरण के सत्प्रयास के कारण ही हिन्दी पाठकों ने इनके उपन्यासों को मुक्त मन से स्वीकार किया है। निःसन्देह ये स्वीकार्यता ही किसी रचनाकार की उपलब्धि होती है। 'बलचनमा', 'रतिनाथ की चाची', 'बाबा बटेसरनाथ', 'नई पौध', 'वरूण के बेटे' जैसे उपन्यासों की विशेषता है कि नागार्जुन ने सिद्धान्त के आधार पर साहित्य रचना नहीं की, अपितु साहित्य रचना के माध्यम से सैद्धान्तिक पुष्टि की है।

## संदर्भ

1. धवन, डॉ० सुषमा. हिन्दी उपन्यास. पृष्ठ **303.**
2. सिन्हा, डॉ० सुरेश. हिन्दी उपन्यास उद्‌भव और विकास. पृष्ठ **510.**
3. सिन्हा, डॉ० सुरेश. हिन्दी उपन्यास उद्‌भव और विकास. पृष्ठ **129.**
4. मदान, डॉ० इन्द्रनाथ. आज का हिन्दी उपन्यास. पृष्ठ **47.**
5. धवन, डॉ० सुशमा. हिन्दी उपन्यास. पृष्ठ **303.**
6. धवन, डॉ० सुशमा. हिन्दी उपन्यास. पृष्ठ **130–131.**
7. धवन, डॉ० सुशमा. हिन्दी उपन्यास. पृष्ठ **304–305.**

30

# समकालीन परिदृश्य में प्रयुक्त नवीन प्रवृत्तियाँ : अनिल करंजयी के विशेष संदर्भ में

**प्रीतिका गुप्ता**
शोधार्थी, चित्रकला
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०)
शोध केन्द्र – बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)

**प्रोफेसर (डॉ०) पम्पा गौतम**
शोध निर्देशिका व विभागाध्यक्षा, ललित कला विभाग
बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)

***सारांश***

*कलाएँ स्वयं को पुनरावलोकित करती हैं और यही पुनरावलोकन नवीन प्रवृत्तियों का रूप लेकर नवीन कला आन्दोलनों और उसमें प्रयुक्त नवीन तकनीकों, शैलियों, माध्यमों इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। अद्यतन कला परिक्षेत्र में माध्यमों की स्वतन्त्रता और अन्तराल की व्यापकता ने कलाकारों को असंख्य क्षितिज़ प्रदान किये हैं। कलाकार इनमें से जिस भी माध्यम को अपने स्वभाव के अनुकूल पाता है उसे अपनाता है और उसी में अपने कलाकर्म की दिशा भी निर्धारित करता है।*

*तत्कालीन समाज में प्रचलित विचारधारा या कार्यशैलियाँ जो किसी कलाकार के कार्यक्षेत्र की पहचान या विशेषता बन जाती हैं; नवीन प्रवृत्तियों के रूप में जानी जाती हैं। प्रवृत्तियाँ कभी स्थाई नहीं रहती क्योंकि स्थायित्व पदार्थ की रचनाभिव्यक्ति में बाधक है। स्थायी पदार्थ की सत्ता तीनों कालों में समान ही रहती है। अतः यह गुण नवीन प्रवृत्तियों के जन्म में कोई सराहनीय भूमिका का निर्वहन नहीं करता।*

*प्रवृत्तियाँ किसी नवीन कला आन्दोलन की द्योतक हैं। कला के क्षेत्र में भी नवीन प्रवृत्तियाँ आयीं और चली गयीं। समय के प्रभाव से कालातीत वे ही प्रवृत्तियाँ जो कभी नवीन थीं; प्राच्य के अवगुण्ठन में समाहित हो क्षीण प्रायः होकर समाप्त हो जाती हैं। परन्तु कुछ समय पश्चात् यहीं परिवर्तन के साथ पुनः प्रस्फुटित होकर नवीन आयामों को प्रदर्शित करती हैं और कलाकार अपनी रचनाधर्मिता के माध्यम से अनन्त कला शैलियों का क्रियान्वयन करता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में समकालीन कलाकार अनिल करंजयी द्वारा प्रयुक्त सर्वथा नवीन एवं विलक्षण प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया जा रहा है।*

***मुख्य शब्द***

*चित्रकला, मोशन इन्सटॉलेशन, जादूमय यथार्थ, रचनाधर्मिता, प्रयोगधर्मी।*

**प्रस्तावना**

भारतीय चित्रकला के विस्तृत कालखण्ड में असंख्य ऐसी कला धाराओं का पदार्पण होता रहा है जहाँ नित नवीन प्रवृत्तियों ने आकर कलाक्षेत्र और कलाकारों को असंख्य ऐसे अवसर प्रदान किए जहाँ वह आत्माभिव्यक्ति के प्रत्येक क्षितिज का स्पर्श कर उनमें अपने विस्तृत इच्छुक रंगों का कलात्मक संसार रच सकता है। यह विशेषता मात्र आधुनिक कला में ही नहीं अपितु प्राचीन कला में भी देखने को मिलती है। जब प्रागैतिहासिक मानव ने क्षेपांकन पद्धति का प्रथम प्रयोग किया, जब सैन्धव सभ्यता ने चित्र, मूर्ति और स्थापत्य का बेजोड़ संगम प्रस्तुत किया, जब गुफा चित्रों का स्वर्णिम इतिहास रचा गया, जब लघु चित्रों का वृहद संसार हमारे समक्ष आया और जब आधुनिक काल के प्रथम कलाकार गुरूदेव रवीन्द्रनाथ जी ने सर्वथा नवीन और विचित्र कला का सृजन आरम्भ किया और बंगाल स्कूल की वॉश पद्धति से नवीन परम्परा का सूत्रधार हुआ। आधुनिक कला उसी परम्परा की अनुगामिनी बन नवीन प्रवृत्तियों में निशि–दिवस संलग्न है। इस प्रकार कला का प्रत्येक कालखण्ड अपने समय की नवीन प्रवृत्तियों को समाहित किए हुए है। नवीन कलाकार समय और माध्यम के वशीभूत नवीन प्रयोगों का आविष्कार करता रहता है। कला के वैश्विक पटल पर कलाकारों ने माध्यम की सुरूचिता में धरा पर उपलब्ध प्रत्येक पदार्थ में कलाकृतियों का विश्वव्यापी स्वरूप प्रस्तुत किया है।

नवीन प्रवृत्तियों के युग को सामान्य तौर पर 'आधुनिक काल' के नाम से जाना जाता है क्योंकि साधारणतया आधुनिक काल में कलाकारों को प्रत्येक माध्यम और शैली की स्वतन्त्रता प्राप्त हुयी और उस कला को 'आधुनिक कला' कहा गया जहाँ उन्होंने मिश्रित माध्यमों के अथाह प्रयोग किए। कुछ ऐसे माध्यमों का भी इस्तेमाल किया गया जिनके प्रयोग को देखकर दर्शक और कलाकार स्वयं हतप्रभ रह गये। आज इसी नवीन करने की प्रथा ने डिजिटल प्रिंट, वीडियो आर्ट, एनीमेशन और डिजिटल या मोशन इन्सटॉलेशन इत्यादि का रूप ले लिया है जिनमें कुछ कलाकार तो बेहद रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। परन्तु कुछ अनर्गल कुछ भी रच रहे हैं। कलाकार इससे भी बढ़कर कुछ पृथक करने की होड़ में लगा हुआ है। परन्तु कुछ प्रश्न विचारणीय हैं। यथा– क्या प्रयोगधर्मिता का हवाला देकर निरर्थक कला का अन्धानुकरण करना उचित है? ''कैनवास पर सृजन की संभावनाएँ क्या खत्म हो गई हैं? क्या कैनवास पर अब वह नहीं खोजा जा सकता, जो कालातीत हो जाये? या मूर्तिशिल्प एवं अन्य चाक्षुष कला के परम्परागत माध्यमों की शक्ति क्या नकारात्मक हो गई है? यदि ऐसा नहीं है तो हम यह मानकर चलें कि हर कला में सृजन के नाम पर कुछ अनावश्यक भी रचा गया है और इस प्रकार का प्रयोग साहित्य और संगीत में भी हुआ है।''[1] प्रख्यात कलाकार अनिल करंजयी ने अपनी प्रयोगधर्मिता द्वारा ऐसे चित्रों का सृजन किया जिनमें वह चिन्तनीय विषयों पर दर्शक का ध्यान केन्द्रित करते हैं। जहाँ दृश्य चित्रों के द्वारा वह पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, वहीं अपने संयोजनों में उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में अनिल करंजयी द्वारा प्रयुक्त विविध प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा रहा है।

## अनिल करंजयी द्वारा प्रयुक्त नवीन प्रवृत्तियाँ

भारतीय चित्रकला के समकालीन परिक्षेत्र में असंख्य ऐसे कलाकारों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने नवीन प्रवृत्तियों से कला परिक्षेत्र में अतिरंजित करने वाले प्रयोग किए; जिनसे उन्हें एक पृथक और अद्वितीय कलाकार के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। एक ऐसे ही कलाकार हैं अनिल करंजयी। 1940 ई. में पूर्वी बंगाल के रंगपुर में जन्मे अनिल करंजयी की प्रारम्भिक शिक्षा बनारस में हुयी जहाँ उन्होंने लघु चित्रों का अध्ययन किया। साथ ही बनारस पॉलिटेक्निक से उन्होंने मूर्तिकला की भी शिक्षा ग्रहण की। इन दोनों ही विशेषताओं को उन्होंने अपनी कला में एक विलक्षण रूप में संदर्भित किया। एक विद्यार्थी के रूप में हो या फिर एक कलाकार के रूप में उन्होंने कभी किसी बन्धन को स्वीकार न कर मात्र अतीन्द्रिय सुख के लिए कलाकृतियों का सृजन किया। एक सच्चे, कर्मठ, निश्चल और निर्मल हृदय के व्यक्तित्व की झलक उनकी कलाकृतियों में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। समाज के अप्रिय सत्य का उद्घाटन कर उन्होंने कुशासन पर तीव्र व्यंग्य किया है। इसके अतिरिक्त उनके दृश्य चित्र एक अनकही सुगबुगाहट दर्शक के समक्ष उपस्थित कर अतिमानवीय वातावरण का सृजन करते हैं।

'स्टैप्स इन ए गार्डन', 'बॉर रॉक– I', 'अर्थ मदर– I', 'द वॉच टॉवर', 'एन्शिएन्ट रोड', 'द एन्लाइटेण्ड पाथ', 'द थिंकर–2', 'द फिलॉसफर', 'द हीलर', 'मूनलिट पाथ', 'डोर ऑफ कुसमा', 'मेफिस्टो', 'पाथवे एण्ड हट', 'द फाउण्डेशन', 'ओल्ड किंग', 'ओल्ड गेटवे', 'स्टैप्स इन द विल्डरनेस', 'फिगर्स इन स्टोन', 'मेमोरियल टू बिल्डर्स' इत्यादि दृश्य चित्रों में मानवाकृति का अभाव है परन्तु इस मानवाकृति की शून्यता या रिक्तता की पृष्ठभूमि में असंख्य रहस्यों का दिग्भ्रमित संसार समाया हुआ है। उनके चित्रों में टूटे–फूटे रास्ते, शून्य में जाते गन्तव्य स्थान मानवजाति के जीवन चक्र के प्रतीक हैं, जन्म और मृत्यु के मध्य चलने वाला अनवरत क्रम है जिसे मनुष्य उचित कर्मों को करते हुए भोगता है। इसके अतिरिक्त 'एन्शिएन्ट रोड', 'मूनलिट पाथ' (चित्र सं.–01) जैसे चित्रों में अंकित सड़क प्रतीक है लोगों का; उन लोगों का जो उसपर अपनी दिशा निर्धारित करेंगे। बेहद गूढ़ अर्थ में उपरोक्त चित्रों में मानव की उपस्थिति का भान होता है। अतः यह कहना कि उनके चित्र मानवाकृतियों से रिक्त हैं; सर्वथा निरर्थक है।

अनिल करंजयी के चित्रों का अवलोकन करते हुए दर्शक स्वयं को चित्र के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में पाता है। 'स्टैप्स इन ए गार्डन' चित्र में पेड़–पौधों से आच्छादित अन्तराल, पृष्ठभूमि में दिखता प्रकाश एक अनकही सुगबुगाहट उत्पन्न करता है। जैसे पेड़ आपस में किसी शड़यंत्र की भूमिका रच रहे हों। सर्वत्र फैले सन्नाटे में भी विचित्र शोर है; जो वहाँ किसी पदार्थ की उपस्थिति का साक्षात् प्रमाण है, वे स्वयं दर्शक हैं या कोई अन्य; यह सुनिश्चित करना भी स्वयं दर्शकों का कार्य है। फिर वह 'मानसून सीरीज़' रचकर इस सम्पूर्ण घटनाक्रम को जोड़कर जैसे एक चलचित्र का सृजन कर देते हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति के सौम्य और प्रलयंकारी दोनों रूपों का प्रभावशाली चित्रण किया है।

अनिल करंजयी ने मूर्तिकला की शिक्षा भी ग्रहण की परन्तु स्वतन्त्र रूप से कभी मूर्तियों का सृजन नहीं किया। उनके चित्रों में अंकित पहाड़, पत्थर, चट्टानों और शिलाखण्डों में उत्कीर्ण आकृतियों में मूर्तिकला के अवशेष स्पष्ट दृष्टव्य हैं। 'द थिंकर–2' (चित्र सं.–02), 'द फिलॉसफर', 'द हीलर', 'ओल्ड किंग' नामक चित्र इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रस्तरों में मानवाकृतियों के सृजन की पृष्ठभूमि में उनके गूढ़ विचार निहित हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार प्रस्तर विकटतम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण कर अपने स्वभाव को नहीं खोता, ठीक उसी प्रकार मानव को भी त्रास, पीड़ा और दुर्दिनों में अपने मनोबल का परित्याग नहीं करना चाहिए। अनिल करंजयी ने चट्टानों, पत्थरों इत्यादि को गहरे भूरे या भूरे रंग की विभिन्न रंगतों में दर्शाया है जो भारत में जन्मे मनुष्य की त्वचा के समान भूरे रंग की है। वह भारत, उसके नागरिक, उनकी भारतीयता, उनके संघर्षों और उन संघर्षों से बाहर आने के प्रतीक हैं। इसलिए वह उसी रूप और रंग में चित्रित हैं जिसमें वह भारत के लोगों के निकट पहुँच सकें। इस प्रकार मनुष्य और पत्थर के मध्य की संवेदना को उन्होंने इस समतुल्यता के साथ दर्शाया है। समय और समाज के बदलते घटनाचक्रों या समाज की बदलती परिस्थितियों ने उनकी

मनःस्थिति में भी परिवर्तन किया। जहाँ पहले उनकी पोत में गहरे भूरे (burnt umber) व गहरे नारंगी (orangish brown) रंग का प्रयोग होता था, वहीं उनका स्थान अब पीले, नारंगी और हल्के रंगों ने ले लिया।

कुछ कलाकृतियों में सुदूर पहाड़ियों पर एकाश्म प्रस्तर खण्ड पड़ा है जो सुशुप्तावस्था में लेटे पशु के समतुल्य है। 'बॉर रॉक–।' व 'अर्थ मदर–।' इसी प्रकार के चित्रों के उदाहरण हैं। इसके उपरान्त के दशकों में यह बिखराव को दर्शाते हैं जो दीवारों और टूटे–फूटे रास्तों, पुरानी नींव और खण्डहर के रूप में हैं। 'द फाउन्डेशन' व 'द डान्स फ्लोर' इसी प्रकार के चित्रों के उदाहरण हैं।

हरा रंग उनका सर्वाधिक प्रिय रंग है। उनके दृश्य चित्रों में हरे रंग की प्रत्येक छटा मनोहारी है। (चित्र सं.–03) वह अपनी डॉक्यूमेन्ट्री 'नेचर ऑफ आर्ट' में वह कहते हैं–

*"My green are my greens, they aren't just tube colours."*

अनिल करंजयी अपने चित्रों पर अजन्ता, एलोरा का प्रभाव मानते हैं। जिस प्रकार गुफा मन्दिरों की भित्तियों पर तूलिका आघातों या कृत्रिम पोत का कोई प्रभाव नहीं है ठीक उसी प्रकार अनिल करंजयी ने अपने चित्रों में सपाट धरातल का प्रयोग किया है। परन्तु पेस्टल रंगों के प्रयोग के कारण कहीं–कहीं त्रिआयामी प्रभाव से चित्रों में पोत का भिन्न प्रभाव दिखाई देता है। बाद के वर्षों में पेस्टल रंगों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और उन रंगों के साथ उन्होंने आश्चर्यजनक प्रयोग किए। सॉफ्ट और ऑयल पेस्टल दोनों के प्रयोग के साथ उन्होंने मिश्रित माध्यम में भी कलाकृतियों का सृजन किया। इसके अतिरिक्त जल रंग के पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों माध्यमों के साथ तेल रंगों में भी उन्होंने असंख्य कलाकृतियों का सृजन किया। तेल रंगों की गहरी तानों के साथ हल्की तानों के मिश्रित प्रयोग से एक भिन्न चमकीली रंग संगति का प्रभाव उनके चित्रों की विशेषता है जो सहृदय को आनन्दातिरेक की अवस्था में पहुँचा देती है। इसके अतिरिक्त दृश्य चित्रों में पृष्ठभूमि से आती प्रकाश की रहस्यमयी आभा उनकी कला की हस्ताक्षर है। (चित्र सं.–04)

अनिल करंजयी ने भारतीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए चित्रों में रंगों का प्रयोग किया जिससे वातावरणीय प्रभाव से रंग और कैनवास को कोई क्षति न पहुँचे।

वह अपने चित्रों को 'मैजिक रियलिज्म' या 'जादूमय यथार्थ' कहते हैं। जिसमें कलाकार यथार्थ और कल्पना के मध्य की रेखा को धुंधला कर एक जादूमय संसार की सृष्टि करता है जिसमें दर्शक आत्मविस्मृत सा कलाकृति की रसात्मक काव्यधारा में बहता चला जाता है। वह स्वयं कहते हैं– *"My paintings are a dream, a dream of nature. That's why my work can be called magical realism."*

'जादूमय यथार्थ' और 'अतियथार्थवाद' दोनों में काल्पनिक और मनः संचालित रूपाकारों का सृजन लोक है; परन्तु दोनों के मध्य एक सूक्ष्म रेखा है जो उनके मध्य अन्तर को स्पष्ट करती है। 'जादूमय यथार्थ' में यथार्थ जगत में ही ऐसे तत्वों का अंकन किया जाता है जो विचित्र इन्द्रजाल की सृष्टि कर दर्शक को अचम्भित कर देता है। यह विशेषता उनके दृश्य चित्रों के सन्दर्भ में अधिक सार्थक सिद्ध होती है।

## अनिल करंजयी के चित्रों में अतियथार्थवाद

काल्पनिक और स्वप्निल दुनिया में अतियथार्थवादी कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय परम्पराओं का परित्याग कर ऐसे रूपाकारों का सृजन किया जो यथार्थ से परे कल्पना लोक की दुनिया के प्राणी हैं। उनकी विचारधारा में अन्तर्मन में घटित विभिन्न अवस्थाएँ ही कलाकृति के निर्माण के विषय क्षेत्र हैं। अतियथार्थवादी कलाकारों ने कलाकृति के सौन्दर्यात्मक गुणों को त्यागकर मानसिक आवेगों और स्वयंचालित क्रियाओं से प्रभावित होकर चित्र निर्मित किए। अनिल करंजयी की कला में अतियथार्थवादी कला शैली की विशेषताओं से समानता परिलक्षित होती है जिसके कारण आकृतियों में विचित्र भयावाहपन, अनावश्यक खिचाव, काल्पनिक और स्वप्निल रूपों का समावेश हुआ है। मानवाकृतियों के चेहरे बादलों एवं इमारतों के रूप में चित्रित किये गये जिसके द्वारा उन्होंने निर्जीव पदार्थ पर सजीवता का अंकन किया। अतियथार्थवादी कला में कलाकृति के बाह्य रूप को तिलांजलि देकर आन्तरिक द्वन्द या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अंकन महत्वपूर्ण है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने 'एसिड हेड' (चित्र सं.–05), 'द मैनडेट', 'सटायर हैज मैनी फेसेज़' जैसे असंख्य चित्रों का सृजन किया।

अब उनके चित्रों में लहरदार रेखाओं का प्रयोग आरम्भ हुआ, जहाँ उन्होंने घुमावदार रेखाओं का द्वारा जीवन्त तैरती हुयी आकृतियों का निर्माण शुरू किया जो काल्पनिक सर्पिल पृष्ठभूमि में घुलती हुयी आकृतियों के समान लगती हैं। 'नेपाल सीरीज़' (चित्र सं.–06) में चित्रित आकृतियों में इसी प्रकार लहरदार आकृतियों का अंकन है जो उनकी मानसिक उद्वेलना को व्यक्त करती हैं।

## निष्कर्ष

अनिल करंजयी ने सर्वथा नवीन कला प्रवृत्तियों के प्रयोग से कला क्षेत्र में अपना स्थान निर्धारित किया है। उन्होंने कलाकृति के सृजन में किसी बंधन को स्वीकार किए बिना समकालीन कला में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1972 में प्राप्त किया। कला क्षेत्र में ऐसे प्रयोगधर्मियों की महती आवश्यकता है जिन्होंने मात्र सृजन के नाम पर कुछ भी अनर्गल नहीं रचा। शोध पत्र के प्रारम्भ में उठाए प्रश्न अभी भी विचारणीय हैं। अद्यतन कलाओं का सृजन कला बाजार को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिससे सृजन की सम्भावनाएँ समाप्त होती जा रही हैं और निश्चित ही यह कला क्षेत्र के लिए चुनौती है। कलाकार को इस

प्रवृत्ति से स्वयं को पृथक कर कला साधना करनी चाहिए। 'बाजार के प्रभाव से कला में विकृति आ रही है, उसकी निर्मिति, विन्यास, भाव और संवेदना में विकृति आ रही है। बाजार में बिक्री की झोंक में कलाकार तात्कालिकता को प्रश्रय देने लगा है, वह माँग के अनुरूप काम करने पर उतारू है।[2]

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा अपने शोध के विषय के द्वारा कलाकार अनिल करंजयी के प्रयोगधर्मी पक्ष को उठाया है। आशा है कि हम सहृदय अनिल करंजयी के कलाकर्म को गम्भीरता से जान और समझ पाएंगे एवं कला में नवीन प्रवृत्तियों की अन्ध दौड़ में शामिल न होकर उसके मर्म को आत्मसात् करने का प्रयास करेंगे।

## संदर्भ

1. (2020, अक्टूबर). कला में विचार तत्त्व. समकालीन कला, अंक 51, 18–21.
2. (2008, मार्च–जून). कला में प्रयोगधर्मिता. समकालीन कला, अंक 28, 6–7.
3. Reynolds, J. (Ed.). (2018). Roads across the Earth; On the Life, Times and Art of Anil Karanjai. Three Essays Collective

## चित्र सूची

| चित्र सं. | कलाकार का नाम | शीर्षक | वर्ष | माध्यम | स्त्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनिल करंजयी | 'मूनलिट पाथ' | 1896 | अज्ञात | पुस्तक–रोड्स अक्रॉस द अर्थ |
| 2 | अनिल करंजयी | 'द थिंकर–2' | 2000 | अज्ञात | पुस्तक–रोड्स अक्रॉस द अर्थ |
| 3 | अनिल करंजयी | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात |
| 4 | अनिल करंजयी | अज्ञात | 1997 | पेस्टल ऑन पेपर | अज्ञात |
| 5 | अनिल करंजयी | 'द थिंकर या एसिड हेड' | 1969 | तेल | स्व. अशोक बत्रा |
| 6 | अनिल करंजयी | 'नेपाल सीरीज़' | 1997 | एक्रेलिक | कुमार आर्ट गैलरी, नई दिल्ली |

## चित्र संग्रह

चित्र सं.–01

चित्र सं.–02

चित्र सं.–03

चित्र सं.–04

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

चित्र सं.–05

चित्र सं.–06

31

# भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता (वर्तमान खुदरा क्षेत्र के संदर्भ में)

**डॉ० कृष्णा भारती**
असिस्टैंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल

**भूपेन्द्र सिंह पंचपाल**
असिस्टैंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
काशीपुर, ऊधम सिंह नगर

***सारांश***

*भारत की वर्तमान सियासत ने अपने सबसे बड़े कारोबार को विदेशी पूंजी के लिये ऐसे अनोखे अंदाज में खोला है कि अब बाजार के भीतर नए बाजार खुलने वाले हैं। विदेशी पूंजी के बड़े फैसले अब राज्यों की राजधानियों में होंगें, जहाँ वालमार्ट, टेस्को, कार्फूर जैसे ग्लोबल रिटेल दिग्गज नीतियों को 'प्रभावित' करने की अपनी क्षमता का इम्तिहान देंगे। सौदों का दूसरा बाजार खुद देशी रिटेल उद्योग होने वाला है और लगभग 1150 अरब रू. के देशी संगठित रिटेल उद्योग में कम्पनियों व ब्रांडों की मंडी लगने वाली है जिसमें ग्लोबल रिटेलर कंपनिया ग्राहक होंगी। भारत वर्ष का दैत्याकार खुदरा बाजार आज क्रान्तिपथ की ओर अग्रसर हो रहा है। करीब 50 करोड़ वाले 'मध्यमवर्गीय' वर्ग के उपभोक्ता व्यवहार और उसकी क्रय अभिवृत्तियों में आने वाले परिवर्तन पर देशी–विदेशी उद्यमियों में भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने की होड़ सी लगी हुई है।*

***मुख्य शब्द***

*प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खुदरा बाजार, अन्तर्प्रवाह, विनिर्माण क्षेत्र, विनियोग, एकल ब्रांड, बहु–ब्रांड खुदरा बाजार, पोर्ट फोलियो विनियोग।*

## प्रस्तावना

विश्व में सर्वप्रथम 1922 में अमेरिका के कंसास शहर में कन्ट्री क्लब प्लाजा नामक शापिंग मॉल की स्थापना की गयी थी, तत्पश्चात् विशाल शापिंग मॉल्स (मेगामाल्स) का शुभारंभ हुआ। 1981 में कनाडा के अलबर्टा प्रान्त में 800 से अधिक दुकानों वाला शापिंग मॉल द वेस्ट एडॉन्टन मॉल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें करीब 450 फीट लम्बी झील के साथ–साथ वाटर पार्क, चिड़िया घर, गोल्फ–कोर्ट, होटल व अन्य मनोरंजन व संचार सुविधायें उपलब्ध थीं। इसके बाद अमेरिका, यूरोप, भारत व अनेक राष्ट्रों में मेगा मॉल्स की संख्या बढ़ी। सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात जैसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तो बहुत कुछ शापिंग मॉल पर ही निर्भर है। भारत में सन् 1960 में 'अपना बाजार' के नाम से मुम्बई में सबसे पहला शापिंग मॉल स्थापित हुआ। आज भारत में करीब 100 बड़े शापिंग मॉल हैं। इनमें से दिल्ली और मुम्बई में सर्वाधिक हैं। भारत का सबसे बड़ा शापिंग मॉल 'एम्बी' गुड़गांव में विकसित किया गया है। 32 लाख वर्गफीट क्षेत्र में फैले इस मेगा मॉल को दक्षिण–पूर्वी एशिया के मेगा मॉल से भी बड़ा मॉल माना गया है।

## भारतीय खुदरा बाजार का स्वरूप एवं संभावनायें

भारत वर्ष का दैत्याकार खुदरा बाजार आज क्रान्तिपथ की ओर अग्रसर हो रहा है। करीब 50 करोड़ वाले 'मध्यमवर्गीय' वर्ग के उपभोक्ता व्यवहार और उसकी क्रय अभिवृत्तियों में आने वाले परिवर्तन पर देशी–विदेशी उद्यमियों में भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने की होड़ सी लगी हुई है। यही कारण है कि मध्यम आकार वाले शहरों में भी बड़े पैमाने पर शापिंग मॉल, शापिंग प्लाजा,

डिपार्टमेन्टल स्टोर्स आदि की स्थापना हो चुकी है। 'ए. टी. किर्यन' नामक वैश्विक सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तुत 'रिटेल डेवलपमेंन्ट इन्डेक्स' के अनुसार विश्व के 30 बड़े खुदरा बाजारों में भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है। हमारे देश में खुदरा बाजार का केवल 8 प्रतिशत कारोबार संगठित क्षेत्र में किया जाता है जो अब 15 से 20 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है। देश के जी. डी. पी. में करीब 14 प्रतिशत योगदान देने वाले एक करोड़ छोटे बड़े रिटेल आउटलेट्स से करीब 4 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है।

## अध्ययन विधि एवं उद्देश्य

वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में उक्त विषय पर एक समग्र अध्ययन की आवश्यकता है। अतः समग्र अध्ययन के लिये द्वितीयक संमकों को आधार बनाया गया है, साथ ही चिंतन एवं चिन्ता का विषय होने के कारण दैनिक समाचार पत्रों, टी.वी. न्यूज़ तथा विभिन्न आर्थिक पत्र पत्रिकाओं की न्यूज़ पर विशेष ध्यान दिया गया है।

## भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्तर्प्रवाह

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वरूप 2011 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुरूप बदल चुका है। रिज़र्व बैंक के अनुसार, इसका कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों की सतत् मज़बूती थी जिससे वित्तीय, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रों में अन्तर्प्रवाहों में वृद्धि हुई।

## संगठित क्षेत्र के रिटेल प्लेयर्स

भारतीय खुदरा बाजार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पुरानी कम्पनी 'डाबर कम्पनी' है जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। संगठित क्षेत्र में इसका स्थान चौथा है। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड भी वस्तु विनिर्माण के क्षेत्र में 100 साल से भी पुरानी कम्पनी है। इसके अलावा 'गोदरेज कम्पनी' के साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से एंकर, निरमा, घड़ी, चिक आदि मध्यमाकार वाली कम्पनियां बड़ी हो चुकी हैं। इकॉनोमिक्स इंटेलिजेंस जैसे यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में फिलहाल 53 लाख किराने की दुकान हैं।

हाल ही में 'रिलायन्स इण्डस्ट्रीज़' द्वारा 25,000 करोड़ रू. के निवेश के साथ 1500 शहरों में अपने रिटेल आउटलेट्स खोलने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त टाटा, डी. सी. एम. रहेजा, भारती, डी. एल. एफ. पेन्टालून, शॉपर्स स्टाप, लाइफ स्टाल, फूड वर्ल्ड, नीलगिरीज, एबोनी, क्रॉसवर्ड, वालमार्ट आदि के साथ ही फ्रेंचायजी के माध्यम से खुदरा बाजार में प्रवेश करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में मैकडोनाल्ड, पिज्जाहट, डोमिनोस, ली, एडिडास नाइके, लेवाइस आदि भी शामिल हैं।

**संगठित खुदरा बाज़ार – 2021 (मदवार खर्च की गई धनराशि)**

| क्रम संख्या | मदें | राशि करोड़ रू. | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | क्लोदिंग एण्ड एसेसरीज | 21450 | 39 |
| 2 | खाद्य एवं किराना | 6050 | 11 |
| 3 | बुक्स, म्युज़िक व गिफ्ट्स | 1650 | 3 |
| 4 | मनोरंजन | 1650 | 3 |
| 5 | कैटरिंग | 3850 | 7 |
| 6 | फिनिश्ड फर्नीचर | 3850 | 7 |
| 7 | मोबाइल फोन व एसेसरीज़ व सर्विसेज | 1650 | 3 |
| 8 | कन्ज्यूमर इलैक्ट्रॉनिक्स | 4950 | 9 |
| 9 | फुटवियर | 4950 | 9 |
| 10 | चूड़ियाँ और ज्वैलरी | 3300 | 6 |
| 11 | हैल्थ, ब्यूटी आदि | 550 | 1 |
| 12 | अन्य दैनिक खुदरा मदें | 1100 | 2 |
| | **कुल** | **55000** | **100** |

**स्रोत** – इंडियन रिटेल रिपोर्ट 2021 (भारत सरकार द्वारा जारी)

## भारत की एक तस्वीर यह भी है

1. भारत के खुदरा कारोबार में 61 फीसदी हिस्सा खाद्य उत्पादों (अनाज, दाल, फल, सब्ज़ी, दूध, चाय, कॉफी, मसाले आदि) का है जो करीब 11000 अरब रू. बैठता है। इस कारोबार पर असंगठित क्षेत्र का राज है।
2. असंगठित क्षेत्र की दुकानें उपभोक्ताओं के घर से औसतन 280 मीटर की दूरी पर स्थित होती हैं जबकि संगठित क्षेत्र की दुकानों की दूरी औसतन डेढ़ किमी. तक होती है।

3. उपभोक्ताओं की टॉपअप खरीद (फुटकर ग्रासरी) और मासिक खरीद संगठित रिटेलर्स के पास पहुँच रही है। शहरीकरण एवं विकास के चलते परम्परागत, सिकुड़ते, भीड़ भरे एवं पुराने बाज़ारों और दुकानों के प्रति लोगों का रूझान कम हुआ है, अपने ही क्षेत्र से वस्तुयें खरीदने के कारण संगठित रिटेलर्स तत्काल वस्तुयें उपलब्ध करा रहे हैं।
4. भारत देश के 50 प्रतिशत में से उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों को छोड़ दें तो मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में वेतनभोगी एवं दैनिक मज़दूरों की प्रवृत्ति माह के अन्त में भुगतान की पाई जाती है। अतः उधारी की प्रवृत्ति के चलते रिटेल व्यवसाय में स्थानीय बाज़ारों का चलन विशेष महत्व रखता है।

भारत में खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के चलते–चलते खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अपार वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप खुदरा मुद्रा स्फीति की दर 9.75 फीसदी पहुंच चुकी है। खाद्य वस्तुओं में शक्कर, दालें, सब्ज़ियां, कपड़े आदि शामिल हैं। खुदरा मुद्रा स्फीति की दर अक्टूबर 2021 में 9.75 फीसदी, नवम्बर 2021 में 9.90 फीसदी और दिसम्बर 2021 में 10.50 फीसदी रही। वास्तव में लगातार तीसरे माह में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर लगातार तीसरी बार भी बढ़ी है।

## खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश की प्रासंगिकता (वर्तमान परिदृश्य 2020–21)

केन्द्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मल्टी ब्राण्ड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे 590 अरब डॉलर के खुदरा क्षेत्र में वॉलमार्ट, कार्फूर तथा टेस्को जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तो प्रवेश करेंगी ही। शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. को भी मंजूरी दी है इससे फूड, लाइफस्टाईल और स्पोर्ट्स क्षेत्र की कम्पनियाँ भी कारोबार का पूर्ण स्वामित्व ले सकेंगी।

## क्यों आवश्यक है रिटेल क्षेत्र में एफ. डी. आई.?

बहुब्राण्ड रिटेल में एफ.डी.आई की मंजूरी मिलने से पेंटालून, विशाल और प्रोवोग जैसी रिटेल कम्पनियों के शेयरों में तुरंत खासी तेज़ी आई। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पेंटालून का शेयर 12 प्रतिशत चढ़ा, वही विशाल रिटेल के शेयरों में 10 प्रतिशत, प्रोवोग और शॉपर्स स्टापर्स का शेयर क्रमशः 5.72 तथा 5.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ बन्द हुआ। इसके साथ ही टाटा समूह की कम्पनी ट्रेंट का शेयर 1.08 प्रतिशत की तेज़ी के साथ 976.45 रू. पर बन्द हुआ।

## अपार संभावनाओं पर नज़र

एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल खुदरा कारोबार, सालाना 350 से 400 अरब डॉलर का है और यहां कैश एण्ड कैरी के लिये 150 अरब डॉलर की संभावना है। कई विदेशी रिटेल चेन ने मल्टी ब्राण्ड रिटेल में सख्त नियमों को देखते हुए ही भारतीय बाज़ार में कदम रखने के लिये कैश एण्ड कैरी मॉडल को एक ज़रिया बनाया है।

अमेरिका की दिग्गज खुदरा कम्पनी वालमार्ट ने भारत में 2009 में पहला कैश एण्ड कैरी आउटलेट खोला था और इसके देशभर में 28 स्टोर हैं। भारती वालमार्ट के प्रवक्ता के अनुसार फिलहाल देशभर में हमारे 28 बी टू बी स्टोर के साथ 8 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं।

## भारतीय खुदरा बाज़ार में रोज़गार की संभावनायें

एफ.एम.सी.जी. और खुदरा व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में 20 लाख नये रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़गार के मौके संगठित क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगे। रिटेल क्रान्ति के आगाज़ के साथ अनेकानेक रोज़गार अवसरों के सृजित होने की संभावनायें निरंतर प्रबल होती जा रही है। पहले खुदरा बाज़ार में केवल 'विक्रयकर्ता' के रूप में ही रोज़गार सुलभ हो पाता था, लेकिन आज रिटेल सेक्टर को एडवरटाइज़िंग, कस्टमर डीलिंग, एकाउन्टिंग डिज़ाइनिंग, विज़ुअल मार्केटिंग, निगोशिएटिंग, मैनेजिंग, टेक्नोलोजी, ट्रेनिंग, मानव संसाधन विकास, रियल स्टेट, बाइंग उपभोक्ता व्यवहार, विपणन सम्मिश्रण आदि घटकों से जोड़ा जा रहा है।

रिटेल सेक्टर में पाया गया है कि फ्रेश स्नातक को 1 से 2 लाख रू. वार्षिक और पूर्ण योग्यता रखने वाले को 4 से 5 लाख वार्षिक वेतन के पैकेज दिये जा रहे हैं। तत्पश्चात् एडवरटाइज़िंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने के साथ–साथ पारिश्रमिक पैकेज भी बढ़ता जाता है। कई कम्पनियां तो वेतन और कमीशन पद्धति को साथ–साथ प्रयुक्त करती हैं।

## रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुछ मिथक

1. बहुराष्ट्रीय रिटेल कम्पनियाँ सिर्फ इसलिये भारत में दौड़ी नहीं आयेंगी कि सरकार ने मल्टी ब्राण्ड में उन्हें निवेश की इजाज़त दे दी है।
2. भारत खाद्य महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। ये खाद्य पदार्थ आयात नहीं होते है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही खरीदे बेचे जाते हैं जिसकी सप्लाई करीब 30 प्रतिशत है।

3. विदेशी रिटेलर्स दावा करते हैं कि वे स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे और भारतीय निर्माताओं को फायदा होगा। यदि यह सच है तो वालमार्ट के ग्लोबल ऑपरेशन से अमेरिकी निर्माताओं को फायदा क्यों नहीं हुआ।
4. विदेशी रिटेल बिजनेस मॉडल बड़े रिटेल स्टोर फार्मेट पर आधारित हैं। ये अमीरी और तेल पर निर्भरता वाली जीवनशैली को बढ़ावा देता है, जीने और शापिंग करने का यह अमेरिकी अंदाज़ है, भारतीय नहीं।
5. भारत में मौजूदा रिटेल कारोबार 23 लाख करोड़ रू. से ज्यादा का है और पिछले कुछ सालों से लगातार 10 से 15 प्रतिशत की ग्रोथ देखी जा रही है।
6. भारत में दुकानदारों के अलावा भी करोड़ों लोग रिटेल में कारोबार में बिचौलियों का काम करते है। मुम्बई का एक अध्ययन बताता है कि बड़े मॉल्स खुलने की वजह से आस–पास की दुकानें बन्द हो चुकी हैं। यह जानना ज़रूरी है।
7. खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश यदि इतनी अच्छी चीज है तो फिर पूरी दुनिया में इसका विरोध क्यों हो रहा है, और इसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तक सीमित क्यों किया गया है। पूरा देश में लागू क्यों नहीं किया गया?

## निष्कर्ष

वास्तव में रिटेल में एफ.डी.आई. के मुद्दे पर देशव्यापी विचार–विमर्श होना चाहिये था। लेकिन जैसी संभावना दिखाई दे रही थी, आखिर वही हुआ। एफ.डी.आई. पर राज्यों के रूख से सरकार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई, सरकार नीतिगत मामलों पर कोई फैसला न ले पाने के आरोपों का सामना करती रही। इससे पहले जी.एस.टी. के मामले में भी राज्य व केन्द्र सरकार का तालमेल नहीं बैठा था। मल्टीब्राण्ड रिटेल में राज्यों के पक्ष को देखकर लगता है कि कई राज्यों में विदेशी रिटेल चेन तभी आयेगी जब उसे आश्वस्त करने वाला माहौल मिलेगा।

रिटेल के ताज़ा राजनीतिक नक्शे से बड़े राज्य नदारद हैं जिनके दायरे में दस लाख की आबादी वाले ज्यादातर शहर आते हैं। उत्तर प्रदेश के 07, केरल के 07, मध्य प्रदेश के 04, गुजरात के 04 और तमिलनाडु के 04 शहरों अर्थात् कोलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, इन्दौर, भोपाल आदि के बिना ग्लोबल रिटेल की दुकानें नहीं जमेंगी। खुदरा कारोबार बहुत भारी और लम्बे निवेश का धंधा है इसलिये कुछ ही कम्पनियां पूरी दुनिया पर राज कर पाती हैं।

## संदर्भ

1. मिश्र., पुरी. पुस्तक– भारतीय अर्थशास्त्र।
2. प्रतियोगिता दर्पण. विभिन्न अंक।
3. माईहाइरिंग क्लब द्वारी जारी नेट सर्च की रिपोर्ट।
4. अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2021 के समस्त दैनिक अखबारों की सुर्खियाँ आदि।
5. विभिन्न टीवी न्यूज चैनलों की चर्चायें।
6. रेटिंग एजेन्सी मुडीज की 2020 संबंधी रिपोर्ट।
7. (2021). भारतीय रिज़र्व बैंक की महंगाई समीक्षा रिपोर्ट।

32

# प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका प्रभाव

**डॉ० योगेन्द्र पाल सिंह सोलंकी**
एसोसिऐट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएण्टल फिलॉसफी, वृन्दावन (मथुरा)

**प्रोफेसर (डॉ०) सुलेखा जादौन**
प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
किशोरी रमण पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मथुरा

**डॉ० निधि सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएण्टल फिलॉसफी, वृन्दावन (मथुरा)

***सारांश***

*आपदा वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक अल्प अथवा दीर्घ अवधि में मनुष्यों, सम्पत्ति, संरचना और पर्यावरण को होने वाली क्षति तात्कालिक रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति की सीमा से बाहर होती है। आपदाएं प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की होती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में हम केवल प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति, उनके परिणाम तथा उनसे होने वाली क्षति को न्यूनतम रखे जाने के उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के नेपथ्य में प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप भी कहीं न कहीं उत्तरदायी दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि इन आपदाओं को रोकना पूर्णतया संभव नहीं है। इस स्थिति में यही ध्येय होना चाहिए कि क्षति को न्यूनतम रखा जा सके। सतत निगरानी, किसी भी भू–भाग में संभावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संरचनात्मक ढाँचों, इमारतों, भवनों का निर्माण, तकनीक का प्रयोग, प्रभावशाली पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रयोग, जनसंख्या के अधिकांश भाग को आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण देकर और वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त होने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसिज) को अपना कर आपदाओं के दुष्प्रभाव और क्षति को न्यूनतम रखा जा सकता है।*

***मुख्य शब्द***

*निक्षेपण, जलजनित, पंक प्रवाह, पी0टी0एस0डी0, संरचनात्मक ढाँचा, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, हाइपोथर्मिया।*

आपदा शब्द के साहित्य में दिए गये अर्थ भिन्न–भिन्न सन्दर्भों में अलग अलग हैं। कहीं पर आपदा को पैरों से सम्बद्ध[1] तथा कहीं पर विपत्तियों के सन्दर्भ में प्रयुक्त होते हुए देखा जा सकता है।[2] अधिकांश स्रोतों में आपदा को द्वितीय अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। आपदा का अंग्रेजी रूपान्तर शब्द डिजास्टर है। यह एक फ्रेंच शब्द 'डेशास्तरे' से निसृत है जिसका ग्रीक में तात्पर्य बुरा तारा (बैड स्टार) होता है। खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहों की उस स्थिति को अभिव्यक्त करता है जो विविध प्रकार की विपत्तियों को जन्म देती है। पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात होता है कि आपदा वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक अल्प अथवा दीर्घ अवधि में मनुष्यों, सम्पत्ति, संरचना और पर्यावरण को होने वाली क्षति तात्कालिक रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति की सीमा से बाहर होती है। आपदाएं प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की होती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में हम केवल प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति, उनके परिणाम तथा उनसे होने वाली क्षति को न्यूनतम रखे जाने के उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, गर्मी (हीट वेव), तूफान (हरीकेन), भूस्खलन, बिजली गिरना, सुनामी, जंगल की आग (दावानल) आदि प्रमुख हैं। विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित है–

## ज्वालामुखी विस्फोट

ज्वालामुखी विस्फोट एक प्राकृतिक घटना है जिसका पर्यावरण और मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। जब मैग्मा, राख और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकल कर वातावरण में मिलते हैं तो पर्यावरण, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य

पर तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों के महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक पर्यावरण में उन गैसों का मिल जाना है जो ज्वालामुखी के मुहाने से निकलने वाले पदार्थों से निकलती हैं। इन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि प्रमुख हैं जो अम्ल वर्षा का कारण बन सकती हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण हो सकता है, और जलवायु में भी परिवर्तन हो सकता है। गैसों से मनुष्यों और जानवरों के लिए श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं और मृत्यु भी हो सकती है।

ज्वालामुखी विस्फोट का एक और कुप्रभाव ज्वालामुखीय राख का वायुमंडल में मिल जाना है। यह व्यापक क्षेत्र में फैल कर दीर्घकाल तक वातावरण में रह सकती है। भूमि पर निक्षेपण से यह फसलों और इमारतों को हानि पहुंचा सकती है तथा मनुष्यों और जानवरों के लिए श्वसन सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न कर सकती है। भौतिक क्षति के अतिरिक्त परिवहन और कृषि को बाधित कर यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट पंक प्रवाह (मड फ्लो) और भूस्खलन का कारण बन सकते हैं। पंक प्रवाह तब होता है जब ज्वालामुखीय राख पानी के साथ मिल जाती है, जिससे एक मोटा गारा प्रभृति चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो पर्वतों और घाटियों के माध्यम से विचरण कर शहरों और गांवों को आच्छादित कर सकता है और सड़कों और पुलों जैसे संरचनात्मक ढांचे को भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकता है। मैग्मा और अन्य ज्वालामुखी सामग्री के निकलने के कारण अस्थिर हुई भूमि भूस्खलन को जन्म दे सकती है।

ज्वालामुखीय विस्फोटों का एक और खतरनाक प्रभाव पायरोक्लास्टिक प्रवाह है। ये प्रवाह गर्म गैस और राख की तेज गति वाली धाराएँ हैं जो ज्वालामुखी के किनारे 450 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती हैं। पायरोक्लास्टिक प्रवाह गंभीर जलन, घुटन और अन्य जानलेवा चोटें पैदा कर सकता है, जिससे वे ज्वालामुखी विस्फोट के सबसे खतरनाक प्रभावों में से एक बन जाते हैं। कतिपय प्रकरणों में प्रारंभिक घटना के वर्षों या दशकों के पश्चात् भी ज्वालामुखी विस्फोट के दुष्प्रभाव अनुभव किए जा सकते हैं। इसके द्वारा छोड़े गए विषैले पदार्थ पौधों और पशु जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल कर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का लगभग पाँचवां भाग ज्वालामुखी विस्फोट है। इसकी तीव्रता को मापने के लिए ज्वालामुखीय विस्फोटक सूचकांक (वी.ई.आई – वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इन्डेक्स) का उपयोग किया जाता है। वी.ई.आई. 1 से 8 तक ज्वालामुखीय विस्फोटों को मापता है, जिसमें 1 लावा के हल्के प्रवाह और 8 विशाल विस्फोट को रेखांकित करता है। विस्फोट की भयावहता की दृष्टि से विश्व के कतिपय ज्वालामुखी विस्फोटों की सूची निम्नवत है–

**माउंट टैम्बोरा, इंडोनेशिया (वी.ई.आई.– 7 )**

तिथि– अप्रैल 1815 ई0

दुष्प्रभाव– लगभग 120000 लोगों की मृत्यु, सल्फर डाईऑक्साइड की अत्यधिक मात्राा के कारण वैश्विक तापमान में अत्यधिक गिरावट।

**क्राकाटोआ, इंडोनेशिया (वी.ई.आई.– 6)**

तिथि– 27 अगस्त 1883 ई0

दुष्प्रभाव– 30000 से अधिक लागों की जान गई।

**लकी, आइसलैंड (वी.ई.आई.– 6)**

वर्ष– 1738 ई0

दुष्प्रभाव– लगभग 8 माह तक विस्फोट होते रहे, विषाक्त गैसों से फसलें भी प्रभावित, 10,000 से अधिक व्यक्तियों की जान गई।

**माउंट पेली, कैरेबियन द्वीप (वी.ई.आई.– 4)**

वर्ष –8 मई 1902 ई0,

दुष्प्रभाव –28000 की आबादी वाले शहर सेंट पियरे में मात्र 2 लोग बचे।

**माउंट पिनातुबो, फिलीपींस (वी.ई.आई.– 6)**

वर्ष – 15 जून 1991 ई0

दुष्प्रभाव– 722 व्यक्तियों की मृत्यु, दो लाख बेघर, पाइरोक्लास्टिक प्रवाह ने बड़े पैमाने पर हिमस्खलन पैदा किया और लगभग 20 मिलियन टन सल्फर डाईऑक्साइड को समताप मंडल में फेंक दिया, जिससे वैश्विक तापमान गिर गया।

**माउंट वेसुवियस, इटली (वी.ई.आई.– 5)**

वर्ष– प्रमुखतया 24 अगस्त 1979 ई0

दुष्प्रभाव– अनेंकों बार विस्फोट, वेसुवियस ने उक्त तिथि को राख, मिट्टी और जहरीली गैसों का विस्फोट किया, जिससे पास के पोम्पेई और हरकुलेनियम के शहर पूरी तरह से दब गए। इस विस्फोट में 16,000 लोग मारे गए थे।

**सांता मारिया, ग्वाटेमाला (वी.ई.आई.– 6)**

वर्ष –25 अक्टूबर 1902

दुष्प्रभाव – विस्फोट में कम से कम 5000 लोग मारे गए। विस्फोट ने 28 किलोमीटर लंबे एक स्तंभ का निर्माण किया, जिसने 19 दिनों के दौरान 5.5 घन किलोमीटर पाइरोक्लास्टिक मलबे का उत्पादन किया। विस्फोट की राख से ग्वाटेमाला का आसमान कई दिनों तक काला रहा और यह कालापन सैन फ्रांसिस्को तक विस्तारित हो गया।

**बाढ़**

बाढ़ सबसे सामान्य प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिससे प्रति वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों में जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति और आर्थिक क्षति सम्मिलित हैं। बाढ़ सड़कों, पुलों, इमारतों और घरों सहित मूलभूत ढांचे को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाती है, परिणामतः हजारों लोगों का विस्थापन होता है। बाढ़ व्यवसायों को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिशीलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में या जहां लोग जल्दी से स्थान खाली (इवैक्युएट) करने में असमर्थ हैं वहाँ बाढ़ अत्यधिक घातक हो सकती है। बाढ़ के दौरान डूबने, करंट लगने और अन्य चोटों का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ से हैजा और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियाँ प्रसरित हो सकती हैं।

बाढ़ घरों, व्यवसायों और मूलभूत ढांचे सहित संपत्ति को भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकती है। क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत या बदलने की लागत बहुत अधिक होती है और सभी लोगों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसके अतिरिक्त, बाढ़ से पर्यावरण को दीर्घकालिक क्षति हो सकती है, जिसमें मिट्टी का क्षरण, वनस्पति की हानि और जल स्रोतों का प्रदूषण सम्मिलित है।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी बाढ़ का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग बाढ़ का अनुभव करते हैं, वे अभिघातजन्य तनाव विकार (पी.टी.एस.डी.– पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर), चिंता और अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। संपत्ति खोने का तनाव, विस्थापन, और भविष्य की अनिश्चितता मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है। मनुष्यों पर बाढ़ का प्रभाव केवल भौतिक और आर्थिक प्रभावों तक ही सीमित नहीं है। बाढ़ का सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी पर। उदाहरण के लिए, बाढ़ के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को चोट लगने और मृत्यु का अधिक खतरा हो सकता है। विकलांग लोगों को आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ वर्तमान सामाजिक असमानताओं, यथा आयगत और नस्लीय असमानताओं को बढ़ा सकती है।

**भूकंप**

पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण जमीन का अचानक होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, और उनके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। भूकंप के नकारात्मक प्रभावों को झटकों के रुकने के तुरंत बाद और लंबे समय तक अनुभव किया जा सकता है। भूकंपों के तात्कालिक नकारात्मक प्रभावों में से एक जीवन की हानि है। भूकंप से इमारतें और संरचनात्मक ढाँचे ढह सकते हैं। मलबे के गिरने, शीशे टूटने, या झटकों के कारण भी लोग घायल या सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, जहां भूकंप का सामना करने के लिए इमारतों का निर्माण नहीं किया जाता है, वहां मृत्यु का खतरा विशेष रूप से अधिक होता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस पर 1,2,3... संख्यायें अंकित रहती है। सामान्यतया 7 से अधिक संख्या वाला भूकम्प विनाशकारी होता है। प्रत्येक अगली संख्या का भूकम्प पिछली संख्या के भूकम्प से 31.7 गुनी अधिक ऊर्जा निष्कासित करता है।

जीवन के अतिरिक्त, भूकंप संपत्ति और संरचनात्मक ढांचे (इमारतों, पुलों, सड़कों आदि) को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं जिससे जीवन के लिए आवश्यक बिजली, पानी और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यथास्थिति प्राप्त करने की लागत भी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। भौतिक प्रभावों के अतिरिक्त, इसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव हो सकता है; विशेष रूप से समाज के शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर। उदाहरणार्थ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को चोट लगने और मृत्यु का अधिक खतरा हो सकता है। भूकंप के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भूकंपीय गतिविधि भूस्खलन, मिट्टी के द्रवीकरण और अन्य खतरों को प्रारंभ कर सकती है। भूकंप तटीय समुदायों के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न करने वाले सुनामी का कारण बन सकते हैं।

**हिमस्खलन**

जब बर्फ और चट्टान का एक बड़ा भाग अचानक पहाड़ से नीचे गिर जाता है तो वह हिमस्खलन कहलाता है। यह अपने मार्ग में आने वाले किसी व्यक्ति, जानवर अथवा बिल्डिंग आदि के लिए अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होता है।

हिमस्खलन के विभिन्न कारणों में मौसम की स्थिति, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली मानवीय गतिविधियाँ, भारी हिमपात, वर्षा और तापमान में होने वाले परिवर्तन एकल अथवा सामूहिक रूप से अपना योगदान कर सकते हैं। बर्फ की विशाल शक्ति मार्ग

में पड़ने वाले पेड़ों, इमारतों और अन्य संरचनाओं को धराशायी कर सकती है। हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को घुटन अथवा हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान असामान्य रूप से अचानक कम हो जाना) का सामना करना पड़ सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है। यहां तक कि जो लोग बच जाते हैं वे गंभीर चोट या आघात से प्रभावित हो सकते हैं।

हिमस्खलन के बाद बचाव के प्रयास भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बर्फ बचाव दल के लिए घटनास्थल तक पहुंचना दुष्कर हो सकता है, साथ ही अतिरिक्त हिमस्खलन की संभावना सदैव उन लोगों के लिए खतरा उत्पन्न करती रहती है जो सहायता करने का प्रयास कर रहे होते हैं। जीवित बचे लोगों को सुरक्षित रूप से खोजने और निकालने के लिए प्रायः विशिष्ट उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। हिमस्खलन को रोकने के लिए बाधाओं या अन्य संरचनाओं का उपयोग, निर्दिष्ट हिमस्खलन क्षेत्रों का निर्माण जहां मानव गतिविधि प्रतिबंधित है, वहाँ लोगों को संभावित खतरे के प्रति प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से सचेत किया जा सकता है।

## असहनीय गर्मी

असहनीय गर्मी की लहर भी एक प्राकृतिक आपदा की भाँति व्यवहार करती है। ऐसा तब होता है जब किसी क्षेत्र में तापमान एक लम्बी अवधि के लिए सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। यह उन लोगों के लिए असहनीय और प्राणघातक हो सकती है जो गर्मी से बचने में असमर्थ हैं या उचित सावधानी नहीं बरतते हैं। गर्मी के स्तर को निर्धारित करने में मौसम की प्रकृति और नमी का स्तर प्रमुख भूमिका निभाता है। जब उच्च दाब प्रणालियाँ गर्म हवा को एक क्षेत्र में रोक कर रखती हैं, तो तापमान तेजी से बढ़ सकता है।

गर्मी प्रभाव से निर्जलीकरण, थकावट और हीटस्ट्रोक हो सकता है, जो शीघ्र चिकित्सीय सहायता न मिलने पर घातक हो सकता है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, और अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति वाले लोग गर्मी के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण डामर निर्मित सड़कों में बेंड पड़ सकते हैं, ट्रेन की पटरियाँ तिरछी हो सकती हैं, और पावर ग्रिड ओवरलोड हो सकते हैं जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो सकती है।

गर्मी की लहर (लू) के दौरान स्वयं को बचाने के लिए लोगों को दिन के सबसे गर्म हिस्सों के दौरान वातानुकूलित इमारतों और घर के अंदर रहना, हल्के रंग के और ढीले–ढाले कपड़े पहनना, खूब पानी पीना चाहिए और अत्यधिक परिश्रम वाली गतिविधियों से बचना चाहिए।

## तूफान

तूफान (हरीकेन) एक प्राकृतिक आपदा है। जब उच्च हवाओं के साथ एक कम दबाव प्रणाली पानी की सतह पर बनती है तो तूफान की स्थिति उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदाओं के सबसे विनाशकारी प्रकारों में से एक तूफान व्यापक रूप से जीवन और संरचनात्मक क्षति का कारण बन सकते हैं।

सैफिर–सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल (1941) द्वारा तूफानों को वर्गीकृत किया गया है, जो तूफानों को उनकी निरंतर हवा की गति के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर रेट करता है।

**सैफिर–सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल**

| श्रेणी | हवा की गति कि0 मी0/घण्टा |
|---|---|
| 5 | 252 से अधिक |
| 4 | 209–251 |
| 3 | 178–208 |
| 2 | 154–177 |
| 1 | 119–153 |

तूफान में तेज हवाएँ, भारी वर्षा, तूफानी लहरें और बवंडर सम्मिलित हैं। सर्वाधिक क्षति प्रायः तूफान के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने से होती है। तूफान के लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तूफान परिवहन और विद्युत व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, घरों और व्यवसायों को क्षति पहुँचा सकते हैं। इसके बाद यथास्थिति को पुनः बहाल करना दीर्घकालीन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

## भूस्खलन

जब मिट्टी और चट्टान अस्थिर होकर तेजी से ढलान के साथ नीचे आते हैं तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन के कारणों में भारी वर्षा, भूकंप और मानवीय गतिविधि जैसे उत्खनन या वनों की कटाई सम्मिलित हैं। इससे संरचनात्मक ढाँचे और घरों को भौतिक क्षति के अतिरिक्त, मिट्टी का क्षरण, नदियों और नालों का अवसादन, और पारिस्थितिक तंत्र का विघटन भी हो सकता है। भूस्खलन से जुड़े खतरों को कम करने के लिए, विभिन्न उपायों के अन्तर्गत इससे जुड़े खतरों के बारे में लोगों

को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, विशिष्ट भवनों का निर्माण तथा भूमि उपयोग योजना का कार्यान्वयन हो सकता है।

## बिजली गिरना

आकाशीय बिजली का गिरना भी एक प्राकृतिक आपदा है। बिजली गिरने की घटना दुनिया में कहीं भी हो सकती है, किन्तु उश्ण–कटिबंधीय जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में यह अधिक सामान्य है। ऊंची इमारतों या संरचनाओं वाले क्षेत्रों के साथ–साथ खुले मैदानों या जलाशयों में भी बिजली का गिरना हो सकता है। यह इमारतों, पेड़ों और अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंचा सकती है और आग भी लगा सकती है जो तेजी से फैल सकती है। इसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बिजली का गिरना प्राणघातक हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो खुले में हैं या किसी ऊंचे ढांचे के पास हैं।

बिजली गिरने से जुड़े खतरों को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें बादलों की गड़गड़ाहट के समय बाहरी गतिविधियों से बचना, बिजली गिरने पर किसी मजबूत इमारत या वाहन में शरण लेना, और ऊंची वस्तुओं या संरचनाओं के पास खड़े होने से बचना सम्मिलित हो सकता है जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं। इन व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त बिल्डिंग कोड और सुरक्षा मानकों को लागू करना बिजली गिरने से जुड़े खतरों को कम कर सकता है। ऊंची इमारतों और संरचनाओं पर तड़ित चालक स्थापित करना, और तूफान के दौरान सुरक्षित रहने के बारे में निवासियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना बिजली गिरने से जुड़े खतरों को कम कर सकता है।

## सुनामी

विशाल जल स्रोत यथा समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के परिणामस्वरूप जब बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित होता है, तो वह सुनामी कहलाता है। पानी के इस विस्थापन से बड़ी लहरें बन सकती हैं, जो तटीय समुदायों और संरचनात्मक ढांचे को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकती हैं। इमारतों, घरों और अन्य संरचनात्मक ढांचे को क्षति पहुँचाने के अतिरिक्त सुनामी व्यापक बाढ़, तटीय क्षेत्रों के क्षरण और पारिस्थितिक तंत्र के विघटन का कारण भी बन सकती है। इससे जीवन की व्यापक क्षति हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लोग शीघ्रता से स्थानान्तरित नहीं हो पाते हैं या जहां लहरों के बल का सामना करने के लिए संरचनात्मक ढांचा नहीं बनाया जाता है। 2004 की सुनामी की भयावह स्मृतियाँ आज तक हमारे मन में हैं।

सुनामी के खतरों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, सुनामी के खतरों को दृष्टिगत् रखते हुए बिल्डिंग कोड का कार्यान्वयन, और तटीय क्षेत्रों से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग योजना का कार्यान्वयन सम्मिलित हो सकता है। संभावित सुनामी के संकेतों को जानना (जैसे जलरेखा का अचानक कम होना), और आपातकाल के मामले में निकासी योजना विकसित करना आदि अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं।

## जंगल की आग

जंगल की आग एक प्राकृतिक आपदा है। यह स्वाभाविक रूप से, बिजली गिरने, ज्वालामुखी विस्फोट, मानव गतिविधि, जैसे कि कैंपफायर, छोड़ी गई सिगरेट, या आगजनी से प्रारंभ हो सकती है। गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों जहां वनस्पति के सूखने और अधिक ज्वलनशील होने का खतरा होता है वहाँ इसके प्रसरित होने की संभावना बहत अधिक होती है। यह आग इमारतों, घरों और पर्यावरण को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाती है, जिससे मिट्टी का क्षरण, वन्यजीवों के आवासों की क्षति, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। जंगलों में लगी आग से धुएं और राख के संपर्क में आने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और यहां तक कि गंभीर मामलों में जान भी जा सकती है।

जंगल की आग से जुड़े खतरों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा सकते हैं। इनमें सूखी पत्तियों, मृत शाखाओं और शुष्क लकड़ी जैसी ज्वलनशील सामग्रियों को हटाने के साथ ही आग के प्रसार को रोकने के लिए पेड़ों और झाड़ियों को काटकर घरों और अन्य संरचनाओं के आसपास सुरक्षित स्थान बनाना सम्मिलित हो सकता है।

## निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपदाएं भले ही प्राकृतिक हों, मानव और अन्य जीव जन्तुओं के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नेपथ्य में प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप भी कहीं न कहीं उत्तरदायी दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि इन आपदाओं को रोकना पूर्णतया संभव नहीं है। इस स्थिति में यही ध्येय होना चाहिए कि क्षति को न्यूनतम रखा जा सके। सतत निगरानी, किसी भी भू–भाग में संभावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संरचनात्मक ढाँचों, इमारतों, भवनों का निर्माण, तकनीक का प्रयोग, प्रभावशाली पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रयोग, जनसंख्या के अधिकांश भाग को आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण देकर और वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त होने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसिज) को अपना कर आपदाओं के दुष्प्रभाव और क्षति को न्यूनतम रखा जा सकता है।

## संदर्भ

1. मन्थानभैरव तन्त्र।
2. अर्थशास्त्र. विनयाधिकारिक. अध्याय 9. 'आपद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं च'।
3. (2020). व्हाई नेचुरल डिजास्टर आर नॉट आल दैट नेचुरल. ओपन डेमोक्रेसी. 26 नवम्बर।
4. वर्ल्ड बैंक. डिजास्टर रिस्क मैनेजमेण्ट।
5. आठवीं बटालियन. एन0 डी0 आर0 एफ0. गाजियाबाद के लेख।
6. एचटीटीपीएस. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एनओएए. जीओवी।
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन का एस.ए.सी. (सैक) प्रोग्राम एवं डिजास्टर मैनेजमेण्ट गाइडलाइन्स।

33

# प्रदूषण : वर्तमान संभावनाएँ एवं भावी चुनौतियाँ

**डॉ० निशा बहल**
असिस्टैंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
डी० ए० वी० कॉलेज, कानपुर

***सारांश***

*प्रदूषण वातावरण और मानव जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। अलग–अलग स्रोतों से विभिन्न खतरनाक और विषैले पदार्थ वातावरण में मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों जैसे– जल, मृदा, वायु, भूमि, ध्वनि और उष्मीय प्रदूषण आदि का कारण बन रहे हैं। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर का बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। पृथ्वी पर बढ़ता तापमान विभिन्न खतरों को जन्म दे रहा है और जीवन के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिए आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।*

***मुख्य शब्द***

*ओजोन परत, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो–एक्टिव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण।*

प्रदूषण, आजकल की इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि मानव शुद्ध वायु, शुद्ध पानी तथा खाद्य पदार्थों को भी शुद्ध नहीं रख पा रहा है जिस कारण मानव को अनेक गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। विषैली गैसें, मल–मूत्र, कूड़ा–करकट और दूषित पानी मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। इससे वातावरण दूषित हो चुका है, इस समस्या को ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की समस्या किसी एक व्यक्ति, समूह या देश की समस्या नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण सृष्टि की समस्या है, इस कारण ही प्रदूषण का प्रभाव मानव जाति पर ही नहीं बल्कि सभी जीव जन्तुओं पर भी पड़ता है।

**प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ**

प्रदूषण (संस्कृत में प्रदूषणम्) का अर्थ है– वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना जिसका जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। इसका अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना।

प्रदूषण आज भी सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसने मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। मानव प्रदूषण में जन्म लेता है, प्रदूषण में जीवित रहता है और उसका अंतिम संस्कार भी प्रदूषण के वातावरण में होता है। औद्योगीकरण व नगरीकरण के कारण नदियों के उद्‌गम पर बड़े–बड़े नगर बस गये हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है कि प्रदूषण मुक्त समाज में जीवन–यापन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत आता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 इस दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिनियम है।[1]

प्रदूषण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कोलिन वाकर ने कहा है कि ''प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सामान्य वातावरण में भौतिक रासायनिक कारणों में होने वाले परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं।''[2]

**ओडम के अनुसार** :– ''वातावरण के जीव मण्डल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह प्रदूषण कहलाता है।''[3]

Shodh Manthan Vol. XIV Special Issue March 2023 ISSN: (P)0976-5255(e)2454-339X
Impact Factor: 8.870

## प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण के कई प्रकार हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो–एक्टिव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण इत्यादि जिनका वर्णन निम्न प्रकार है–

**वायु प्रदूषण** :– आजकल वायुमण्डल में अनेक प्रकार की विषैली गैसों द्वारा संतुलन बिगड़ रहा है जिसके कारण सर्दियों में अधिक कोहरा पड़ता है। इसके कारण दमा, खांसी तथा सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है।

**जल प्रदूषण** :– स्वच्छ नदियों में सीवरेज के जल का मिलना जल प्रदूषण है, इससे पानी पीने योग्य नहीं रहता है और अस्वच्छ पानी पीने से मानव को अनेक रोग हो जाते हैं जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया आदि।

**ध्वनि प्रदूषण** :– मोटरसाईकिल कार, बस व अन्य वाहनों, लाउडस्पीकर, जेट विमान, कारखाने में मशीनों की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे मनुष्य की सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में मानसिक विकृति, क्रोध, नींद न आना तथा चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है।

**रेडियोधर्मी प्रदूषण** :– इसे नाभिकीय प्रदूषण भी कहा जाता है। इसमें मौजूद ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के कण बेहद सूक्ष्म रूप में होते हैं जो सैकड़ों वर्षों तक वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं।

**मृदा प्रदूषण** :– मृदा प्रदूषण खराब कृषि पद्धतियों का परिणाम है। ये मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को कम कर देती हैं।

**रासायनिक प्रदूषण** :– औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल एवं पारा रासायनिक प्रदूषण को जन्म देता है। इनसे अंधापन, लकवा मार जाने और सांस की बीमारी होती हैं।

प्रदूषण मानव निर्मित एवं प्राकृतिक भी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विद्वान सलाहकार समिति ने कहा कि ''प्रदूषण हमारे परिवेश का प्रतिकूल परिवर्तन है।''[4] आधुनिक औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने विश्व के सामने नयी चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। प्रदूषण आज की सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसने मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। मानव ने औद्योगीकरण व नगरीकरण के कारण व बढ़ती जनसंख्या के कारण नये–नये उद्योग धन्धे लगाने शुरू किए। कूड़ा–कचरा, सीवर का पानी, गंदगी नदियों में फेंका जाने लगा; उससे जल प्रदूषित हुआ। विज्ञान के विकास के साथ परिवहन के साधनों की संख्या में वृद्धि हुई। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों ने शहरों को प्रदूषित किया। इंडियन कौंसिल फार इनवायरमेन्ट लीगल एक्शन की एक रिपोर्ट है कि ''रासायनिक उद्योग प्रदूषण के मुख्य अपराधी हैं।''[5]

जीवनशैली में बदलाव के कारण कई अन्य प्रकार के प्रदूषण भी देखे जाते हैं। हम परमाणु युग में जी रहे हैं। आजकल पटाखों का इस्तेमाल प्रकाश प्रदूषण का कारण बनता है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

प्रदूषण की समस्या औद्योगिक क्रांति व ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही वैश्विक तापमान की वृद्धि को भी दर्शाता है।

## वैश्विक तापमान में वृद्धि

ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ भूमण्डलीय उष्मीकरण या वैश्विक तापमान में वृद्धि से है। ये ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिये आज पूरी दुनिया लगी हुई है। पूरे विश्व में धरती के वातावरण में लगातार वैश्विक तापमान बढ़ने के प्राकृतिक व मानवीय कारण वनों की कटाई, औद्योगीकरण, शहरीकरण, पेड़ों का कटना, मानव की विभिन्न क्रियाएं, हानिकारक रासायन, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आदि हैं। आज पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग से हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से उनका पूरा अवशोषण नहीं हो पाता है और प्रदूषण की गर्मी पृथ्वी के अंदर ही आ जाती है, इससे तापमान धीरे–धीरे बढ़ने लगता है। वैश्विक तापमान वृद्धि पृथ्वी के वायुमण्डल के समग्र तापमान में वृद्धि को कहते हैं। विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं जो धीरे–धीरे तापमान बढ़ा रही हैं, हमारे हिम ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण अत्यधिक गर्मी, अधिक सूखा, भारी वर्षा और अधिक शक्तिशाली तूफान इत्यादि समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

औद्योगीकरण में ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन का जलना वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन के दोहन, उर्वरकों का उपयोग, वनों को काटना, फ्रिज व ए0सी0 में उपयोग होने वाली गैस इत्यादि के कारण वातावरण में $CO_2, CO$ का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है।

वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी बढ़ाने के लिये जिम्मेदार हैं जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। एनवायरमेंटल स्टडीज इंस्टीटयूट के अनुसार, ''जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का उपयोग अक्सर एक–दूसरे के लिए होता है लेकिन जलवायु परिवर्तन मोटे तौर पर औसत मौसम (जैसे तापमान, वर्षा, आद्रता, हवा, वायुमण्डलीय दबाव, समुद्र का तापमान) में लगातार परिवर्तन के लिए माना जाता है जबकि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वैश्विक तापमन में वृद्धि के लिए जाना जाता है।''[6]

वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। वर्षा से कृषि

को लाभ तो होता है लेकिन फिर फसलें, सम्पत्ति, जन जीवन भी अधिक वर्षा से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के वायुमण्डल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से लगातार वृद्धि हो रही है, उदाहरण के लिए 2015 में, वैज्ञानिकों ने कहा कि 1200 वर्षों में कैलिफोर्निया में पानी की कमी की दर, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक तेज हो गयी था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र का जलस्तर अगले 50 से 150 वर्षों में कई मीटर बढ़ सकता है।

## समुद्र का बढ़ता जल स्तर

वैश्विक तापमान वृद्धि जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले तापमान के कारण, ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की तेजी से पिघलने वाले क्षेत्रों में अंटार्कटिक और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म पानी अत्यधिक जगह लेता है जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। 1980 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री स्तर में आठ से नौ इंच की वृद्धि हुई है।[7]

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार दुनिया का तापमान बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, अनेक देशों के तटवर्ती इलाके डूब जायेंगे। गढ़वाल में गंगोत्री ग्लेशियर हर वर्ष 30 मीटर और पिंडारी ग्लेशियर 13 मीटर की दर से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि 2040 तक सभी मध्य पूर्वी हिमालय ग्लेशियर खत्म हो जायेंगे। अमेरिका में समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई समुद्र तट नष्ट हो चुके हैं। फिजी में हर साल समुद्र तट का जल स्तर बढ़ रहा है। अध्ययनों के अनुसार बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण कई प्रकार के पौधे व जानवरों के समाप्त होने का खतरा है। तटों पर अधिक खारे पानी की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करेगी, इसके अलावा मिट्टी और पौधों के लिए जलवायु परिवर्तन में तेजी से बदलाव से समुद्र तटों पर वन्य जीवों को भी नुकसान होगा। बाढ़ से आवासीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा पैदा होगा। पृथ्वी पर प्राणियों के लिए सबसे बड़ा संकट पीने के पानी का दूषित होना है। इससे सिंचाई भी प्रभावित होगी। अर्थव्यवस्था पर समुद्र के बढ़ते स्तर के तत्काल प्रभावों में से एक पर्यटन उद्योग के लिए खतरा होगा।

शोधकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि कुछ स्थानों में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि औसत से अधिक होगी। बढ़ते जल स्तर के कारण घातक तूफान आयेंगे। अगले 2 हजार वर्षों के भीतर दुनिया के तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए समुद्र के स्तर में लगभग 2.3 मीटर की वृद्धि होगी। आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने पाया कि 1870 से 2022 के बीच समुद्री जल स्तर में 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई।[8]

## ओजोन परत में छेद

ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में विख्यात यह परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली 280 से 320 नैनोमीटर तरंगवाली पराबैंगनी अत्यधिक हानिकारक किरणों को पृथ्वी तल तक पहुंचने से रोकती है। आज इस जीवनदायक ओजोन परत में छिद्र होने का विषय विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। विभिन्न प्रकार की गैसों का असंतुलन, क्लोरो–फ्लोरो कार्बन यौगिकों की ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका रही है। ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी तल पर सूर्य से पराबैगनी किरणें सीधे पहुंच जायेंगी जिसके प्रभाव से त्वचा कैंसर, सफेद त्वचा वाले रोग, मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बीजों के उत्पादन में ह्रास, पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव आदि होने की विकराल सम्भावना है। ओजोन एक ऐसी परत है जो धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पृथ्वी की ओर आती सूर्य की किरणें यदि अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आ जायें तो धूप बहुत तेज होगी, तापमान बढ़ जायेगा। वनस्पतियां झुलस जायेंगी, आंखे खराब हो जायेंगी। हिम खण्डों के पिघलने से नदियों, झीलों और सागरों में जल स्तर बढ़ जायेगा और धरती का एक बड़ा भाग जल मग्न हो जायेगा। वर्ष 1980 में आस्ट्रेलिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम व विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बैठक में जलवायु परिवर्तन को एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकृति मिली। वर्ष 1985 में वियना सम्मेलन, 1987 में मांट्रियल प्रोटोकॉल, 1988 में टोरेंटो सम्मेलन, 1990 में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन, 1992 में रियो डि जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन से लेकर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल तथा अनेक अन्य आयोजन प्रयासरत हैं लेकिन न तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कोई प्रभावी रोक लग सकी और न ही उनकी वृद्धि में कमी आयी।[9]

## क्या है ओजोन?

ओजोन आक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण ओजोन की मात्रा धीरे–धीरे कम होती जा रही है। इसकी जानकारी सबसे पहले 1960 में मिली थी[10] एक अध्ययन के अनुसार वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से कम हो रही है।

वर्ष 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है, इससे वायुमण्डल में ओजोन की भी मात्रा 20 से 30 प्रतिशत कम हो गई है। इसके अलावा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओाजेन परत में छिद्र देखे गये हैं।

## कैसे बनते हैं ओजोन प्रदूषक कण?

नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रो कार्बन तेज धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तब ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकने वाली कार्बन मोनोक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। आज बढ़ते औद्योगीकरण के साथ ही गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसों के कारण ओजोन परत को भारी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से ओजोन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 8 घण्टे के औसत में ओजोन प्रदूषण की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## ओजोन परत का महत्व

हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है। यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिऐशन यानी पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का अर्थ है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा यह पेड़–पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव–जन्तुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक है।

## क्यों हो रहा है ओजोन परत का क्षरण?

ओजोन परत में होने वाले क्षरण का कारण मनुष्य खुद है जिसके कारण वायुमण्डल में कुछ ऐसी गैसों का मात्रा बढ़ जाती है जो पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओ के उपकरणों में करते हैं जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल हैं।

## ओजोन परत में क्षरण के दुष्प्रभाव

ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़–पौधों तथा जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक भी होती हैं। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिन्द जैसी बीमरियॉ हो सकती हैं, साथ ही ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं।

## वियना सम्मेलन

1981 में ओजोन क्षरण के मुद्दे पर वार्ता शुरू हुई। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिये एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिये प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। 16 सितम्बर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता हुआ। 1 जनवरी 1989 को इसका क्रियान्वयन शुरु हुआ। इसके कारण वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने पर जोर देने के एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की गयी।

## विश्व ओजोन परत

ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 दिसम्बर 1987 में एक समिति का गठन किया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह वर्ष 1987 से प्रभावी है। अब तक 150 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस वर्ष 28 दिन ऐसे रहे जब ओजोन प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा रही।

## निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रदूषण अपने आप में एक गम्भीर समस्या है तथा यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहियें। यह एक प्रकार का धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य वरन् जीव–जन्तुओं, पशु–पक्षियों, पेड़–पौधों और वनस्पतियों को भी सड़ा गला कर नष्ट कर देता है। आज प्रदूषण के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है। इसी कारण बहुत से जीव–जन्तु, पशु–पक्षी, वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं। यदि इसी तरह से प्रदूषण फैलता रहा तो जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जायेगा। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिसका हमें शीघ्र–अतिशीघ्र समाधान करने की जरूरत है ताकि मनुष्य इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से रह सके। इसलिए हमें इस समस्या के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा ताकि नई पीढ़ियों को एक स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण मिले। हमनें आज तक प्रकृति को जो क्षति पहुंचायी है, उस गलती के सुधार के लिए वृक्षारोपण कर प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने में योगदान करना चाहिए। सरकार आज हमें प्रोत्साहन दे रही है लेकिन यदि जन–जन में इस संदर्भ में जागरण नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी सिर्फ प्रदूषित वातावरण की गिरफ्त में होंगे।

## संदर्भ

1. गोस्वामी, डॉ0 नव प्रभात., नारायणी, प्रकाश नारायण. पर्यावरण शिक्षा. पुनी प्रकाशन।
2. गुर्जर, डॉ0 राम कुमार., जार, डॉ0 बी0 सी0. पर्यावरण अध्ययन. पंचशील प्रकाशन।
3. राजोरिया, अरूण कुमार. सामाजिक पर्यावरण शिक्षण. जैन प्रकाशन मंदिर।
4. वशिष्ठ, डॉ0 कमला. पर्यावरण शिक्षण।
5. वर्मा, हनुमान सदाय., वर्मा, एच0 एस0. सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण. राधा प्रकाशन मंदिर।
6. गुप्ता, जयेन्द्र शेखर. भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण. जैन प्रकाशन मंदिर।
7. चौधरी, डॉ0 प्यारे लाल. पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा. स्वाति पब्लिकेशन।
8. तिवारी, संजय. पर्यावरणीय और प्रकृति संसाधन. स्टार पब्लिकेशन्स।
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र. पश्चिम भारत सी. ई. ई.।
10. विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली. विज्ञान प्रगति।

34

# कोरोना महामारी –– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**डॉ० अंकुर सिंह**
असिस्टैंट प्रोफेसर, बी. एड. विभाग
दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

***सारांश***

*कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यह दुनिया की पहली ऐसी महामारी है जिसने पूरी तरह से सभी को घरों में बन्द कर दिया है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ा है। स्वाभाविक है कि मानसिक असर तो होगा ही। कुछ लोग तो इस महामारी को सोचकर घबराहट से ही मर गये। हर आये दिन घरेलू झगड़ों से तो यही लगता है कि इस बीमारी ने सबसे अधिक व्यक्तियों को मानसिक रूप से परेशान किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब तक लॉकडाउन रहा होगा तब तक किसी न किसी प्रकार से व्यक्तियों में मानसिक तनाव बना रहा होगा।*

***मुख्य शब्द***

*वायरस, संक्रमण, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, कोविड–19, लॉकडाउन, महामारी।*

**प्रस्तावना**

कोरोना वायरस का सम्बन्ध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण में जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसम्बर, 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। इसीलिए इसे कोविड–19 (COVID-19) कहा गया। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। आकार में इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। डाक्टरों ने पाया कि ये लक्षण सार्स से काफी मिलते–जुलते हैं। नोवल कोरोना वायरस कोरोना वायरस परिवार का सातवाँ वायरस है। अब तक छह तरह के कोरोना वायरस सामने आए हैं। इसकी आनुवंशिक संरचना 80 फीसदी तक चमगादड़ों में पाये जाने वाले सार्स वायरस जैसी मिली है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाले प्रभावी टीके पर्याप्त मात्रा में बाजार में आ चुके हैं।

इसके लक्षण फ्लू से मिलते–जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और दिल की बीमारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं–

- हाथों को बार–बार साबुन से धोना चाहिए।
- अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
- खांसते और छींकते समय नाक और मुँह को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें।
- जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बनाकर रखें।

जब कोई समस्या व्यक्ति की मानसिक समस्याओं से जुड़ी होती है तो वही मनोवैज्ञानिक समस्याएँ होती हैं। जिन्दगी की भागम–भाग, तनाव, काम की अधिकता अक्सर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है। जब यह थकान और परेशानी काफी ऊंचे स्तर तक चली जाती है, तब ऐसा लगने लगता है, जैसे जिन्दगी की सामान्य समस्याओं को भी सुलझाना कठिन हो गया है।

यह लम्बे दवाब तथा थकान का परिणाम होता है। ऐसे में मानसिक तनाव व स्ट्रैस बढ़ जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। व्यक्ति अपने को ऊर्जा–विहीन, असहाय व दुविधाग्रस्त महसूस करने लगता है।

ऐसे में नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ जाती है। आत्मविश्वास व प्रेरणा में कमी, अकेलापन, आक्रोश, नशे की लत, जिम्मेदारियों से भागने जैसे व्यवहार बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी हताशा दूसरों पर उतारने लगता है। ऐसे में व्यक्ति हमेशा थका–थका व बीमार महसूस करता है। लगातार सिर और मांसपेशियों में दर्द, भूख, नींद में कमी होने लगती है। अपने कार्य में रुचि में कमी, हमेशा असफलता का डर व अपना हर दिन बेकार लगने लगता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ जरूरत से ज्यादा कठोर, असहनशील और चिड़चिड़ा हो जाता है। गैस्ट्रिक व ब्लड–प्रेशर का उतार–चढ़ाव असामान्य हो सकता है।

## शोध विधि

प्रस्तुत शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों में उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार टीवी और इंटरनेट पर उपलब्ध तथ्यों का भी सहारा लिया गया है।

## परिकल्पना

प्रस्तुत शोध में परिकल्पना की गयी है कि कोरोना महामारी से बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म हुआ है, जिसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव जन–मानस पर पड़ा है।

## शोध का उद्देश्य

शोध का उद्देश्य कोरोना वायरस से उपजी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दिखाना है। शोध का उद्देश्य कोविड–19 के प्रभावों को कम करने के सुझावों पर भी चर्चा करना है।

## मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड–19 का प्रभाव

चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने जहां दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया है तो वहीं पर इस महामारी ने लोगों को मानसिक रूप से भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को लॉकडाऊन करना पड़ा। इसके तहत भारत को पाँच बार लॉकडाऊन लगाना पड़ा।

देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बन्द रहे और सब कुछ जैसे रुक सा गया। भागती–दौड़ती जिन्दगी में अचानक लगे, इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इस बीच चिन्ता, अकेलापन, डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया।

लॉकडाऊन से बहुत से ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था, पर धीरे–धीरे यह असामान्य हो रहा है। हर आये दिन पारिवारिक झगड़ों आदि की कोई न कोई घटना सामने आ जाती है। जहाँ घर की महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा पड़ा है तो वहीं पर कुछ लोगों की भविष्य की चिन्ता है। कभी नौकरी जाने का डर तो कहीं व्यवसाय चौपट होने से ऐसी मानसिक समस्याओं का जन्म हुआ है।

मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली मनोवैज्ञानिक पारुल खन्ना पराशर कहती है, ''लॉकडाऊन में लोगों के लिए पूरा माहौल बदल गया है। अचानक से स्कूल, ऑफिस, बिजनेस बंद हो गये, बाहर नहीं जाना है और दिन भर कोरोना वायरस की ही खबरें देखनी हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है।''

लोगों को परेशान करने वाली तीन वजहें हैं–

- एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर।
- दूसरा नौकरी और कारोबार लेकर अनिश्चितता।
- तीसरा लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन।

पराशर बताती हैं कि इन स्थितियों का असर ये होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है। सामान्य स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है। इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस, डिस्ट्रेस बन जाता है। ये तब होता है कि जब हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, घबराहट होती है, ऊर्जाहीन महसूस होता है।

फिलहाल महामारी को लेकर अब भी इतनी अनिश्चितता और उलझन है कि कब तक सब ठीक होगा, पता नहीं। ऐसे में सभी के तनावों में आने का खतरा बना हुआ है। इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। हर किसी पर इसका अलग–अलग असर होता है। बार–बार सिर दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, थकान, और ब्लड प्रेशर में उतार–चढ़ाव, चिन्ता, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, उदासी और उलझन हो सकती है। बार–बार बुरे ख्याल आना, जैसे– मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परिवार कैसा चलेगा, मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे, सही और गलत समझ न आना, ध्यान नहीं लगा पाना आदि अनेक ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं। ऐसे में लोग शराब, तम्बाकू, सिगरेट का सेवन ज्यादा करने लगते हैं। कोई ज्यादा टी.वी. देखने लगता है, कोई ज्यादा शोरगुल वाले खेल खेलने लगता है, तो कोई चुप्पी साध लेता है।

## कोरोना वायरस से उपजी समस्याओं के समाधान के सरकारी प्रयास

कोरोना वायरस की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया किन्तु जहाँ एक ओर इससे कुछ राहत मिली तो अधिक समय रहने के कारण लॉकडाउन से मनोवैज्ञानिक समस्याओं ने जन्म लेना भी शुरू कर दिया। अतः सरकार ने समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं।

समस्याएँ और व्यवस्था को बेहतर करने की चुनौतियों के बीच कुछ कदम उम्मीद जता रहे हैं। कोविड–19 की आपदा के चलते सामुदायिक कार्यक्रमों की शुरुआत के अच्छे अवसर बने हैं। देश के 625 में से 125 जिलों में जिला मेंटल हेल्थ कार्यक्रम शुरु हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिये भी डॉक्टर और प्रशासन मरीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वेबिनारों के जरिए और वॉट्सएप परामर्श समूहों के जरिये भी मरीजों की मदद की कोशिश की जा रही है। कोरना वायरस को लेकर लोगों के बीच जन–जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। कोई केस कम्युनिटी में आगे न बढ़ने पाए इसलिए क्लस्टर एप्रोच पर काम किया जा रहा है जिसके चलते 3 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर लोगों से बातचीत की जा रही है। सर्विलांस अधिकारियों के साथ डॉक्टरों की टीम को भी लगाया जा रहा है। दोनों के बीच तालमेल को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही आपातकालीन मामलों के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूल और कॉलेज बन्द होने के बीच छात्र–छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'मनोदर्पण' कार्यक्रम शुरु किये गये। इसमें ऐसे कई रचनात्मक कार्य एवं सुझाव हैं जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

ऐसे ही टेलिमेडिसिन यानी फोन से दवाएँ मंगवाने की सुविधाएँ भी दी गयी हैं। लेकिन गैर शहरी और ग्रामीण इलाकों में मानसिक रोगियों से सम्बन्धित समस्याएँ भयानक हैं। रोगियों तक वॉलेंटियरों के जरिये दवा व परामर्श पहुंचाने वाले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी एन.जी.ओ. के फाउण्डर और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक रत्नबोली रे के हवाले से अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि– ''टेलिमेडिसिन एक खास वर्ग के लिए है। हमारे कई मरीज दिन में एक बार चावल नमक के साथ खा रहे हैं। उनके पास दवाओं के पैसे नहीं है। ऐसे में सरकारी दवाई का न मिल पाना व्यवस्था का एक बड़ा संकट है।''

## कुछ स्वयं के सुझाव

मौजूदा हालात अभी भी पूरी तरह से एक सामान्य जिन्दगी के प्रतिकूल है जो कि शारीरिक बीमारी के साथ–साथ तनाव जैसी मानसिक बीमारियों को भी पलने–बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है वरना यह अंतहीन हो सकता है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

- खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना जरूरी है ।
- आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा और पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी हुई है।
- धैर्य के साथ इंतजार करें।
- छोटी–छोटी बातों का बुरा न मानें, एक–दूसरे से बातें करे, नकारात्मक बातों पर चर्चा न करें।
- घर से बाहर बिना किसी जरूरी काम के न निकलें, लेकिन छत पर, खिड़की पर, बालकनी या घर के बगीचे में आकर खड़े हों। सूरज की रोशनी से भी हमें अच्छा महसूस होता है।
- अपनी दिनचर्या को बनाए रखें। इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है और सामान्य महसूस होता है।
- हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना–पीना और व्यायाम करें।
- एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि समय का कुछ इस्तेमाल अपनी हॉबी पूरी करने में करें, वो मनपसंद काम जो समय न मिलने के कारण आप न कर पाए हों, इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी जैसे कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई है।
- अपनी भावनाओं को जाहिर करें, अगर डर या उदासी है तो अपने अन्दर छुपाएँ नहीं बल्कि परिजनों या दोस्तों के साथ शेयर करें।
- जिस बात पर बुरा लगता है उसे पहचानें और जाहिर करें, लेकिन वो गुस्सा कहीं और न निकालें।
- भले ही आप परिवार के साथ घर पर रह रहें हो फिर भी अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें।
- आप जो सोच रहे हैं उस पर विचार करें, अपने आप से सवाल पूछें, जितना हो सकारात्मक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करें।
- प्राणायाम, योग, योगनिद्रा, ध्यान मुद्रा आदि की भी मदद ली जा सकती है। इससे तनावमुक्ति होती है। स्फूर्ति और आत्म–विश्वास बढ़ता है। यह पूरे व्यक्तित्व को सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
- आयुर्वेद में तुलसी को नर्व–टानिक तथा एंटिस्ट्रैस कहा गया है। अतः इसका भी सेवन लाभदायक हो सकता है, पर गर्भावस्था में बिना सलाह इसे न लें।

## निष्कर्ष

कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यह दुनिया की पहली ऐसा महामारी है जिसने पूरी तरह से सभी को घरों में बन्द कर दिया है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ा है। स्वाभाविक है कि मानसिक असर तो होगा ही। कुछ लोग तो इस महामारी को सोचकर घबराहट से ही मर गये। हर आये दिन घरेलू झगड़ों से तो यही लगता है कि इस बीमारी ने सबसे अधिक व्यक्तियों को मानसिक रूप से परेशान किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब तक लॉकडाउन रहा होगा तब तक किसी न किसी प्रकार से व्यक्तियों में मानसिक तनाव बना रहा होगा। अतः लॉकडाउन या वर्क फ्रोम होम से प्राप्त अतिरिक्त समय को अवसर समझकर प्रयास करें, कोई लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करने का प्रयास करें।

## संदर्भ

1. भान, सुमबाली किरनन. (1988). स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रलिंग पब्लिशर्सः नई दिल्ली।
2. सिंह, अरुण कुमार. उच्चतर नैदानिक मनोविज्ञान. मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्सः नई दिल्ली।
3. मर्फी, एल. आर. (1986). ए रिव्यू ऑफ ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट रिसर्च. जर्नल ऑफ ऑर्गनाइजेशन बिहेवीयर मैनेजमेंट।
4. रॉबिन्स, स्टेफन्स पी. (1992). ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर, नौंवा संस्करण. प्रैन्टिस हॉलः नई दिल्ली।
5. कूपर, ए. सी., रस. कार्टराईट. मेन्टल हेल्थ स्ट्रेस इन द वर्कप्लेस. हान्स सेमल के कार्य पर आधारित।
6. सिंह, अरुण कुमार. आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान. मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्सः नई दिल्ली।
7. प्रभात खबरः विभिन्न अंक।
8. हिंदूस्तान.कॉम।
9. बीबीसी.कॉम।